



# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए  
राजस्थान सरकार  
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का स्थानीय निकायों  
पर प्रतिवेदन**

**31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

**राजस्थान सरकार  
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2**

**विषय-सूची**

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	v
विहंगावलोकन	-	vii
<b>भाग-क</b>		
<b>अध्याय I</b>		
<b>पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों का विहंगावलोकन</b>		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली	1.3	3
पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न समितियों का गठन	1.4	3
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.5	4
लेखापरीक्षा आक्षेपों का प्रत्युत्तर	1.6	8
सामाजिक अंकेक्षण	1.7	9
लोकायुक्त द्वारा जाँच	1.8	11
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण	1.9	11
वित्तीय रिपोर्टिंग मामलें	1.10	13
निष्कर्ष	1.11	21
<b>अध्याय II</b>		
<b>पंचायती राज संस्थाओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष</b>		
<b>अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
<b>ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग</b>		
मेवात क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन	2.1	23
<b>ग्रामीण विकास विभाग</b>		
महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना	2.2	46

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>पंचायती राज विभाग</b>		
पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों का निर्मोचन एवं उपयोगन	2.3	66
नियम संगत आय से वंचित होना	2.4	94
राजस्थान लोक-उपापन में पारदर्शिता नियमों का उल्लंघन कर व्यय	2.5	96
रॉयल्टी अंश को अनियमित रूप से रोके रखना	2.6	98
निधियों को अनियमित रूप से रोके रखना	2.7	100
<b>ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग</b>		
संवेदकों को कपटपूर्ण भुगतान	2.8	101
निधियों का अवरूद्ध रहना	2.9	103
<b>भाग-ख</b>		
<b>अध्याय III</b>		
<b>शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन</b>		
परिचय	3.1	107
संगठनात्मक ढांचा	3.2	108
शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति	3.3	109
विभिन्न समितियों का गठन	3.4	110
लेखापरीक्षा व्यवस्था	3.5	111
लेखापरीक्षा आक्षेपों का प्रत्युत्तर	3.6	112
सम्पत्ति कर बोर्ड	3.7	113
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण	3.8	114
शहरी स्थानीय निकायों का आंतरिक अंकेक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	3.9	115
वित्तीय लेखन मुद्दे	3.10	115
निष्कर्ष	3.11	122

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>अध्याय IV</b>		
<b>शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष</b>		
<b>अनुपालना लेखापरीक्षा</b>		
<b>स्वायत्त शासन विभाग</b>		
नगर निगम उदयपुर की कार्यप्रणाली	4.1	123
आवासीय इकाइयों के निर्माण पर निष्फल व्यय	4.2	151
बेहतरी लेवी की कम वसूली	4.3	153
श्रम उपकर की अवसूली/कम वसूली	4.4	154
राजस्व की हानि	4.5	156

<b>परिशिष्ट</b>		
संख्या	विवरण	पृष्ठ
<b>I</b>	पंचायती राज संस्थाओं के संविधान में सूचीबद्ध 29 विषयों के हस्तांतरण का विवरण	159
<b>II</b>	महालेखाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए 13 मापदंडों को दर्शाने वाला विवरण	160
<b>III</b>	नमूना जांच के लिए इकाइयों के चयन को दर्शाने वाला विवरण	161
<b>IV</b>	कार्यों का ब्यौरा जहाँ किया गया व्यय निष्फल रहा	162
<b>V</b>	कार्यों का ब्यौरा जहाँ नालियों के निर्माण के प्रावधान थे लेकिन नाली निर्मित नहीं की थी, दर्शाने वाला विवरण	164
<b>VI</b>	कार्यों को ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण जिनमें नालियों के अवरुद्ध होने से सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं	169
<b>VII</b>	गैर-अनुमत कार्यों की सूची	171
<b>VIII</b>	सिंगल फेज बोरिंग एवं हैण्डपम्प पर निष्फल व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	172
<b>IX</b>	गैर-अनुमत कार्यों का विवरण जिन पर निधियों का उपयोग किया गया है	173
<b>X</b>	चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की सूची दर्शाने वाला विवरण-पत्र	174
<b>XI</b>	कार्यों के विभाजन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र	175
<b>XII</b>	उन कार्यों जिनमें कम सार्वजनिक योगदान प्राप्त हुआ था, का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र	176
<b>XIII</b>	पंचायत समिति गढ़ी, जिला परिषद बांसवाड़ा में कम मोटाई वाली सीसी सड़कों के निर्माण कार्यों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	178

परिशिष्ट		
संख्या	विवरण	पृष्ठ
<b>XIV</b>	नाली और एक्सपेंशन जॉइंट का निर्माण न होने के कारण क्षतिग्रस्त सीसी सड़कों का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र	179
<b>XV</b>	कार्यों के अनुचित निष्पादन का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र (कम लम्बाई में निष्पादित अथवा नहीं किए गए कार्य)	180
<b>XVI</b>	पंचम राज्य वित्त आयोग की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण (अंतरिम और अंतिम प्रतिवेदन में दी गई अनुशंसाएं)	184
<b>XVII</b>	पंचम राज्य वित्त आयोग पर विषयगत लेखापरीक्षा के लिए चयनित संभाग, जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत का नाम दर्शाने वाला विवरण	185
<b>XVIII</b>	चयनित इकाइयों में निधियों के निर्धारित प्रतिशत की सीमा से अधिक स्वीकृत सड़कों को दर्शाने वाला विवरण	186
<b>XIX</b>	2015-16 से 2019-20 के दौरान अभिसरण द्वारा उपयोग में ली गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण	187
<b>XX</b>	पट्टे पर दी गई दुकानों के सन्दर्भ में बकाया किराया राशि का विवरण	189
<b>XXI</b>	उन मामलों के नाम जो फायर एनओसी जारी किए बिना बंद हो गए तथा फायर एनओसी के जारी नहीं/देरी से जारी करने के मामले	191
<b>XXII</b>	आवासीय से व्यावसायिक भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए लीज राशि की वसूली नहीं करना	192
<b>XXIII</b>	पाँच सितारा और चार सितारा होटलों की सूची जो पंजीकृत नहीं हैं	193
<b>XXIV</b>	बस शेल्टर और ट्रैफिक बूथ की कुल भुगतान और देय राशि का विवरण	195
<b>XXV</b>	बेटरमेंट लेवी की कम/गैर वसूली	196

## प्राक्कथन

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों एवं सपठित राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 75 की उपधारा (4) का परंतुक यथा संशोधित दिनांक 27 मार्च 2011 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 99-क यथा संशोधित दिनांक 31 मार्च 2011, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा एवं राज्य सरकार को ऐसी लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं, के अनुसार की गई लेखापरीक्षा से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण सम्मिलित हैं जो 2017-20 की अवधि में की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए और साथ-साथ वे भी जो विगत वर्षों में जानकारी में आए किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नहीं बताए जा सके। जहां आवश्यक है, वहां 2017-20 के बाद के मामले भी सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2017) के अनुसार की गई है।

## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो भाग शामिल हैं :

**भाग-क** में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियां शामिल हैं। इस भाग में दो अध्याय शामिल हैं। अध्याय-I में 'पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों का विहंगावलोकन' और अध्याय-II में 'मेवात क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन' पर विषयक लेखापरीक्षा, 'महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना' तथा 'पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों का निर्मोचन एवं उपयोजन' पर दो वृहद अनुच्छेद और अनुपालन लेखापरीक्षा के छः अनुच्छेद शामिल हैं।

**भाग-ख** में शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। इस भाग में दो अध्याय शामिल हैं। अध्याय-III में 'शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन' शामिल है और अध्याय-IV में चार अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है।

## भाग-क पंचायती राज संस्थाएँ

### 1. पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों का विहंगावलोकन

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 पंचायती राज के नए स्वरूप की पुष्टि करता है जो कि स्थानीय स्वायत्त निकायों की जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर और अधिक शक्तियों के विकेन्द्रण के साथ त्रिस्तरीय संरचना हेतु प्रावधान करता है। तेहत्तरवें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाला राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, अप्रैल 1994 से लागू हुआ।

प्रत्येक पंचायती राज संस्था द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 द्वारा अधिदेशित पांच स्थायी समितियों का गठन किया जाना था। तथापि, पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार टिप्पणी करने के बावजूद, उनके गठन की वास्तविक स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है। आगे, जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने और चर्चा करने के लिए जिला आयोजन समिति की बैठकें भी अधिकांश जिलों द्वारा निर्धारित संख्या में और तरीके से आयोजित नहीं की गई थीं जैसा कि परिकल्पित था।

मेला कर, भवन कर, शुल्क, भूमि एवं भवनों, जलाशयों इत्यादि से किराया तथा भूमि की बिक्री से पूंजीगत प्राप्तियां जैसे राजस्व के कुछ स्रोत, पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किये गए थे। तथापि पंचायती राज संस्थाएं राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान पर निर्भर



रही हैं। पंचायती राज संस्थाएं निजी राजस्व सृजन के महत्व को पहचानने में विफल रही हैं। यहाँ तक कि पिछले कई वर्षों से विभाग के पास 'निजी राजस्व' के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे।

लेखांकन प्रारूप वर्ष 2009 से तैयार किए जा चुके हैं। तथापि पंचायती राज संस्थाओं ने अभी भी अपने लेखों को पारंपरिक प्रारूपों में संधारित किया था। कई पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजनावार पृथक रोकड़ बही, आय एवं व्यय के त्रैमासिक लेखे तथा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखे भी संधारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं का अभिलेख संधारण स्वराब और उस सीमा तक अपूर्ण बना रहा। प्रियासॉफ्ट, एक ऑनलाइन केंद्रीकृत लेखा पैकेज जो मॉडल लेखा प्रणाली के तहत लेखों के संधारण की सुविधा प्रदान करता है, का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि कई पंचायती राज संस्थाएँ इसमें प्रविष्टियां नहीं कर रही थी।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग पंचायती राज संस्थाओं का प्राथमिक लेखापरीक्षक है। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के लेखों का प्रमाणीकरण और लेखापरीक्षा में भारी बकाया चिंता का विषय है। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के मापदंड 4 और 5 के तहत इस कार्यालय द्वारा द्वारा की गई टिप्पणियों का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया। पंचायती राज संस्थाओं का सामाजिक अंकेक्षण आवरण पिछले कुछ वर्षों में घट रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं ने 291 अनुच्छेदों वाले 23 निरीक्षण प्रतिवेदनों (2017-2020 के दौरान जारी) की प्रथम अनुपालना भी उपलब्ध नहीं कराई है। वर्ष 2017-20 की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निपटान के लिए निर्धारित संख्या में लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गईं।

(अनुच्छेद 1.1 से 1.11)

## 2. पंचायती राज संस्थाओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### मेवात क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन

राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिले का क्षेत्र, जहाँ मेवात समुदाय की घनी आबादी है, मेवात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। मेवात क्षेत्र विकास योजना मेवात क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रारम्भ (फरवरी 1987) की गई थी और मेवात क्षेत्र की 14 पंचायत समितियों में कार्यान्वित की जा रही है। मेवात क्षेत्र विकास योजना और अन्य विकासात्मक योजनाओं के तहत निर्मित संपत्तियों के रखरखाव के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए लघु उद्योग और आवश्यक संसाधन विकसित किए जाने थे।

संपादित लेखापरीक्षा के परिणामों से प्रकट हुआ कि योजना के क्रियान्वयन की योजना प्रभावी नहीं थी क्योंकि परिप्रेक्ष्य योजना, जल निकासी योजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/समेकित परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए थे। वार्षिक योजनाओं के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन

में विलम्ब हुआ था। 2015-20 के दौरान योजनान्तर्गत उपलब्ध निधियों का मात्र 19.68 से 40.28 प्रतिशत ही उपयोग किया गया। आगे, निधियाँ अन्य योजनाओं में विपथित की गई थी और क्रियान्वयन एजेंसियों को दिए गए अग्रिम समायोजित नहीं किए गए थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन से प्रकट हुआ कि योजना के तहत गैर-अनुमत कार्य स्वीकृत किए गए थे और बिजली कनेक्शन के बिना कार्यों पर निष्फल व्यय किया गया था। साथ ही, इस योजना के तहत सृजित परिसम्पत्तियां कुल उपलब्ध निधि का 15 प्रतिशत तक परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिए समर्पित निधियों की उपलब्धता के बावजूद बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाई गई, जो अनुपयोगी थी। जैसा कि दिशानिर्देशों में परिकल्पित था योजना का तृतीय पक्ष निरीक्षण/प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन भी नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण कमजोर था।

इस योजना में लघु उद्योगों की स्थापना/विकास और स्थानीय नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए आवश्यक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था और उपलब्ध निधि का दो तिहाई से अधिक मुख्य रूप से सीसी रोड/अन्य छोटी निर्माण गतिविधियों के निर्माण के लिए व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 2.1)

### **महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना**

महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना (एमजीजेवीवाई) जो पहले 'गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना' के नाम से जानी जाती थी, राजस्थान के समस्त 33 जिलों में सितंबर 2014 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन एवं सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण तथा रखरखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजनान्तर्गत वृक्षारोपण के साथ में श्मशान/कब्रिस्तान की चारदीवारी टीनशेडों एवं चबूतरे निर्माण के लिए 90 प्रतिशत निधियां एवं अन्य सामुदायिक सम्पत्तियों के लिए 70 प्रतिशत निधियां राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जायेगी एवं अवशेष समान राशि समुदाय जिसमें व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, सामाजिक संगठन, स्थानीय जनता आदि सम्मिलित हैं, के द्वारा योगदान किया जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अन्य संपत्तियों के निर्माण हेतु 80 प्रतिशत निधि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग योजना की विभिन्न गतिविधियों के समग्र पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और समन्वय के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

एमजीजेवीवाई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्ति के सृजन के माध्यम से गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास में स्थानीय जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने 2014-20 के दौरान योजना के अंतर्गत ₹ 376.91 करोड़ का योगदान दिया, जबकि समुदाय ने लगभग ₹ 60 करोड़ का योगदान दिया। यद्यपि, 85 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया

था, वर्षवार व्यय, उपलब्ध निधियों का 24.14 प्रतिशत से 43.57 प्रतिशत के मध्य था। सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान केवल ₹ 1.91 करोड़ की नाममात्र निधियों का योगदान किया। मार्च 2020 तक ₹ 19.26 करोड़ व्यय करने के उपरांत ₹ 28.73 करोड़ राशि के 330 कार्य अभी भी अपूर्ण थे।

सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिए कार्यों की स्वीकृतियों के विभाजन, अपेक्षित योगदान जमा किये बिना कार्यों की स्वीकृति तथा सार्वजनिक योगदान जमा करने के उपरांत भी कार्यों का निष्पादन नहीं करने के प्रकरण ध्यान में आए। कपटपूर्ण भुगतान, व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही संपत्तियां, क्षतिग्रस्त संपत्तियों के संधारण का अभाव और गैर-अनुमत्य कार्यों के निष्पादन आदि के प्रकरण भी पाए गए। अनिष्पादित और/या आंशिक निष्पादित मदों के लिए भुगतान किया गया था। योजनान्तर्गत अनुश्रवण कमजोर था तथा सामाजिक अंकेक्षण भी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थात् सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक संपत्ति का सृजन, केवल एक सीमित सीमा तक ही प्राप्त किया जा सका।

(अनुच्छेद 2.2)

### **पांचवें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान जारी व उपयोग करना**

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243-1 प्रावधित करता है कि किसी राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक पांच साल में (i) पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने (ii) उन सिद्धान्तों की अनुशंसा करना जो राज्य एवं पंचायतों के मध्य करें, शुल्कों पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का वितरण और ऐसे आगमों का पंचायतों के मध्य सभी स्तरों पर उनके अपने अपने अंशों का आवंटन को शासित करने एवं (iii) संचित निधि से पंचायतों को हस्तांतरित किये जाने वाले सहायतार्थ अनुदानों के लिए अनुशंसा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना अपेक्षित है।

तदनुसार 2015-20 की अवधि के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन (मई 2015) किया गया। आयोग ने 2015-16 के लिए (सितम्बर 2015 में) एवं 2016-17 के लिए (सितम्बर 2016 में) दो अंतरिम प्रतिवेदन एवं नवम्बर 2018 में सम्पूर्ण पंचाट अवधि के लिए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, जिनको क्रमशः 22 सितम्बर 2015, 2 सितम्बर 2016 एवं 23 जुलाई 2019 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार ने अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करते हुए पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचम राविआ) की सिफारिशों के तहत निर्माचित किये जाने वाले अनुदानों के उपयोग हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये।

पंचम राज्य वित्त आयोग की मुख्य अनुशंसाओं में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सम्मिलित है :

- राज्य की शुद्ध निजी कर प्राप्तियों के 7.182 प्रतिशत की दर से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः 75.1 प्रतिशत और 24.9 प्रतिशत के अनुपात में निधियों का हस्तान्तरण।

- वर्ष 2015-16 में, हस्तांतरित निधियां 'मूलभूत एवं विकास कार्यों' तथा 'राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाओं' के मध्य क्रमशः 85 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के अनुपात में वितरित की जानी थी, शेष 5 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान के रूप में निर्माचित की जानी थी।
- 2016-20 के दौरान, निर्धारित निधियों को तीन घटकों में वर्गीकृत किया गया था अर्थात् 55 प्रतिशत राशि 'मूलभूत और विकास कार्यों के लिए', 40 प्रतिशत 'राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाओं' के लिए और शेष 5 प्रतिशत लेखे, अभिलेख, परिसम्पत्ति पंजिका को संधारित करने और निजी राजस्व में वृद्धि के लिए प्रयासों के प्रोत्साहन हेतु।
- वर्ष 2015-16 के लिए, हस्तांतरित निधियों को पंचायती राज संस्थाओं के मध्य स्तरवार यथा जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, 5:15:80 के अनुपात में आवंटित किया जाना था। 2016-20 की अवधि के लिए इस अनुपात को संशोधित कर 5:20:75 कर दिया गया।

2015-20 के दौरान, राज्य सरकार ने पंचम राविआ की अनुशंसा के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 10,345.71 करोड़ का अनुदान हस्तांतरित किया, जिसमें से ₹ 10,226.76 करोड़ (98.85 प्रतिशत) का उपयोग किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने पंचम राविआ द्वारा अनुशंसित अनुदान का 11.94 प्रतिशत जारी नहीं किया। पंचायती राज विभाग ने 2015-16 एवं 2019-20 के दौरान ₹ 193.30 करोड़ का प्रोत्साहन अनुदान भी जारी नहीं किया। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा घटक वार स्वीकृति एवं व्यय विवरण संधारित नहीं किया गया था। पंचम राविआ अनुदानों से सृजित परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन में प्रकट हुआ कि सीसी सड़कों का निर्माण नालियों के बिना किया गया था, अनुमान तैयार किये बिना कार्यों का निष्पादन किया गया था और निष्पादित कार्य निम्नतर मानकों के थे। पंचायती राज संस्थाओं में कार्यों एवं निर्मित परिसम्पत्तियों की पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। तृतीय पक्ष निरीक्षण और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

### (अनुच्छेद 2.3)

दो पंचायत समितियों की संपत्तियों को पट्टे पर देते समय राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹ 3.30 करोड़ की नियम संगत आय से वंचित होना।

### (अनुच्छेद 2.4)

पंचायत समितियों द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹ 3.11 करोड़ का अनाधिकृत व्यय हुआ।

### (अनुच्छेद 2.5)

पात्र ग्राम पंचायतों को उनका रॉयल्टी अंश हस्तांतरित करने में जिला परिषदों का दुलमुल रवैया एवं राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों एवं राजस्थान सरकार के निर्देशों का उल्लंघन।

(अनुच्छेद 2.6)

पंचायत समितियों ने अव्ययित निधियों के हस्तांतरण के संबंध में निर्देशों की अवहेलना की और ₹ 2.92 करोड़ की राशि को अनियमित रूप से अपने पास रोके रखा, जिससे लाभार्थियों को मिडे-डे मील योजना के तहत निर्दिष्ट लाभों से वंचित होना पड़ा।

(अनुच्छेद 2.7)

पंचायत समिति हिण्डोली में उच्च प्राधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन कर सामग्री की स्वरीद के लिए ₹ 1.06 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान।

(अनुच्छेद 2.8)

कार्यकारी आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त शेषों/ विकास की गतिविधियों हेतु अनुदानों को अनियमित रूप से रोक कर रखने से ₹ 6.99 करोड़ की निधियों का अवरोधन।

(अनुच्छेद 2.9)

## भाग-ख शहरी स्थानीय निकाय

### 3. शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सृजित स्वयं के संसाधन उनके व्यय की देखभाल के लिए पर्याप्त नहीं थे और वे मुख्य रूप से केंद्र/राज्य सरकार के अनुदानों और ऋणों पर निर्भर थे। पिछले पांच वर्षों के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है। निर्धारित प्रारूपों में लेखों को समय पर अंतिम रूप देने और उनके प्रमाणीकरण के अभाव में हितधारक समय पर और सही लेखांकन जानकारी से वंचित रहे। वर्ष 2019-20 के दौरान, 196 शहरी स्थानीय निकायों के खातों को प्रमाणित करने की आवश्यकता के विरुद्ध, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा केवल 159 (81 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों के खातों को प्रमाणित किया गया था। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर ध्यान देने और उनके निपटान में भी भारी विलम्ब हुआ था। लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समय पर उत्तर देने में विफलता, अनियमितताओं/कमियों के जारी रहने के जोखिम से भरी हुई है।

(अनुच्छेद 3.1 से 3.11)

#### 4. शहरी स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

उदयपुर नगर परिषद को अप्रैल 2013 में नगर निगम में परिवर्तित किया गया था। उदयपुर नगर निगम में 70 नगरपालिका वार्ड हैं। उदयपुर 64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जनसंख्या 4.51 लाख है (2011 की जनगणना के अनुसार)।

राज्य स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान (एलएसजीडी) एक प्रशासनिक विभाग है, जो शहरी स्थानीय निकायों के मामलों में स्थानीय निकाय निदेशालय जो कि नोडल ऑफिस है, के साथ कार्य करता है। स्थानीय निकाय सभी शहरी स्थानीय निकाय के कार्यों की निगरानी व समन्वय करता है। मेयर निर्वाचित प्रमुख है और आयुक्त निदेशालय नगर निगम उदयपुर का कार्यपालक अधिकारी है।

उदयपुर नगर निगम के कार्यों की अवधि 2013-14 से 2017-18 तक की नमूना जाँच अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2018 तक की गई व इसे 2018-20 अवधि तक के लिए 21 दिसम्बर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक अद्यतन किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान प्रयोजना, सेवाओं का वितरण, अनुबंध प्रबंधन, संसाधनों को जुटाना, वित्तीय प्रबंधन व आंतरिक नियंत्रण सम्बंधी क्षेत्र शामिल किये गए। 2013-20 की अवधि में कुल प्राप्ति राशि ₹ 1112.52 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 1146.91 करोड़ नगर निगम द्वारा व्यय की गई।

यह पाया गया कि नगर निगम उदयपुर का नियोजन तंत्र कमजोर था क्योंकि न तो विस्तृत सर्वेक्षण किया गया और न ही उदयपुर शहर के व्यवस्थित विकास के लिए वैधानिक योजना बनाई गई थी। नगर निगम उदयपुर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में अपर्याप्तता थी। ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण और निपटान का प्रबंध उचित और प्रभावी तरीके से नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, 45.27 प्रतिशत सीवेज का अनुपचारित निपटान किया गया। नगर निगम के पास इमारतों का कोई डेटाबेस नहीं था, जिनके लिए अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता थी और अग्नि की रोकथाम, अग्नि सुरक्षा और अग्नि के स्वतरे की जांच के लिए कमजोर प्रणाली थी। नगर निगम उदयपुर ने आरजीडीपीएस अधिनियम के तहत गारंटी वाली सेवाएं नागरिकों को समय पर प्रदान नहीं की। शिकायतों का निपटारा भी अत्यधिक विलंब से था।

नगर निगम का स्वयं का राजस्व कम था और इसमें 13वें/14वें केंद्रीय वित्त आयोग और चौथे/पांचवे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार हर साल 10 प्रतिशत तक वृद्धि नहीं हुई थी। शहरी विकास कर और पट्टा राशि के बकाया का संचयन, भूमि उपयोग बदलने के लिए पट्टा राशि की अवसूली, सीवेज शुल्क, मोबाइल टावरों से पंजीकरण और अनुमति शुल्क, होटल, बेकरी, मिठाई की दुकानों से अनुज्ञापत्र शुल्क आदि की जमा में कमी और बेहतरी शुल्क की कम वसूली के दृष्टांत देखे गए। इसके अलावा, वित्तीय प्रबंधन अकुशल था क्योंकि नगर निगम ने अपने वार्षिक खातों को समयबद्ध तरीके से और उपार्जित आधार पर तैयार नहीं किया था। नगर निगम उदयपुर ने अपने मूल कार्यों यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट

प्रबंधन, अग्निशमन, राजस्व संग्रहण आदि को तर्कसंगत और उचित तरीके से निष्पादित नहीं किया था।

**(अनुच्छेद 4.1)**

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के उप-मिशन के तहत संजय नगर भट्टा बस्ती के पुनर्वास के लिए राजीव आवास योजना में आवासीय इकाइयों के निर्माण पर ₹ 37.01 करोड़ का निष्फल व्यय।

**(अनुच्छेद 4.2)**

भवनों के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के सम्बंध में आवेदकों से ₹ 7.46 करोड़ की बेहतरी लेवी की कम वसूली।

**(अनुच्छेद 4.3)**

नगर निगम, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा ₹ 1.31 करोड़ की राशि के श्रम उपकर की वसूली करने में विफल रहे।

**(अनुच्छेद 4.4)**

निविदा प्रक्रिया में विलम्ब तथा विभाग के कम संग्रहण के कारण विलम्ब अवधि के दौरान ₹ 41.04 लाख के राजस्व की परिणामी हानि।

**(अनुच्छेद 4.5)**

**भाग-क**  
**पंचायती राज संस्थाएँ**



## अध्याय-I

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली,  
जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग  
मामलों का विहंगावलोकन

**अध्याय-I**  
**पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों का विहंगावलोकन**

**1.1 प्रस्तावना**

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 पंचायती राज के नए स्वरूप की पुष्टि करता है जो कि स्थानीय स्वायत्त निकायों की जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर और अधिक शक्तियों के विकेन्द्रण के साथ त्रिस्तरीय<sup>1</sup> संरचना हेतु प्रावधान करता है।

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाले तेहत्तरवें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, अप्रैल 1994 से लागू हुआ। यह पंचायती राज संस्थाओं को शासन के तृतीय स्तर के रूप में कार्य करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उनके कार्यों, शक्तियों व उत्तरदायित्वों को निरूपित करता है। तत्पश्चात, पंचायती राज संस्थाओं के सुगम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसके तहत राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 निगमित किए गए।

मार्च 2020 तक राज्य में 33 जिला परिषदें, प्रत्येक जिला परिषद में दो प्रकोष्ठों सहित अर्थात् ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ एवं पंचायत प्रकोष्ठ, 352 पंचायत समितियां और 11,341 ग्राम पंचायतें कार्यरत थीं।

राजस्थान देश में आकार और विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ थी, जिसमें से 5.15 करोड़ (75.18 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय रूपरेखा के साथ राज्य की तुलनात्मक जनसांख्यिकीय एवं विकासात्मक रूपरेखा नीचे तालिका 1.1 में दर्शाई गई है:

**तालिका 1.1**

क्र.सं.	सूचक	इकाई	जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े	
			राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
1.	जनसंख्या	करोड़	6.85	121.06
2.	जनसंख्या (ग्रामीण)	करोड़	5.15	83.35
3.	जनसंख्या (शहरी)	करोड़	1.70	37.71
4.	जनसंख्या घनत्व	व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर	200	382
5.	दशकीय विकास दर	प्रतिशत	21.30	17.70
6.	लिंगानुपात	प्रति 1,000 पुरुष पर महिलाएं	928	943
7.	कुल साक्षरता दर	प्रतिशत	66.10	73.00
8.	महिला साक्षरता दर	प्रतिशत	52.10	64.60
9.	पुरुष साक्षरता दर	प्रतिशत	79.20	80.90
10.	कुल साक्षरता दर (ग्रामीण)	प्रतिशत	61.40	67.77
11.	महिला साक्षरता दर (ग्रामीण)	प्रतिशत	45.80	57.93
12.	पुरुष साक्षरता दर (ग्रामीण)	प्रतिशत	76.20	77.15
13.	जन्म दर	प्रति 1,000 जनसंख्या पर	24 (2018)	20 (2018) <sup>*</sup>
14.	मृत्यु दर	प्रति 1,000 जनसंख्या पर	5.9 (2018)	6.2 (2018) <sup>*</sup>
15.	शिशु मृत्यु दर	प्रति 1,000 जीवित प्रसव पर	37 (2018)	32 (2018) <sup>*</sup>
16.	मातृ मृत्यु दर	प्रति लाख जीवित प्रसव पर	164 (2016-18)	113 (2016-18) <sup>*</sup>

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार के अनुसार। \* आर्थिक समीक्षा 2020-21, राजस्थान सरकार के अनुसार।

1 जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत।

## 1.2 संगठनात्मक ढांचा


ग्रामीण विकास को प्राथमिकता और विशेष महत्व देने के लिए 1971 में 'विशिष्ट योजना संगठन' की स्थापना की गई। इसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई और इसे 1979 में 'विशिष्ट योजनाएँ एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग' के रूप में पुनर्गठित किया गया था। आगे, 1999 में इसका नाम बदलकर 'ग्रामीण विकास विभाग' कर दिया गया।

ग्रामीण विकास विभाग की अधिकांश योजनाएँ पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। इसलिए, जिला स्तर पर समन्वय के लिए, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डीआरडीए) का जिला परिषदों में विलय कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ बनाया गया। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने और कार्यक्रमों के बेहतर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग का विलय कर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बनाया गया।

ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अधीन सभी योजनाएँ प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं।

पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1



### 1.3 पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 (xvii) पंचायती राज संस्था को इस अधिनियम के अधीन, ग्राम या ब्लॉक या जिले के स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व-शासन की संस्था के रूप में परिभाषित करता है। जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर केन्द्रीय एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्था के 33 कार्यों में कृषि, लघु सिंचाई, पेयजल, शिक्षा और ग्रामीण स्वच्छता इत्यादि से जुड़े सामान्य प्रशासनिक कार्य सम्मिलित हैं, जैसा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

इसी प्रकार, पंचायत समितियों (30 कार्य) एवं जिला परिषदों (19 कार्य) के कार्य राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में वर्णित किए गए हैं।

#### 1.3.1 पंचायती राज संस्थाओं की निधियों, कार्यों तथा कार्मिकों का हस्तांतरण

तेहत्तरवें संवैधानिक संशोधन के अनुसरण में, राजस्थान सरकार द्वारा जून 2003 एवं अक्टूबर 2010 में हस्तांतरण पर आदेश जारी किए गए। तदनुसार, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के सन्दर्भ में हस्तांतरित किए जाने वाले 29 कार्यों में से 28 कार्य प्रारम्भिक रूप से हस्तान्तरित किए गए। तथापि, मात्र 20 विषयों से संबंधित निधियों एवं कार्मिकों को हस्तांतरित किया गया (परिशिष्ट-1)। तदुपरांत, जनवरी 2004 में पंचायती राज विभाग से जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक-निर्माण विभाग तथा स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित पांच विषयों की निधियों, कार्यों तथा कार्मिकों के हस्तांतरण को वापस ले लिया गया।

### 1.4 पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न समितियों का गठन

#### 1.4.1 जिला आयोजना समिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 के अनुसरण में राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में जिला आयोजन समिति का गठन किया। जिला कलेक्टर, जिला आयोजन समिति के सदस्य हैं और वह या उसके द्वारा नामित अधिकारी जिला आयोजन समिति की बैठक में उपस्थित होते हैं। जिला आयोजन समिति की बैठक के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों में से 33 प्रतिशत की गणपूर्ति आवश्यक है।

जिला आयोजन समिति का मुख्य उद्देश्य जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजना को समेकित करना, सम्पूर्ण जिले के लिए विकासात्मक योजना का एक प्रारूप तैयार करना और इसे राज्य सरकार को अग्रेषित करना है। जिला आयोजन समिति को वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी चाहिए।

जिला आयोजन समिति की बैठकों में जिले की वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन/समीक्षा, योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति, विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तथापि, 2017-18 के दौरान, 33 जिलों में से केवल चार जिला परिषदों भीलवाड़ा, दौसा, झुन्झुनूं एवं पाली ने ही जिला आयोजन समिति की चार बैठकें आयोजित की। सीकर और बारां ने वर्ष में पांच बैठकें आयोजित की। 21 जिलों<sup>2</sup> ने दो या तीन बैठकें आयोजित की तथा शेष 6 जिलों ने केवल एक ही बैठक आयोजित की।

इसी तरह, 2018-19 के दौरान, 33 जिलों में से केवल दो जिला परिषद डूंगरपुर एवं झुन्झुनूं ने ही जिला आयोजन समिति की चार बैठकें आयोजित की। 25 जिलों<sup>3</sup> ने एक से तीन बैठकें आयोजित की तथा शेष 6 जिलों<sup>4</sup> ने कोई बैठक आयोजित नहीं की। 2019-20 के दौरान, जिला परिषदों द्वारा जिला आयोजन समिति की बैठकें आयोजित किए जाने की सूचना बार-बार स्मरण कराने (फरवरी 2021, मार्च 2021 एवं अप्रैल 2021) के बावजूद पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई।

#### 1.4.2 स्थायी समितियां

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 55क, 56 एवं 57 में निहित प्रावधानों के अनुसार क्रमशः प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद निम्नलिखित विषय समूहों (क) प्रशासन एवं स्थापना, (ख) वित्त और कराधान, (ग) विकास और उत्पादन कार्यक्रम जिनमें कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, सहकारिता, कुटीर उद्योग और अन्य सहबद्ध विषयों से संबंधित कार्यक्रम सम्मिलित, (घ) शिक्षा, (ङ) सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय जिनमें ग्रामीण जल प्रदाय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामदान, सूचना, कमजोर वर्गों का कल्याण और सहबद्ध विषय सम्मिलित; के लिए पांच स्थायी समितियों का गठन करेंगे। इन स्थायी समितियों की अध्यक्षता क्रमशः संबंधित संस्था के निर्वाचित सदस्य अथवा निर्वाचित अध्यक्ष करेंगे।

पंचायती राज विभाग द्वारा स्थायी समितियों के गठन और कार्यशैली की वास्तविक स्थिति उपलब्ध नहीं करवाई गई।

### 1.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

#### 1.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 75(4) विहित करती है कि किसी पंचायती राज संस्था में संधारित एवं रखे जाने वाले सभी लेखाओं का अंकेक्षण निदेशक, स्थानीय निधि

- 2 तीन बैठकें: आठ जिला परिषदें (अजमेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, जयपुर, करौली, कोटा और सवाईमाधोपुर); दो बैठकें: 13 जिला परिषदें (बीकानेर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, टोंक, प्रतापगढ़ और उदयपुर); और एक बैठक: छह जिला परिषदें (अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी और जैसलमेर)।
- 3 तीन बैठकें: पांच जिला परिषदें (बाड़मेर, भीलवाड़ा, करौली, पाली और सवाईमाधोपुर); दो बैठकें: नौ जिला परिषदें (अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, जोधपुर, नागौर, सीकर और टोंक); और एक बैठक: 11 जिला परिषदें (बारां, बांसवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जालोर, कोटा, राजसमंद और उदयपुर)।
- 4 भरतपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सिरोही।

अंकेक्षण विभाग द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन<sup>5</sup> में पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा पर दो अध्याय सम्मिलित किए जाते हैं अर्थात् प्रथम 'पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की स्थिति' पर और द्वितीय 'लेखापरीक्षा निष्कर्ष' पर। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनुच्छेदों का परीक्षण राजस्थान विधानसभा द्वारा गठित स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा किया जाता है।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान का वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के पटल पर क्रमशः 27 फरवरी 2018, 13 फरवरी 2019, 26 फरवरी 2020 एवं 25 फरवरी 2021 को उपस्थापित किए जा चुके हैं।

### 1.5.1.1 पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण

राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, 1955 के नियम 23 (एच) के अनुसार, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा तीन स्तरों अर्थात् जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखों की शुद्धता प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है। चौदहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशानुसार, राज्य सरकार ने आदेश जारी किए (सितम्बर 2017) कि निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2015-16 और 2016-17 तक के लेखों की लेखापरीक्षा एवं प्रमाणीकरण प्राथमिकता के आधार पर की जावे ताकि उन्हें अनुवर्ती वर्षों में निष्पादन अनुदान हेतु योग्य बनाया जा सके।

वर्ष 2017-18 के दौरान 10,222 पंचायती राज संस्थाओं<sup>6</sup> में से केवल 6,802 पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक लेखों (अधिकांशतः वर्ष 2015-16 और 2016-17 से संबंधित) को प्रमाणित किया गया तथा 3,420 पंचायती राज संस्थाओं के लेखे (33.46 प्रतिशत) अप्रमाणित रहे। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा 20 के अलावा शेष सभी प्रमाण पत्र सशर्त जारी किए गए।

इसी प्रकार, वर्ष 2018-19 के दौरान 10,219 पंचायती राज संस्थाओं<sup>7</sup> में से 6,553 पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक लेखों (अधिकांशतः वर्ष 2016-17 और 2017-18 से संबंधित) को प्रमाणित किया गया तथा 3,666 पंचायती राज संस्थाओं के लेखे (35.87 प्रतिशत) अप्रमाणित रहे। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा 11 के अलावा शेष सभी प्रमाण पत्र सशर्त जारी किए गए।

5 राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा 18 विहित करती है कि निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग लेखापरीक्षित लेखों पर अपना वार्षिक समेकित प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में रखे जाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

6 मार्च 2017 तक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की संख्या 10,222 थी (जिला परिषद: 33; पंचायत समिति: 295 एवं ग्राम पंचायत: 9,894)।

7 मार्च 2018 तक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की संख्या 10,219 थी (जिला परिषद: 33; पंचायत समिति: 295 एवं ग्राम पंचायत: 9,891)।

इसके अतिरिक्त, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने वर्ष 2019-20 के दौरान 10,220 पंचायती राज संस्थाओं<sup>8</sup> में से 4,270 पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक लेखाओं को प्रमाणित किया तथा 5,950 पंचायती राज संस्थाओं के लेखे (58.22 प्रतिशत) अप्रमाणित रहे। इन सभी लेखाओं को सशर्त प्रमाणित किया गया।

2017-20 के दौरान लेखाओं के प्रमाणीकरण की संख्या में निरंतर कमी आई। इस प्रकार, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एक वर्ष में सभी पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं को प्रमाणित करने में समर्थ नहीं हो पाया है। आगे, अधिकांश वार्षिक लेखाओं का सशर्त प्रमाणीकरण पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखों के अनुचित और अपूर्ण रखरखाव का संकेत था।

### 1.5.1.2 स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किए गए अंकेक्षण के बकाया प्रकरण

2017-20 की अवधि के दौरान निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा की गई अंकेक्षण का विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है:

तालिका 1.2

क्र.सं.	वर्ष	अंकेक्षण योग्य पंचायती राज संस्थाओं की संख्या				अंकेक्षित पंचायती राज संस्थाओं की संख्या				बकाया पंचायती राज संस्थाओं की संख्या			
		जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	कुल	जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	कुल	जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	कुल
1	2017-18	33	295	9,894	10,222	4	56	1,779	1,839	29	239	8,115	8,383
2	2018-19	33	295	9,891	10,219	8	38	1,434	1,480	25	257	8,457	8,739
3	2019-20	33	295	9,892	10,220	14	95	3,427	3,536	19	200	6,465	6,684

स्रोत: पंचायती राज संस्थाओं की संख्या पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं अंकेक्षित पंचायती राज संस्थाओं की संख्या निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई।

विगत कई वर्षों से अंकेक्षण के भारी बकाया को पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया है। तथापि, विभाग द्वारा स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

मार्च 2020 तक निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए कुल 7,182 निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें 69,225 अनुच्छेद सम्मिलित थे, निस्तारण हेतु लंबित थे। इनमें से, ₹ 19.14 करोड़ के 7,114 अनुच्छेद गबन से संबंधित थे।

इस प्रकार, बड़ी मात्रा में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेद एलएफएडी तथा पंचायती राज संस्थाओं दोनों के स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में पहल के अभाव को इंगित करता है।

### 1.5.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) पंचायती राज संस्थाओं की नमूना लेखापरीक्षा सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं राजस्थान

8 मार्च 2019 तक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की संख्या 10,220 थी (जिला परिषद: 33; पंचायत समिति: 295 एवं ग्राम पंचायत: 9,892)।

पंचायती राज अधिनियम<sup>9</sup>, 1994 की धारा 75 की उपधारा (4) (27 मार्च 2011 को यथा संशोधित) के प्रावधान के तहत आयोजित करते हैं तथा राज्य विधानसभा में उपस्थापन हेतु राज्य सरकार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

### 1.5.2.1 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग/पर्यवेक्षण का कार्यान्वयन

तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी स्तरों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण (टीजीएस) प्रदान करने की जिम्मेदारी भारत के सीएजी को दी जाए। उक्त अनुशंसाओं के अनुसरण में, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान सरकार ने तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के संबंध में 13 मापदंडों (परिशिष्ट-2) को अंगीकृत करने हेतु दिनांक 2 फरवरी 2011 को अधिसूचना जारी की। तदनुसार, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्रदान करने हेतु कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान<sup>10</sup> में तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्रकोष्ठ का गठन (नवम्बर 2012) किया गया। राजस्थान सरकार की अधिसूचना (25 अप्रैल 2016) द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अवधि (2015-20) को आवृत करने हेतु इन तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण व्यवस्थाओं को उन्हीं नियम और शर्तों पर आगे बढ़ा दिया गया।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित 2017-18 के दौरान तीन तथ्यात्मक विवरण (एफएस) एवं तीन ड्राफ्ट अनुच्छेदों (डीपी), 2018-19 के दौरान चार एफएस एवं दो डीपी एवं 2019-20 के दौरान पांच एफएस एवं तीन डीपी के संबंध में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत टिप्पणियों/सुझावों से निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को अवगत कराया गया।

वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत टिप्पणियों के लिए कोई भी निरीक्षण प्रतिवेदन अग्रेषित नहीं किया। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष तीन निरीक्षण प्रतिवेदनों को तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया। उचित संवीक्षा के बाद, तकनीकी मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त टिप्पणियों से निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को अवगत (मई 2019 और मई 2020) कराया गया।

आगे, तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के मापदंड 4 और 5 की अनुपालना में, इस कार्यालय द्वारा 2017-19 के दौरान एलएफएडी द्वारा लेखापरीक्षित तीन पंचायत समितियों में अलसीसर,

9 पंचायती राज संस्था द्वारा संधारित एवं रखे जा रहे सभी लेखों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जितना जल्दी हो सके, राज्य के निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा तथा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 के प्रावधान लागू होंगे, बशर्ते कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भी ऐसे लेखों की नमूना जांच कर सकेंगे।

10 दिनांक 18 मई 2020 से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान के रूप में जाना जाता है।



मुंडावर और पिसांगन और 2019-20 के दौरान दो पंचायत समितियों में ओसियां और पीपलखुंट की नमूना लेखापरीक्षा आयोजित की गई और उनकी निरीक्षण प्रतिवेदनों आक्षेपों के अनुपालन के लिए निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रेषित (अक्टूबर 2017, अप्रैल 2018 और मई 2019) की गई। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2021)।

## 1.6 लेखापरीक्षा आक्षेपों का प्रत्युत्तर

### 1.6.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों का प्रत्युत्तर

मार्च 2020 तक, प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों (ग्राम पंचायतों सहित) से संबंधित कुल 2,951 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 27,149 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे, विवरण नीचे तालिका 1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3

क्र. सं.	वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद
1	2008-09 तक	1,263	9,291
2	2009-10	150	2,021
3	2010-11	104	925
4	2011-12	206	2,471
5	2012-13	191	2,413
6	2013-14	203	2,246
7	2014-15	170	1,304
8	2015-16	161	1,478
9	2016-17	178	1,670
10	2017-18	133	1,429
11	2018-19	123	1,215
12	2019-20	69	686
योग		2,951	27,149

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर पंचायत समिति-अनूपगढ़ (2017-18), पंचायत समिति -लुणकरणसर (2018-19) एवं पंचायत समिति डूंगरपुर, पिंडवाड़ा एवं पिसांगन (2019-20) में क्रमशः ₹ 19,958, ₹ 18,684 एवं ₹ 2,04,250 की वसूली की गई।

वृहद संख्या में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन और अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर तुरन्त कार्यवाही करने के अभाव को इंगित करते हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटान हेतु राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के अन्दर तथा अग्रेत्तर लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर एक पखवाड़े के अन्दर भेजने के अनुदेश जारी किए थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किए गए

अनुदेशों में, लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना अभिप्रेत था।

तथापि, यह पाया गया कि 23 निरीक्षण प्रतिवेदनों (2017-2020 के दौरान जारी) जिनमें 291 अनुच्छेद सम्मिलित थे, की प्रथम अनुपालना अगस्त 2021 तक प्राप्त नहीं हुई।

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटान हेतु वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक वर्ष में लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2016)। तथापि, एक वर्ष में निर्धारित लेखापरीक्षा समिति की आठ बैठकों के समक्ष (पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग प्रत्येक द्वारा चार), वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः केवल तीन (पंचायती राज विभाग: 1 और ग्रामीण विकास विभाग: 2), तीन (पंचायती राज विभाग: 2 और ग्रामीण विकास विभाग: 1) और चार (पंचायती राज विभाग: 2 और ग्रामीण विकास विभाग: 2) बैठकें आयोजित की गईं।

#### अनुशंसा:

1. पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बकाया अनुच्छेदों के निपटान हेतु लेखापरीक्षा समिति की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अनियमितताओं को दूर करने के लिए त्वरित कार्यवाही भी करनी चाहिए।

#### 1.6.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों के प्रत्युत्तर

वर्ष 2016-17 के लिए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी अनुच्छेदों के प्रत्युत्तर अगस्त 2021 तक प्राप्त हो चुके हैं। तथापि, ₹ 2,217.04 करोड़ मूल्य के 24 अनुच्छेदों के प्रत्युत्तर निर्धारित समय के बाद प्राप्त हुए।

#### 1.6.3 समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श

स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के परीक्षण और विचार-विमर्श हेतु स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं पर समिति 1 अप्रैल 2013 से राजस्थान विधानसभा में गठित की गई है। वर्ष 2012-13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जा चुका/मान लिया गया है। वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समिति द्वारा प्रतिवेदन लेखन के लिए एवं वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समिति द्वारा विचार-विमर्श के लिए लंबित है।

### जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मामलें

#### जवाबदेही तंत्र

#### 1.7 सामाजिक अंकेक्षण

सामाजिक अंकेक्षण औपचारिक रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के

अंकेक्षण नियम<sup>11</sup>, 2011 द्वारा लागू किया गया। ये नियम, सामाजिक अंकेक्षण के क्रियान्वयन के तरीके एवं क्रियाविधि निर्धारित करते हैं।

अग्रतर सरलता के लिए, विभिन्न पदाधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार ने 2012 में सामाजिक अंकेक्षण के विस्तृत दिशा-निर्देश निरूपित किए। राजस्थान में, निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण का गठन (सितम्बर 2009) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत किया गया। निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण राज्य में योजनाओं<sup>12</sup> का सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण दिशा-निर्देश 2012 के प्रावधानानुसार करने के लिए उत्तरदायी है।

निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर छः माह में आवृत्त करने हेतु वर्ष के प्रारम्भ में अर्द्धवार्षिक अवधि के दो भागों में वार्षिक कैलेंडर तैयार करता है। कार्यकारी अभिकरणों, लाइन विभागों और भुगतान प्राधिकारियों द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है तथा निदेशालय एवं राज्य सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2017-20 के दौरान निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण द्वारा आयोजित सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति नीचे तालिका 1.4 में दी गई है:

तालिका 1.4

क्र. सं.	वर्ष	प्रत्येक छः माह में अंकेक्षण किए जाने हेतु ग्राम पंचायतों की संख्या	अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या		दर्ज शिकायतों की संख्या		निस्तारित/बंद शिकायतों की संख्या	
			प्रथम छः माह	द्वितीय छः माह	प्रथम छः माह	द्वितीय छः माह	प्रथम छः माह	द्वितीय छः माह
1.	2017-18	9,894	9,244	7,814	259	201	शून्य	शून्य
2.	2018-19	9,891	7,587	9,262	1,567	63	1,317	21
3.	2019-20	9,892	8,717	3,671	551	शून्य	346	शून्य

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2017-18 के दौरान 13.79 प्रतिशत ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जा सका। 2018-19 और 2019-20 के दौरान यह प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 14.82 और 37.38 प्रतिशत हो गया। आगे, जनवरी 2021 तक कुल 957 शिकायतों का निवारण लंबित था एवं 2017-18 से 2019-20 के दौरान की छः अर्द्धवार्षिक अवधियों में से तीन में किसी भी शिकायत को निस्तारित/बंद नहीं किया गया था।

11 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंकेक्षण नियम, 2011 अधिसूचित किए गए (30 जून 2011)।

12 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अतिरिक्त एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का सामाजिक अंकेक्षण भी इन दिशा-निर्देशों को अंगीकृत करते हुए अप्रैल 2013 से प्रारम्भ किया गया।

## 1.8 लोकायुक्त द्वारा जाँच

राज्य सरकार के मंत्रियों और उच्चाधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और शक्तियों के त्रुटिपूर्ण उपयोग के प्रकरणों के समाधान के उद्देश्य से राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अनुसरण में, फरवरी 1973 में लोकायुक्त, राजस्थान का कार्यालय स्थापित किया गया। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। जिला परिषद के सभापति एवं उप-सभापति, पंचायत समिति के सभापति एवं उप-सभापति और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के द्वारा या उसके तहत गठित किसी भी स्थायी समिति के अध्यक्ष के कृत्य लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तथापि, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उप-सरपंचों के कृत्य लोकायुक्त के सीधे क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं।

लोकायुक्त, राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत के मामलों की स्थिति नीचे तालिका 1.5 में दी गई है:

तालिका 1.5

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त शिकायतें	कुल	शिकायतों का निस्तारण	अंतिम शेष
1	2017-18	393	820	1,213	744	469
2	2018-19	469	737	1,206	634	572
3	2019-20	572	483	1,055	0	1,055

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि लोकायुक्त, राजस्थान में 2017-20 के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध 2,040 शिकायतों के प्रकरण प्राप्त हुए थे और प्रारंभिक शेषों के 393 प्रकरणों को जोड़कर कुल 2,433 प्रकरण थे। इसमें से 1,378 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा शेष 1,055 प्रकरण लंबित थे (मार्च 2020 तक)।

## 1.9 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-1) के नियम 284 एवं 286 के अनुसार पंचायती राज संस्थाएं उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों हेतु जारी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी। इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को संबंधित विकास अधिकारियों/सचिवों द्वारा अलग से तैयार किया जाएगा और संबंधित विभाग के जिला स्तर अधिकारी को भेजा जाएगा, जिनके द्वारा अनुदान जारी किया गया था। जिला स्तर अधिकारी इसे प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे एवं सीधे ही महालेखाकार, राजस्थान को प्रस्तुत करेंगे।

### 1.9.1 पंचायती राज विभाग

5वें राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग के अनुदानों के संबंध में मार्च 2018 और मार्च 2019 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति आगे तालिका 1.6 में दी गई है:

**तालिका 1.6**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आवंटन का वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	
		5वां राज्य वित्त आयोग अनुदान	14 वां वित्त आयोग अनुदान
1.	2017-18	2,429.90	2,360.62
2.	2018-19	2,291.57	1,246.68
3.	2019-20	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

\*NA (अनुपलब्ध): बार-बार स्मरण कराने के बावजूद पंचायती राज विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

पंचायती राज विभाग ने 5वें राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग के अनुदानों के संबंध में वर्ष 2017-18 के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की जिला परिषद वार राशि तथा वर्ष 2018-19 के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की कुल राशि उपलब्ध करवाई, तथापि, वर्ष 2018-19 के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की जिला परिषद वार राशि उपलब्ध नहीं करवाई।

जारी अनुदानों के संबंध में सम्बंधित जिला परिषदों से, लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए विभाग को ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

### 1.9.2 ग्रामीण विकास विभाग

केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के संबंध में वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे तालिका 1.7 में दी गई है:

**तालिका 1.7**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि		
		मार्च 2018 तक	मार्च 2019 तक	मार्च 2020 तक
1.	एम एल ए एल ए डी	1,432.58	1,282.79	912.95
2.	स्वविवेक जिला विकास योजना	14.98	10.99	9.42
3.	मनरेगा	805.36	56.53	65.51
4.	मगरा	95.65	89.52	53.45
5.	मेवात	125.75	82.92	56.16
6.	डांग	93.89	80.95	44.37
7.	बीएडीपी	260.93	347.40	275.52
8.	एमपीएलएडी	200.63	313.82	अनुपलब्ध
9.	एम जी ए जी वाई	97.64	144.96	84.18
10.	एसपीएम आर एम	1.85	123.95	अनुपलब्ध
<b>कुल</b>		<b>3,129.26</b>	<b>2,533.83</b>	<b>1,501.56</b>

\*NA (अनुपलब्ध): बार-बार स्मरण कराने के बावजूद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।


विभाग को उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने का प्रयास करने की आवश्यकता है।

## 1.10 वित्तीय रिपोर्टिंग मामलें

### 1.10.1 निधियों का स्रोत

राज्य स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्रोतों से प्राप्तियों एवं व्ययों को पंचायती राज विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलग-अलग संकलित किया जाता है। पंचायती राज विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों द्वारा निष्पादित की जाती हैं। पंचायती राज संस्थाओं का निधि प्रवाह नीचे चार्ट 1.2 में दिया गया है:

चार्ट 1.2



#### 1.10.1.1 पंचायती राज विभाग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति

पंचायती राज संस्थाओं के पास स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व स्रोत यथा - मेला कर, भवन कर, शुल्क, भूमि एवं भवनों, जलाशयों इत्यादि से किराया तथा भूमि की बिक्री से पूंजीगत प्राप्तियां हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य प्रशासन, विकासोन्मुख योजनाओं/कार्यों के क्रियान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना सृजन इत्यादि हेतु पंचायती राज संस्थाएं राज्य सरकार एवं भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान/ऋण के रूप में निधियां प्राप्त करती हैं। पंचायती राज संस्थाएं केन्द्र/राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अंतर्गत भी निधियां प्राप्त करती हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा संकलित योजनाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं की 2015-20 की अवधि की प्राप्तियां एवं व्यय की स्थिति आगे तालिका 1.8 में दी गई है:

**तालिका 1.8**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
<b>(अ) राजस्व प्राप्तियां</b>					
कर (निजी राजस्व)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
गैर-कर (जिला परिषद) (निजी राजस्व)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	11.28	अनुपलब्ध
कुल निजी राजस्व	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	<b>11.28</b>	अनुपलब्ध
राज्य सरकार से सहायतार्थ अनुदान	3,832.57	5,237.27	6,456.10*	4,717.62*	अनुपलब्ध
तेरहवां वित्त आयोग अनुदान	1.63	शून्य	शून्य	शून्य	अनुपलब्ध
चौदहवां वित्त आयोग अनुदान	1,471.95	2,305.52	2,657.47	1,362.11 <sup>®</sup>	5,043.12 <sup>®</sup>
<b>कुल प्राप्तियां</b>	<b>5,306.15</b>	<b>7,542.79</b>	<b>9,113.57</b>	<b>6,091.01</b>	<b>अनुपलब्ध</b>
<b>(ब) व्यय</b>					
राजस्व व्यय (वेतन एवं भत्ते तथा अनुरक्षण व्यय)	5,047.40	7,499.67	8,486.82	6,440.25	अनुपलब्ध
पूँजीगत व्यय	0.56	43.13	25.00	6.50	अनुपलब्ध
<b>कुल व्यय</b>	<b>5,047.96</b>	<b>7,542.80</b>	<b>8,511.82</b>	<b>6,446.75</b>	<b>अनुपलब्ध</b>
<p>स्रोत: पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार। @: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-20 एवं 2020-21 (राज्य वित्त) के आंकड़ों के अनुसार।</p> <p>NA (अनुपलब्ध): बार-बार स्मरण कराने के बावजूद पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।</p> <p>* इसमें पांचवें राज्य वित्त आयोग अनुदान से संबंधित राशि सम्मिलित हैं।</p>					

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि:

- वर्ष 2018-19 में कुल प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 33.17 प्रतिशत की भारी कमी आई है। राज्य सरकार के अनुदान में 26.93 प्रतिशत की कमी हुई और चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान में भी इसी अवधि में गत वर्ष की तुलना में 48.74 प्रतिशत की कमी आई। तथापि, इस स्थिति की तुलना वर्ष 2019-20 के लिए नहीं की जा सकती क्योंकि बार-बार स्मरण कराने के बाद भी विभाग ने संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई।
- 2018-19 में कुल व्यय भी गत वर्ष की तुलना में लगभग 24.26 प्रतिशत कम हुआ। तथापि, वर्ष 2019-20 के व्यय की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि विभाग द्वारा बार-बार स्मरण कराने के बाद भी संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
- वर्ष 2014-18 के लिए विभाग के पास निजी राजस्व (कर एवं गैर-कर) के आंकड़ों की अनुपलब्धता विभाग की प्रबंधन सूचना प्रणाली की कमजोरी को दर्शाता है। जिला परिषद और पंचायत समिति में दुकानों से किराए, मत्स्यपालन, नीलामियों, निविदा पावती, अन्य करों आदि के रूप में निश्चित राजस्व प्राप्तियां हैं। तथापि, इन्हें राज्य स्तर पर संकलित अथवा समेकित नहीं किया गया। बार-बार स्मरण कराने के बाद भी विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई।

अतः पंचायती राज संस्थाएं पूर्णतया राज्य सरकार और वित्त आयोग से प्राप्त सहायताएं अनुदानों पर निर्भर हैं। अनुदानों पर पूर्ण निर्भरता और वित्तीय स्वायत्तता की कमी एक गंभीर मामला है, जिस पर आधारभूत स्तर पर बेहतर शासन के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है।

### 1.10.1.2 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संकलित पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संकलित ग्रामीण विकास योजनाओं की वर्ष 2015-20 की प्राप्तियों एवं व्यय की स्थिति नीचे तालिका 1.9 में दी गई है:

तालिका 1.9

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16			2016-17			2017-18			2018-19			2019-20		
		केप्रयो	राप्रयो	योग	केप्रयो	राप्रयो	योग	केप्रयो	राप्रयो	योग	केप्रयो	राप्रयो	योग	केप्रयो	राप्रयो	योग
1.	प्रारम्भिक शेष	790.73	329.16	<b>1,119.89</b>	249.68	765.52	<b>1,015.20</b>	364.42	953.38	<b>1,317.80</b>	801.32	1,998.37	<b>2,799.69</b>	1,403.27	1,688.39	<b>3,091.66</b>
2.	प्राप्तियां	662.04	530.78	<b>1,192.82</b>	216.76	639.78	<b>856.54</b>	4,129.55	792.53	<b>4,922.08</b>	5,571.22	289.47	<b>5,860.69</b>	15,875.70	392.34	<b>16,268.04</b>
3.	कुल उपलब्ध निधियां*	1,457.37	754.48	<b>2,211.85</b>	440.92	1,103.03	<b>1,543.95</b>	4,493.99	1,745.92	<b>6,239.91</b>	6,373.04	2,287.84	<b>8,660.88</b>	17,278.97	2,080.73	<b>19,359.70</b>
4.	व्यय	1,077.59	652.85	<b>1,730.44</b>	304.16	767.04	<b>1,071.20</b>	4,068.26	666.32	<b>4,734.58</b>	5,243.65	603.01	<b>5,846.66</b>	13,847.90	578.36	<b>14,426.26</b>
5.	अन्तिम शेष	379.78	101.63	<b>481.41</b>	136.76	335.99	<b>472.75</b>	425.73	1,079.60	<b>1,505.33</b>	1,129.39	1,684.83	<b>2,814.22</b>	3,431.07	1,502.38	<b>4,933.45</b>
6.	कुल उपलब्ध निधि के समक्ष व्यय की प्रतिशतता	73.94	86.53	<b>78.23</b>	68.98	69.53	<b>69.38</b>	90.53	38.16	<b>75.88</b>	82.28	26.36	<b>67.51</b>	80.14	27.80	<b>74.52</b>
<p>केप्रयो: केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, राप्रयो: राज्य प्रवर्तित योजना</p> <p>* विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कुल उपलब्ध निधि में निधि पर ब्याज को शामिल किया गया है तथा अस्वीकृत राशि को शामिल नहीं किया गया है।</p>																
<p>स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।</p>																

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि:

- प्रत्येक वर्ष के लिए पूर्व वर्ष के अंतिम शेष और आगामी वर्ष के प्रारम्भिक शेष में लगातार अंतर है। विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इसी तरह की विसंगतियों पर टिप्पणी की गई थी लेकिन वे अभी भी जारी हैं। राज्य सरकार द्वारा इन अन्तरों के समाधान हेतु त्वरित उपचारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
- गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में केंद्र और राज्य सरकार से कुल प्राप्तियों में क्रमशः लगभग 474.64 प्रतिशत, 19.07 प्रतिशत और 183.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और व्यय में भी लगभग 341.98 प्रतिशत, 23.49 प्रतिशत और 146.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान उपलब्ध निधियों का उपयोग क्रमशः लगभग 75.87 प्रतिशत, 67.51 प्रतिशत और 74.52 प्रतिशत था।

वर्ष 2019-20 के दौरान योजनावार वित्तीय स्थिति एवं योजनाओं के अंतर्गत कार्य की प्रगति का विवरण आगे तालिका 1.10 में दिया गया है:



**तालिका 1.10**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	उपलब्ध निधियों का व्यय प्रतिशत	कुल उपलब्ध निर्माण कार्य	पूर्ण कार्य	पूर्णता का प्रतिशत	अप्रारम्भ कार्य
1	एम एल ए एल एडी	1,656.06	401.26	24.23	6,263	5,365	85.66	210
2	स्वविवेक जिला विकास योजना	11.65	2.23	19.16	27	22	81.48	1
3	मनरेगा	8,083.23	6,896.41	85.32	4,57,168	2,92,426	63.96	अनुपलब्ध
4	मगरा	93.02	39.56	42.53	39	33	84.62	0
5	मेवात	86.42	30.26	35.02	112	99	88.39	1
6	डांग	84.42	40.05	47.44	26	13	50	6
7	बीएडीपी	441.26	165.74	37.56	676	478	70.71	0
8	एमपीएलएडी	690.19	148.74	21.55	1,170	888	75.90	85
9	एम जी ए जी वाई	149.17	64.99	43.57	85	70	82.35	1
10	एसपीएम आर एम	127.85	30.76	24.06	1,085	313	28.85	397

**1.10.2 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं**

पांचवा राज्य वित्त आयोग 2015-16 से प्रारम्भ हुआ। वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को पांचवें राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में क्रमशः राशि ₹ 2,770.93 करोड़, ₹ 2,252.95 करोड़ एवं ₹ 449.73 करोड़ उपलब्ध करवाई गई। अनुदान राशि को जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को 5:20:75 के अनुपात में वितरित किया गया था। तदनुसार, अनुदान के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश दिए गए थे। बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विकास और उनके अनुरक्षण के लिए अनुदान को निर्बंध राशि के रूप में जारी किया जाना है।

**1.10.3 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाएं**

**1.10.3.1 चौदहवां वित्त आयोग अनुदान**

चौदहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि को आवरित किया। 2015-20 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार को ₹ 12,840.17 करोड़ की राशि का अनुदान प्राप्त हुआ (जैसा कि तालिका 1.8 में दर्शाया गया है) और इसे पूर्णतया पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया।

चौदहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदानों का उचित और सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिला परिषद और पंचायत समिति उत्तरदायी होंगी। निष्पादन अनुदान की मांग के लिए, ग्राम पंचायतें निष्पादन अनुदान के मांग वर्ष से पूर्ववर्ती दो वर्षों के लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत करेंगी। ग्राम पंचायतों को गत वर्ष की तुलना में अपने निजी राजस्व में वृद्धि को लेखापरीक्षित लेखों में दर्शाना था।

#### 1.10.4 अप्रयुक्त निधियां

33 जिला परिषदों में से केवल 26 जिला परिषद<sup>13</sup>, 24 जिला परिषद<sup>14</sup> और 23 जिला परिषद<sup>15</sup> ने क्रमशः 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए। इन लेखों के आधार पर अप्रयुक्त निधियों की स्थिति नीचे तालिका 1.11 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.11

(₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल निधियां	व्यय	अन्तिम शेष
1	2017-18	747.20	1,090.68	1,837.88	1,104.77	733.11
2	2018-19	653.59	829.43	1,483.02	882.30	600.72
3	2019-20	639.22	452.42	1,091.64	558.61	533.03

स्रोत: जिलों के वार्षिक लेखे।

शेष राशि में केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोगों से प्राप्त निधियां एवं विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य अनुदान शामिल हैं। उपलब्ध निधियों का अनुपयोजन आयोजना और कार्यान्वयन में कमी का द्योतक है। राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग को पंचायती राज संस्थानों के लिए निधियों के प्रावधानों का विश्लेषण एवं प्राथमिकता तथा समय पर उनकी सर्वोत्तम उपयोगिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

#### 1.10.5 अभिलेखों का संधारण

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 245 के अनुसार प्रत्येक पंचायती राज संस्था द्वारा आय और व्यय का एक त्रैमासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाना एवं अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार, वर्ष के अंत में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को बजट के प्रत्येक शीर्ष के अधीन अपनी आय और व्यय दर्शाते हुए उक्त नियमों के नियम 246 के तहत निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक लेखों का सार तैयार करना और उसे आगामी वर्ष की एक मई तक, जिला परिषद के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। वार्षिक लेखों के सार के साथ, वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान एवं व्यय का विवरण, ऋणों एवं बकाया राशि का विवरण, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ किए गए कार्यों की सूची तथा परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का विवरण दिया जाना आवश्यक है।

- 13 जिला परिषद: अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, सीकर, टोंक और उदयपुर।
- 14 जिला परिषद: अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सवाईमाधोपुर और टोंक।
- 15 जिला परिषद: अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, सीकर, टोंक और उदयपुर।

अभिलेख यथा रोकड़ बही, परिसम्पत्ति पंजिका, अग्रिम पंजिका, स्टॉक रजिस्टर तथा अन्य अभिलेखों के संधारण से संबंधित प्रावधान भी राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में उल्लेखित किए गए हैं।

2017-18 और 2019-20 के दौरान क्रमशः 264 पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद: 09, पंचायत समिति: 30 और ग्राम पंचायत : 225) और 191 पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद: 10, पंचायत समिति: 16 और ग्राम पंचायत : 165) की नमूना जांच की गई। नमूना जांच के दौरान पाई गई कमियों को नीचे तालिका 1.12 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 1.12

क्र. सं.	वर्ष	पंचायती राज संस्थाएं जिनके द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए अलग रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया			पंचायती राज संस्थाएं जिनके द्वारा आय और व्यय का त्रैमासिक विवरण तैयार नहीं किया गया			पंचायती राज संस्थाएं जिनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए		
		जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
1.	2017-18	7	18	शून्य	4	12	207	3	10	152
2.	2019-20	शून्य	1	शून्य	4	1	52	1	शून्य	52

यह पाया गया कि अधिकांश ग्राम पंचायतों ने प्रारम्भिक प्राप्तियों और व्यय विवरणों में वार्षिक लेखे तैयार किए जिन्हें 'गोश्वारा' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, 2017-18 के दौरान नमूना जांच की गई 225 ग्राम पंचायतों में से 146 ग्राम पंचायतों ने राज्य सरकार को वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए।

राज्य में कुल 295 पंचायत समितियों में से 201 पंचायत समितियों ने 2017-18 के दौरान राज्य सरकार को वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए। शेष 94 पंचायत समितियों ने अक्टूबर 2018 तक राज्य सरकार को वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए। आगे, 2018-19 के दौरान 231 पंचायत समितियों ने राज्य सरकार को वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए। शेष 64 पंचायत समितियों ने अक्टूबर 2019 तक राज्य सरकार को वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। 2019-20 के दौरान, 222 पंचायत समितियों ने राज्य सरकार को वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए। शेष 73 पंचायत समितियों ने जनवरी 2021 तक राज्य सरकार को वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए।

इस प्रकार पूरी लेखांकन प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर गोश्वारा एवं जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर पर त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने तक सीमित है जो कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के विरुद्ध है, जिसमें लेखाओं के विभिन्न प्रारूप निर्धारित किए गए हैं।

**1.10.5.1** प्रियासॉफ्ट एक केन्द्रीकृत लेखांकन पैकेज है जो आदर्श लेखांकन प्रणाली के अन्तर्गत लेखों के संधारण की सुविधा प्रदान करता है। आंकड़ों की प्रविष्टि जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर की जाती है एवं राज्य स्तर पर एकीकृत किए जाते हैं। यह पाया गया कि पंचायती राज संस्थाएं केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग और निर्बन्ध निधियों के अनुदानों से संबंधित

लेनदेन की प्रविष्टि कर रही थी। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 14 जिला परिषदों, 101 पंचायत समितियों एवं 1,988 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2017-18 के लिए अपनी वार्षिक बहियों को पूर्ण किया था। पांच जिला परिषदों<sup>16</sup> में प्रियासॉफ्ट में 10 प्रतिशत से भी कम प्रविष्टि थी एवं चार जिला परिषदों<sup>17</sup> ने प्रियासॉफ्ट में कोई भी प्रविष्टि नहीं की थी। वर्ष 2015-16 में 282 पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2016-17 में 684 पंचायती राज संस्थाओं की तुलना में इस वर्ष के दौरान 2,103 पंचायती राज संस्थाओं ने अपनी वार्षिक बहियों को पूर्ण किया था।

आगे, वर्ष 2018-19 के लिए विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 30 जिला परिषदों, 272 पंचायत समितियों एवं 9,294 ग्राम पंचायतों ने अपनी वार्षिक बहियों को बंद किया था। यह भी पाया गया कि 14 जिला परिषदों में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रियासॉफ्ट में 100 प्रतिशत प्रविष्टियाँ थी जबकि जिला परिषद बीकानेर एवं पाली की ग्राम पंचायतों में प्रियासॉफ्ट में 60 प्रतिशत से भी कम प्रविष्टियाँ थी। इसमें उल्लेखनीय सुधार था क्योंकि वर्ष 2017-18 में 2,103 पंचायती राज संस्थाओं और 2016-17 में 684 पंचायती राज संस्थाओं की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 9,596 पंचायती राज संस्थाओं ने अपनी वार्षिक बहियों को बंद किया था।

वर्ष 2019-20 के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वार्षिक बहियों को बंद करने और प्रियासॉफ्ट में की गई प्रविष्टियों के संबंध में पंचायती राज विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

**1.10.5.2** राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 247(2) के अनुसार, प्रत्येक जिला परिषद को प्राप्त एवं व्यय के वार्षिक लेखों को तैयार करना तथा उनको प्रत्येक वर्ष 15 मई तक राज्य सरकार को भेजना अपेक्षित है।

2017-20 की अवधि के लिए कुल 33 जिला परिषदों (पंचायती राज प्रकोष्ठ) द्वारा लेखें प्रस्तुत करने की स्थिति (अक्टूबर 2021 को) नीचे तालिका 1.13 में दी गई है:

तालिका 1.13

क्र.सं.	वार्षिक लेखों का वर्ष	निर्धारित समय में वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने वाली जिला परिषद की संख्या	विलम्ब से वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने वाली जिला परिषद की संख्या (रेंज)
1	2017-18	22	11 (1 से 85)
2	2018-19	24	9 (1 से 112)
3	2019-20	23	10 (5 से 123)

इसी तरह, जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के वार्षिक लेखे ग्रामीण विकास विभाग को प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे।

2016-20 की अवधि के लिए कुल 33 जिला परिषदों (पंचायती राज प्रकोष्ठ) द्वारा लेखे प्रस्तुत करने की स्थिति (अक्टूबर 2021 को) आगे तालिका 1.14 में दी गई है:

16 जिला परिषद: दौसा, जयपुर, झालावाड़, कोटा, सिरोही।

17 जिला परिषद: झालावाड़, जोधपुर, करौली, सिरोही।

तालिका 1.14

क्र.सं.	वार्षिक लेखे का वर्ष	निर्धारित समय में वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने वाली जिला परिषद की संख्या	विलम्ब से वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने वाली जिला परिषद की संख्या (रैंज)	वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं करने वाली जिला परिषद की संख्या
1	2016-17	3	29 (10 से 797 दिन)	1 (जिला परिषद पाली)
2	2017-18	3	29 (4 से 1,108 दिन)	1 (जिला परिषद पाली)
3	2018-19	3	28 (7 से 611 दिन)	2 (जिला परिषद बाँसवाड़ा व पाली)
4	2019-20	8	23 (5 से 362 दिन)	2 (जिला परिषद बाँसवाड़ा व पाली)

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) बाँसवाड़ा एवं पाली ने लगातार अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए। जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) एवं जिला परिषद (पंराप्र) दोनों को समय पर वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने के प्रयास करने की आवश्यकता है।

#### 1.10.6 रोकड़ बही शेषों का बैंक पास-बुक से मिलान

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 238 उपबन्धित करता है कि पंचायत सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह पंचायत अभिलेखों के आधार पर प्रत्येक माह में बैंक पास-बुक से जमा और आहरण का मिलान करें और यदि कोई भूल हो तो उन्हें ठीक करें। इसी प्रकार, पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रकरण में कैशियर प्रत्येक माह राजकोष के साथ निजी निक्षेप खातों का मिलान करेगा।

2017-18 के दौरान, छियालीस पंचायती राज संस्थाओं<sup>18</sup> की लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि मार्च 2018 को 56 प्रकरणों में राशि ₹ 44.63 करोड़ का अन्तर बैंक/कोषागार लेखों एवं पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों से मिलान किए जाने के लिए लंबित थे। 2018-19 के दौरान, 15 पंचायती राज संस्थाओं<sup>19</sup> की लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि मार्च 2019 को 15 प्रकरणों में राशि ₹ 32.38 करोड़ का अन्तर बैंक/कोषागार लेखों एवं पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों से मिलान किए जाने के लिए लंबित थे। 2019-20 के दौरान, 16 पंचायती राज संस्थाओं<sup>20</sup> की लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि मार्च 2020 को 17 प्रकरणों में राशि ₹ 36.01 करोड़ के अन्तर बैंक/कोषागार लेखों एवं पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों से मिलान किए जाने के लिए लंबित थे।

18 जिला परिषद : (पंचायत प्रकोष्ठ) छह, जिला परिषद : (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) पांच तथा पंचायत समिति: पैंतीस

19 जिला परिषद : (पंचायत प्रकोष्ठ) चार, जिला परिषद: (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) तीन तथा पंचायत समिति: आठ

20 जिला परिषद : (पंचायत प्रकोष्ठ) चार, जिला परिषद: (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) चार तथा पंचायत समिति: आठ

### 1.10.7 डाटा-बेस एवं पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रारूपों का संधारण

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थानों द्वारा जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय क्रियान्वयन के लिए आठ सरल लेखांकन डेटा-बेस प्रारूप (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित) आरम्भ किए (अक्टूबर 2009)। ये प्रारूप पंचायती राज संस्थाओं के समेकित वित्तीय स्थिति, आय और कर प्राप्तियां, गैर-कर प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां, व्यय का विवरण और केन्द्रीय/राज्य वित्त आयोगों के तहत आवंटित निधियों की भौतिक प्रगति के आंकड़ों को संकलित करने के लिए थे। इन प्रारूपों को अप्रैल 2011 से विभाग द्वारा क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य रूप से अपनाए जाने पर सहमति हुई थी। ये प्रारूप राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में मई 2015 में अधिसूचना के माध्यम से शामिल किए गए थे। तथापि, पंचायती राज संस्थाएं इन प्रारूपों में लेखाओं के आंकड़ों का संकलन एवं प्रदर्शन नहीं कर रही थी।

#### अनुशंसाएं :

2. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदानों पर निरंतर निर्भरता को कम करने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं को अपने निजी कर एवं गैर-कर स्रोतों के माध्यम से राजस्व सृजन करके अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है।

3. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा परम्परागत प्राप्ति एवं व्यय प्रारूप में लेखे तैयार करना जारी रखने के बजाय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित आदर्श लेखांकन प्रणाली और केन्द्रीकृत लेखा पैकेज प्रियासॉफ्ट को लागू करने के प्रयास करने चाहिए।

### 1.11 निष्कर्ष

प्रत्येक पंचायती राज संस्था द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 द्वारा अधिदेशित पांच स्थायी समितियों का गठन किया जाना था। तथापि, पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार टिप्पणी करने के बावजूद, उनके गठन की वास्तविक स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है। आगे, जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने और चर्चा करने के लिए जिला आयोजन समिति की बैठकें भी अधिकांश जिलों द्वारा निर्धारित संख्या में और उस तरीके से आयोजित नहीं की गई थीं जैसा कि परिकल्पित था।

मेला कर, भवन कर, शुल्क, भूमि एवं भवनों, जलाशयों इत्यादि से किराया तथा भूमि की बिक्री से पूंजीगत प्राप्तियां जैसे राजस्व के कुछ स्रोत, पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए थे। तथापि पंचायती राज संस्थाएं राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान पर निर्भर रही हैं। पंचायती राज संस्थाएं निजी राजस्व सृजन के महत्व को पहचानने में विफल रही हैं। यहाँ तक कि पिछले कई वर्षों से विभाग के पास 'निजी राजस्व' के आंकड़ों भी उपलब्ध नहीं थे।

लेखांकन प्रारूप वर्ष 2009 से तैयार किए जा चुके हैं। तथापि पंचायती राज संस्थाओं ने अभी भी अपने लेखों को पारंपरिक प्रारूपों में ही संधारित किया था। कई पंचायती राज संस्थाओं द्वारा

योजनावार पृथक रोकड़ बही, आय एवं व्यय के त्रैमासिक लेखे तथा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखे भी संधारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं का अभिलेख संधारण खराब और उस सीमा तक अपूर्ण बना रहा। प्रियासॉफ्ट, एक ऑनलाइन केंद्रीकृत लेखा पैकेज है जो मॉडल लेखा प्रणाली के तहत लेखों के संधारण की सुविधा प्रदान करता है, का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि कई पंचायती राज संस्थाएँ इसमें प्रविष्टियां नहीं कर रही थीं।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग पंचायती राज संस्थाओं का प्राथमिक लेखापरीक्षक है। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के लेखों का प्रमाणीकरण और लेखापरीक्षा में भारी बकाया चिंता का विषय है। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के मापदंड 4 और 5 के तहत इस कार्यालय द्वारा की गई टिप्पणियों का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया। पंचायती राज संस्थाओं का सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत कवरेज पिछले कुछ वर्षों में घट रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं ने 291 अनुच्छेदों वाले 23 निरीक्षण प्रतिवेदनों (2017-2020 के दौरान जारी) की प्रथम अनुपालना भी उपलब्ध नहीं कराई है। वर्ष 2017-20 के दौरान किसी भी वर्ष में बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निपटान के लिए निर्धारित संख्या में लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गईं।

**अध्याय-II**  
**पंचायती राज संस्थाओं पर**  
**लेखापरीक्षा निष्कर्ष**



## द्वितीय अध्याय

### पंचायती राज संस्थाओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस अध्याय में 'मेवात क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन' पर विषयगत लेखापरीक्षा, 'महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना' तथा 'पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदानों का निर्मोचन एवं उपयोजन' के सम्बन्ध में दो वृहद् अनुच्छेद और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित छः लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं।

### ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

#### 2.1 मेवात क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन

##### 2.1.1 परिचय

राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिले का क्षेत्र, जहाँ मेवात समुदाय की घनी आबादी है, मेवात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। मेवात क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए मेवात क्षेत्र विकास योजना प्रारम्भ (फरवरी 1987) की गई थी जो मेवात क्षेत्र की 14 पंचायत समितियों<sup>1</sup> में कार्यान्वित की जा रही है। मेवात क्षेत्र विकास योजना एक राज्य वित्त पोषित योजना है एवं निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।

- (i) मेवात क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक ढांचागत विकास।
- (ii) श्री योजना<sup>2</sup> में शामिल पांच बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन।
- (iii) शिक्षा, चिकित्सा, पुरातत्व और पर्यावरण संरक्षण आदि से संबंधित कार्यों को करना।
- (iv) ग्राम पंचायत मुख्यालयों और गांवों का आबादी के आधार पर चरणबद्ध समग्र विकास।
- (v) अन्य विकासात्मक योजनाओं के तहत निर्मित परिसम्पत्तियों का रखरखाव।
- (vi) लघु उद्योगों की स्थापना और स्थानीय नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए आवश्यक संसाधनों का विकास।
- (vii) कला, संस्कृति और पर्यटन का विकास।

1 अलवर: कटूमर, किशनगढ़बास, कोटकासिम, लक्ष्मणगढ़, मुंडावर, रामगढ़, तिजारा और उमरेण; जून 2020 से शामिल पंचायत समितियां: गोविंदगढ़ और मालाखेड़ा; भरतपुर: डीग, कामां, नगर और पहाड़ी।

2 स्वच्छता, स्वास्थ्य, ग्रामीण संपर्क, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा एवं ऊर्जा (श्री)।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा मेवात क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए मार्च 2015<sup>3</sup> में दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया कि कुल आवंटित निधि का 20 प्रतिशत बुनियादी ढांचे जैसे कि रेलवे अंडर ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज, सामुदायिक गोदामों, सामुदायिक लघु इकाइयों आदि के लिए राज्य स्तर पर आरक्षित किया जाएगा और आवंटित निधि के तीन प्रतिशत का उपयोग प्रशासनिक व्यय (राज्य, जिला और स्वण्ड स्तर) के लिए किया जाएगा। 2017-18 से, आवंटित निधि का 19 प्रतिशत राज्य स्तर पर बुनियादी ढांचे के लिए आरक्षित किया जाना था और एक प्रतिशत का उपयोग प्रशासनिक व्यय (राज्य, जिला और स्वण्ड स्तर) के लिए किया जाना था। शेष रही निधि का 50 प्रतिशत चयनित जिलों को जिले में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की संख्या के आधार पर आवंटित किया जाएगा। अन्य 50 प्रतिशत निधि का आवंटन साक्षरता दर और राज्य साक्षरता दर से जिलों की साक्षरता दर में अंतर के आधार पर किया जाएगा।

राज्य स्तर पर, मेवात क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है जो पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न गतिविधियों के पर्यवेक्षण, निगरानी और समन्वय के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। राज्य, जिला, स्वण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम/योजना की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संस्थाओं का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1

क्र.सं.	स्तर	संस्था	संस्था प्रधान	भूमिका/उत्तरदायित्व
1	राज्य	मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री द्वारा नामित अध्यक्ष	जिलों से प्राप्त समग्र ग्राम विकास वार्षिक प्लान का अनुमोदन। मेवात क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का पर्यवेक्षण और समीक्षा करना और आगे सुधार के लिए मार्गदर्शन देना।
		ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	अतिरिक्त मुख्य सचिव	मेवात क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक विभाग।
2	जिला	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला स्तर पर नोडल संस्था है।
		जिला स्तरीय मेवात क्षेत्र विकास समिति	जिला कलेक्टर	मेवात क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक प्लान के निर्धारण, क्रियान्वयन, निष्पादन एवं नियंत्रण से संबंधित समस्त कार्य।
3	स्वण्ड	पंचायत समिति	स्वण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.)	पंचायत समिति की आम सभा की बैठक में अनुमोदन के बाद वार्षिक प्लान (ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित) को जिला परिषद को भेजना।
4	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत	ग्राम विकास अधिकारी	वार्षिक प्लान की तैयारी एवं ग्राम सभा में अनुमोदन एवं अनुमोदित कार्यों का निष्पादन।

3 मार्च 2015 से पहले, मेवात क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड (फरवरी 1987 में गठित) द्वारा जारी सिफारिशों/दिशानिर्देशों के आधार पर किया जा रहा था।

वर्ष 2015-2018 की अवधि के लिए मेवात क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की अनुपालन लेखापरीक्षा मई 2018 से अक्टूबर 2018 के दौरान संपादित की गई थी। इस प्रयोजन के लिए, छः पंचायत समितियां (अलवर: 4 और भरतपुर: 2), जो प्रत्येक जिले में कुल पंचायत समितियों, जहां मेवात क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वित की गई, का 50 प्रतिशत थी एवं अधिकतम व्यय एवं पंचायत समिति के अधीन गांवों में रहने वाले मेव परिवारों की संख्या के आधार पर 60 ग्राम पंचायतें (प्रत्येक चयनित पंचायत समिति में 10 ग्राम पंचायत) लेखापरीक्षा के लिए चुनी गई थी (विवरण परिशिष्ट III में)। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में, अधिकतम 10 कार्यों की विस्तृत जाँच/भौतिक सत्यापन भी किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष विभाग/सरकार को टिप्पणियों के लिए सूचित (नवंबर 2018) किए गए थे लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद, नवंबर-दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के दौरान कार्यों की विस्तृत जाँच/भौतिक सत्यापन (अधिकतम तीन) के माध्यम से लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मार्च 2020 तक अद्यतन किया गया। हालांकि, कोविड-19 महामारी की परिस्थिति के कारण, इस बार नमूना लेखापरीक्षा चार पंचायत समितियों (प्रत्येक जिले से दो) और 20 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से पांच) तक सीमित रही थी।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान, मेवात क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में राज्य के दोनों जिलों में आयोजना, कार्यों के निष्पादन, निधियों के प्रबंधन एवं योजना की निगरानी सम्बन्धी अनेक कमियाँ प्रकट हुईं। लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

### 2.1.2 आयोजना और क्रियान्विति

#### 2.1.2.1 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/समेकित परियोजना प्रतिवेदन और आगामी प्लान तैयार करना

मेवात क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 6.1 में आगामी वर्षों में मेवात क्षेत्र के विकास के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/समेकित परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर/सीपीआर) तैयार करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, मेवात क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 6.2 में मेवात क्षेत्र के समग्र ग्राम विकास के लिए अगले चार वर्षों के लिए एक आगामी प्लान तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं नमूना जांच किए गए जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि समग्र ग्राम विकास के लिए डीपीआर/सीपीआर एवं आगामी प्लान तैयार नहीं किया गया था।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि संबंधित पंचायत समिति/ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जिला परिषद स्तर पर वार्षिक प्लान तैयार किया जाता है।

सामान्यतया, ये प्रस्ताव जनता की मांगों पर आधारित होते हैं और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होते हैं ।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मेवात क्षेत्र के लिए आगामी प्लान उसके वार्षिक प्लान से भिन्न है । आगामी प्लान ग्राम स्तर की अगले चार वर्षों की अवधि के लिए एक समग्र विकास प्लान है, जबकि वार्षिक प्लान आगामी प्लान के एक हिस्से के रूप में किसी विशेष वर्ष के दौरान निष्पादित किया जाता है । विभाग ने डीपीआर/सीपीआर भी तैयार नहीं किए ।

### **2.1.2.2 प्लान के अनुमोदन में विलम्ब**

दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 9.2 और 9.3 के अनुसार जिला स्तरीय क्षेत्र विकास समिति (डीएलएडीसी) द्वारा वार्षिक प्लान के अनुमोदन की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंत तक पूरी की जानी चाहिए और मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड/ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा योजना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अनुमोदित की जानी चाहिए ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जिला परिषद, अलवर और भरतपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जिला परिषद, अलवर और भरतपुर द्वारा वर्ष 2015-20 के लिए वार्षिक प्लान 10 से 285 दिनों की देरी के साथ प्रस्तुत किया गया और मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के बाद एक से 152 दिनों तक की देरी से अनुमोदित किया गया । वार्षिक प्लान के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन में विलम्ब के कारण प्लान के निष्पादन एवं कार्यों की स्वीकृति में भी उस सीमा तक विलम्ब हुआ ।

राजस्थान सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (नवंबर 2021) कि 2015-17 की अवधि के दौरान प्लान तैयार करने में हुआ विलम्ब सामान्य था । सरकार ने अवगत कराया कि 2017-19 के दौरान वार्षिक प्लान प्रस्तुत करने और अनुमोदन में देरी के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से राज्य स्तर पर योजना की तैयारी को स्थगित करना और चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाना मुख्य रूप से जिम्मेदार थे ।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2015-17 के दौरान जिला परिषद, अलवर द्वारा वार्षिक प्लान प्रस्तुत करने में 144 से 273 दिनों का विलम्ब हुआ था, जिसे सामान्य के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता है । आगे, विभाग इस तथ्य पर मौन रहा कि वर्ष 2015-20 के दौरान प्लान के अनुमोदन में एक से 152 दिनों तक का विलम्ब हुआ था ।

### **2.1.2.3 ड्रेनेज प्लान तैयार करना**

मेवात क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 6.3 में मेवात क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत गांवों के व्यवस्थित विकास के लिए ड्रेनेज प्लान तैयार करने के प्रावधान किए गए हैं ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और नमूना जाँच किए गए जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ड्रेनेज प्लान तैयार नहीं किए गए थे ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया तथा अवगत कराया (मई 2018) कि ड्रेनेज प्लान इसलिए तैयार नहीं किए गए थे क्योंकि वित्त विभाग ने इस उद्देश्य के लिए प्रशासनिक व्यय स्वीकृत नहीं किया था। वित्त विभाग ने उपलब्ध निधि के एक प्रतिशत को प्रशासनिक व्यय के रूप में विस्तृत सर्वेक्षण, महत्वपूर्ण अंतराल की पहचान करने आदि के लिए व्यय करने के लिए अनुमति दी थी (फरवरी 2017)। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आगे अवगत कराया (अगस्त 2020) कि संबंधित जिला परिषदें अन्य योजनाओं के माध्यम से जल निकासी के कार्य कर रही हैं।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर वर्ष 2015 में जारी किए गए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक प्लान तैयार किए जा रहे हैं।

प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा किए गए ड्रेनेज कार्य वार्षिक प्लान का भाग थे न कि ड्रेनेज प्लान का, जो वित्त विभाग द्वारा निधियों की स्वीकृति के बाद भी तैयार नहीं किया गया था।

इस प्रकार, योजना के अभाव में मेवात क्षेत्र के गांवों में व्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था विकसित नहीं की जा सकी (जैसा कि अनुच्छेद 2.1.3.4 (ii) में चर्चा की गई है)।

### 2.1.3 योजना का निष्पादन

#### 2.1.3.1 मेवात क्षेत्र विकास योजना के उद्देश्यों में परिकल्पित कार्यों का निष्पादन नहीं करना

मेवात क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका गतिविधियों, लघु उद्योगों की स्थापना, सामुदायिक संपत्ति और ढांचागत संपत्तियों का निर्माण, कला, संस्कृति और पर्यटन विकास से संबंधित रोजगार सृजन के कार्यों और श्री योजना में शामिल पांच<sup>4</sup> बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना था।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जिला परिषद, अलवर और भरतपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2015-20 की अवधि के दौरान ₹ 190.21 करोड़ के कुल 4,263 कार्य स्वीकृत किए गए थे। विवरण आगे तालिका 2.2 में दिया गया है।

4 स्वच्छता, स्वास्थ्य, ग्रामीण संपर्क, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा एवं ऊर्जा (श्री)

**तालिका 2.2**

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	कुल स्वीकृत राशि का प्रतिशत
1	स्वच्छता	178	13.35 <sup>5</sup>	7.02
2	स्वास्थ्य	1,883	35.38 <sup>6</sup>	18.60
3	ग्रामीण संपर्क	1,373	87.20 <sup>7</sup>	45.84
4	शिक्षा और चिकित्सा सुविधा	284	13.98 <sup>8</sup>	7.35
5	ऊर्जा	5	0.50 <sup>9</sup>	0.27
6	अन्य गतिविधियाँ <sup>10</sup>	540	39.80 <sup>11</sup>	20.92
<b>कुल</b>		<b>4,263</b>	<b>190.21</b>	<b>100</b>

स्रोत: जिला परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि अधिकांश कार्य (79.08 प्रतिशत) श्री योजना के घटकों को प्राथमिकता देते हुए निष्पादित किए गए थे। हालांकि, योजना के उद्देश्यों में परिकल्पित अन्य गतिविधियों जैसे कि लघु उद्योगों की स्थापना, आजीविका गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं, कला, संस्कृति और पर्यटन विकास से संबंधित कार्य शामिल नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, 2015 के दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया था कि राज्य स्तर पर कुल आवंटित निधि का 20 प्रतिशत (2015-17) और 19 प्रतिशत (2017-18 से आगे) बुनियादी ढांचे जैसे रेलवे अंडर ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज, सामुदायिक गोदाम, सामुदायिक लघु पैमाने की इकाइयाँ आदि के लिए आरक्षित रखा जायेगा। यह देखा गया कि 2015-17 की अवधि के लिए केवल ₹ 23.90 करोड़ का प्रावधान किया गया था, हालांकि, कोई निधि स्वीकृत नहीं की गई थी। 2017-18 के दौरान मुख्यालय पर ₹ 9.40 करोड़ आरक्षित रखे गए थे तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में हस्तांतरित कर दिए गए। आगे, वर्ष 2018-19 के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया था और 2019-20 के दौरान, मुख्यालय पर ₹ 1.22 करोड़ आरक्षित रखे गए थे, हालांकि, बुनियादी ढांचे के लिए व्यय नहीं किया गया था।

- 
- 5 जिला परिषद अलवर: ₹ 8.60 करोड़ के 53 कार्य एवं जिला परिषद भरतपुर: ₹ 4.75 करोड़ के 125 कार्य।
- 6 जिला परिषद अलवर: ₹ 25.47 करोड़ के 1,156 कार्य एवं जिला परिषद भरतपुर: ₹ 9.91 करोड़ के 727 कार्य।
- 7 जिला परिषद अलवर: ₹ 60.61 करोड़ के 788 कार्य एवं जिला परिषद भरतपुर: ₹ 26.59 करोड़ के 585 कार्य।
- 8 जिला परिषद अलवर: ₹ 9.46 करोड़ के 169 कार्य एवं जिला परिषद भरतपुर: ₹ 4.52 करोड़ के 115 कार्य।
- 9 जिला परिषद अलवर: ₹ 0 करोड़ के 0 कार्य एवं जिला परिषद भरतपुर: ₹ 0.50 करोड़ के 5 कार्य।
- 10 श्मशान घाट में तीन शेड, चबूतरा एवं चारदीवारी का निर्माण, सामुदायिक भवन आदि का निर्माण।
- 11 जिला परिषद अलवर: ₹ 15.05 करोड़ के 318 कार्य एवं जिला परिषद भरतपुर: ₹ 24.75 करोड़ के 222 कार्य।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2021) कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेवात क्षेत्र में निर्मित सड़कों से परिवहन की सुगमता से आजीविका, कला, संस्कृति और पर्यटन को लाभ हुआ है।

आगे, स्वीकृत परिसम्पतियों के निर्माण में स्थानीय सामग्रियों के उपयोग से लघु इकाइयाँ भी लाभान्वित हुई हैं।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना से संबंधित कार्य/गतिविधियाँ निष्पादित नहीं की गई, जिससे निवास करने वाले समुदाय के लिए प्रत्यक्ष रूप से आजीविका और रोजगार का सृजन होता। इसके अतिरिक्त, परिवहन की सुविधा से कला, संस्कृति और पर्यटन को केवल अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो सकता है। योजनान्तर्गत मेवात क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं कला, संस्कृति एवं पर्यटन के विकास से संबंधित गतिविधियाँ भी स्वीकृत नहीं की गई थी।

### 2.1.3.2 परिसंपत्तियों का रखरखाव

(क) मेवात क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 5.4 में किए गए प्रावधान के अनुसार उपलब्ध निधि के 15 प्रतिशत तक का उपयोग विभिन्न योजनाओं के तहत बनाई गई परिसंपत्ति की देखभाल, सुदृढ़ीकरण, बहाली एवं रखरखाव के लिए किया जा सकता है।

वर्ष 2015-20 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 133.01 करोड़ (जिला परिषद, भरतपुर: ₹ 55.56 करोड़ और जिला परिषद, अलवर: ₹ 77.45 करोड़) की राशि जारी की गई थी। इसलिए, निधि का 15 प्रतिशत तक अर्थात् ₹ 19.95 करोड़ (जिला परिषद, भरतपुर ₹ 8.33 करोड़ और जिला परिषद, अलवर: ₹ 11.62 करोड़) का उपयोग परिसंपत्तियों की देखभाल, सुदृढ़ीकरण, बहाली और रखरखाव के लिए किया जा सकता था। विभाग के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018, नवंबर-दिसंबर 2020 और मार्च 2021) के दौरान नालियों का निर्माण न होने/अवरुद्ध होने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त स्थिति में पाई गई (अनुच्छेद 2.1.3.4 में चर्चा की गई है)। तथापि, नमूना जांच की गई जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा इन सड़कों के रखरखाव/मरम्मत पर व्यय नहीं किया गया था।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रत्युत्तर दिया (मार्च 2020) कि 2015-17 के दौरान भरतपुर में जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों से मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे जबकि 2017-18 के दौरान मरम्मत एवं रखरखाव के लिए ₹ 19.90 लाख की राशि के छः कार्य अनुमोदित किए गए थे। जिला परिषद, अलवर एवं भरतपुर ने आगे प्रत्युत्तर दिया (सितम्बर 2020) कि अनुमोदित प्लान में सम्मिलित मरम्मत एवं रखरखाव के कार्यों की स्वीकृति शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2021) कि जहां भी आवश्यक है, रखरखाव के कार्यों को ग्राम सभाओं द्वारा वार्षिक प्लान में शामिल किया जा रहा है और तदनुसार अनुमोदित किया जा रहा है।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राशि की उपलब्धता एवं अनुमोदित वार्षिक प्लान में शामिल होने के बावजूद भी, वर्ष 2019-20 के दौरान मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य स्वीकृत/शुरू नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, योजना के तहत निर्मित विभिन्न परिसंपत्तियां/सड़कें क्षतिग्रस्त थी इसलिए, उनका रखरखाव/मरम्मत आवश्यक था। तथापि, जिला परिषद, भरतपुर में इस उद्देश्य के लिए 15 प्रतिशत निर्धारित निधि की उपलब्धता के बावजूद केवल छः रखरखाव/मरम्मत के कार्य निष्पादित किए गए थे।

(ख) ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुच्छेद 24.3 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों को दर्ज करने के लिए जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में परिसंपत्तियों की एक पंजिका (परिसंपत्ति पंजिका) का संधारण किया जाना आवश्यक है।

चयनित जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि नमूना जांच किए गए जिला परिषद, भरतपुर, पंचायत समिति, नगर, लक्ष्मणगढ़ एवं तिजारा में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों की पंजिका संधारित नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए 60 ग्राम पंचायतों में से, दो ग्राम पंचायतों में परिसंपत्ति पंजिका संधारित नहीं की जा रही थी, 45 ग्राम पंचायतों ने अवगत कराया कि पंजिका संधारित की जा रही है परन्तु पंजिका की प्रतियां सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि शेष 13 ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा में सत्यापित हुआ कि पंजिकाएं संधारित की जा रही थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2021) कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर परिसंपत्ति पंजिका नियमित रूप से संधारित की जा रही है। तथापि, नमूना जांच की गई 47 ग्राम पंचायतों द्वारा सत्यापन के लिए ये पंजिका लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। पंजिकाओं के अभाव में, लेखापरीक्षा में यह निर्धारण नहीं किया जा सका कि क्या जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा पंजिका उचित रूप से संधारित की गई थी।

### 2.1.3.3 कार्यो का भौतिक निष्पादन

वर्ष 2015-20 के दौरान नमूना जांच की गई जिला परिषदों में स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए कार्यो की स्थिति नीचे तालिका 2.3 में दी गई है:

तालिका 2.3

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिला परिषद का नाम	स्वीकृत कार्यो की संख्या	स्वीकृत राशि	पूर्ण किए गए कार्यो की संख्या	व्यय	अपूर्ण कार्यो की संख्या	अपूर्ण कार्यो की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3-5)	(8)=(4-6)
1	अलवर	2,484	119.19	2,246	103.51	238	15.68
2	भरतपुर	1,779	71.02	1,674	67.74	105	3.28
<b>कुल</b>		<b>4,263</b>	<b>190.21</b>	<b>3,920</b>	<b>171.25</b>	<b>343</b>	<b>18.96</b>

स्रोत: एकीकृत कार्य निगरानी प्रणाली के अनुसार सूचना



यह देखा जा सकता है कि ₹ 18.96 करोड़ (10 प्रतिशत) की राशि के 343 कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2021) कि सितंबर 2021 तक जिला परिषद, अलवर (148 कार्य) और भरतपुर (105 कार्य) में केवल 253 कार्य प्रगति पर थे और उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा; जबकि जिला परिषद, अलवर में अन्य 90 कार्य पूर्ण बताए गए थे।

#### 2.1.3.4 संयुक्त भौतिक सत्यापन

लेखापरीक्षा अवधि 2015-18 के लिए, छः पंचायत समितियों की नमूना जांच की गई 60 ग्राम पंचायतों में राशि ₹ 63.93 करोड़ के कुल 1,602 पूर्ण कार्यों में से ₹ 22.21 करोड़ (34.33 प्रतिशत) की राशि के 550 कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया (मई-अक्टूबर 2018)। अद्यतन अवधि अर्थात् 2018-20 के लिए, चार पंचायत समितियों की नमूना जांच की गई 20 ग्राम पंचायतों में ₹ 4.06 करोड़ की राशि के कुल 99 पूर्ण कार्यों में से ₹ 3.02 करोड़ (74.38 प्रतिशत) की राशि के 53 कार्यों का भौतिक सत्यापन विभाग के अधिकारियों (सहायक अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक/ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी) के साथ किया गया (नवंबर-दिसंबर 2020)। भौतिक सत्यापन के परिणामों की चर्चा नीचे की गई है:

##### (i) निष्फल व्यय

पांच पंचायत समितियों में ₹ 0.46 करोड़ की लागत से सीमेंट कंक्रीट (सीसी) की सड़कों, सिंगल फेज डीप बोर मय टंकी की स्थापना, नाला/नाली निर्माण, चारदीवारी निर्माण, कमरा निर्माण, हैंडपंप निर्माण एवं पोखर खुदाई के 13 कार्य स्वीकृत किए गए थे (मार्च 2016 – दिसम्बर 2018) एवं उनको ₹ 0.43 करोड़ में पूर्ण (जून 2016–दिसम्बर 2019) किया गया। उक्त परिसम्पत्तियाँ अतिक्रमण, क्षतिग्रस्त होने, जल भराव, जलग्रहण क्षेत्र सुनिश्चित नहीं करने तथा सिंगल फेज बोरिंग पर मोटर एवं विद्युत कनेक्शन नहीं लगाने आदि कारणों से उपयोग में नहीं लाई जा रही थी। (कमियों का विवरण परिशिष्ट IV में दिया गया है)। उदाहरणार्थ कुछ प्रकरण निम्न प्रकार हैं:

#### प्रकरण - 1

**कार्य:** पिपरोली में असरु से जोहड़ की ओर नाला निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत-पिपरोली, पंचायत समिति-रामगढ, जिला-अलवर। पत्थर, मिट्टी, झाड़ियों के कारण नाला अवरुद्ध था और एक स्थान पर अतिक्रमण किया हुआ था। नाले के निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल था क्योंकि यह तालाब से जुड़ा हुआ नहीं था।



## प्रकरण - 2

**कार्य:** झंझार में पोखर खुदाई कार्य, ग्राम पंचायत-झंझार, पंचायत समिति-नगर, जिला-भरतपुर। पानी की आवक के लिए कोई जलग्रहण (कैचमेंट) क्षेत्र नहीं था और पोखर सूखा था।



इस प्रकार, इन कार्यों पर किया गया ₹ 0.43 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रत्युत्तर दिया (मार्च 2020) कि हैंडपंप की कमियों को ठीक कर दिया गया है और अब वे क्रियाशील अवस्था में हैं, नाले की सफाई करा दी गई है, पोखर के लिए सम्पूर्ण जलग्रहण क्षेत्र सुनिश्चित कर दिया गया है, बोरिंग के लिए मोटर की मरम्मत करा दी गई है और अब इसका उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, मार्च 2021 में लेखापरीक्षा द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान भी इन कमियों को ठीक किया हुआ नहीं पाया गया था।

राजस्थान सरकार ने कुछ तस्वीरें संलग्न करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2021) कि कुल 13 अक्रियाशील परिसंपत्तियों में से, सात परिसंपत्तियां (02 हैंडपंप, 01 बोरिंग, 03 नाले और 01 दरवाजा) सितंबर 2021 को क्रियाशील थीं और जन समुदाय द्वारा उपयोग में ली जा रही थीं। एक अक्रियाशील हैंडपंप (क्रमांक 2) के मामले में अवगत कराया गया कि जल स्तर कम हो गया था। आगे, दो पोखरों (क्रमांक 12-13) के मामलों में यह अवगत कराया गया कि कार्यों की स्वीकृति से पहले पोखर के लिए जलग्रहण क्षेत्र सुनिश्चित किया गया था लेकिन पोखर मिट्टी की उच्च रिसाव दर एवं 2017-18 में जिले में औसत वार्षिक वर्षा (674 मिमी) की तुलना में कम वर्षा (290 मिमी) के कारण सूख गए थे। शेष तीन क्षतिग्रस्त/ अक्रियाशील परिसंपत्तियों (क्रमांक 9-11) के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा संबंधित जिला परिषद से अनुपालना मांगी गई थी (जून 2021) और वह प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि परिसंपत्तियों को क्रियाशील दिखाने के लिए प्रेषित की गई तस्वीरें (नवंबर 2021) वही तस्वीरें थीं जो विभाग द्वारा पहले भी प्रेषित की गई थीं (मार्च 2020) और मार्च 2021 में किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सही नहीं पाई गई थीं। आगे, कम वर्षा सूखे पोखरों का एकमात्र कारण नहीं हो सकती क्योंकि पंचायत समिति, नगर में 2018 (480 मिमी) और 2019 (450 मिमी) के दौरान पर्याप्त वार्षिक वर्षा दर्ज की गई थी। लेखापरीक्षा का मत है कि पोखरों में जल की आवक के लिए जलग्रहण क्षेत्र का अभाव ही सूखी पोखरों का मुख्य कारण हो सकता है।

(ii) क्षतिग्रस्त कार्य

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां भी आवश्यक हो, जल भराव को रोकने और सड़क की मजबूती में सुधार के लिए सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए। आगे, मेवात क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में भी यह प्रावधान था कि आंतरिक सड़कों के निर्माण के साथ नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए।

(क) कार्य जहां नालियों की आवश्यकता थी लेकिन निर्माण नहीं किया गया

सीसी सड़कों / इंटरलॉकिंग टाइल्स स्वरंजा सड़कों के ₹ 3.22 करोड़ की लागत के 63 कार्य स्वीकृत (सितंबर 2015-नवंबर 2019) किए गए जो कि ₹ 3.15 करोड़ की लागत से पूर्ण किए गए (नवंबर 2015 - दिसंबर 2019)। यह देखा गया कि सड़कों के साथ नालियों का निर्माण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप 63 में से 39 सड़कें या तो क्षतिग्रस्त हो गईं या सड़कों पर जल भराव/कीचड़ जमा थी। इसके अतिरिक्त, 20 सड़कें चंबल परियोजना के तहत पाइप लाइन डालने से भी क्षतिग्रस्त हो गईं थी। इन सड़कों की मरम्मत ठेकेदार द्वारा की जानी थी लेकिन इनकी मरम्मत अभी तक (मार्च 2021) नहीं की गई थी (विवरण परिशिष्ट V में दिया गया है)। उदाहरणार्थ मामले निम्नानुसार हैं:

प्रकरण - 3

कार्य: तीतरका में कालू खां के मकान से मस्जिद की ओर सीसी सड़क मय नाली निर्माण, ग्राम पंचायत-लंगड़बास, पंचायत समिति-किशनगढ़ बास, जिला अलवर।  
यह देखा गया कि नाली का निर्माण नहीं किया गया था। सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा पानी और कीचड़ से भरी हुई थी, यह सुगम यातायात के लिए असुविधाजनक थी।



प्रकरण - 4

कार्य: सीसी सड़क निर्माण इशाक के घर से स्कूल तक, ग्राम पंचायत-बिलौंद, पंचायत समिति-कामां, जिला-भरतपुर में। यह देखा गया कि सड़क के साथ-साथ नाली का निर्माण नहीं किया गया था और घरों से गंदा पानी बहने और सफाई की कमी के कारण सड़क के कुछ स्थानों पर कीचड़ और गड़ढे थे।



## प्रकरण - 5

कार्य : चिरमौली के घर से हरग्यान के घर की ओर सीसी सड़क, ग्राम पंचायत-सोनोस्वर, पंचायत समिति-कामां, जिला भरतपुर ।  
यह देखा गया कि नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी और कीचड़ जमा होने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी ।



ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अवगत कराया (मार्च 2020) कि कार्यों का निर्माण दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया था और किया गया व्यय निष्फल नहीं था । आसपास रहने वाले परिवारों के बीच विवाद होने के कारण नाली का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका । यह भी अवगत कराया गया कि सड़क के एक तरफ जोहड़<sup>12</sup> है और दूसरी तरफ खेत है, इसलिए तकमीने में नाली का निर्माण नहीं लिया गया था । आगे अवगत कराया कि कुछ कार्यों में सड़क का निर्माण एक तरफ ढलान के साथ किया गया ताकि एक तरफ से पानी बहे तथा उस तरफ ईट की नाली बनाई गई है । अन्य कार्यों में जल निकासी के लिए सड़क के साथ-साथ दोनों ओर ढलान बनाई गई है, जिससे जल निकासी में कोई समस्या नहीं है । आगे यह वर्णित किया गया कि वर्तमान में सड़कें अच्छी स्थिति में हैं और सड़क पर किसी तरह का गंदा पानी जमा नहीं हो रहा है । ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने यह भी अवगत कराया कि सड़कों की सफाई ग्रामीणों के सहयोग से नियमित रूप से की जा रही है ।

प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सड़कों के साथ नालियों का निर्माण नहीं किया गया था, जैसा कि मार्गदर्शिका तथा ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 में प्रावधान किए गए थे । इसके परिणामस्वरूप बार-बार जल भराव और कीचड़ जमा होने की घटना हुई, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई । लेखापरीक्षा द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन (मार्च 2021) के दौरान उक्त तथ्यों की पुनः पुष्टि की गई ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि 63 कार्यों में से 19 प्रकरणों (क्रमांक 4, 9-12, 15, 17-23 एवं 31-36) में नाली की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सड़क के निर्माण में ढलान इस तरह किया गया ताकि पानी आसानी से बह सके । 08 प्रकरणों (क्रमांक 1, 2, 14, 16 एवं 26-29) में नाली का निर्माण किया गया है तथा 05 प्रकरणों (क्रमांक 3 एवं 5-8) में 14वें वित्त आयोग के अनुदान से नालियों का निर्माण करा दिया

12 जोहड़ बारिश के पानी को रोकने और संरक्षित करने के लिए जमीन और चट्टानों से बना एक छोटा सा चेक डैम है । यह रिसाव में सुधार करने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने में मदद करता है ।

जायेगा। 03 प्रकरणों (क्रमांक 24, 25, 30) में सड़क के किनारों पर जमा कूड़ा-करकट/रेत, जिससे जल प्रवाह अवरुद्ध हो गया था, को साफ कर दिया गया और एक प्रकरण (क्रमांक 13) में सड़क संकरी होने के कारण नाली का निर्माण नहीं किया गया था क्योंकि नालियों के निर्माण से सड़क की चौड़ाई और कम हो जाती। शेष 27 प्रकरणों में (क्रमांक 37-63) जिला परिषद, भरतपुर से अनुपालना मांगी गई थी (जून 2021) जो प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नालियों के निर्माण को दर्शाने के लिए उपलब्ध कराई गई तस्वीरें (नवंबर 2021) वे तस्वीरें थीं जो विभाग द्वारा पूर्व में (मार्च 2020) भी उपलब्ध कराई गई थीं तथा मार्च 2021 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान इन्हें सही नहीं पाया गया था। आगे, जिन प्रकरणों में राजस्थान सरकार ने कहा कि नाली की आवश्यकता नहीं थी, वहां भौतिक सत्यापन (मार्च 2021) के दौरान नालियों के अभाव में जल भराव के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त स्थिति में पाई गईं।

**(ख) नालियों के अवरुद्ध होने से सड़कों का क्षतिग्रस्त होना**

पंचायत समिति, कामां एवं नगर (जिला परिषद, भरतपुर) एवं पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ (जिला परिषद, अलवर) में ₹ 1.14 करोड़ के 23 सीसी/इंटरलॉकिंग टाइल्स/इंटरलॉकिंग सीमेंट ईन्ट स्वरंजा सड़क मय नाली निर्माण के कार्य स्वीकृत (सितंबर 2015-नवंबर 2016) किए गए एवं ₹ 1.12 करोड़ की लागत से (नवंबर 2015-अप्रैल 2017) पूर्ण किए गए (विवरण परिशिष्ट VI में दिया गया है)।

यह पाया गया कि यद्यपि सड़कें मय नालियों के निर्मित की गई थी, लेकिन नालियाँ अवरुद्ध हो गई थी और सड़कों पर गंदा पानी/मिट्टी पड़ी हुई थी, जिससे सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। उदाहरणस्वरूप कुछ मामले इस प्रकार हैं:

**प्रकरण - 6**

<p>कार्य : रत्ती की दुकान से इलियास के घर की ओर सीसी रोड मय नाली निर्माण, ग्राम पंचायत- बिलौद, पंचायत समिति-कामां, जिला भरतपुर। यह देखा गया कि गंदा पानी बहने और कीचड़ जमा होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी।</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

प्रकरण - 7

कार्य: पंगसेडी में पुलिया मेन रोड से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तक सीसी रोड मय नाली निर्माण, ग्राम पंचायत-सैदमपुर, पंचायत समिति-लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर।  
यह देखा गया कि नाली अवरुद्ध हो गई और सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा हो गई थी, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई।



ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रत्युत्तर दिया (मार्च 2020) कि मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छ योजना के बंद होने के कारण नालों की सफाई नहीं हो रही थी। हालांकि अब ग्रामीणों के सहयोग से सड़कों की सफाई करा दी गई है।

प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मेवात क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत स्वच्छता कार्य को, जो कि श्री योजना का एक हिस्सा है, प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। इसलिए, स्वच्छता मद के तहत गांव में स्वच्छता सुनिश्चित करने एवं सड़कों की क्षति को रोकने के लिए नालियों की सफाई की व्यवस्था की जा सकती थी। आगे, लेखापरीक्षा द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2021) के दौरान पाया गया कि सड़कों की अभी भी सफाई नहीं की गई थी एवं नालियां अवरुद्ध पड़ी थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि 23 कार्यों में से दो प्रकरणों (क्रमांक 1-2) में नाले की सफाई कर दी गई थी तथा सड़क पर जलजमाव नहीं था। यह भी अवगत कराया कि शेष 21 कार्यों के लिए संबंधित जिला परिषद से साक्ष्य के साथ अनुपालना मांगी गई है (जून 2021) जो कि अभी तक प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

दिलचस्प बात यह है कि नाले की सफाई के समर्थन में लेखापरीक्षा को साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए। दूसरी ओर जहां जिला परिषद से साक्ष्य के साथ अनुपालना प्रतीक्षित थी, एक ऐसे कार्य (21 कार्यों में से) की पुरानी तस्वीरें (मार्च 2020) उपलब्ध कराई गई थी, जो इस प्रकरण से संबंधित ही नहीं है।

(iii) गैर-अनुमत कार्य

वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक प्लान का अनुमोदन करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी (जून 2015) किए कि श्मशान घाट और कब्रिस्तान आदि में चारदीवारी निर्माण और अन्य निर्माण कार्य ग्रामीण जन भागीदारी योजना के तहत निष्पादित किए जा सकते हैं, इसलिए इन कार्यों को मेवात क्षेत्र विकास योजना के तहत निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए।

जिला परिषद, अलवर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि श्मशान घाट/कब्रिस्तान की चारदीवारी एवं टिन शेड निर्माण के ₹ 1.04 करोड़ की लागत के 20 कार्य

स्वीकृत किए गए (जनवरी 2016-मार्च 2016) थे और जिन पर ₹ 0.94 करोड़ का व्यय किया गया था। ये कार्य मेवात क्षेत्र विकास योजना के तहत अनुमत्य नहीं थे। (विवरण परिशिष्ट VII में दिया गया है)।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि मेवात क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्मशान घाट/कब्रिस्तान में चारदीवारी निर्माण के कार्य गैर-अनुमत्य नहीं थे। यह भी अवगत कराया कि इन कार्यों को मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना और जिला परिषद के अनुमोदन के अनुसार निष्पादित किया गया था।

प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस प्रकार के कार्य पहले से ही राज्य सरकार द्वारा अलग से क्रियान्वित ग्रामीण जन भागीदारी योजना के अंतर्गत शामिल थे एवं वर्ष 2015-16 की वार्षिक प्लान के अनुमोदन के दौरान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने विशेष रूप से इन कार्यों को प्रतिबंधित किया था। इस प्रकार, मेवात क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत इन कार्यों के निष्पादन पर किया गया ₹ 0.94 करोड़ का व्यय अनियमित था।

*(iv) सिंगल फेज बोरिंग एवं हैंडपंप पर निष्फल व्यय*

पंचायत समिति, किशनगढ़बास एवं तिजारा में मेवात क्षेत्र विकास योजना के तहत टंकी एवं हैंडपंप सहित सात सिंगल फेज बोरिंग ₹ 0.15 करोड़ की लागत से निर्मित (जून 2016-नवंबर 2017) किए गए थे। (विवरण परिशिष्ट VIII में दिया गया है)।

यह पाया गया कि उक्त निर्मित परिसंपत्तियां बोरिंग का बिजली कनेक्शन नहीं करवाने, बोरिंग से टंकी तक कनेक्शन नहीं होने, खराब सबमर्सिबल पंप, टूटी हुई टंकी और हैंडपंप प्लेटफॉर्म आदि के कारण अनुपयोगी पड़ी हुई थी। इस प्रकार, निर्मित परिसम्पत्तियाँ उपयोग में नहीं ली जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.15 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रत्युत्तर दिया (मार्च 2020) कि बोरिंग/सबमर्सिबल सुचारू रूप से चल रहा है और लोगों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। जिन मामलों में बिजली का कनेक्शन नहीं था, वहां बिजली का कनेक्शन कर दिया गया है और प्लेटफॉर्म की मरम्मत करा दी गई है तथा जिन्हें संबंधित पंचायत समिति के सहायक अभियंता द्वारा प्रमाणित किया गया है।

प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2021) के दौरान परिसंपत्तियाँ अनुपयोगी पाई गई थीं।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि सात कार्यों में से पांच कार्यों (क्रमांक 2-6) में टंकी एवं पानी की टंकी के साथ सिंगल फेज बोरिंग स्थापित किए गए हैं। बिजली कनेक्शन भी करवा दिया है और परिसंपत्तियाँ क्रियाशील कर दी गई हैं। हैंडपंप के एक कार्य (क्रमांक 7) में प्लेटफॉर्म की मरम्मत कर दी गई है और हैंडपंप चालू हालत में है तथा दूसरे हैंडपंप (क्रमांक 1) के मामले में जल स्तर कम हो गया है। हालांकि, सार्वजनिक योगदान से बिजली के कनेक्शन की स्थापना के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

### प्रकरण - 8

कार्य : जगत पटेल पुत्र श्री बिरजू के घर के पास सिंगल फेज मोटर बोरिंग मय टंकी निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत- फुल्लावास, पंचायत समिति-तिजारा, जिला अलवर । यह देखा गया कि बोर क्रियाशील नहीं था और वहां पर मोटर और टंकी नहीं थी ।



#### (v) गैर-अनुमत कार्यों पर निधि का उपयोग

मेवात क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 8.2 (ई) में किए गए प्रावधान के अनुसार व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्यों का निष्पादन निषिद्ध है । इसके अतिरिक्त, ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुच्छेद 6.3.6 में प्रावधित है कि तकनीकी अधिकारी कार्य स्थलों का निरीक्षण करेंगे और निर्माण कार्य की संभाव्यता और उपयोगिता सुनिश्चित करेंगे ।

पंचायत समिति, तिजारा एवं किशनगढ़बास (जिला परिषद, अलवर) में राशि ₹ 0.24 करोड़ की लागत से सिंगल फेज बोरिंग मय पानी की टंकी एवं हैंडपंप के 13 निर्माण कार्य स्वीकृत (अप्रैल 2016-मई 2017) किए गए एवं जो ₹ 0.21 करोड़ की लागत से पूर्ण किए गए (नवम्बर 2016-अक्टूबर 2017) ।

यह पाया गया कि उपरोक्त परिसंपत्तियाँ किसानों के खेतों और परिवार की व्यक्तिगत भूमि में निर्मित की गई थी जो कि मेवात क्षेत्र विकास योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था । संबंधित व्यक्ति निजी बिजली कनेक्शन लगाकर, इन संपत्तियों का व्यक्तिगत उपयोग कर रहे थे (कार्यों का विवरण परिशिष्ट IX में दिया गया है) । उदाहरण इस प्रकार है:

### प्रकरण - 9

कार्य : लाल भगत के घर के पास और बबीता बेवा के घर के पास हैंडपंप निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत खलीलपुर, पंचायत समिति-तिजारा, जिला-अलवर । यह देखा गया कि हैंडपंप निजी उपयोग के लिए घर के अंदर लगाया हुआ था ।





**प्रकरण - 10**

कार्य : नब्बा के घर के पास सिंगल फेज बोरिंग एवं टंकी निर्माण, ग्राम पंचायत-सिरमोली, पंचायत समिति- किशनगढ़ बास, जिला- अलवर ।  
यह देखा गया कि बोर का उपयोग निजी बिजली कनेक्शन लगाकर व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा था ।



ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रत्युत्तर दिया (मार्च 2020) कि योजना के तहत निर्मित कार्यों का उपयोग व्यक्तिगत रूप में नहीं किया जा रहा है । इन परिसंपत्तियों के निर्माण से ग्रामीणों को लाभ हुआ है । प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2021) के समय इन परिसंपत्तियों का उपयोग व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा था ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि 13 कार्यों में से, सिंगल फेज बोरिंग के सात कार्यों (क्रमांक 1-7) में, अब सार्वजनिक योगदान से बिजली कनेक्शन स्थापित कर दिए गए हैं । दो कार्यों (क्रमांक 8-9) में दान की गई भूमि पर बोरिंग एवं टंकी निर्मित की गई थी और जनता द्वारा उपयोग में ली जा रही थी । आगे, दो कार्यों (क्रमांक 10,13) में सार्वजनिक सड़क पर घरों की चारदीवारी के साथ हैंडपंप स्थापित किए गए थे और दो अन्य कार्यों (क्रमांक 11-12) में स्थापित हैंडपंप का आस-पास रहने वाले परिवारों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, इस प्रकार ये संपत्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हैं ।

लेखापरीक्षा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्रवाई विवरण को स्वीकार करती है । हालांकि, समर्थित साक्ष्य के अभाव में इन प्रत्युत्तरों की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

**2.1.4 वित्तीय प्रबंधन**

**2.1.4.1 निधियों का उपयोग**

योजना के अंतर्गत 2015-20 के दौरान, जारी की गई निधियों एवं उसके विरुद्ध किए गए व्यय की समेकित स्थिति आगे तालिका 2.4 में दी गई है:

**तालिका 2.4**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	राजस्थान सरकार द्वारा जारी निधियां	कुल उपलब्ध निधियां	किया गया व्यय	अंतिम शेष	कुल उपलब्ध निधि के विरुद्ध किए गए व्यय का प्रतिशत
1	2015-16	89.19	46.20	135.39	26.64	108.75	19.68
2	2016-17	108.75	43.22	151.97	47.77	104.20	31.43
3	2017-18	104.20	40.09	144.29	29.62	114.67	20.53
4	2018-19	114.67	0	114.67	43.17	71.50	37.64
5	2019-20	71.50	3.50	75.00	30.21	44.79	40.28
<b>कुल</b>			<b>133.01</b>		<b>177.41</b>		

नोट: किए गए व्यय में पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों पर किया गया व्यय शामिल है।

स्रोत: जिला सीए रिपोर्ट के अनुसार सूचना

2015-20 के दौरान योजना पर व्यय का प्रतिशत केवल 19.68 एवं 40.28 के बीच था। मार्च 2020 के अंत में, राशि ₹ 44.79 करोड़ (2015-20 के दौरान आवंटित कुल राशि का 33.67 प्रतिशत) अनुपयोगी शेष रही थी। आगे, योजना के लिए 2018-19 के दौरान निधि जारी नहीं की गई थी एवं 2019-20 के दौरान केवल मामूली राशि जारी की गई थी।

इसके अलावा, 2016-18 के दौरान मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड के लिए आवंटित की गई ₹ 2.14 करोड़ की निधियों में से केवल 4.02 प्रतिशत (₹ 3.81 लाख) का उपयोग किया गया था जबकि 2015-16 और 2018-20 की अवधि के दौरान निधि का कोई भी उपयोग नहीं किया गया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अवगत कराया (मार्च और सितंबर 2020) कि मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड के लिए आवंटित निधि का उपयोग बोर्ड में रिक्त पदों के कारण नहीं किया जा सका।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि गत तीन वर्षों में किए गए व्यय की समीक्षा तथा अधिशेष राशि की गणना करने के बाद, 2018-19 के लिए कोई राशि जारी नहीं की गई थी। राज्य स्तर से राशि जारी नहीं करने के बावजूद वर्ष 2018-19 में जिला परिषद, अलवर में ₹18.98 करोड़ और जिला परिषद, भरतपुर में ₹ 20.24 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए थे। कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस प्रकार तथ्य यह रहा कि 2015-20 के दौरान उपलब्ध निधियों में से केवल 19.68 से 40.28 प्रतिशत राशि का ही उपयोग किया गया।

**2.1.4.2 निधियों का विपथन**

‘जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला पंचायतों के लिए लेखांकन प्रक्रिया-2001’ के अध्याय VI (पुनर्विनियोजन) के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित है कि एक योजना की निधियों का दूसरी योजना में विपथन करने की अनुमति देय नहीं है।

जिला परिषद, अलवर एवं भरतपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2015-20 के दौरान मेवात क्षेत्र विकास निधियों में से ₹ 3.02 करोड़<sup>13</sup> की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की प्रशासन योजना हेतु विपथित कर दी गई थी, जो कि योजना के तहत अनुमत्य नहीं था और लेखांकन प्रक्रिया के प्रावधान के विपरीत था। 31 मार्च 2020 तक कुल ₹ 4.09 करोड़ की बकाया राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की प्रशासन मद में निधियों की अनुपलब्धता के कारण वेतन भत्तों के भुगतान के लिए योजना से अग्रिम लिया गया था एवं उसे अब योजना मद में हस्तांतरित कर दिया गया है। इस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था। दिए गए अग्रिम से योजना की प्रगति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

प्रत्युत्तर को सत्यापित करने के लिए विपथित निधियों की वसूली/हस्तांतरण के दिनांक वार विवरण तथा भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ किए गए पत्राचार के दस्तावेज़ लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

### 2.1.4.3 कार्यकारी संस्थाओं को दिए गए अग्रिम का समायोजन

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 का अनुच्छेद 22.12 प्रावधान करता है कि यदि कोई कार्यकारी संस्था/विभाग अनुच्छेद 22.10 में निर्दिष्ट समय (तीन से नौ महीने तक) पर कार्य पूरा करने में विफल रहता है तो देरी के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती है और तदनुसार जिम्मेदार अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

जिला परिषद, अलवर एवं भरतपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2020 को कार्यकारी संस्थाओं<sup>14</sup> के पास ₹ 47.47 करोड़ (अलवर ₹ 36.79 करोड़ एवं भरतपुर ₹ 10.68 करोड़) के अग्रिम बकाया थे। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के विरुद्ध जिला परिषद, अलवर में ₹ 0.42 करोड़ और जिला परिषद, भरतपुर में ₹ 1.38 करोड़ क्रमशः 2013-14 और 2010-12 से 31 मार्च 2020 तक बकाया थे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अवगत कराया (मार्च 2020) कि कार्यों को पूरा करने एवं अग्रिमों को समायोजित करने के लिए एक विशेष अभियान चल रहा है। जिला परिषद, अलवर ने प्रत्युत्तर दिया (सितम्बर 2020) कि बकाया राशि ₹ 36.79 करोड़ में से ₹ 11.00 करोड़ कार्यकारी संस्थाओं से समायोजित (अगस्त 2020 तक) कर लिए गए हैं एवं शेष

13 जिला परिषद, अलवर: ₹ 0.89 करोड़ (2015-16: ₹ 0.84 करोड़, 2019-20: ₹ 0.05 करोड़)। जिला परिषद, भरतपुर: ₹ 2.13 करोड़ (2015-16: ₹ 1.02 करोड़, 2016-17: ₹ 0.28 करोड़, 2017-18: ₹ 0.36 करोड़, 2019-20: ₹ 0.47 करोड़)।

14 अलवर (पंचायत समितियाँ: ₹ 0.34 करोड़, ग्राम पंचायतें: ₹ 18.78 करोड़ और अन्य संस्थाएं: ₹ 17.67 करोड़), भरतपुर (पंचायत समितियाँ: ₹ 0.47 करोड़, ग्राम पंचायतें: ₹ 5.55 करोड़ और अन्य संस्थाएं: ₹ 4.66 करोड़)।

₹ 25.00 करोड़ के समायोजन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि मांगे जाने पर भी जिला परिषद, भरतपुर ने कोई जवाब नहीं दिया।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि कार्यकारी संस्थाओं को दिए गए अधिकांश अग्रिमों को समायोजित कर लिया गया है। कुछ कार्यकारी संस्थाओं के पास बकाया अग्रिमों को शीघ्र ही समायोजित कर लिया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने कार्यकारी संस्थाओं/विभागों को बकाया/समायोजित अग्रिमों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। आगे, ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधान के अनुसार, देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के संबंध में प्रत्युत्तर मौन है।

#### **2.1.4.4 उपयोगिता/पूर्णता प्रमाणपत्र लंबित रहना**

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुच्छेद 22.0 के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) अधिकतम 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे और पूर्णता प्रमाण पत्र (सीसी) अधिकतम 30 दिनों के भीतर जारी किए जाने चाहिए।

जिला परिषद, अलवर और भरतपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2015-20 के दौरान, राशि ₹ 20.02 करोड़ के 411 यूसी/सीसी (अलवर: राशि ₹ 16.74 करोड़ के 306<sup>15</sup> यूसी/सीसी एवं भरतपुर: राशि ₹ 3.28 करोड़ के 105<sup>16</sup> यूसी/सीसी) मार्च 2020 को बकाया थे।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि 253 शेष कार्य (अलवर : 148 कार्य एवं भरतपुर : 105 कार्य) को पूर्ण करने के निर्देश जारी कर दिये गए हैं। यह भी अवगत कराया कि यूसी/सीसी के समायोजन के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

#### **2.1.5 निगरानी, मूल्यांकन एवं सामाजिक अंकेक्षण**

##### **2.1.5.1 योजना के प्रभाव का अध्ययन एवं मूल्यांकन**

योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 6.9 में किए गए प्रावधान के अनुसार मेवात क्षेत्र विकास योजना के तहत विकसित संपत्ति एवं उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के आधार पर मेवात क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण समुदाय में हुए सामाजिक-आर्थिक बदलाव का मूल्यांकन करने के लिए विभाग द्वारा मेवात क्षेत्र विकास योजना के प्रभाव का अध्ययन किया जाना था।

15 306 यूसी: (2015-16: 5 यूसी- ₹ 0.39 करोड़, 2016-17: 45 यूसी- ₹ 2.65 करोड़, 2017-18: 61 यूसी- ₹ 3.45 करोड़, 2018-19: 159 यूसी- ₹ 9.13 करोड़ और 2019-20: 36 यूसी- ₹ 1.12 करोड़)।

16 105 यूसी: (2016-17 : 4 यूसी- ₹ 0.04 करोड़, 2017-18: 31 यूसी- ₹ 0.86 करोड़, 2018-19: 53 यूसी- ₹ 1.98 करोड़ और 2019-20: 17 यूसी- ₹ 0.40 करोड़)।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, चयनित जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2015-20 के दौरान मेवात क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए योजना के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया था।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि स्वीकृत राशि को पूरे मेवात क्षेत्र में परिवहन, उच्च शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, ऊर्जा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं पर व्यय किया गया है। इसके अलावा, सामुदायिक महत्व के कार्यों को भी समय-समय पर स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त वर्णित व्यय के कारण, पूरे मेवात क्षेत्र की तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। मेवात क्षेत्र विकास योजना के आरम्भ से पूर्व सम्पूर्ण मेवात क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ था, लेकिन मेवात क्षेत्र विकास योजना के तहत विभिन्न बुनियादी ढांचे के अनुमोदित कार्यों के परिणामस्वरूप अब इसे मुख्यधारा से जोड़ दिया गया है।

योजना के प्रभाव के अध्ययन के अभाव में विभाग द्वारा बताई गई उपलब्धियों को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका। योजना के कार्यान्वयन में मुख्यतः सीसी रोड के निर्माण/अन्य लघु निर्माण गतिविधियों पर ही ध्यान दिया गया है और लघु उद्योगों की स्थापना, आजीविका गतिविधियों, कला, संस्कृति और पर्यटन विकास से संबंधित कार्यों जैसा कि योजना के उद्देश्यों में परिकल्पित थे, को शामिल नहीं किया गया। इससे भी अधिक, रेलवे अंडर ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज, सामुदायिक गोदामों, सामुदायिक लघु इकाइयों आदि जैसे बुनियादी ढांचे के लिए कोई व्यय नहीं किया गया था (जैसा कि अनुच्छेद 2.1.3.1 में चर्चा की गई है)।

लेखापरीक्षा का मत है कि यदि विभाग द्वारा मेवात क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के प्रभाव का अध्ययन किया गया होता, तो इससे योजना की बेहतर आयोजना एवं क्रियान्वयन में सहायता मिलती।

### **2.1.5.2 कार्यों का तृतीय पक्ष निरीक्षण**

मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 6.7 में यह प्रावधान किया गया है कि मेवात क्षेत्र विकास योजना में निष्पादित कार्यों का तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए था।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, चयनित जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि कार्यों का तृतीय पक्ष निरीक्षण नहीं किया गया था।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2021) कि मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 6.7 में वर्णित तृतीय पक्ष निरीक्षण का प्रावधान प्रशासनिक मद में अनुमत है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के निर्देश पर तृतीय पक्ष निरीक्षण करवाया जाएगा।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मेवात क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में प्रशासनिक व्यय के तहत तृतीय पक्ष निरीक्षण का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है।

### 2.1.5.3 कार्यों का निरीक्षण

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुच्छेद 16.2 और 16.3 में किए गए प्रावधान के अनुसार काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और सहायक अभियंता तथा जिला परिषद के सहायक परियोजना अधिकारी, सहायक अभियंता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, अधिशासी अभियंता और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्य की हर स्टेज का निरीक्षण किया जाना चाहिए। आगे, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में निर्धारित प्रोफार्मा में कार्यों के निरीक्षण का रजिस्टर संधारित करना आवश्यक था। संबंधित प्राधिकारियों के लिए निरीक्षण के मानदंड नीचे तालिका 2.5 में दिए गए हैं:

तालिका 2.5

क्र.सं.	कार्य की कुल लागत	पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ तकनीकी सहायक	जिला परिषद के सहायक परियोजना अधिकारी, सहायक अभियंता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक और पंचायत समिति के सहायक अभियंता	जिला परिषद के अधिशासी अभियंता	(प्रतिशत में)	
					विकास अधिकारी	जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
1	₹ 2 लाख तक	100	25	-	25*	5*
2	₹ 2 लाख से ₹ 10 लाख तक	100	100	25		
3	₹ 10 लाख और अधिक	100	100	100		

\* कुल कार्यों में से यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्र में चल रही प्रत्येक योजना के कार्य को कवर किया जा सके।

जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान 2015-20 की अवधि हेतु आवधिक निरीक्षणों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रत्युत्तर दिया (मार्च 2020) कि समय-समय पर निरीक्षण किए जाते हैं और कार्यकारी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। यह उल्लेख किया गया कि अलवर में निरीक्षण रजिस्टर संधारित किया जा रहा है, लेकिन भरतपुर में यह संधारित नहीं किया जा रहा है। आगे, यह अवगत कराया कि निरीक्षण रजिस्ट्रों के संधारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर (मार्च 2020) को राजस्थान सरकार (नवंबर 2021) द्वारा भी पृष्ठांकित किया गया था।

तथापि, जिला परिषद अलवर एवं भरतपुर से प्राप्त प्रत्युत्तरों (सितम्बर 2020) के अनुसार निरीक्षण रजिस्टर अभी तक तैयार नहीं किया गया है। रजिस्टर के अभाव में लेखापरीक्षा में यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि क्या नामित प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए थे।

### 2.1.6 निष्कर्ष

मेवात क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य मेवात क्षेत्र का समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास करना था। मेवात क्षेत्र विकास योजना और अन्य विकासात्मक योजनाओं के तहत निर्मित संपत्तियों के रखरखाव के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए लघु उद्योग और आवश्यक संसाधन विकसित किए जाने थे।

लेखापरीक्षा के परिणामों से प्रकट हुआ कि योजना के कार्यान्वयन की आयोजना प्रभावी नहीं थी क्योंकि आगामी प्लान, ड्रेनेज प्लान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/समेकित परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए थे। वार्षिक प्लान के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन में विलम्ब हुआ था। योजनान्तर्गत उपलब्ध निधियों का मात्र 19.68 से 40.28 प्रतिशत ही उपयोग किया गया। आगे, निधियाँ अन्य योजनाओं हेतु विपथित (डायवर्ट) की गई थी और कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए अग्रिम समायोजित नहीं किए गए थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन से प्रकट हुआ कि योजना के तहत गैर-अनुमत्य कार्य स्वीकृत किए गए थे और बिजली कनेक्शन के बिना कार्यों पर निष्फल व्यय किया गया था। परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिए कुल उपलब्ध निधि में से 15 प्रतिशत तक नियत निधियों की उपलब्धता के बावजूद इस योजना के तहत सृजित परिसम्पत्तियाँ बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाई गईं, जो कि अनुपयोगी रही। योजना का तृतीय पक्ष निरीक्षण/प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन जैसा कि मार्गदर्शिका में परिकल्पित था, भी नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण कमजोर रहा।

इस योजना के क्रियान्वयन में लघु उद्योगों की स्थापना/विकास तथा स्थानीय नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए आवश्यक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया और उपलब्ध निधियों का दो तिहाई से अधिक हिस्सा मुख्यतः सीसी रोड निर्माण/अन्य लघु निर्माण गतिविधियों के लिए ही व्यय किया गया था।

### 2.1.7 अनुशंसाएँ

#### राज्य सरकार को

1. मेवात क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए मेवात क्षेत्र विकास योजना हेतु चार साल के आगामी प्लान को विकसित करने और आगामी प्लान के अनुरूप वार्षिक प्लान तैयार करने की आवश्यकता है;
2. लघु उद्योगों, शिक्षा, कला और संस्कृति आदि के विकास सहित मेवात क्षेत्र विकास योजना के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए;
3. मेवात क्षेत्र विकास योजना/अन्य विकासात्मक योजना के तहत सृजित परिसम्पत्तियों का उचित रख-रखाव करना चाहिए;
4. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए जिसमें योजना का तृतीय पक्ष निरीक्षण, प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

## ग्रामीण विकास विभाग

### 2.2 महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना

#### 2.2.1 परिचय

महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना (एमजीजेवीवाई<sup>17</sup>) जो पहले 'गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना'<sup>18</sup> के नाम से जानी जाती थी, राजस्थान के समस्त 33 जिलों में सितंबर 2014 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन एवं सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण तथा रखरखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजनान्तर्गत वृक्षारोपण, टीनशेडों एवं चबूतरे के साथ में *श्मशान/कब्रिस्तान* की चारदीवारी निर्माण के लिए 90 प्रतिशत निधियां एवं अन्य सामुदायिक संपत्तियों के लिए 70 प्रतिशत निधियां राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जाती हैं एवं शेष राशि का योगदान समुदाय के द्वारा जिसमें व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, सामाजिक संगठन, स्थानीय जनता आदि सम्मिलित हैं, किया जाता है। हालांकि, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों<sup>19</sup> में अन्य संपत्तियों के निर्माण हेतु 80 प्रतिशत निधि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

योजना की विभिन्न गतिविधियों के समग्र पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और समन्वय के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग उत्तरदायी है। जिला स्तर पर, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। सार्वजनिक योगदान की राशि को संबंधित पंचायत समिति या जिला परिषद के पास नकद अथवा बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना होगा। यदि कोई योगदानकर्ता सृजित सामुदायिक संपत्ति पर अपना नाम अंकित कराना चाहता है, तो 51 प्रतिशत अंशदान जमा कराना आवश्यक है। तथापि, इस प्रकार निर्मित संपत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार/पंचायती राज संस्थान में निहित होगा और उनकी ग्राम पंचायत में संधारित संपत्ति के रजिस्टर में प्रविष्टि की जायेगी।

राज्य में एमजीजेवीवाई के क्रियान्वयन की जांच करने की दृष्टि से, 2014 से 2020 की अवधि के लिए, एक अनुपालना लेखापरीक्षा 130 चयनित पंचायती राज संस्थानों (जिला परिषद: 6, पंचायत समिति : 12 और ग्राम पंचायत: 112) में जनवरी 2021 में समाप्त होने वाले तीन चरणों<sup>20</sup> में आयोजित की गई। लेखापरीक्षा नमूना लेने के लिए, राज्य के सात सम्भागों में से दो सम्भागों अर्थात् जयपुर और उदयपुर को यादृच्छिक रूप से चयनित किया गया। तत्पश्चात,

17 6 फरवरी 2020 योजना के वर्तमान नाम (गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना), को परिवर्तित कर 'महात्मा गाँधी जनभागीदारी विकास योजना' कर दिया गया।

18 सितंबर 2014 से पूर्व तक 'ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना' के रूप में जाना जाता था।

19 जहाँ अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या गाँव की कुल जनसंख्या (जनगणना 2011) के 40 प्रतिशत से अधिक है।

20 प्रारंभ में, 2014-17 की अवधि को आवृत्त करने वाली अनुपालन लेखापरीक्षा मई-सितंबर 2017 के दौरान आयोजित की गई थी, उसके बाद मार्च 2018 तक लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अद्यतन (सितंबर-अक्टूबर 2018) किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अक्टूबर 2020-जनवरी 2021 के दौरान अंतिम रूप से मार्च 2020 तक अद्यतन किया गया।



चयनित दोनों सम्भागों में, 50 प्रतिशत जिलों अर्थात कुल छः जिलों (जयपुर संभाग: अलवर, जयपुर और झुंझुनू तथा उदयपुर संभाग: बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर) को यादृच्छिक रूप से चयनित किया गया। इसके अतिरिक्त, 12 पंचायत समितियों (प्रत्येक चयनित जिले में दो पंचायत समितियां) तथा इन 12 पंचायत समितियों<sup>21</sup> में 112 ग्राम पंचायतों का चयन, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम कार्यों के निष्पादन के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा नमूना आइडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग कर के लिया गया था। विवरण परिशिष्ट X में दिया गया है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

छः चयनित जिलों में एमजीजेवीवाई की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई योजना के वित्तीय प्रबंधन, कार्यों के निष्पादन, अनुश्रवण से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

### 2.2.2 वित्तीय प्रबंधन

#### 2.2.2.1 निधियों का उपयोग

(i) वर्ष 2014-20 के दौरान योजना पर निधियों का वर्ष-वार आवंटन एवं उसके विरुद्ध व्यय नीचे तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्मुक्त निधियां		कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अंतिम शेष	कुल उपलब्ध निधियों के विरुद्ध व्यय की प्रतिशतता
			राजस्थान सरकार	विविध प्राप्ति* <sup>*</sup>				
1	2014-15	123.00**	50	4.99	177.99	66.88	111.11	37.58
2	2015-16	111.11	100	15.96	227.07	54.82	172.25	24.14
3	2016-17	172.25	100	11.50	283.75	100.27	183.16	35.34
4	2017-18	183.16	125	15.46	323.62	88.03	235.59	27.20
5	2018-19	235.87	0	13.55	249.42	104.46	144.96	41.88
6	2019-20	144.96	1.91	2.30	149.17	64.99	84.18	43.57
योग			376.91	63.76		479.45		

\* सार्वजनिक योगदान और ब्याज राशि सम्मिलित है।

\*\* राजस्थान सरकार के आदेश (सितम्बर 2014) के अनुसार पूर्ववर्ती योजना ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना की अप्रयुक्त निधियों का उपयोग किया जाना था।

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि:

21 जयपुर सम्भाग (अलवर जिला: तिजारा, कठूमर; जयपुर जिला: गोविंदगढ़, सांभरलेक और झुंझुनू जिला: झुंझुनू, उदयपुरवाटी), उदयपुर सम्भाग (बांसवाड़ा जिला: घड़ी, घाटोल; चित्तौड़गढ़ जिला: चित्तौड़गढ़, निंवाहेड़ा और उदयपुर जिला: झाडोल, सलूमबर)।

- योजनान्तर्गत उपलब्ध कुल निधियों<sup>22</sup> ₹ 563.67 करोड़ में से ₹ 479.45 करोड़ (85.06 प्रतिशत) की राशि का उपयोग किया गया था। तथापि 2014-20 के दौरान, उपलब्ध निधियों का वार्षिक उपयोग केवल 24.14 प्रतिशत से 43.57 प्रतिशत के मध्य था।
- 2018-20 के दौरान, योजना के लिए पूर्व वर्षों की तुलना में केवल नाममात्र की राशि ₹ 1.91 करोड़ (2018-19 : शून्य और 2019-20 : ₹ 1.91 करोड़) जारी की गयी और योजना का नाम परिवर्तित (फरवरी 2020) कर दिया गया। लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि मार्च 2018 को अव्ययित शेष रही ₹ 235.87 करोड़ की वृहद राशि, अगले दो वर्षों अर्थात् 2018-20 में निधियों के नाममात्र आवंटन का कारण हो सकती है।
- मार्च 2020 के अंत तक संबंधित जिला परिषदों और कार्यकारी एजेंसियों के पास ₹ 84.18 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही।
- आगे, ग्रामीण विकास विभाग में जिला परिषद के समेकित वार्षिक खातों में 2017-18 के अंतिम शेष (₹ 235.59 करोड़) एवं 2018-19 के प्रारंभिक शेष (₹ 235.87 करोड़) के मध्य ₹ 0.28 करोड़ का अंतर पाया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2016-17 के लिए अंतिम शेष राशि ₹ 183.48 करोड़ (₹ 283.75 करोड़ - ₹ 100.27 करोड़) के बजाय ₹ 183.16 करोड़ के रूप में दर्शायी गई थी जो कि ₹ 0.32 करोड़ कम है।

ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (अगस्त 2020) कि ₹ 0.28 करोड़ का अंतर जिला परिषद भीलवाड़ा, बूंदी, धौलपुर और जैसलमेर के सनदी लेखाकारों (सीए) प्रतिवेदनों में कुछ संशोधनों के कारण था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने सीए प्रतिवेदनों के संशोधन के बारे में तथ्यों को जानने के उपरांत तीन वर्ष व्यतीत होने पर भी उनके लेखों को सही नहीं किया।

(ii) इसी प्रकार, नमूना जांच की गई छः जिला परिषद में उपलब्ध निधियों<sup>23</sup> के केवल 78.46 प्रतिशत (कुल ₹ 142.00 करोड़ में से ₹ 111.41 करोड़) का उपयोग किया गया था। 2014-20 के दौरान, उपलब्ध निधियों का वार्षिक उपयोग 23.20 प्रतिशत से 36.94 प्रतिशत के मध्य था। विवरण नीचे तालिका 2.7 में दिया गया है।

**तालिका 2.7**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्मुक्त निधियां		कुल उपलब्ध निधियां	कुल व्यय	अंतिम शेष	कुल उपलब्ध निधियों के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत
			राजस्थान सरकार	विविध प्राप्तियां				
1	2014-15	26.49	13.88	1.54	41.91	13.29	28.62	31.71
2	2015-16	28.62	25.11	5.27	59.00	13.69	45.31	23.20
3	2016-17	45.31	30.01	4.10	79.42	24.77	54.65	31.19
4	2017-18	54.65	28.89	3.47	87.01	22.61	64.40	25.99
5	2018-19	64.40	0.00	2.14	66.54	24.58	41.96	36.94
6	2019-20	41.96	0.30	0.80	43.06	12.47	30.59	28.96
<b>योग</b>			<b>98.19</b>	<b>17.32</b>		<b>111.41</b>		

स्रोत: जिला परिषद की चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा अकेक्षित प्रतिवेदन।

22 पूर्ववर्ती योजना का प्रारंभिक शेष: ₹ 123.00 करोड़, कुल निर्मुक्त: ₹ 376.91 करोड़ और विविध प्राप्तियां: ₹ 63.76 करोड़।

23 पिछली योजना का प्रारंभिक शेष: ₹ 26.49 करोड़, कुल निर्मुक्त: राशि ₹ 98.19 करोड़ और विविध प्राप्तियां: ₹ 17.32 करोड़।

जिला परिषद एवं कार्यकारी कार्यान्वयन एजेंसियों के पास मार्च 2020 के अंत में ₹ 30.59 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही थी।

ग्रामीण विकास विभाग ने तथ्यों को स्वीकारते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्रों (यूसी) और पूर्णता प्रमाण पत्रों (सीसी) के अभाव में कार्यान्वयन एजेंसियों को दिये गए अग्रिमों का समायोजन न होने को निधियों के कम उपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया (अगस्त 2020)। विभाग ने यह भी बताया कि यूसी/सीसी प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

राजस्थान सरकार ने बताया (सितम्बर 2021) कि जिला परिषद चित्तौड़गढ़ को 2014-20 के दौरान आवंटित की गई निधियों का उपयोग कर लिया गया है, सिवाय ₹ 3.00 लाख के, जिसका उपयोग अपूर्ण कार्यों पर कर लिया जाएगा। जिला परिषद अलवर में अगस्त 2020 के बाद योजनान्तर्गत प्राप्त राशि (₹ 161.04 लाख) का भी उपयोग कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-15 से 2019-20 की अवधि के लिए अप्रयुक्त रही निधियों के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का उत्तर मूक था। आगे, सम्बंधित जिला परिषदों से मांगे जाने (सितम्बर 2021) के बावजूद चार जिला परिषदों (जयपुर, झुंझुनु, उदयपुर और बांसवाड़ा) के संबंध में सूचना प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

### 2.2.3 योजना का क्रियान्वयन

योजना की मार्गदर्शिका (सितम्बर 2014) के अनुसार श्मशानों/कब्रिस्तानों के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना था। इस श्रेणी के अन्तर्गत जिले में किसी प्रस्ताव के न होने पर, सामुदायिक सम्पत्तियों/सुविधाओं के निर्माण तथा गाँवों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में तीव्र गति से वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, स्थानीय समुदाय के लिए उपयोगी एवं लाभप्रद कोई अन्य कार्य इस योजना में किए जा सकते थे। विशेष परिस्थितियों में, अन्य योजना के अधूरे या छोड़े हुए कार्यों को भी इस योजना में कार्यान्वित किया जा सकता था। तकनीकी प्राक्कलनों, विस्तृत प्राक्कलनों, निष्पादन और कार्यों को पूर्ण करने के संबंध में ग्रामीण कार्य निर्देशिका (जीकेएन) में निहित विभिन्न प्रावधान और मानदंड एमजीजेवीवाई के अंतर्गत किए गए कार्यों पर भी लागू होते थे। वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्थानों से संबंधित कार्य, व्यक्तिगत लाभ के लिए संपत्ति, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पूजा स्थल और जाति या धर्म वार सामुदायिक केंद्र का निर्माण, इस योजना के अंतर्गत अनुमत्य नहीं थे।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा तथा चयनित पंचायती राज संस्थानों में निर्माण कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से निम्नलिखित प्रकट हुआ।

#### 2.2.3.1 अपूर्ण कार्य

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 के अनुच्छेद 6.3.5 और 6.3.6 के प्रावधानानुसार तकनीकी अधिकारी को, विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने और कार्य की स्वीकृति से पूर्व कार्य स्थलों का निरीक्षण करके और कार्य की उपयोगिता एवं निर्माण की संभावना सुनिश्चित करनी चाहिए।

आगे, उक्त निर्देशिका का अनुच्छेद 22.10.1 कार्य स्वीकृति की दिनांक से नौ महीने (अधिकतम) में कार्य की पूर्णता की अवधि को भी निर्धारित करता है।

नमूना जांच की गई छः जिला परिषदों में, 2014-20 के दौरान राशि ₹ 145.60 करोड़ के कुल 1,719 कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से ₹ 116.87 करोड़ के 1,389 कार्य (80.80 प्रतिशत) पूर्ण कर लिए गए थे। ₹ 28.73 करोड़ राशि के 330 कार्य<sup>24</sup> (19.20 प्रतिशत) ₹ 19.26 करोड़ के व्यय के उपरांत भी अगस्त 2020 तक अपूर्ण थे। विवरण नीचे तालिका 2.8 में दिया गया है।

**तालिका 2.8**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृत कार्य	राशि	पूर्ण कार्य	राशि	अपूर्ण कार्य	राशि
1	2014-15	265	17.95	239	16.27	26	1.68
2	2015-16	398	35.63	346	30.77	52	4.86
3	2016-17	319	28.86	294	26.72	25	2.14
4	2017-18	389	33.95	313	26.59	76	7.36
5	2018-19	302	25.73	189	15.73	113	10.00
6	2019-20	46	3.48	8	0.79	38	2.69
<b>योग</b>		<b>1,719</b>	<b>145.6</b>	<b>1,389</b>	<b>116.87</b>	<b>330</b>	<b>28.73</b>

राजस्थान सरकार ने बताया (सितम्बर 2021) कि जिला परिषद, अलवर (03), जिला परिषद जयपुर (41) एवं जिला परिषद चित्तौड़गढ़ (10) में अपूर्ण कार्यों को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। जिला परिषद उदयपुर में निधियों की कमी के कारण कार्य अपूर्ण रहे तथा उन्हें जून 2021 में प्राप्त हुई निधियों का उपयोग कर पूर्ण कर लिया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने तथापि, जिला परिषद बांसवाड़ा के संबंध में प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया, जबकि मांगे जाने (सितंबर 2021) के उपरांत भी जिला परिषद झुंझुनू के संबंध में सूचना प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

### 2.2.3.2 निर्माण कार्यों का विभाजन

योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 6.5 यह उपबंधित करता है कि निर्माण कार्य अधिकतम ₹ 15 लाख की सीमा तक स्वीकृत किए जा सकते हैं, ताकि उपलब्ध निधियों से जिले में अधिक कार्य निष्पादित किए जा सकें। अपरिहार्य परिस्थितियों में ₹ 15 लाख से अधिक की लागत वाले कार्यों की स्वीकृति प्राप्ति हेतु, प्रस्ताव उपलब्ध निधियों का विवरण इंगित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भेजा जाना चाहिए।

दो जिला परिषदों (बाड़मेर एवं चुरू) के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि श्मशान घाटों की चारदीवारी (₹ 25 लाख), सीसी सड़कों (₹ 19.33 लाख) और दो विद्यालयों में बरामदे के साथ 12 कक्षा कक्षों (₹ 60 लाख) से संबंधित चार निर्माण कार्यों को, ₹ 104.33 लाख के 11

24 330 कार्य: 2014-15 (26 कार्य) : ₹ 1.49 करोड़, 2015-16 (52 कार्य) : ₹ 4.30 करोड़, 2016-17 (25 कार्य) : ₹ 1.75 करोड़, 2017-18 (76 कार्य): 4.86 करोड़, 2018-19 (113 कार्य) : ₹ 6.06 करोड़ और 2019-20 (38 कार्य) : ₹ 0.79 करोड़।

निर्माण कार्यों में विभाजित कर स्वीकृत (2017-18) किया गया था। निर्माण कार्यों को ₹ 100.62 लाख के व्यय उपरान्त पूर्ण (2017-19) किया गया। निर्माण कार्यों का विवरण परिशिष्ट XI में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सक्षम अधिकारियों अर्थात् ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्वीकृति से बचने के लिए निर्माण कार्यों को विभाजित किया गया था।

राजस्थान सरकार ने लेखापरीक्षा को इस बिन्दु का उत्तर नहीं दिया। इस संबंध में, राजस्थान सरकार द्वारा संबंधित जिला परिषद से अनुपालना मांगी (सितंबर 2021) गई थी, जो अभी भी (दिसंबर 2021) प्रतीक्षित थी।

### 2.2.3.3 ट्रस्ट/एनजीओ के लिए स्वीकृत किए गए कार्यों पर अनियमित व्यय

योजना मार्गदर्शिका (मार्च 2015) के अनुच्छेद 4.1.1 (xii) के अनुसार गौसेवा कार्यों के लिए, किसी ट्रस्ट/गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को किसी एक या अधिक कार्यों के लिए किसी भी स्थिति में, ₹ 10 लाख की सीमा से अधिक राशि के कार्य स्वीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जिला परिषद बीकानेर ने योजना मार्गदर्शिका के प्रावधानों के विपरित नंदी गौशाला, गजनर, पंचायत समिति कोलायत में ₹ 30 लाख के निर्माण के तीन<sup>25</sup> कार्यों (प्रत्येक कार्य हेतु ₹ 10 लाख) को अनियमित रूप से स्वीकृत (फरवरी 2018) किया गया। इस प्रकार, इस गौशाला को ₹ 20 लाख का अदेय लाभ प्रदान किया गया।

जिला परिषद, बीकानेर ने बताया (नवम्बर 2020) कि योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु क्रमांक 6 पर इस प्रकार के कार्यों की स्वीकृति के प्रावधान दिये गए हैं और अनुच्छेद 6.5 के संदर्भ में ₹ 15 लाख की अनुमत्य वित्तीय सीमा के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति जारी की गई थी।

जिला परिषद, बीकानेर का प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि गौसेवा से संबंधित कार्यों के प्रावधान अनुच्छेद 4.1.1 (xii) में निहित हैं जो गौसेवा के लिए स्पष्ट रूप से ₹ 10 लाख की अधिकतम सीमा का प्रावधान करते हैं। जबकि मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 6.5 में निहित प्रावधान गौसेवा के अतिरिक्त अन्य कार्यों से संबंधित हैं।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2021) कि जिला परिषद, बीकानेर को इस संबंध में अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है, जो कि प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

### 2.2.3.4 जन सहयोग की राशि जमा होने के उपरांत भी कार्यों के निष्पादन का अभाव

योजना की मार्गदर्शिका 2014 के अनुच्छेद 3.3 में परिकल्पित था कि सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में निधियां उपलब्ध कराई जावेंगी और समतुल्य शेष राशि का योगदान जन समुदाय द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक अंशदान को

25 (1) आवारा पशुओं के लिए चारदीवारी का निर्माण भाग I, (2) आवारा पशुओं के लिए चारदीवारी का निर्माण भाग II, चौकीदार कक्ष (3) एवं आवारा पशुओं के लिए पशुओं की खेती व पानी की टंकी का निर्माण।

संबंधित पंचायत समिति या जिला परिषद के पास नकद या बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया जाएगा।

तीन जिला परिषदों (चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और उदयपुर) में स्थानीय जन समुदाय ने चारदीवारी, टिन शेड और शमशानों के विकास, सीसी रोड, सामुदायिक भवन, कक्षा कक्ष एवं विद्यालयों में खुला बरामदा आदि के 247 निर्माण कार्यों (लागत ₹ 20.25 करोड़) हेतु ₹ 291.86 लाख<sup>26</sup> अंशदान जमा करवाया (जुलाई 2014 से नवंबर 2019)। तथापि, 4 से 68 माह व्यतीत होने के उपरांत भी आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी नहीं की गई थी (मार्च 2020 तक)।

जिला परिषद उदयपुर ने तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया (दिसंबर 2020) कि जन सहयोग की राशि संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद के पास जमा है। अन्य जिला परिषद ने कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

राजस्थान सरकार ने बताया (सितम्बर 2021) कि जिला परिषद चित्तौड़गढ़ में, 2019-20 के दौरान राज्यांश आवंटित न होने के कारण कार्य स्वीकृत नहीं किए जा सके और अब संबंधित ग्राम पंचायत को उनकी मांग पर जन सहयोग की राशि को वापस किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने आगे बताया कि निधियों की कमी के कारण जिला परिषद उदयपुर में कार्य अपूर्ण रहे और अब जून 2021 में प्राप्त निधियों का उपयोग कर, कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा।

यह बताया गया कि जिला परिषद झुंझुनू से अनुपालना अभी भी प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021), यद्यपि यह राजस्थान सरकार द्वारा मांगी गयी थी (सितंबर 2021)।

### **2.2.3.5 अपेक्षित अंशदान जमा किए बिना निर्माण कार्यों की स्वीकृति**

योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार, सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के लिए कार्य की लागत की 30 प्रतिशत जन सहयोग राशि जिला परिषद/पंचायत समिति के पास जमा कराना अपेक्षित था। तथापि, 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की कुल आबादी के 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए, केवल 20 प्रतिशत जन सहयोग राशि जमा कराना अपेक्षित था।

जिला परिषद, उदयपुर में चार पंचायत समितियों (झल्लारा, लसाड़िया, झाडोल एवं सलूमबर) के 10 ग्रामों में सामुदायिक भवन/स्नानघाट की चारदीवारी एवं सीसी रोड़ आदि के निर्माण से संबंधित ₹ 95.62 लाख के 13 कार्य स्वीकृत (मार्च 2015 से मार्च 2019) किए गए और उन पर ₹ 76.04 लाख का व्यय किया गया। विवरण **परिशिष्ट XII** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन 10 ग्रामों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अपेक्षित 40 प्रतिशत से कम थी, इसलिए, जन सहयोग की राशि 30 प्रतिशत की दर से

---

26 जिला परिषद चित्तौड़गढ़ (80 कार्य): ₹ 134.92 लाख, उदयपुर (59 कार्य): ₹ 63.20 लाख और झुंझुनू (108 कार्य): ₹ 93.74 लाख; कुल: ₹ 291.86 लाख।

₹ 28.69 लाख जमा किया जाना अपेक्षित था। तथापि, केवल 20 प्रतिशत की दर से ₹ 19.12 लाख का राशि का अंशदान जमा किया गया था। इस प्रकार ₹ 9.57 लाख अंशदान कम जमा किया गया।

राजस्थान सरकार ने बताया (सितम्बर 2021) कि इन गाँवों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत थी इसलिए योजनान्तर्गत केवल 20 प्रतिशत जन सहयोग राशि अपेक्षित था, जो प्राप्त हुआ। आगे, ग्राम पंचायत, भाबराना (क्र.सं. 2) में सामुदायिक भवन के मामले में नियमानुसार 10 प्रतिशत सार्वजनिक अंशदान जमा कराना अपेक्षित था, जो भी प्राप्त हो गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सभी गाँवों में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक नहीं थी, इसलिए, ग्राम पंचायत, भाबराना (क्र.सं. 2) सहित इन गाँवों में सामुदायिक कार्यों के लिए 30 प्रतिशत सार्वजनिक अंशदान जमा करवाना अपेक्षित था।

#### **2.2.3.6 गैर-अनुमत्य कार्य**

ग्राम पंचायत भीमसर, पंचायत समिति झुंझुनू में ₹ 29.98 लाख के श्मशान घाट की चारदीवारी के निर्माण कार्य को जिला परिषद, झुंझुनू द्वारा ₹ 14.99 लाख (जुलाई 2016) और ₹ 14.99 लाख (जून 2017) के दो चरणों में स्वीकृत किया गया और कार्यों को क्रमशः नवंबर 2016 और मार्च 2018 में ₹ 29.97 लाख के व्यय उपरान्त पूर्ण किया गया। दोनों कार्यों के पूर्णता प्रमाणपत्र जारी हो चुके हैं।

जमाबंदी<sup>27</sup> के अनुसार, राजस्व विभाग द्वारा ग्राम पंचायत, भीमसर में श्मशान के लिए 5,100 वर्ग मीटर (व.मी.) भूमि चिन्हित की गई थी। इसलिए 5,100 व.मी. भूमि में चारदीवारी का निर्माण किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा और संयुक्त भौतिक सत्यापन से प्रकट हुआ कि श्मशान के लिए आवंटित/चिन्हित 5,100 व.मी. भूमि के विरुद्ध 1,13,329 व.मी. भूमि को आवरित करते हुए। प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमशः 1,622 फीट और 1,680 फीट लंबाई की चारदीवारी निर्मित कर दी गई, इस प्रकार, आवंटित भूमि से 1,08,220 व.मी. अधिक, चारागाह<sup>28</sup> भूमि पर चारदीवारी निर्मित कर दी गई।

राजस्थान सरकार ने बताया (सितम्बर 2021) कि जिला परिषद, झुंझुनू से अनुपालना मांगी गई (सितम्बर 2021) थी, जो अभी भी प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

#### **2.2.3.7 पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब**

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 का अनुच्छेद 20.1 उपबंधित करता है कि पूर्णता प्रमाणपत्र कार्य पूर्ण होने के अधिकतम 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा

27 जमाबन्दी का अर्थ है भू-अधिकारों का अभिलेख, जिसमें भूस्वामी का नाम, जोत का क्षेत्र, स्वामियों का हिस्सा और अन्य अधिकार शामिल हैं।

28 चारागाह, पशुओं के चरने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि (चारागाह भूमि) है।

के भीतर पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है, तो विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए और उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध दंडारोपण एवं शास्ति वसूली सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए।

चार जिला परिषदों (चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, जयपुर एवं उदयपुर) के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि श्मशान घाट, खुला बरामदा, सामुदायिक भवन, सीसी रोड एवं काठघर इत्यादि के निर्माण से सम्बंधित ₹ 642.37 लाख के 91 कार्य<sup>29</sup> 2012-19 के दौरान स्वीकृत किए गए और 2012-20 के दौरान ₹ 622.38 लाख के व्यय के उपरान्त पूर्ण किए गए। उक्त 91 कार्यों के लिए कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र दो माह से 72 माह व्यतीत होने के उपरांत जारी किए गए।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2021) कि निधियों की कमी के कारण, जिला परिषद, जयपुर एवं उदयपुर में कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं किए जा सके, जबकि जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ में कार्य पूर्णता में विलम्ब कार्यकारी एजेंसियों के स्तर पर किया गया।

प्रत्युत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के अनुरूप नहीं है क्योंकि यह कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने में विलम्ब के सम्बन्ध में मौन था। राजस्थान सरकार ने भी अवगत कराया (सितम्बर 2021) कि जिला परिषद, झुंझुनू और बांसवाड़ा को इस संबंध में अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है, अनुपालना अभी तक प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

#### 2.2.4 निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन

नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों के कुल 382 कार्यों में से, 261 कार्यों<sup>30</sup> का भौतिक सत्यापन (मई-सितंबर 2017, सितंबर-अक्टूबर 2018 एवं अक्टूबर 2020-जनवरी 2021) कनिष्ठ अभियंता (जेईएन)/कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत के सचिव और अन्य विभागीय प्राधिकारियों के साथ किया गया।

भौतिक सत्यापन के दौरान ध्यान में आए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

##### 2.2.4.1 अनिष्पादित मदों के लिए भुगतान

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010<sup>31</sup> में प्रावधित था कि सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण दो परतों अर्थात् 15 से.मी. मोटाई की 1:3:6 (सीमेंट 1: रेत 3: 40 मि.मी. गिट्टी 6) के अनुपात में सीमेंट कंक्रीट की प्रथम परत और 10 से.मी. मोटाई 1:1.5:3 (सीमेंट 1: रेत 1.5: 20 मि.मी. गिट्टी 3) के अनुपात में की सीमेंट कंक्रीट की द्वितीय परत में एवं जल-भराव रोकने और सड़कों की मजबूती के लिए सड़कों के किनारे नालियों के साथ निर्माण किया जाना था।

29 जिला परिषद- उदयपुर: 43 प्रकरण, चित्तौड़गढ़: 17 प्रकरण, जयपुर: 16 प्रकरण, झुंझुनू: 15 प्रकरण।

30 261 कार्य: (जिला परिषद- अलवर: 26 कार्य, बांसवाड़ा: 60 कार्य, चित्तौड़गढ़: 45 कार्य, जयपुर: 32 कार्य, झुंझुनू: 46 कार्य एवं उदयपुर: 52 कार्य)।

31 अनुच्छेद 17 (ए) और नक्शा सं 17 (परिशिष्ट-3)।



जिला परिषद, बांसवाड़ा में, सीसी सड़कों के निर्माण के आठ कार्य (मई 2014-सितंबर 2016) स्वीकृत किए गए और ₹ 78.40 लाख के व्यय उपरान्त पूर्ण (जून 2014-दिसंबर 2016) किए गए।

निर्माण कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-सितंबर 2017) से प्रकट हुआ कि सड़कों का निर्माण वस्तुतः स्वीकृतियों की तुलना में कम मोटाई में किया गया था। तथापि, एमबी में, इन सभी सड़कों की मोटाई भौतिक सत्यापन में मिली वास्तविक मोटाई की तुलना में अधिक दर्ज की गई थी। इन निर्माण कार्यों का भुगतान भी संबंधित एमबी में दर्ज माप के अनुसार ही कर दिया गया। इस प्रकार, सड़कों का निर्माण न केवल कमतर गुणवत्ता के साथ किया गया बल्कि ₹ 30.89 लाख का भुगतान उन मात्राओं/मापों के लिए कर दिया गया जो वास्तव में निष्पादित ही नहीं की गई थीं। निर्माण कार्यों का विवरण **परिशिष्ट XIII** में दिया गया है।

इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों (मार्च 2018) के बावजूद जिला परिषद, बांसवाड़ा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई (जनवरी 2021)। जिला परिषद, बांसवाड़ा ने बताया (जनवरी 2021) कि पंचायत समिति गढ़ी से तथ्यात्मक स्थिति मांगी गई है।

सार्वजनिक धन के उक्त दुर्विनियोजन में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की जानी चाहिए।

राजस्थान सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि जिला परिषद, बांसवाड़ा को इस संबंध में अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जो अभी तक प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

#### **2.2.4.2 बिना नालियों और एक्सपेन्सन जॉइंट के सीसी सड़कों का निर्माण**

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 (अनुलग्नक-1 के अनुच्छेद 17 (ए) और 23) में प्रावधित है कि जलभराव को रोकने और सड़क की मजबूती में सुधार के लिए सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए और सीसी सड़कें पर हर 15 मीटर के अंतराल में एक्सपेन्सन जॉइंट भी दिए जाने चाहिए।

चार जिला परिषदों (बांसवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू और उदयपुर) के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ₹ 1.25 करोड़ रुपये के व्यय के उपरान्त सीसी सड़क निर्माण के 16 कार्य पूर्ण किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट XIV** में दिया गया है।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-सितंबर 2017 और अक्टूबर 2020-जनवरी 2021) में प्रकट हुआ कि नालियों के अभाव में जलभराव के कारण ये 16 सीसी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। आगे, यह भी पाया गया कि इन 16 में से 10 सीसी सड़कों का निर्माण बिना एक्सपेन्सन जॉइंट के किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सड़कों में दरारें और सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं।

		
सीथल में दाताराम से अमीलाल, के घर तक सीसी सड़क पर जलभराव	सीथल में बोडाला कुआँ से मीना मोहल्ला, तक सीसी सड़क पर जलभराव	सीथल में बोडाला कुआँ से मीना मोहल्ला, तक सीसी सड़क पर जलभराव

राजस्थान सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि चार जिला परिषदों, जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर और बांसवाड़ा को इस संबंध में अनुपालना प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है, जो कि अभी तक प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।

आगे, राजस्थान सरकार ने खंड विकास अधिकारी झाड़ोल को तकनीकी अधिकारी द्वारा की गई गणना के आधार पर नालियों की लागत की वसूली करने और प्रकरण में अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करने का निर्देश दिए।





#### 2.2.4.3 कार्यस्थल पर निष्पादित नहीं किए गए कार्य





जिला परिषद, उदयपुर ने सीसी सड़क, सामुदायिक हॉल, धरातल पर इंटरलॉकिंग टाइल्स सहित विद्यालय में कक्षा कक्ष का निर्माण और शेड एवं अन्य सुविधाओं सहित श्मशान के निर्माण से संबंधित दस कार्यों की स्वीकृति (2016-19) दी थी, जिन्हे ₹ 92.50 लाख के व्यय से पूर्ण कर (2017-19) दिया गया। अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा और संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-सितंबर 2017 और अक्टूबर 2020-जनवरी 2021) में प्रकट हुआ कि इन निर्माण कार्यों को कार्यस्थल पर निष्पादित नहीं/आंशिक निष्पादित किया गया था, परन्तु अभिलेखों में पूर्ण दर्शाया गया था।



रोचक है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सीसी सड़कों का गुणवत्ता नियंत्रण प्रतिवेदन भी जारी कर दिया गया है। ऐसे प्रकरणों का विवरण नीचे तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9

क्र.सं.	कार्य का नाम और विवरण	भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
1	नवीन पंचायत भवन से मुख्य सड़क तक नाली सहित सीसी सड़क का निर्माण (2017-18 /25939) ग्राम पंचायत: नेताजी का बाड़ा, पंचायत समिति: झाड़ोल, जिला परिषद: उदयपुर स्वीकृति की दिनांक 08.01.18 पूर्णता की दिनांक:15.03.18 स्वीकृत राशि: ₹ 10 लाख व्यय राशि: ₹ 10 लाख	 कार्यस्थल पर सीसी सड़क का निर्माण नहीं पाया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम और विवरण	भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
2	<p>नलकूप के पास से बाबू लाल वडेरा फार्म तक सीसी सड़क का निर्माण। (2018-19/28776)</p> <p>ग्राम पंचायत: नेताजी का बाड़ा, पंचायत समिति: झाड़ोल, जिला परिषद: उदयपुर</p> <p>स्वीकृति की दिनांक: 12.09.18</p> <p>पूर्णता की दिनांक: 30.09.18</p> <p>स्वीकृत राशि: ₹ 10 लाख</p> <p>व्यय राशि: ₹ 10 लाख</p>	 <p>आँतरी घाटी सड़क से मुख्य मार्ग तक सीसी सड़क को ₹ 10 लाख में स्वीकृत (जनवरी 2018) किया गया था। तथापि, स्वीकृत (सितम्बर 2018) नलकूप के निकट से बाबू लाल वडेरा तक की सीसी सड़क पहले से ही आँतरी घाटी से मुख्य सड़क तक की सीसी सड़क की लंबाई के अंतर्गत ली जा चुकी थी। दोनों सड़कों का प्रारंभिक बिंदु एक ही स्थान है।</p>
3	<p>कोलार में, सोमराज मीणा के घर के पास से पीथा लाल के घर के पास तक सीसी रोड का निर्माण। (2018-19/28742)</p> <p>ग्राम पंचायत: पीलक, पंचायत समिति: झाड़ोल, जिला परिषद: उदयपुर</p> <p>स्वीकृति की दिनांक: 11.09.18</p> <p>पूर्णता की दिनांक: 30.09.18</p> <p>स्वीकृत राशि: ₹ 10 लाख</p> <p>व्यय राशि: ₹ 10 लाख</p>	 <p>कार्यस्थल पर सीसी सड़क का निर्माण नहीं पाया गया।</p>
4	<p>सरका स्टेडा में श्मशान का निर्माण, विकास एवं वृक्षारोपण, (2016-17/10503)</p> <p>ग्राम पंचायत: पीलक, पंचायत समिति: झाड़ोल, जिला परिषद: उदयपुर</p> <p>स्वीकृति की दिनांक: 26.12.16</p> <p>पूर्णता की दिनांक: 30.09.17</p> <p>स्वीकृत राशि: ₹ 9.96 लाख</p> <p>व्यय राशि: ₹ 9.10 लाख</p>	 <p>कार्यस्थल पर चारदीवारी, टिन शेड आदि का निर्माण नहीं पाया गया।</p>
5	<p>कोलार में, श्मशान घाट का निर्माण व वृक्षारोपण, (2016-17/9366)</p> <p>ग्राम पंचायत: पीलक, पंचायत समिति: झाड़ोल, जिला परिषद: उदयपुर</p> <p>स्वीकृति की दिनांक: 26.12.16</p> <p>स्वीकृत राशि: ₹ 8.64 लाख</p> <p>व्यय राशि: ₹ 8.62 लाख</p>	 <p>चारदीवारी बिना प्लास्टर के निर्मित थी, 173.13 मीटर के बजाय 63.5 मीटर लंबी दीवार पाई गई। प्लेटफार्म पर टिन शेड व डीपीसी, स्टोन स्वरंजा भी नहीं पाए गए।</p>

क्र.सं.	कार्य का नाम और विवरण	भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
6	कटला फलां मुख्य सड़क से नाना गायरी तक एवं ग्राम बीड़ा की गली के समीप नाली सहित सीसी सड़क निर्माण (2017-18/15442) ग्राम पंचायत: झाडोल, पंचायत समिति: झाडोल, जिला परिषद: उदयपुर स्वीकृति की दिनांक: 14.08.17 स्वीकृत राशि: ₹ 6.38 लाख व्यय राशि: ₹ 6.38 लाख	 कार्यस्थल पर सीसी सड़क का निर्माण नहीं पाया गया।
7	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीड़ा, झाडोल में, नवीन कक्षा कक्ष खेल मैदान सहित रिटेनिंग वॉल एवं मुख्य द्वार से कक्षा कक्ष तक इंटरलॉकिंग टाइलों का निर्माण कार्य (2017-18/22506) ग्राम पंचायत: झाडोल, पंचायत समिति: झाडोल, जिला परिषद: उदयपुर स्वीकृति की दिनांक: 06.12.17 पूर्णता की दिनांक: 30.03.18 स्वीकृत राशि: ₹ 13.40 लाख व्यय राशि: ₹ 13.40 लाख	 ग्राम बीड़ा में नया क्लास रूम, रिटेनिंग वॉल और खेल मैदान में इंटरलॉकिंग टाइल का निर्माण नहीं पाया गया, ग्राम पंचायत, झाडोल।
8	हाथीकाड, झाडोल में अमराजी पटेल के घर के पास से आम रास्ता तक सीसी सड़क निर्माण (2018-19/28752) ग्राम पंचायत: झाडोल, पंचायत समिति: झाडोल, जिला परिषद: उदयपुर स्वीकृति की दिनांक: 11.09.18 पूर्णता की दिनांक: 30.09.18 स्वीकृत राशि: ₹ 10 लाख व्यय राशि: ₹ 10 लाख।	 सीसी सड़क का निर्माण नहीं पाया गया।
9	खराफलां पालियाखेड़ा, सेलाना में सीसी रोड का निर्माण (2018-19/19571) ग्राम पंचायत: सेलाना, पंचायत समिति: झाडोल, जिला परिषद: उदयपुर स्वीकृति की दिनांक: 19.07.18 पूर्णता की दिनांक: 15.02.19 स्वीकृत राशि: ₹ 5 लाख व्यय राशि: ₹ 5 लाख	 तकनीकी अधिकारी सीसी सड़क का प्रारम्भिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु नहीं बता पाए। इसलिए, स्वीकृत सीसी सड़क के निर्माण का सत्यापन नहीं हो सका। निर्मित सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त थी।

क्र.सं.	कार्य का नाम और विवरण	भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	
10	राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौखल बाड़ा के समीप सामुदायिक भवन का निर्माण, ग्राम पंचायत: नेता जी का बाड़ा, पंचायत समिति: झाड़ोल जिला परिषद: उदयपुर  स्वीकृति की दिनांक: 09/2018  व्यय राशि: ₹ 10 लाख		
		चित्र 1: सामुदायिक भवन का वास्तविक चित्र	चित्र 2: पूर्णता प्रमाण पत्र में प्रदर्शित अवास्तविक चित्र
		सामुदायिक भवन वास्तव में अपूर्ण था (चित्र-1)। तथापि, अन्य सामुदायिक भवन (चित्र-2) के चित्र का प्रयोग कर कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया और जिला परिषद द्वारा व्यय का समायोजन कर दिया गया। इस प्रकार, अन्य पूर्ण सामुदायिक भवन के चित्र का प्रयोग कर अपूर्ण सामुदायिक भवन के लिए कपटपूर्वक ₹ 10 लाख का भुगतान किया गया।	

राजस्थान सरकार ने बताया (सितम्बर 2021) कि खंड विकास अधिकारी, झाड़ोल को संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वांछित वसूली, प्राथमिकी अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे (जुलाई 2021)।

इस संबंध में आगामी प्रगति प्रतीक्षित (दिसंबर 2021) थी। लेखापरीक्षा का मत है कि इन कार्यों हेतु किए गए कपटपूर्ण भुगतानों के लिए कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

#### 2.2.4.4 कार्यो का अनुचित निष्पादन

पांच जिला परिषदों (बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झुंझुनू एवं उदयपुर) में श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान की चारदीवारी, खंभों पर छत, टिन शेड, सीसी कार्य, खेल के मैदान का समतलीकरण एवं सीसी सड़कों आदि से संबंधित 29 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए (जुलाई 2014-अक्टूबर 2018) और ₹ 2.45 करोड़ के व्यय से पूर्ण (अगस्त 2014-मार्च 2019) किए गए।

कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में प्रकट हुआ कि कार्यों को सम्पूर्ण रूप से निष्पादित/पूर्ण किए बिना, संबंधित एमबी में कार्यों को पूर्ण दर्शाया गया था और प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण भुगतान किया गया था, जबकि, ₹ 26.85 लाख की राशि के आइटम/कार्य का निष्पादन लंबित था। कार्यों का विवरण परिशिष्ट XV दिया गया है। इन कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र, अधिशाषी अभियंता/ब्लाक विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा कार्यों के निरीक्षण के बाद जारी किए गए थे।

इस प्रकार, 29 कार्यों के लिए पूर्ण भुगतान कर दिए गए थे, जोकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान वास्तव में पूर्ण नहीं पाए गए।



राजस्थान सरकार ने बताया (सितम्बर 2021) कि जयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में संबंधित बीडीओ को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही एवं वसूली करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गए हैं। जिला परिषद, झुंझुनू और बांसवाड़ा को भी इस संबंध में अनुपालना प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित (सितंबर 2021) किया गया था, यद्यपि, अनुपालना अभी तक (दिसंबर 2021) प्रतीक्षित थी।





#### 2.2.4.5 योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव का अभाव





चयनित जिला परिषद के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जल सुविधा के साथ-साथ श्मशान की चारदीवारी, टिन शेड और प्लेटफार्म, सीसी रोड आदि के निर्माण से संबंधित 10 कार्य स्वीकृत किए गए (अप्रैल 2014-जून 2019) और ₹ 86.37 लाख के व्यय से पूर्ण (सितंबर 2014-सितंबर 2019) किए गए थे।

कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-सितंबर 2017 और अक्टूबर 2020-जनवरी 2021) में प्रकट हुआ कि रखरखाव के अभाव में ये कार्य क्षतिग्रस्त अवस्था में थे। कार्यों का विवरण नीचे तालिका 2.10 में दिया गया है:

तालिका 2.10

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति/पूर्णता की दिनांक एवं स्वीकृत राशि/किया गया व्यय	भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	
1	ग्राम मानस में मेघवाल समाज के लिए जल सुविधा सहित श्मशान के प्लेटफार्म और टिन शेड का निर्माण ग्राम पंचायत: गोरान, पंचायत समिति: झाडोल, जिला परिषद: उदयपुर	सितंबर 2014/ सितंबर 2014  स्वीकृत राशि: ₹ 3.00 लाख व्यय राशि: ₹ 2.47 लाख	टिन शेड और श्मशान का प्लेटफार्म क्षतिग्रस्त पाया गया (मई 2017)। दिनांक 21.12.2020 को किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान भी यही स्थिति थी।	
2	ग्राम मानस में पटेल समाज के लिए जल सुविधा सहित श्मशान के प्लेटफार्म और टिनशेड का निर्माण ग्राम पंचायत: गोरान, पंचायत समिति: झाडोल, जिला परिषद: उदयपुर	सितंबर 2014/ सितंबर 2014  स्वीकृत राशि: ₹ 3.00 लाख व्यय राशि: ₹ 2.47 लाख	टिन शेड और श्मशान का प्लेटफार्म क्षतिग्रस्त पाए गए (मई 2017)। दिनांक 21.12.2020 को किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान भी यही स्थिति थी।	

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति/पूर्णता की दिनांक एवं स्वीकृत राशि/किया गया व्यय	भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	
3	ग्राम बोरखेड़ी में श्मशान घाट में चारदीवारी एवं खुले बरामदे का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत: गडोला पंचायत समिति: निंबाहेड़ा, जिला परिषद: चित्तौड़गढ़	सितंबर 2014/ जनवरी 2015  स्वीकृत राशि: ₹ 10 लाख व्यय राशि: ₹ 10 लाख	विभिन्न स्थानों पर चारदीवारी और खुला बरामदा क्षतिग्रस्त पाए गए (जून 2017)। दिनांक 2.12.2020 को किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान भी यही स्थिति थी।	
4	बाई जी का जोहड़ा, स्वसरा नं. 2268/3, ग्राम खेजरोली, में श्मशान घाट की अपूर्ण चारदीवारी का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत: खेजरोली, पंचायत समिति: गोविंदगढ़, जिला परिषद: जयपुर	अगस्त 2016/ मार्च 2017  स्वीकृत राशि: ₹ 3.50 लाख व्यय राशि: ₹ 3.49 लाख	अपूर्ण चारदीवारी का निर्माण दो चरणों में किया गया, चिनाई कार्य में पत्थर के छोटे टुकड़े और घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था जो कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी। कई स्थानों पर दरारें भी पाई गयी, कोपिंग नहीं की गयी। (15.10.2020)	
5	ग्राम संगरिया में श्मशान की चारदीवारी, टिन शेड एवं जल सुविधा का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत: बडोली माधोसिंह, पंचायत समिति: निम्बाहेड़ा, जिला परिषद: चित्तौड़गढ़	अप्रैल 2014/ सितंबर 2019  स्वीकृत राशि: ₹ 10 लाख व्यय राशि: ₹ 10 लाख	श्मशान की चारदीवारी विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त एवं दरारे पाई गयी, नींव की चिनाई का कार्य घटिया गुणवत्ता का था। नलकूप का निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। (1.12.2020)	
6	मीराशियों के कब्रिस्तान में खुले बरामदे (शेड) का निर्माण, ग्राम पंचायत: सीथल, पंचायत समिति: उदयपुरवाटी, जिला परिषद: झुंझुनू	जून 2017/ सितंबर 2017  स्वीकृति राशि: ₹ 4.17 लाख व्यय राशि: ₹ 4.17 लाख	बरामदा खराब हालत में पाया गया। छत से पानी का रिसाव, लिंटल्स एवं छत झुकी हुई पाई गई। वर्षाजल की निकासी के लिए छत से जमीन में पाइप नहीं लगाए गए। (19.01.2021)	

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति/पूर्णता की दिनांक एवं स्वीकृत राशि/किया गया व्यय	भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	
7	मुख्य मार्ग से लाल सिंह बंजारा के घर तक वाया हुकुमचंद के घर तक सीसी रोड का निर्माण। ग्राम पंचायत: करनपुर, पंचायत समिति: गढ़ी, जिला परिषद: बांसवाड़ा।	दिसंबर 2014/ जनवरी 2015  स्वीकृत राशि: ₹ 15 लाख व्यय राशि: ₹ 14.75 लाख	सीसी रोड के साथ नाली नहीं बनाई गई थी, पानी सड़क पर फैल रहा था। सीसी रोड विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त/टूटा हुआ था। (19.01.2021)	
8	सुंदनी में चारदीवारी के साथ श्मशान घाट के बारादरी भवन का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत: सुंदनी, पंचायत समिति: गढ़ी, जिला परिषद: बांसवाड़ा।	जून 2017/ सितंबर 2018  स्वीकृत राशि: ₹ 14 लाख व्यय राशि: ₹ 13.91 लाख	कई जगहों पर चारदीवारी क्षतिग्रस्त पाई गई। (18.01.2021)	
9	ओजारिया मेतवाला में चारदीवारी सहित श्मशान घाट का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत: मेतवाला, पंचायत समिति: गढ़ी, जिला परिषद: बांसवाड़ा।	सितंबर 2018/ नवंबर 2018  स्वीकृत राशि: ₹ 15.00 लाख व्यय राशि: ₹ 14.98 लाख	कई जगहों पर चारदीवारी क्षतिग्रस्त पाई गई। (19.01.2021)	
10	ग्राम सोरी के खुर्द में ईशाब के घर के पास पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी भराई एवं चारदीवारी का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत: मायापुर, पंचायत समिति: तिजारा, जिला परिषद: अलवर।	जून 2019/ अगस्त 2019  स्वीकृत राशि: ₹ 12.11 लाख व्यय राशि: ₹ 10.13 लाख	बाउंड्री वॉल का निर्माण एक पुरानी दीवार के ऊपर पाया गया था। चारदीवारी का एक बड़ा हिस्सा टूटा हुआ था जो काम की निम्न गुणवत्ता को दर्शाता है। (21/22.01.2021)	

संबंधित जिला परिषद / पंचायत समिति द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

राजस्थान सरकार ने बताया (सितम्बर 2021) कि जिला परिषद, चित्तौड़गढ़, अलवर एवं उदयपुर में संबंधित बीडीओ को आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गए हैं। जिला परिषद, जयपुर, झुंझुनू और बांसवाड़ा को भी इस संबंध में अनुपालना प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था (सितंबर 2021), तथापि उनकी अनुपालना अभी प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2021)।



### 2.2.4.6 अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय

पंचायत समिति गोविंदगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि सर्व समाज के श्मशान घाट, किशनपुरा, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में बरामदा एवं सीमेंट कुर्सी का निर्माण ₹ 4.50 लाख में स्वीकृत हुआ (मार्च 2018) तथा ₹ 4.57 लाख का व्यय (जुलाई 2018) किया गया था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2020 -जनवरी 2021) में प्रकट हुआ कि केवल बरामदे के स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया था, बरामदे के फुटपाथ और प्लास्टर का कार्य नहीं किया गया था और सीमेंट कुर्सियां भी निर्मित नहीं की गई थीं। तथापि, स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने के बाद भी माप पुस्तिका में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।



राजस्थान सरकार ने बताया (सितम्बर 2021) कि जिला परिषद, जयपुर को इस संबंध में अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जो कि अभी तक प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2021)।

### 2.2.4.7 व्यक्तिगत प्रयोजन हेतु उपयोग में ली जा रही संपत्तियां

(i) ग्राम अरंडका, ग्राम पंचायत, रूपवास, पंचायत समिति तिजारा, जिला परिषद, अलवर में फैजर के घर के पास ₹ 6 लाख का एक सामुदायिक हॉल स्वीकृत किया गया (दिसंबर 2018) और ₹ 5.97 लाख के व्यय के साथ पूर्ण किया गया था (सितंबर 2019)।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2021) में प्रकट हुआ कि दो कमरे और एक एल आकार का बरामदा निर्माणाधीन निजी घर के साथ जुड़ा हुआ था। कोई पृथक प्रवेशद्वार नहीं था और साइनबोर्ड प्रदर्शित नहीं किया गया।

बरामदे में एक आटा चक्की, कपड़े धोने की मशीन, दो पलंग और अन्य घरेलू सामान भी पाए गए। कमरों का ताला बंद था जो दर्शाता था कि इसका उपयोग निजी प्रयोजनों हेतु किया जा रहा था।



(ii) ग्राम पंचायत, इटावा, पंचायत समिति, सांभर में जोशी श्मशान घाट की चारदीवारी, टिन शेड, भूतलीय टंकी का निर्माण और समतलीकरण, के कार्य के लिए ₹ 15 लाख स्वीकृत (नवंबर 2017) किए गए और कार्य ₹ 14.98 लाख के व्यय के साथ कार्य पूर्ण (जून 2018) किया गया।

कार्य के संयुक्त भौतिक सत्यापन में प्रकट हुआ कि श्मशान घाट की चारदीवारी के अलावा मुख्य सड़क से श्मशान घाट तक जाने वाले मार्ग के दोनों ओर, फेंसिंग पोल के साथ 158 फीट की चारदीवारी भी निर्मित की गई थी। राजस्व विभाग द्वारा जारी मानचित्र के अनुसार जिस भूमि पर अतिरिक्त चारदीवारी का निर्माण किया गया था वह श्मशान भूमि का भाग नहीं थी। इस रास्ते के दोनों ओर खेत थे और परिणामतः पड़ोसी किसान इस कार्य से लाभान्वित हुए।

इस प्रकार कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा गलत प्राक्कलन तैयार किए जाने के कारण अतिरिक्त चारदीवारी पर ₹ 2.07 लाख<sup>32</sup> का परिहार्य व्यय किया गया।



पड़ोसी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्य सड़क से शमशान तक जाने वाले रास्ते के दोनों ओर फेंसिंग पोल के साथ चारदीवारी निर्माण ग्राम पंचायत, इटावा, पंचायत समिति सांभर (जयपुर)

राजस्थान सरकार ने बताया (सितम्बर 2021) कि दोनों जिला परिषदों को इस संबंध में अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, उनकी अनुपालना अभी तक प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

## 2.2.5 अनुश्रवण, मूल्यांकन और सामाजिक लेखापरीक्षा

### 2.2.5.1 कार्यो का निरीक्षण

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 के अनुच्छेद 16.2 और 16.3 प्रावधित करते हैं कि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और सहायक अभियंता एवं जिला परिषद के सहायक परियोजना अधिकारी, सहायक अभियंता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, अधिशाषी अभियंता और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्माण के हर स्तर का निरीक्षण किया जाना चाहिए। आगे, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में निर्धारित प्रोफार्मा में एक निरीक्षण रजिस्टर संधारित किया जाना अपेक्षित था। सक्षम अधिकारियों के लिए निरीक्षण के मानदंड नीचे तालिका 2.11 में दिए गए हैं:

तालिका 2.11

क्र. सं.	कार्य की कुल लागत	पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ तकनीकी सहायक	जिला परिषद के सहायक परियोजना अधिकारी, सहायक अभियंता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक और पंचायत समिति के सहायक अभियंता	जिला परिषद के अधिशाषी अभियंता	(प्रतिशत में)	
					खंड विकास अधिकारी	जिला कलेक्टर/ सीईओ
1	₹ 2 लाख तक	100	25	-	25*	5*
2	₹ 2 लाख से ₹ 10 लाख तक	100	100	25		
3	₹ 10 लाख और अधिक	100	100	100		

\* कुल कार्यो में से क्षेत्र में चल रही प्रत्येक योजना के कार्य को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करते हुए।

32 फाउण्डेशन एवं सुपर स्ट्रक्चर- 78.25 घन मी. X ₹ 2,650.87 की दर से।

चयनित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों (अलवर को छोड़कर) के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2014-20 की अवधि समय-समय पर किए निरीक्षणों से संबंधित अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था। अलवर की चयनित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त सूचना/अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

जिला परिषदों और पंचायत समितियों ने उत्तर नहीं दिया सिवाय जिला परिषद, झुंझुनू और पंचायत समिति, झाडोल के जिन्होंने स्वीकार किया कि अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे एवं पंचायत समिति सलूमबर के जिसने बताया कि भविष्य में शत प्रतिशत निरीक्षण किया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने बताया (सितम्बर 2021) कि जिला परिषद, अलवर में तकनीकी अधिकारियों द्वारा कार्यों का समय-समय पर सभी स्तरों पर निरीक्षण किया गया था, तथापि, निरीक्षण अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे। अब जिला परिषद, अलवर और जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ में निरीक्षण पंजिकायें संधारित की जा रही हैं।

राज्य सरकार द्वारा निर्देशित (सितम्बर 2021) किए जाने के बावजूद इस संबंध में जिला परिषद, उदयपुर की अनुपालना अभी प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) थी जबकि, अन्य चयनित जिला परिषदों के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा इस बिन्दु पर कोई स्पष्ट प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

#### 2.2.5.2 योजना का सामाजिक अंकेक्षण

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 7(i) में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत की वार्ड सभा क्षेत्र में निष्पादित किए गए सभी कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करेगी।

नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि वर्ष 2014-20 के दौरान योजनान्तर्गत निष्पादित किए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया। पंचायत समिति झुंझुनू, घाटोल और ग्राम पंचायत, सावा, जालमपुरा (चित्तौड़गढ़), भाटीवाड़ा (उदयपुरवाटी), सवानिया (घाटोल) और सतखंड (निम्बाहेड़ा) ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण किया गया था लेकिन विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। आगे, अलवर की चयनित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों ने उक्त सम्बंधित सूचना/अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए।

राजस्थान सरकार ने बताया (सितम्बर 2021) कि जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर को, इस संबंध में अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो अभी तक प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) थी। राजस्थान सरकार ने अन्य चयनित जिला परिषदों के संबंध में, इस बिन्दु का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था।

#### 2.2.6 निष्कर्ष

महात्मा गाँधी जन भागीदारी विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों के सृजन के माध्यम से गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास में स्थानीय जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। 2014-20 के दौरान सरकार ने योजना के अंतर्गत ₹ 376.91 करोड़ का

अंशदान दिया, जबकि जन समुदाय ने लगभग ₹ 60 करोड़ का योगदान किया। यद्यपि, 85 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया था, वर्षवार व्यय, उपलब्ध निधियों का 24.14 प्रतिशत से 43.57 प्रतिशत के मध्य था। सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान नाममात्र की केवल ₹ 1.91 करोड़ की निधियों का योगदान किया। मार्च 2020 तक ₹ 19.26 करोड़ व्यय करने के उपरांत भी ₹ 28.73 करोड़ राशि के 330 कार्य अभी भी अपूर्ण थे।

लेखापरीक्षा में, सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिए कार्यों की स्वीकृतियों के विभाजन, अपेक्षित जन सहयोग राशि जमा किए बिना कार्यों की स्वीकृति तथा जन सहयोग की राशि जमा करने जैसे उपरांत भी कार्यों का निष्पादन नहीं करने जैसे प्रकरण ध्यान में आए।

कपटपूर्ण भुगतान, संपत्तियों के व्यक्तिगत उपयोग, क्षतिग्रस्त संपत्तियों के संघारण का अभाव और गैर-अनुमत्य कार्यों के निष्पादन आदि के प्रकरण भी पाए गए। अनिष्पादित और/या आंशिक निष्पादित मदों के लिए भी भुगतान कर दिए गए थे। योजनान्तर्गत अनुश्रवण कमजोर था तथा सामाजिक अंकेक्षण भी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, योजना के प्रस्तुत उद्देश्य अर्थात् सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक संपत्तियों का सृजन, को केवल एक सीमा तक ही प्राप्त किया जा सका।

### 2.2.7 अनुशंसाएँ

1. विभाग को योजना के लिए आवंटित निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
2. योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से निष्पादित किया जाना चाहिए तथा सृजित परिसम्पत्तियों का रखरखाव उचित रूप से करना चाहिए।
3. विभाग को उन लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करनी चाहिए जो कपटपूर्वक प्रमाणन या अनिष्पादित या आंशिक रूप से निष्पादित कार्यों के लिए भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थे।
4. विभाग को सक्षम अधिकारियों द्वारा योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का निरीक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

## पंचायती राज विभाग

### 2.3 पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों का निर्मोचन एवं उपयोजन

#### 2.3.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के उपबंध के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पाँच साल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाना अपेक्षित है, जो (i) पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा (ii) राज्य एवं पंचायतों के मध्य करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का वितरण और ऐसे आगमों का पंचायतों के मध्य सभी स्तरों पर उनके अपने

अपने अंशों का आवंटन को शासित करने वाले सिद्धान्तों एवं (iii) संचित निधि से पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने वाले सहायतार्थ अनुदानों के लिए राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

तदनुसार, 2015-20 की अवधि के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन (मई 2015) किया गया। आयोग द्वारा 2015-16 के लिए (सितम्बर 2015 में) और 2016-17 के लिए (सितम्बर 2016 में) दो अंतरिम प्रतिवेदन एवं नवम्बर 2018 में सम्पूर्ण अवार्ड अवधि के लिए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनको क्रमशः 22 सितम्बर 2015, 2 सितम्बर 2016 एवं 23 जुलाई 2019 को विधान सभा में प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार ने अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करते हुए पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचम राज्य वित्त आयोग) की सिफारिशों के तहत निर्माचित किए जाने वाले अनुदानों के उपयोग हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए।

पंचम राज्य वित्त आयोग (विवरण परिशिष्ट XVI में) की मुख्य अनुशंसाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- राज्य की स्वयं की, शुद्ध कर प्राप्तियों के 7.182 प्रतिशत की दर से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः 75.1 प्रतिशत और 24.9 प्रतिशत के अनुपात में निधियों का हस्तान्तरण।
- वर्ष 2015-16 में, हस्तांतरित निधियां 'मूलभूत एवं विकास कार्यों' तथा 'राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाओं' के मध्य क्रमशः 85 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के अनुपात में वितरित की जानी थी, शेष 5 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान के रूप में निर्माचित की जानी थी।
- 2016-20 के दौरान, निर्धारित निधियों को तीन घटकों में वर्गीकृत किया गया था अर्थात् 55 प्रतिशत राशि 'मूलभूत और विकास कार्यों के लिए', 40 प्रतिशत 'राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाओं' के लिए और शेष 5 प्रतिशत लेखे, अभिलेख, परिसम्पत्ति पंजिका को संधारित करने और निजी राजस्व में वृद्धि के लिए प्रयासों के प्रोत्साहन हेतु। वर्ष 2015-16 के लिए, हस्तांतरित निधियों को पंचायती राज संस्थाओं के मध्य स्तरवार यथा जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, 5:15:80 के अनुपात में आवंटित किया जाना था। 2016-20 की अवधि के लिए इस अनुपात को संशोधित कर 5:20:75 कर दिया गया।

2015-20 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 10,345.71 करोड़ की अनुदान राशि हस्तांतरित की गई, जिसमें से राशि ₹ 10,226.76 करोड़ (98.85 प्रतिशत) का उपयोग कर लिया गया।

सात<sup>33</sup> प्रशासनिक संभागों में विभाजित राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं के त्रि-स्तरीय ढांचा यथा जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अंगीकृत किया है। राज्य स्तर पर, पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का प्रशासनिक विभाग, पंचायती राज विभाग है। मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्तंभ विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी क्रमशः जिला, स्तंभ एवं ग्राम स्तर पर पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

33 अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर

अवधि 2015-20 के दौरान पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन एवं पंचायती राज संस्थाओं में निधियों के हस्तान्तरण/उपयोग के परीक्षण के लिए अनुपालना लेखापरीक्षा अप्रैल 2019 से नवम्बर 2019 एवं सितम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर का प्रतिनिधित्व लेते हुए आईडिया सॉफ्टवेयर से सामान्य यादृच्छिक नमूना द्वारा चयनित<sup>34</sup> 59 पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद: 04, पंचायत समिति: 06 और ग्राम पंचायत: 49) के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी थी। चयन का विवरण (परिशिष्ट XVII) में दिया गया है। चयनित ग्राम पंचायतों में 663 कार्यों का भौतिक सत्यापन विभागीय प्राधिकारियों के साथ किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पर पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत निर्माचित निधियों के 98.85 प्रतिशत राशि का उपयोग उनकी मुख्य सेवाओं कर लिया गया। योजना के क्रियान्वयन में पाई गई कुछ कमियों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

### 2.3.2 पंचायती राज संस्थाओं को निधियों का हस्तान्तरण

मार्गदर्शिका के अनुसार, अप्रैल 2016 से घटक 'मूलभूत एवं विकास कार्यों' के अंतर्गत 55 प्रतिशत (2015-16 में 85 प्रतिशत) अनुदान मूलभूत नागरिक सुविधाओं जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गलियों एवं सडकों की लाइट, शमशानों, स्वच्छता एवं पेयजल के सृजन, वृद्धि एवं रखरखाव के लिए निर्माचित किया जाना था। आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पर होने वाले सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यय अनुदान के इस घटक पर प्रथम प्रभार के रूप में वहन किए जाने थे।

इसी प्रकार, घटक 'राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाओं' के अंतर्गत कुल अनुदान के 40 प्रतिशत (2015-16 में 10 प्रतिशत) राशि का उपयोग राष्ट्रीय या राज्य की निर्धारित किसी भी योजना के लिए किया जा सकता था। इस घटक के अंतर्गत मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी थी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन सम्मिलित थे।

राज्य के शुद्ध निजी कर राजस्व, हस्तान्तरित की जाने वाले अनुदानों की राशि एवं पंचायती राज संस्थाओं को वास्तव में हस्तांतरित की गई अनुदानों की वर्ष-वार स्थिति आगे तालिका 2.12 में दी गई है:

34 प्रारंभ में, अधिकतम व्यय के आधार पर चार संभागों (सात में से) का चयन किया गया था। इसके पश्चात आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सामान्य यादृच्छिक नमूना के आधार पर चार जिले (प्रत्येक चयनित संभाग में से एक जिला), चयनित जिलों में 6 पंचायत समिति (चयनित जिले की 10 प्रतिशत पंचायत समितियां) एवं चयनित पंचायत समितियों में 49 ग्राम पंचायतों (चयनित पंचायत समिति की 20 प्रतिशत ग्राम पंचायतों) का चयन किया गया।

तालिका 2.12

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	राज्य का स्वयं का शुद्ध कर राजस्व	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने वाले अनुदान				पंचायती राज संस्थाओं को वास्तव में हस्तांतरित किए गए अनुदान			अनुदानों के हस्तांतरण में (+)आधिक्य/(-)कमी		
			मूलभूत एवं विकास कार्य	राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाएँ	प्रोत्साहन अनुदान	कुल	सामान्य निधि	प्रोत्साहन अनुदान	कुल	सामान्य अनुदान	प्रोत्साहन अनुदान	कुल
1	2015-16	41,006.48	1,880.00	221.17	110.59+	2,211.76	2,247.39	Nil	2,247.39	146.22	(-)110.59	35.63
2	2016-17	42,178.92	1,251.25	910.00	113.75	2,275.00	2,486.16	138.55	2,624.71	324.91	24.80	349.71
3	2017-18	42,273.43	1,254.06	912.04	114.00	2,280.10	2,632.38	138.55	2,770.93	466.28	24.55	490.83
4	2018-19	44,840.67	1,330.21	967.42	120.93	2,418.56	2,223.69	29.26	2,252.95	(-)73.94	(-)91.67	(-)165.61
5	2019-20	47,528.24	1,409.94	1,025.41	128.17+	2,563.52	361.95	87.78*	449.73	(-)2,073.40	(-)40.39	(-)2,113.79
	<b>कुल</b>	<b>2,17,827.74</b>	<b>7,125.46</b>	<b>4,036.04</b>	<b>587.44</b>	<b>11,748.94</b>	<b>9,951.57</b>	<b>394.14</b>	<b>10,345.71</b>	<b>(-)1,209.93</b>	<b>(-)193.30</b>	<b>(-)1,403.23</b>

स्रोत : पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार नोट (i) + 2015-16 एवं 2019-20 हेतु प्रोत्साहन अनुदान पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया (ii) \* यह अनुदान वर्ष 2018-19 से सम्बंधित है।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि:

**“मूलभूत और विकास कार्य” एवं राष्ट्रीय /राज्य प्राथमिकता योजनाओं’ के लिए अनुदान**

- 2015-20 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा अनुदानों को ‘मूलभूत और विकास कार्य’ एवं ‘राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाओं’ के लिए घटक वार जारी नहीं किया गया एवं अनुदान एकमुश्त जारी किए गए। तथापि, प्रोत्साहन अनुदान को अलग से जारी किया गया था।
- 2015-20 के दौरान हस्तांतरण योग्य कुल अनुदान राशि ₹ 11,748.94 करोड़ के समक्ष राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को केवल राशि ₹ 10,345.71 करोड़ हस्तांतरित की, जो पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान से ₹ 1,403.23 करोड़ (11.94 प्रतिशत) कम थी।
- राज्य सरकार ने 2015-16 से 2017-18 के दौरान अनुशंसित अनुदानों से ₹ 876.17 करोड़ अधिक की राशि हस्तांतरित की थी। हालांकि, सरकार ने 2018-20 के दौरान ₹ 4,982.08 करोड़ के अनुशंसित अनुदानों में से पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 2,279.40 करोड़ (45.75 प्रतिशत) का अनुदान हस्तांतरित नहीं किया।

अभिलेखों की संवीक्षा में आगे प्रकट हुआ कि 2019-20 के दौरान राशि ₹ 1,922.64 करोड़ (कुल अनुदान ₹ 2,563.52 करोड़ का 75 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था तथापि, पंचायती राज विभाग द्वारा केवल ₹ 1,085.72 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई थी (अक्टूबर 2019) और वह भी मार्च 2020 तक ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं की गई थी। तथापि, वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात, राशि ₹ 1,197.57 करोड़ ग्राम पंचायतों को 2020-21 के दौरान हस्तांतरित की गई।

**प्रोत्साहन अनुदान**

- वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के लिए प्रोत्साहन अनुदान राशि क्रमशः ₹ 110.59 करोड़ एवं ₹ 128.17 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को जारी नहीं किया गया था। कुल मिलाकर प्रोत्साहन अनुदान राशि ₹ 193.30 करोड़ (49.04 प्रतिशत) कम जारी की गई थी।

पंचायती राज विभाग ने बताया (जनवरी 2020) कि वित्तीय वर्ष 2015-16 का अधिकांश समय पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन अनुदान (2015-16) के भुगतान हेतु रूपरेखा तैयार करने में व्यतीत हो गया था। यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रोत्साहन राशि 2016-17 के दौरान उपलब्ध कराई गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 2015-20 के दौरान समग्र रूप से ₹ 193.30 करोड़ का प्रोत्साहन अनुदान कम जारी किया गया था।

जिला परिषद उदयपुर के अभिलेखों की नमूना-जाँच में प्रकट हुआ कि जिला परिषद उदयपुर द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2018-19 के लिए ₹ 12.42 करोड़<sup>35</sup> का प्रोत्साहन अनुदान इसकी सभी पंचायती राज संस्थाओं को ही निर्धारित पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना हस्तांतरित कर दिया गया। पंचायती राज विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (सितम्बर 2021)।

आगे, पंचम राज्य वित्त आयोग ने 2015-16 के उनके अंतरिम प्रतिवेदन में अनुशंसा की थी (सितम्बर 2015) कि प्रोत्साहन अनुदानों के उपयोग के लिए पंचायती राज विभाग विस्तृत योजना जारी करे एवं इसे ग्राम पंचायत स्तर तक पंचायती राज संस्थाओं को अधिसूचित करे। पंचायती राज विभाग ने पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन की अनुपालना में वर्ष 2015-16 के लिए दिशा-निर्देश (दिसम्बर 2015) जारी करते हुए बताया कि प्रोत्साहन अनुदान के उपयोग के लिए निर्देश/दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तथापि, पंचायती राज विभाग द्वारा ऐसे कोई दिशा-निर्देश पृथक से जारी नहीं किए गए।

प्रकरण राज्य सरकार को अग्रपिप्त (मार्च 2021) किया गया था, परन्तु बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2021)।

### 2.3.3 पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत जारी अनुदानों का उपयोग

पंचायती राज संस्थाओं को 2015-20 के दौरान, पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत हस्तांतरित कुल अनुदानों एवं उनके समक्ष किए गए व्यय की स्थिति नीचे दी गई है:

- 2015-20 के दौरान, पंचायती राज संस्थाओं को उनकी मुख्य सेवाओं को बनाये रखने के लिए ₹ 10,345.71 करोड़ की निधियां हस्तांतरित की गई थीं, जिसमें से राशि ₹ 10,226.76 करोड़ (98.85 प्रतिशत) का उपयोग कर लिया गया था।

35 2016-17: जिला परिषद उदयपुर : ₹ 0.34 करोड़, जिला परिषद उदयपुर की 17 पंचायत समितियाँ: ₹ 1.35 करोड़ एवं पंचायत समिति उदयपुर की 544 ग्राम पंचायतें: ₹ 5.05 करोड़, 2018-19 जिला परिषद उदयपुर: ₹ 0.28 करोड़, जिला परिषद उदयपुर की 17 पंचायत समितियाँ: ₹ 1.14 करोड़ एवं पंचायत समिति उदयपुर की 544 ग्राम पंचायतें: ₹ 4.26 करोड़



- तथापि, 2015-20 के दौरान, नमूना जांच की गई 59 पंचायती राज संस्थाओं में ₹ 245.53 करोड़ के कुल आवंटन के विरुद्ध केवल ₹ 200.53 करोड़ (81.67 प्रतिशत) का ही उपयोग किया जा सका जैसा कि विवरण नीचे तालिका 2.13 में दिया गया है:

तालिका 2.13

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	जारी निधियां	उपयोग की गई निधियां	अंतिम शेष	प्रतिशत उपयोग
1	जिला परिषद (4)	163.46	125.33	38.13	76.67
2	पंचायत समिति (6)	49.83	40.85	8.98	81.98
3	ग्राम पंचायत (49)	32.24	34.35	(-) 2.11	106.54
	<b>कुल</b>	<b>245.53</b>	<b>200.53</b>	<b>45.00</b>	<b>81.67</b>

स्रोत: पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

- यह देखा जा सकता है कि प्राप्त निधियों में से 18.33 प्रतिशत निधियाँ जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के पास अनुपयोजित थी, जो कि मुख्यतः जिला परिषद/पंचायत समिति से स्वीकृत कार्यों के लिए थी।

सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि कार्यकारी संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी)/पूर्णता प्रमाण पत्र (सीसी) प्राप्त नहीं होने के कारण निधियां अप्रयुक्त/असमायोजित रहीं थीं।

यह इंगित करता है कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण हो चुके कार्यों के यूसी/सीसी, ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे।

प्रकरण सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था परन्तु बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2021)।

- **निधियों का विपथन** : राजस्थान पंचायती राज नियमावली, 1996 के नियम 199 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार/केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों को उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया जाना चाहिए जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था और एक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत राशि को दूसरे मुख्य शीर्ष को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

तथापि, पंचायत समिति गोगुन्दा की ग्राम पंचायत गोगुन्दा में एक अन्य योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत महाराणा प्रताप की जीवनी के पेंटिंग कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय की जा चुकी राशि ₹ 9.99 लाख को पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदानों में डेबिट कर दिया गया था। इस प्रकार, पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जारी अनुदानों को अन्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत/निष्पादित कार्य के लिए विपथन किया गया। इसके बारे में पूछे जाने (अक्टूबर 2019) पर भी लेखापरीक्षा को इसके कारण नहीं बताया गए।

प्रकरण राज्य सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था लेकिन बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

### **2.3.3.1 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार नहीं की गईं**

पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर समावेशी और विकेंद्रीकृत ग्राम पंचायत विकास कार्य योजना तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए (अक्टूबर 2015)। तदनुसार, सभी उपलब्ध संसाधनों एवं क्रियान्वित की जा रही राज्य/केंद्रीय योजना के लिए ग्राम पंचायत विकास कार्य योजना तैयार की जानी थी। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होने के बाद कार्य योजना को संबंधित पंचायत समिति को भेजा जाना था। तत्पश्चात पंचायत समिति स्तर के कार्यों को जोड़ने एवं समेकित करने के बाद पंचायत समिति विकास कार्य योजना को पंचायत समिति की साधारण सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। जिला स्तर पर, शहरी क्षेत्रों के लिए विकास योजनाओं सहित जिला स्तर के कार्यों को जोड़ने एवं समेकित करने के बाद जिला विकास कार्य योजना को जिला परिषद की साधारण सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि नमूना जांच किए गए चार में से दो जिला परिषदों (जोधपुर एवं उदयपुर) ने 2015-20 के दौरान निर्धारित विकास कार्य योजनाओं को तैयार नहीं किया था।

जिला परिषद उदयपुर में, यद्यपि इसकी पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य योजनाएं तैयार की गई थी किन्तु जिला परिषद स्तर पर इन्हें समेकित नहीं किया गया। जिला परिषद जोधपुर में, नमूना जांच की गई दो पंचायत समितियों (लूनी : 2015-18 के लिए एवं पंचायत समिति शेरगढ़: 2015-19 के लिए) एवं सात ग्राम पंचायतों (पंचायत समिति शेरगढ़ : 2015-19 के लिए) द्वारा कार्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। जिला परिषद सीकर में, नमूना जांच की गई पंचायत समिति धोद ने भी अवधि 2015-18 के लिए विकास कार्य योजनाएं तैयार नहीं की थी।

जिला परिषद उदयपुर एवं पंचायत समिति धोद, लूनी एवं शेरगढ़ ने बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि जिला प्रमुख/प्रधानों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कार्य स्वीकृत किए जा रहे थे। जिला परिषद जोधपुर ने बताया (दिसम्बर 2020) कि प्रशासनिक एवं स्थापना पर जिला परिषद की स्थायी समिति एवं साधारण सभा की बैठक में अनुमोदन के बाद कार्य स्वीकृत किए जा रहे थे। पंचायत समिति शेरगढ़ की ग्राम पंचायतों ने बताया (नवम्बर 2019) कि कार्यों के प्रस्ताव ग्राम सभा में लिए गए हैं।

आगे, ग्राम सभा की बैठक के लिए, जैसा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निर्धारित किया गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला सदस्यों सहित सदस्यों की कुल संख्या के दसवें हिस्से का कोरम, नमूना जांच की गई 49 ग्राम पंचायतों की किसी भी ग्राम सभा की बैठकों में पूरा नहीं हुआ था।

संबंधित ग्राम पंचायतों ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि बैठकों की अधिक संख्या एवं सदस्यों के ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने की अनिच्छा के कारण कोरम पूरा नहीं हुआ।

इस प्रकार, कार्य योजना तैयार करने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का उचित ढंग से पालन नहीं किया गया था। विकास की कार्य योजनाएं कमजोर वर्गों और महिलाओं के निर्धारित उचित प्रतिनिधित्व वाली ग्राम सभा के अनुमोदन के साथ नहीं बनाई गयी थी।

प्रकरण सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था लेकिन बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

### **2.3.3.2 स्वीकृतियों एवं व्यय को घटकवार संधारित नहीं करना**

पंचायती राज विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (दिसम्बर 2015, नवम्बर 2016 और सितम्बर 2019) में पंचायती राज संस्थाओं को पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जारी अनुदानों का घटकवार वितरण एवं उपयोग करना निर्धारित किया गया है। तथापि, व्यय के लेखों के घटकवार संधारण के संबंध में कुछ भी उल्लिखित नहीं किया गया था।

पंचायती राज विभाग एवं चयनित सभी 59 पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट (अप्रैल-नवम्बर 2019 एवं सितम्बर-दिसम्बर 2020) हुआ कि न तो निधियों को, जैसा कि पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित था, घटकवार जारी किया गया और न ही पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों की स्वीकृतियाँ घटकवार जारी की गई थी। आगे, राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग एवं नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत किए गए व्यय के अभिलेख भी घटकवार संधारित नहीं किए गए थे।

चयनित पंचायती राज संस्थाओं ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि लेखों में व्यय को एकमुश्त ही लेखांकित किया जाता है।

राज्य स्तर पर, स्वीकृतियों एवं व्यय के घटकवार विवरण के अभाव में, निधियों के पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित घटकवार उपयोग को लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

प्रकरण सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था लेकिन बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

### **2.3.3.3 सड़कों पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया जाना**

दिशा-निर्देशों के अनुसार, मूलभूत नागरिक सुविधाओं जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क एवं गलियों की लाइटें, श्मशानों, स्वच्छता एवं पेयजल से संबंधित सृजन, विस्तार एवं रखरखाव के कार्य अनुदान घटक 'मूलभूत एवं विकास कार्यों' के अंतर्गत करवाए जा सकते हैं। यद्यपि, इस

घटक के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए 60 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच की गई 59 पंचायती राज संस्थाओं में स्वीकृत 4,958 कार्यों के संबंध में निधियों के घटक वार उपयोग के आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया, क्योंकि ये आँकड़े पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किसी भी स्तर पर संधारित नहीं किए गए थे।

आंकड़ों के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि 2015-20 के दौरान केवल 14 पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद जोधपुर, पंचायत समिति गोगुन्दा, पंचायत समिति शेरगढ़ एवं 11 ग्राम पंचायतें<sup>36</sup>) में सड़क कार्यों के लिए निर्धारित 60 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का पालन किया गया था। जबकि, नमूना जांच की गई 45 पंचायती राज संस्थाओं में, घटक 'मूलभूत एवं विकास कार्यों' के अंतर्गत हस्तांतरित अनुदान (₹ 75.98 करोड़) की 60 प्रतिशत चिन्हित निधियां ₹ 45.59 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 80.29 करोड़ के सड़क कार्यों की स्वीकृतियाँ जारी की गई थीं। यह इस घटक के अंतर्गत उपलब्ध अनुदानों (₹ 75.98 करोड़) का औसतन 105.67 प्रतिशत (66.88 प्रतिशत से 250.47 प्रतिशत की रेंज में) था, जो कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था (परिशिष्ट XVIII)।

32 पंचायती राज संस्थाओं के मामले में तो, घटक 'राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाओं' के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए सम्पूर्ण अनुदान का उपयोग सड़क कार्यों पर कर लिया गया था जो यह दर्शाता है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अन्य विकास कार्यों की अपेक्षा सड़कों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी।

इंगित किए जाने पर, जिला परिषद टोंक एवं पंचायत समिति टोंक ने स्वीकार किया (सितम्बर 2020) कि 2015-19 के दौरान सड़क निर्माण के कार्य निर्धारित सीमा से अधिक स्वीकृत किए गए थे परन्तु 2019-20 के दौरान ये निर्धारित सीमा के भीतर थे। जिला परिषद सीकर, जिला परिषद उदयपुर, पंचायत समिति खैरवाडा एवं पंचायत समिति धोद ने बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्तावों एवं आवश्यकता के आधार पर सड़क कार्य अधिक स्वीकृत किए गए थे। अन्य पंचायती राज संस्थाओं ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी।

जिला परिषदों/पंचायत समितियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सड़क कार्यों पर व्यय पंचम राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के प्रावधानानुसार निधियों के निर्धारित प्रतिशत तक ही किया जाना था। सड़कों पर किए गए अधिक व्यय ने अन्य मूलभूत एवं विकास कार्यों जैसे जल संरक्षण, पेयजल इत्यादि से संबंधित कार्यों के लिए निधियों की उपलब्धता को कम कर दिया।

---

36 पंचायत समिति गोगुन्दा: ग्राम पंचायत मादरा, ग्राम पंचायत: रावलिया कलां, ग्राम पंचायत रावलिया सुर्द; पंचायत समिति खैरवाडा: ग्राम पंचायत बावलवाडा; पंचायत समिति शेरगढ़: ग्राम पंचायत गजेसिंह नगर, ग्राम पंचायत देवीगढ़, ग्राम पंचायत भांडूजाटी, ग्राम पंचायत खिरजा तिबना, ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा एवं ग्राम पंचायत बापूनगर एवं पंचायत समिति लूनी: ग्राम पंचायत दर्ईपाड़ा खिचियान

प्रकरण सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था लेकिन बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद भी उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

#### 2.3.3.4 पंचम राज्य वित्त आयोग की निधियों का मनरेगा के साथ अभिसरण

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देश (नवम्बर 2015) के अनुसार, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत अनुमत्य कार्यों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल निधियों के कम से कम 20 प्रतिशत राशि की स्वीकृतियाँ जारी की जानी थी। जिला परिषद अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से मनरेगा अंतर्गत कार्यों के अनुमोदन/स्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं।

नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 2015-20 के दौरान प्राप्त कुल अनुदान ₹ 166.83 करोड़ में से, 20 प्रतिशत निधियों अर्थात् ₹ 33.38 करोड़ के निर्देश के विरुद्ध, केवल 12 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा (जिला परिषदें: 2 पंचायत समितियाँ: 2 एवं ग्राम पंचायतें: 8) अभिसरण के माध्यम से मनरेगा अंतर्गत अनुमत्य कार्यों के लिए केवल ₹ 3.95 करोड़ (2.37 प्रतिशत) की राशि का ही उपयोग किया गया था (परिशिष्ट XIX)।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए तीन पंचायती राज संस्थाओं<sup>37</sup> ने बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि अब आगे से मनरेगा के साथ अभिसरण सुनिश्चित किया जाएगा एवं अन्य तीन पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद जोधपुर, जिला परिषद सीकर एवं पंचायत समिति धोद) ने बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभिसरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अभिसरण के प्रस्तावों को प्रत्येक स्तर जैसे ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत विकास योजना), पंचायत समिति (पंचायत समिति विकास योजना) एवं जिला परिषद (जिला विकास योजना) पर वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना था।

दो पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद उदयपुर एवं पंचायत समिति खैरवाड़ा) ने बताया (अगस्त-सितम्बर 2019) कि मनरेगा कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से पंचम राज्य वित्त आयोग के अभिसरण के अंतर्गत स्वीकृतियाँ जारी की जाएंगी, लेकिन दिसम्बर 2020 तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा का यह दृष्टिकोण है कि यदि जिला परिषद मनरेगा के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने में सक्षम होती तो मनरेगा के तहत रोजगार चाहने वालों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते थे।

प्रकरण सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था लेकिन बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

37 पंचायत समिति टोंक, पंचायत समिति लूनी एवं पंचायत समिति शेरगढ़

### 2.3.4 कार्यो का निष्पादन

- **कार्यो की भौतिक स्थिति:** ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुच्छेद 22.10 में यह प्रावधान किया गया है कि स्वीकृत कार्यो को निर्धारित समयावधि (कार्य की प्रकृति और सम्मिलित व्यय के आधार पर तीन से नौ माह) में पूरा किया जाना चाहिए। पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश अंतर्गत जारी किए गए अनुदानों के उपयोग हेतु राज्य में 2015-20 के दौरान 3,37,641 कार्य स्वीकृत किए गए थे।

मार्च 2020 की प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, 12,313 कार्य प्रगति पर थे, 452 कार्य निरस्त कर दिए गए एवं मार्च 2020 तक 1,528 कार्य प्रारंभ नहीं किए जा सके, उनके कारण अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, 2015-20 के दौरान 3,23,348 कार्य (95.77 प्रतिशत) पूर्ण किए गए थे।

- **नमूना जांच :** आगे, नमूना जांच की गई 59 पंचायती राज संस्थाओं में 4,958 कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 1,298 कार्य अपूर्ण रहे एवं राशि ₹ 2.41 करोड़ के 99 कार्य निरस्त/अप्रारम्भ थे और 3,561 कार्य (71.8 प्रतिशत) पूर्ण थे। विवरण नीचे तालिका 2.14 में दिया गया है।

तालिका 2.14

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	कार्य						अपूर्ण कार्यो का प्रतिशत
		स्वीकृत		पूर्ण		अपूर्ण		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1	जिला परिषद (4)	2,209	68.18	1,236	37.69	952	21.45	43.10
2	पंचायत समिति (6)	1,536	50.02	1,157	37.33	321	6.66	20.90
3	ग्राम पंचायत (49)	1,213	34.89	1,168	30.85	25	0.62	2.06
	<b>कुल</b>	<b>4,958</b>	<b>153.09</b>	<b>3,561</b>	<b>105.87</b>	<b>1,298</b>	<b>28.73</b>	

स्रोत: पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

लेखा परीक्षा के ध्यान में आया कि राज्य स्तर पर समेकित मासिक प्रगति प्रतिवेदनों के अनुसार 2015-20 के दौरान राज्य में पूर्ण कार्यो का प्रतिशत 95.77 दर्शाया गया था, तथापि, नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं में यह प्रदर्शित नहीं हुआ, जहाँ केवल 71.8 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुए थे।

पूछे जाने पर (सितम्बर-दिसम्बर 2020), संबंधित पंचायती राज संस्थाओं ने बताया कि कुछ कार्यो को यूसी/सीसी प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपूर्ण दर्शाया गया था एवं कुछ कार्य अभी भी प्रारम्भ किए जाने हैं। यह इंगित करता है कि कार्य भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके थे परन्तु यूसी/सीसी वास्तव में लंबित थे, उन कार्यो को मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में पूर्ण दर्शाया गया था। इस प्रकार मासिक प्रगति प्रतिवेदनों को यथोचित सावधानी से तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

- **संयुक्त भौतिक सत्यापन:** 4,958 कार्यो में से, 663 कार्यो का लेखापरीक्षा द्वारा विभागीय कार्मिकों के साथ भौतिक रूप से सत्यापन किया गया (जुलाई-नवम्बर 2019 एवं सितम्बर-

दिसम्बर 2020)। इन 663 कार्यों का श्रेणी-वार विवरण नीचे तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका 2.15

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यों की संख्या	सड़कें	जल स्रोत <sup>38</sup>	विश्राम गृह	नाला (नाली)	विविध कार्य <sup>39</sup>
1	जोधपुर	लूनी	9	126	77	19	-	9	21
2		शेरगढ़	7	89	20	37	1	-	31
3	सीकर	धोद	9	131	88	19	-	6	18
4	टोंक	टोंक	10	137	105	10	1	7	14
5	उदयपुर	गोगुन्दा	5	71	27	10	3	5	26
6		खैरवाड़ा	9	109	52	22	1	8	26
कुल			49	663	369	117	6	35	136
पाई गई कमियाँ					282	36	1	1	4
प्रतिशत					76.42	30.77	16.67	2.86	2.94

चयनित 59 पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामों एवं 663 कार्यों के भौतिक सत्यापन की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

#### 2.3.4.1 आंतरिक सड़क कार्य

##### (i) कमतर मानकों (स्पेसिफिकेशन) के साथ सीसी सड़कों का निर्माण

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 (मानचित्र सं. 17) में निर्धारित की गई डिजाइन के अनुसार, सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क का निर्माण दो परतों में किया जाना है अर्थात् 1:3:6 (सीमेंट:1, रेत:3 एवं रोड़ी:6) के अनुपात में सीसी की 15 से.मी. मोटाई की पहली परत और 1:1.5:3 (सीमेंट:1, रेत:1.5 एवं रोड़ी: 3) के अनुपात में सीसी की 10 से.मी. मोटाई की दूसरी परत।

तथापि लेखापरीक्षा, ने पाया कि नमूना जांच की गई चार पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद टोंक : 04, जिला परिषद उदयपुर : 02, पंचायत समिति टोंक : 05 एवं पंचायत समिति खैरवाड़ा: 10 ) में ₹ 87.98 लाख की 21 सीसी सड़कों का निर्माण सीमेंट कंक्रीट की केवल एक परत में किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि तकनीकी अधिकारी द्वारा स्थल के निरीक्षण के बाद तैयार किए गए विस्तृत अनुमानों में दो परतों का प्रावधान लिया गया था। इनमें से अधिकांश मामलों में, इन सड़कों की स्वीकृत राशि का उपभोग करने के लिए अनुमानों में ली गई लम्बाई/चौड़ाई की तुलना में सड़कों की या तो लम्बाई या चौड़ाई बढ़ा दी गई थी, जबकि स्वीकृत राशि का उपभोग करने के लिए सड़क की मोटाई से भी समझौता किया गया था।

आगे, पंचायत समिति टोंक के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि ₹ 3.69 करोड़ के व्यय उपरान्त पूर्ण की गई 73 सीसी सड़कों (18 ग्राम पंचायत) के मामले में, आधार परत (बेस

38 एनीकट, हैण्ड पंप, टांका, पनघट, पाइपलाइन, पशुघाट आदि

39 भूमि का समतलीकरण, शौचालय, चारदीवारी, मरम्मत कार्य आदि

लेयर) के स्पेसिफिकेशन को 1:3:6 (सीमेंट :1, रेत :3 एवं रोड़ी :6) के अनुपात में 15 से.मी. मोटाई की सीसी के स्थान पर 40 मिमी शुष्क रोड़ी में बदल दिया गया था।

इस प्रकार, पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद, निर्धारित मानकों से कमतर मानकों की सड़कों का निर्माण किया गया था एवं सड़क की गुणवत्ता से भी उस सीमा तक समझौता किया गया। यह विभागीय कार्मिकों द्वारा निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की कमी को भी दर्शाता है जैसा कि अनुच्छेद 2.3.4.6 (iii) में इंगित किया गया है।

पंचायत समिति टोंक ने बताया (अगस्त 2019) कि क्षेत्र की आवश्यकतानुसार 40 मिमी शुष्क रोड़ी बिछाकर आधार परत तैयार की गई थी। अन्य तीन पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार केवल ऊपरी परत बिछाकर कार्यों का निष्पादन किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सड़कें ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के प्रावधानों एवं स्वीकृत विस्तृत तकनीकी अनुमानों के अनुसार निर्मित नहीं की गई थी।

प्रकरण सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था लेकिन बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

#### **(ii) नालियों एवं विस्तार जोड़ों के बिना आन्तरिक सड़कों का निर्माण**

पंचम राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वच्छता एवं जल संरक्षण को प्राप्त करने के उद्देश्य से, आन्तरिक सड़कों एवं सीमेंट कंक्रीट (सीसी) (इंटरलॉकिंग ब्लाक सहित) के कार्य नाली निर्माण के साथ ही अनुमत होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच की गई नौ पंचायती राज संस्थाओं (चार जिला परिषदों<sup>40</sup> एवं पांच पंचायत समितियों<sup>41</sup>) में ₹ 10.38 करोड़ के व्यय से पूर्ण 208 सड़कें (96 सीसी सड़कें, 112 सीसी ब्लॉक सड़कें) बिना नालियों के निर्मित की गई थी। ऐसे ही पांच मामले (₹ 0.22 करोड़ के) पंचायत समिति चौथ का बरबाड़ा (जिला परिषद सवाईमाधोपुर) की अनुपालना लेखापरीक्षा (जुलाई 2019) के दौरान भी ध्यान में आये थे।

आगे, ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के परिशिष्ट-1 का अनुच्छेद 23 (3) उपबंधित करता है कि तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सीसी सड़क में प्रत्येक 15 मीटर की दूरी पर विस्तार जोड़ (एक्सपेंशन ज्वाइंट) दिया जाना अपेक्षित है। तथापि, 213 सड़कों में से, 89 सीसी सड़कों (41.78 प्रतिशत) में विस्तार जोड़ नहीं दिए गए थे, जो इन सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक थे। इस प्रकार, सड़कों की सुरक्षा से भी उस सीमा तक समझौता किया गया था।

दो जिला परिषदों (टोंक एवं उदयपुर) और तीन पंचायत समितियों (टोंक, खैरवाड़ा एवं गोगुन्दा) ने बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि जहाँ आवश्यक था वहाँ नालियों का निर्माण किया गया था, जबकि अन्य जिला परिषद एवं पंचायत समितियों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

40 चार जिला परिषद : जोधपुर, उदयपुर, सीकर एवं टोंक

41 पांच पंचायत समिति: धोद, लूनी, टोंक, खैरवाड़ा एवं गोगुन्दा



उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वच्छता एवं जल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कि पंचम राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है, सड़कों के साथ-साथ नालियों का निर्माण किया जाना था।

**(अ) भौतिक सत्यापन:** विभागीय प्राधिकारियों के साथ 369 सड़कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में प्रकट हुआ कि ₹ 11.34 करोड़ की लागत से पूर्ण की गई 274 सीसी सड़कें (74.25 प्रतिशत), बिना नालियों के निर्मित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त स्वच्छता एवं जल संरक्षण को सुनिश्चित करने में असफल रहने के अलावा जलभराव (8 कार्यों) एवं ऊपरी सतह क्षतिग्रस्त (11 कार्यों में) पाई गई। उदाहरणार्थ मामले नीचे दिए गए हैं:

	
<p><b>प्रकरण 1:</b> मुख्य सड़क से जीवत राम के घर तक सीसी सड़क का निर्माण, ग्राम पंचायत डबायचा, पंचायत समिति खैरवाड़ा : सड़क बिना नाली निर्माण एवं ऊपरी सतह क्षतिग्रस्त पाई गई।</p>	<p><b>प्रकरण 2:</b> देवीकिशन गुर्जर के घर से बाबू स्टीक के घर तक सीसी सड़क का निर्माण, कुरेड़ी, ग्राम पंचायत कुरेड़ा, पंचायत समिति टोंक : सड़क बिना नाली निर्माण एवं जलभराव से प्रभावित पाई गई।</p>

**(ब) अन्यत्र स्थान पर सड़कों का निर्माण :** पंचायत समिति टोंक के पांच<sup>42</sup> प्रकरणों में, यह भी देखा गया कि ₹ 24.56 लाख लागत की सीसी सड़कें, या तो सम्पूर्ण सड़क या सड़क का एक भाग, स्वीकृत स्थान से अन्यत्र स्थान पर निर्मित किया गया था। कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता, जो इन सड़कों के भुगतान को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी थे, ने कार्यस्थलों का निरीक्षण किए बिना केवल माप पुस्तिकाओं (स्वीकृति के अनुसार तैयार) के आधार पर भुगतान को प्रमाणित कर दिया।

पंचायत समिति ने बताया (सितम्बर 2020) कि आवश्यक कार्यवाही की जाएगी एवं तदनुसार लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

**(स) क्षतिग्रस्त सड़कें :** पंचायत समिति गोगुन्दा (ग्राम पंचायत: मादड़ा), पंचायत समिति: खैरवाड़ा (ग्राम पंचायत: कानपुर एवं ग्राम पंचायत: कनबई) एवं पंचायत समिति: टोंक (ग्राम पंचायत: अरनियामाल) में चार सीसी/इंटरलॉकिंग ब्लॉक सड़कों के निर्माण कार्य ₹ 14.82 लाख के व्यय से पूर्ण किए गए थे।

42 ग्राम पंचायत - सांखना :1, सोरन :2 एवं घास :2

कार्यस्थलों के भौतिक सत्यापन के दौरान, ये सड़कें आधार परत नहीं बिछाने एवं साइड पैकिंग के अभाव आदि के कारण क्षतिग्रस्त पाई गई थी। सड़कों की कमियों को दुरस्त करने की कार्यवाही, अभिलेखों में नहीं पाई गई। उदाहरणार्थ प्रकरण नीचे दिया गया है:



**प्रकरण 3:** मुख्य सड़क से कुरे सिंह/सरदार सिंह के घर की ओर सीसी सड़क का निर्माण, ग्राम पंचायत कानपुर (पंचायत समिति खैरवाड़ा)

**(द) सड़कों पर अतिक्रमण :** स्वच्छता हेतु ग्राम पंचायत: ओबराकलां, पंचायत समिति: गोगुन्दा में मुख्य सड़क से कोटा काकड़ की ओर, सीसी सड़क मय नाली निर्माण का एक कार्य स्वीकृत (दिसम्बर 2017) किया गया था एवं ₹ 3.70 लाख की लागत से (जनवरी 2018) पूर्ण किया गया। सड़क के बीच में लोहे का गेट लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर सड़क पर अतिक्रमण पाया गया (अक्टूबर 2019)।

ग्राम विकास अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2019) कि अतिक्रमण शीघ्र हटा दिया जाएगा। तथापि, अतिक्रमण दिसम्बर 2020 तक नहीं हटाया गया था।



**प्रकरण 4:** बीच सड़क पर लोहे का गेट लगाकर किया गया अतिक्रमण (अक्टूबर 2019)

प्रकरण सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था, लेकिन बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

### 2.3.4.2 जल स्रोतों से संबंधित कार्य

#### (i) बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए बिना 'पनघट' का निर्माण

पंचायती राज विभाग ने परिपत्र जारी किया (नवम्बर 2015) कि एक जल स्रोत की स्थापना के लिए अनुमान तैयार करते समय, बिजली कनेक्शन और उसकी लागत हेतु अनुमान में प्रावधान किया गया जाना चाहिए। यदि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो जल स्रोत को निष्फल माना जाएगा एवं जल स्रोत के विकास पर किया गया व्यय कार्यकारी संस्था से वसूलनीय होगा। विद्युत कनेक्शन करा दिए जाने के बाद ही सीसी जारी की जाएगी।

तथापि, नमूना जांच की गयी दो पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद उदयपुर एवं पंचायत समिति स्वैरवाड़ा) के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जून 2016 से दिसम्बर 2019 के दौरान पनघट<sup>43</sup> निर्माण के 17 कार्य<sup>44</sup> ₹ 27.19 लाख से पूर्ण किए गए परन्तु, विस्तृत अनुमानों में विद्युत कनेक्शन का प्रावधान नहीं लिया गया था। इसी प्रकार, पंचायत समिति गंगरार (फ़रवरी 2019 में अनुपालना लेखापरीक्षा) में ₹ 63.00 लाख के व्यय से बोर मोटर के 45 कार्य बिना विद्युत कनेक्शन प्रावधान के पूर्ण किए गए थे।

इससे भी बढ़कर, इन 62 कार्यों के लिए विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था किए बिना ही सीसी जारी कर दिए गए थे, जिससे ₹ 90.19 लाख का सम्पूर्ण व्यय निष्फल रहा।

पंचायत समिति: स्वैरवाड़ा ने बताया (सितम्बर 2019) कि सभी कार्य ग्राम पंचायतों की सहमति से निष्पादित किए गए हैं और विद्युत कनेक्शन पहले से उपलब्ध हैं, जबकि जिला परिषद उदयपुर ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया (दिसम्बर 2020)।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितम्बर 2019) के दौरान नौ ऐसे पनघट कार्यों (पंचायत समिति: स्वैरवाड़ा में मई-जुलाई 2018 के दौरान पूर्ण हुए) में से चार मामलों<sup>45</sup> में नजदीक के घरों से निजी विद्युत कनेक्शन लिए हुए, पाए गए थे। इसके अलावा, दिसम्बर 2020 में पुनः संयुक्त भौतिक सत्यापन पर स्थिति अपरिवर्तित पायी गई। उदाहरणार्थ प्रकरण नीचे दिया गया है। इस प्रकार, शेष पनघटों में सरकारी विद्युत कनेक्शन की सम्भावना क्षीण है।

43 लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए एक संरचना

44 जिला परिषद उदयपुर (8 कार्य) एवं पंचायत समिति स्वैरवाड़ा (9 कार्य)

45 बस स्टैंड के पास पनघट निर्माण, ग्राम पंचायत कानपुर, पंचायत समिति स्वैरवाड़ा; स्वीकृत राशि ₹ 1.55 लाख एवं व्यय ₹ 1.50 लाख; पंचायत मुख्यालय के पास पनघट निर्माण, ग्राम पंचायत जायरा, पंचायत समिति स्वैरवाड़ा : स्वीकृत राशि ₹ 1.55 लाख एवं व्यय ₹ 1.55 लाख; बंसी/रूपसी के घर के पास पनघट निर्माण, फुटला, ग्राम पंचायत करावाड़ा, पंचायत समिति स्वैरवाड़ा : स्वीकृत राशि ₹ 1.55 लाख एवं व्यय राशि ₹ 1.51 लाख एवं किशोर सिंह के घर के पास पनघट निर्माण, ग्राम पंचायत कानपुर, पंचायत समिति स्वैरवाड़ा : स्वीकृत राशि ₹ 1.55 लाख एवं व्यय ₹ 1.51 लाख



**प्रकरण 5:** बिना सरकारी विद्युत कनेक्शन के किशोर सिंह के घर के पास पनघट निर्माण ग्राम पंचायत कानपुर, पंचायत समिति सैरवाड़ा

### (ii) पशु खेली एवं सोस्ता गड्ढों के बिना हैण्ड पम्पों की स्थापना

पंचायती राज विभाग ने हैण्ड पंप की स्थापना के संबंध में परिपत्र जारी किया (सितम्बर 2014) जो निर्धारित करता है कि नाली, पशु खेली एवं सोस्ता गड्ढे का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि अपशिष्ट जल स्वाभाविक रूप से पशु खेली में चला जाए।

तथापि, अभिलेखों (माप पुस्तकाएं एवं विस्तृत अनुमान) की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नमूना जांच की गई चार पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद: टोंक, जिला परिषद: उदयपुर, पंचायत समिति: सैरवाड़ा एवं पंचायत समिति: गोगुन्दा) में ₹ 76.06 लाख के व्यय से हैण्ड पंप स्थापना के 123 कार्य<sup>46</sup> निर्धारित हैं, सोस्ता गड्ढे एवं पशु खेली के बिना ही पूर्ण किए गए थे।

पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि पशु खेली एवं सोस्ता गड्ढे का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।

- **भौतिक सत्यापन:** इसके अलावा, भौतिक निरीक्षण किए गए जल स्रोतों के 117 कार्यों में से, 36 कार्यों (30.77 प्रतिशत) में कमियाँ पाई गईं जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

(अ) दो पंचायती राज संस्थाओं (पंचायत समिति गोगुन्दा : 3 कार्य एवं पंचायत समिति सैरवाड़ा: 15 कार्य) में अक्टूबर 2016-जून 2018 के दौरान ₹ 9.39 लाख के व्यय से 18 हैण्डपम्पों की स्थापना/निर्माण किया गया था परन्तु हैण्डपम्पों के साथ पशु खेली एवं सोस्ता गड्ढों का निर्माण नहीं किया गया था। बिना पशु खेली एवं सोस्ता गड्ढे के स्थापित हैण्डपम्पों के प्रकरण उदाहरणार्थ नीचे दिए गए हैं:

46 जिला परिषद टोंक (10 कार्य), उदयपुर (36 कार्य) एवं पंचायत समिति सैरवाड़ा (54 कार्य), गोगुन्दा (23 कार्य)



**प्रकरण 6:** वंडीला स्कूल के पास हैंडपंप की स्थापना, ग्राम पंचायत लराठी, पंचायत समिति सैरवाड़ा

**प्रकरण 7:** शिव लाल के घर के पास हैंडपंप की स्थापना, ग्राम पंचायत रावलिया कलां, पंचायत समिति गोगुन्दा

(ब) पंचायत समिति धोद (एक कार्य) एवं शेरगढ़ (11 कार्य) में पाइपलाइन एवं पानी की टंकी निर्माण के 12 कार्य ₹ 29.62 लाख की लागत पर स्वीकृत (जून 2016-सितम्बर 2018) एवं ₹ 29.19 लाख के व्यय के उपरान्त पूर्ण (जुलाई 2016-सितम्बर 2019) किए गए। जल स्रोत तक कनेक्शन के अभाव के कारण इन परिसम्पतियों को उपयोग में नहीं लिया जाना पाया गया था। इस प्रकार ₹ 29.19 लाख का सम्पूर्ण व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। उदाहरणार्थ प्रकरण नीचे दिए गए हैं।



**प्रकरण 8:** राजपूतों की ढाणी, खिरजां फ़तेह सिंह में 20 किलो लीटर जीएलआर निर्माण (ग्राम पंचायत खिरजां तिबना):



**प्रकरण 9:** मदरसा बहमनी सिंधियो की ढाणी में मय पाइपलाइन जीएलआर निर्माण कार्य (ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा)

(ग) पंचायत समिति शेरगढ़ में ₹ 1.20 लाख के व्यय से पूर्ण किए गए सार्वजनिक टांके के दो कार्य<sup>47</sup> घरों के परिसरों के भीतर निर्मित किए गए थे जो चारदीवारी से घिरे थे। इस प्रकार टांकों के सार्वजनिक उपयोग की संभावना क्षीण है।



प्रकरण सरकार को अग्रप्रेषित किया गया (मार्च 2021) था लेकिन बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

### 2.3.4.3 विश्राम गृह, नाली एवं अन्य कार्य

(i) मेघवाल बस्ती, ग्राम पंचायत गोगुन्दा, पंचायत समिति गोगुन्दा, में विश्राम गृह का निर्माण ₹ 4.63 लाख के व्यय से किया गया था। यह पाया गया (सितम्बर 2019) कि कार्य अपूर्ण था एवं भवन में मलबा पड़ा हुआ था। दिसम्बर 2020 में भौतिक सत्यापन के दौरान भी भवन उसी अवस्था में पाया गया। इस प्रकार, विश्राम भवन के निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।



47 रूप सिंह/तेज सिंह की ढाणी के पास सार्वजनिक टांके का निर्माण, ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा, पंचायत समिति शेरगढ़ (स्वीकृत: ₹ 0.63 लाख, व्यय: ₹ 0.60 लाख) एवं मरुफस्वान/जमीन खान की ढाणी के पास टांके का निर्माण, ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा, पंचायत समिति शेरगढ़ (स्वीकृत: ₹0.63 लाख, व्यय : ₹0.60 लाख)

(ii) ग्राम अल्लाहपुरा, ग्राम पंचायत अरनियामाल, पंचायत समिति टोंक में मस्जिद के पास नाला निर्माण कार्य ₹ 2.00 लाख के व्यय से निष्पादित किया गया था। नाले का निकास बस्ती के भीतर खुला हुआ था एवं नाले के आस पास काफी गंदगी एवं कचरा पाया गया। इस प्रकार, नाला निर्माण से स्वच्छता का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

(iii) राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय पाटिया, ग्राम पंचायत पाटिया, पंचायत समिति खैरवाड़ा में शौचालय-मूत्रालय के निर्माण कार्य पर ₹ 1.60 लाख का व्यय किया गया था। तथापि, कार्य के संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितम्बर 2019), में प्रकट हुआ कि ₹ 0.54 लाख मूल्य की सामग्री अनुपयोजित पड़ी हुई थी एवं पानी की टंकी और शौचालय की सीट स्थापित नहीं की गई थी।



**प्रकरण 13:** राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय पाटिया ग्राम पंचायत पाटिया, पंचायत समिति खैरवाड़ा में शौचालय-मूत्रालय का अपूर्ण कार्य (दिसम्बर 2020)

अगले भौतिक सत्यापन (दिसम्बर 2020) के दौरान भी, शौचालय की स्थिति अपरिवर्तित रही। चूंकि, इस विद्यालय में अन्य शौचालय/मूत्रालय की कोई सुविधाएं नहीं थी, बच्चों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2020) कि कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि शौचालय-मूत्रालय के लिए उपलब्ध जगह/भूमि पर्याप्त नहीं थी।

(iv) पंचायत समिति शेरगढ़, जिला परिषद जोधपुर में ₹ 6.92 लाख के व्यय से पूर्ण किए गए तीन कार्यों<sup>48</sup> के भौतिक सत्यापन में प्रकट हुआ कि ये परिसम्पतियां निजी भूमियों पर निर्मित की गई थी और आम जनता द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा रही थी।

48 रेवत सिंह की ढाणी, ग्राम पंचायत खिरजा तिबना में विश्रान्ति गृह का निर्माण: स्वीकृत राशि ₹ 2.20 लाख एवं व्यय राशि ₹ 2.16 लाख; गुमान सिंह की ढाणी, खिरजा तिबना में सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण: स्वीकृत राशि ₹ 2.30 लाख एवं व्यय राशि ₹ 2.26 लाख; खानोड़ी सड़क पर सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण, भीलों की ढाणी के पास, ग्राम पंचायत बापू नगर: स्वीकृत राशि ₹ 2.50 लाख एवं व्यय राशि ₹ 2.50 लाख।



**प्रकरण 14:** खानोड़ी सड़क पर सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण भीलों की ढाणी के पास ग्राम पंचायत, बापू नगर, पंचायत समिति शेरगढ़

**प्रकरण 15:** सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण, गुमान सिंह की ढाणी, ग्राम पंचायत खिरजा तिबना, पंचायत समिति शेरगढ़



**प्रकरण 16:** विश्रान्ति गृह का निर्माण, रेवत सिंह की ढाणी, ग्राम पंचायत खिरजा तिबना, पंचायत समिति शेरगढ़

प्रकरण सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था लेकिन बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद भी उनका उत्तर अभी तक (दिसम्बर 2021) प्रतीक्षित था ।

#### **2.3.4.4 तकनीकी अनुमानों को तैयार किए बिना ही कार्यो का निष्पादन**

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुच्छेद 6 में विभिन्न कार्यो के निर्माण के लिए प्राक्कलनों को तैयार करने हेतु प्रावधान दिए गए हैं । तदनुसार, अनुच्छेद 6.3.1 एवं 6.3.5 यह निर्धारित करता है कि अनुमोदित ड्राइंग एवं कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार निष्पादित की जाने वाली प्रत्येक मद की मात्राओं का निर्धारण करते हुए नए कार्यो के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किए जाने चाहिए । मदों की मात्रा एवं मद की इकाई लागत, कार्य की कुल लागत निर्धारित प्रपत्रों में दर्शायी जानी चाहिए । कार्यो की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यो का निष्पादन इन विस्तृत अनुमानों पर आधारित होगा ।



लेखापरीक्षा, ने पाया कि पंचायत समिति धोद की नमूना जांच की गई 9 ग्राम पंचायतों में 115 कार्यों<sup>49</sup> के लिए मद की मात्राएँ एवं इकाई दरें इत्यादि निर्धारित प्रपत्र में दर्शाते हुए विस्तृत तकनीकी अनुमान तैयार नहीं किए गए थे। कार्यों को स्वीकृत लागत राशि ₹ 4.10 करोड़ के विरुद्ध ₹ 3.60 करोड़ के व्यय से पूर्ण किया गया था।

भौतिक सत्यापन के दौरान इनमें से अधिकांश कार्य पूर्ण किए हुए पाए गए। तथापि, अनेक अनियमितताएं जैसे सड़कों के साथ नालियों का निर्माण नहीं करना (₹ 2.05 करोड़ के 49 कार्य), गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टों की अनुपलब्धता (₹ 2.21 करोड़ के 54 कार्य), कार्यस्थल पर सूचना पटल का न होना (₹ 0.44 करोड़ के 11 कार्य) एवं ग्राम पंचायत विकास कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किए गए कार्य (₹ 0.08 करोड़ के तीन कार्य) इत्यादि ध्यान में आईं। तथापि, विस्तृत प्राक्कलन के अभाव में गुणवत्ता/मात्रा के विचलन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

#### 2.3.4.5 पारदर्शिता का अभाव

##### (i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों के प्रावधानों की पालना किए बिना कार्यों का निष्पादन

उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, निविदादाताओं से निष्पक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, दक्षता वृद्धि करने एवं मितव्ययता और सत्य निष्ठा का संरक्षण करने के उद्देश्यों से लोक उपापन को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम, 2013 लागू किए गए थे।

आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 5 में प्रावधान है कि पांच लाख या अधिक के अनुमानित मूल्य के कार्यों का उपापन ई-उपापन के माध्यम से होना चाहिए। आगे, दर संविदा के मामले में, उक्त नियमों के नियम 29 (2) में प्रावधान है की दर संविदा की अवधि सामान्यतः एक वर्ष होगी, अपरिहार्य परिस्थितियों में जो समान मूल्य, निबंधनों एवं शर्तों पर 3 माह से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नई दर संविदाएं बिना किसी अन्तराल के प्रचलित दर संविदाओं की समाप्ति के ठीक बाद क्रियाशील हो जाएँ।

(अ) पंचायत समिति गोगुन्दा में, अवधि 2015-16 के लिए हैंडपंपो एवं नलकूपों की स्थापना के कार्यों के लिए क्रमशः ₹ 35.00 लाख एवं ₹ 10.00 लाख अनुमानित मूल्य के लिए निवदाएं आमंत्रित (सितम्बर 2015) की गई थी। संवेदक 'अ' की दरें न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित की गई एवं 2015-16 के दौरान राशि ₹ 45.00 लाख के कार्यों के निष्पादन के लिए संवेदक के साथ एक दर संविदा निष्पादित की गई (नवम्बर 2015)। इस दर संविदा के विरुद्ध, पंचायत समिति गोगुन्दा ने 2015-17 के दौरान ₹ 74.07 लाख के 103 कार्य आवंटित किए एवं संवेदक ने ₹ 57.81 लाख के 81 कार्य निष्पादित किए।

49 सीसी सड़क कार्य :78; जल स्रोत :14; मरम्मत कार्य :2; चार दीवारी : 5; सीवरेज: 10 एवं अन्य कार्य: 6।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दर संविदा को तीन माह (जून 2016) की निर्धारित सीमा से परे जून 2017 तक अनियमित रूप से बढ़ा दिया गया था। पंचायत समिति गोगुन्दा ने नई निविदाएं आमंत्रित करने के बजाय अनियमित रूप से उक्त संवेदक 'अ' के माध्यम से ₹ 41.42 लाख व्यय करते हुए 58 कार्य निष्पादित करा लिए। इसके अतिरिक्त, निविदाएं आमंत्रित करने के लिए आरटीपीपी नियम, 2013 में निर्धारित ई-उपापन प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया।

(ब) पंचायत समिति खैरवाड़ा में, हैंडपंपो की स्थापना एवं पनघटों के निर्माण के लिए संवेदक 'ब' के साथ दर संविदा जुलाई 2019 तक एक साल की अवधि के लिए निष्पादित (जुलाई 2018) की गई थी। जुलाई 2019 में, दर संविदा को तीन माह तक बढ़ा दिया गया था (अक्टूबर 2019 तक)।

लेखापरीक्षा, ने पाया कि पंचायत समिति खैरवाड़ा ने दर संविदा की विस्तारित अवधि के परे, दिसम्बर 2019 से मई 2020 के दौरान पनघटों एवं हैंडपंपो के ₹ 29.07 लाख के 33 कार्य अनियमित रूप से स्वीकृत किए एवं संवेदक 'ब' द्वारा ₹ 28.78 लाख के व्यय से कार्य पूर्ण किए गए। यह आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था।

पंचायत समिति ने बताया (दिसम्बर 2020) कि कार्यों को जनहित में निष्पादित कराया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य दर संविदा की विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकृत किए गए थे।

इस प्रकार, पंचम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत अनुदानों में से कार्यों का निष्पादन करते समय इन दो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आरटीपीपी नियमों में निर्धारित लोक उपापन में पारदर्शिता के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

प्रकरण, सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था लेकिन बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद भी उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

**(ii) पांचवें राज्य वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों के विवरण से सम्बंधित वॉल पेंटिंग**

पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देशों (जून एवं सितम्बर 2016) के अनुसार, निधियों के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों एवं किए गए व्यय के संबंध में सूचना ग्राम पंचायत और अटल सेवा केन्द्रों पर दीवार पेंटिंग के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-20 के दौरान नमूना जांच की गई 49 ग्राम पंचायतों में से किसी के द्वारा भी उपरोक्त विवरण प्रदर्शित करने वाली दीवार पेंटिंग नहीं बनाई गई थी। ग्राम पंचायत ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि दीवार पेंटिंग पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

इस प्रकार, आम जनता पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराई गयी निधियों के उपयोग के संबंध में सूचना से वंचित रही और पारदर्शिता भी उस सीमा तक बाधित रही।

प्रकरण सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था लेकिन बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद भी उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

**(iii) कार्यस्थल पर कार्यों की सूचना प्रदर्शित नहीं करना**

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुच्छेद 24.2 में परिकल्पित है कि कार्यों से संबंधित सूचना जैसे कार्य का नाम मय कार्यस्थल, योजना का नाम, स्वीकृत राशि, मानव-दिवस, कार्य के प्रारंभ एवं पूर्ण करने की दिनांक, किया गया व्यय और आम जनता को होने वाले लाभों/सुविधाओं इत्यादि प्रत्येक कार्यस्थल पर बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है।

तथापि, नमूना जांच किए गए जिलों में भौतिक रूप से सत्यापित 663 कार्यों में से, 353 कार्यों<sup>50</sup> (53.24 प्रतिशत) के संबंध में ऐसी सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना नहीं पाया गया।

प्रकरण सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था लेकिन स्मरण कराए जाने (अप्रैल-दिसम्बर 2021) के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

**2.3.4.6 आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली**

**(i) उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत करने का अभाव**

ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुच्छेद 22.6 एवं 22.7 में प्रावधान है कि कार्यकारी संस्थाओं द्वारा कार्य के पूर्ण होने की सूचना प्राप्त होने पर, निधियों के उपयोग एवं कार्यों के पूर्ण होने की यूसी/सीसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रमशः 15 दिवस एवं 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। आगे, ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुच्छेद 22.10 में कार्य पूर्ण करने की अधिकतम अवधि नौ माह निर्धारित की गई है। यदि निर्धारित सीमा के भीतर सीसी जारी नहीं की जाती है तो विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के पैरा 20.1 के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध शास्ति आरोपित एवं वसूली के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।

**(अ)** नमूना जांच की गई 59 पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2015-16 के दौरान स्वीकृत 4,958 कार्यों (मूल्य ₹ 153.09 करोड़) में से, दिसम्बर 2020 को राशि ₹ 37.77 करोड़ के 1,553 कार्यों<sup>51</sup> (31.32 प्रतिशत) के यूसी/सीसी लंबित थे।

50 जिला परिषद जोधपुर :31; जिला परिषद टोंक :130; जिला परिषद सीकर: 14 एवं जिला परिषद उदयपुर: 178

51 2015-16: 29 कार्य (₹ 53.04 लाख); 2016-17: 238 कार्य (₹ 471.15 लाख); 2017-18: 211 कार्य (₹ 580.17 लाख); 2018 -19: 501 कार्य (₹ 1211.20 लाख) एवं 2019-20: 574 कार्य (₹ 1,461.21 लाख)

संबंधित पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि कार्यकारी संस्थाओं द्वारा यूसी/सीसी प्रस्तुत नहीं करने, कार्यों का माप नहीं करने एवं कार्यों के पूर्ण नहीं होने इत्यादि के कारण यूसी/सीसी लंबित थे।

**(ब) पूर्व राज्य वित्त आयोग की निधियों का उपयोग/समायोजन:** राज्य वित्त आयोग की अवधि व्यतीत होने के 6 से 11 वर्षों के बाद भी, पूर्व राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जारी की गई राशि ₹ 8.78 करोड़<sup>52</sup>, नमूना जांच की गयी जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में समायोजन हेतु लंबित थी।

जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों ने बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि यूसी/सीसी प्रस्तुत नहीं करने के कारण निधियां अनुपयोजित/असमायोजित रहीं एवं यूसी/सीसी के समायोजन के बाद अनुपयोजित निधियों का भुगतान कर दिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी कार्य उनकी स्वीकृति के नौ माह के भीतर पूर्ण किए जाने चाहिए एवं यूसी/सीसी भी समय पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए जैसा कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 में निर्धारित किया गया है। विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर सीसी जारी नहीं करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए।

आगे, राशियों को लम्बे समय तक असमायोजित रखने से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो सकता है। इस संबंध में, ग्राम पंचायत लराठी (पंचायत समिति स्रैरवाड़ा, उदयपुर) की नमूना जांच/भौतिक सत्यापन के दौरान ध्यान में आये एक दोहरे/काल्पनिक भुगतान के प्रकरण की चर्चा उप-अनुच्छेद (स) में नीचे की गयी है।

**(स) काल्पनिक भुगतान :** तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत लराठी में अलखा रामजी के घर से मुख्य सड़क की ओर एक सीसी सड़क मय नाली का निर्माण कार्य ₹ 2.00 लाख की लागत पर स्वीकृत किया गया (अगस्त 2015) एवं ₹ 1.78 लाख का व्यय किया गया (सितम्बर 2015), लेकिन कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

तत्पश्चात् मार्च 2016 में, उसी ग्राम पंचायत लराठी में उसी स्थल पर मुख्य सड़क से बाबू/अलखा के घर की ओर एक सीसी सड़क का निर्माण कार्य ₹ 2.50 लाख की लागत से पंचम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत स्वीकृत किया गया एवं ₹ 2.51 लाख का व्यय किया गया (अप्रैल 2016)। इस कार्य का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। विभागीय जांच की गयी, जिसमें तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत कार्य के लिए ₹ 1.78 लाख की वसूली प्रस्तावित

52 **4 जिला परिषदें:** टोंक (राज्य वित्त आयोग III- ₹ 0.27 करोड़, राज्य वित्त आयोग IV- ₹ 0.58 करोड़), सीकर (राज्य वित्त आयोग III- ₹ 0.91 करोड़, राज्य वित्त आयोग IV- ₹ 1.44 करोड़), जोधपुर (राज्य वित्त आयोग IV- ₹ 1.73 करोड़) एवं उदयपुर (राज्य वित्त आयोग III- ₹ 1.35 करोड़, राज्य वित्त आयोग IV- ₹ 1.27 करोड़) **पांच पंचायत समितियाँ:** लूनी (राज्य वित्त आयोग IV- ₹ 0.65 करोड़), शेरगढ़ (राज्य वित्त आयोग III- ₹ 0.002 करोड़), टोंक (राज्य वित्त आयोग III- ₹ 0.06 करोड़), धोद (राज्य वित्त आयोग III- ₹ 0.04 करोड़, राज्य वित्त आयोग IV- ₹ 0.13 करोड़), स्रैरवाड़ा (राज्य वित्त आयोग III- ₹ 0.21 करोड़, राज्य वित्त आयोग IV- ₹ 0.14 करोड़)।

(सितम्बर 20 19) की गई। पंचायती राज विभाग के आश्वासन (दिसम्बर 2020) के बावजूद फरवरी 2021 तक राशि की वसूली लंबित थी।

प्रकरण सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था लेकिन उनका उत्तर बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद भी प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

### (ii) वार्षिक लेखों का संधारण एवं प्रस्तुतीकरण

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 246 एवं 247 के अनुसार वर्ष के अंत में एक ग्राम पंचायत/पंचायत समिति द्वारा बजट के प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत इसके आय एवं व्यय को दर्शाते हुए प्रपत्र XXXVI में वार्षिक लेखों का सारांश तैयार करने एवं अगले वर्ष के 1 मई तक जिला परिषद के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाया जाना अपेक्षित है। वार्षिक लेखों का सारांश प्रपत्र XXXVII में अनुदानों के विवरण, किए गए व्यय, यूसी इत्यादि से समर्थित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों की सूची एवं सम्पत्तियों और देयताओं के विवरण के साथ होना अपेक्षित है। जिला परिषद इन विवरणों का गहनता से जांच करेगी और अपनी टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को भेजेगी। जिला परिषद के वार्षिक लेखे 15 मई तक राज्य सरकार को भिजवाया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-20 के दौरान, पंचायत समितियों ने अपने वार्षिक लेखे जिला परिषद को जांच के लिए प्रस्तुत किए बिना सीधे ही पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत किए। इस प्रकार, जैसा की नियमों में निर्धारित है, लेखों का अन्तिमीकरण जिला परिषदों द्वारा पर्यवेक्षित/प्रमाणित नहीं किया जा सका।

इसके अलावा, नमूना जांच की गई दस पंचायती राज संस्थाओं (चार जिला परिषद एवं छः पंचायत समिति) ने भी उनके वार्षिक लेखे, पांच दिवस से 306 दिवस की देरी से भी प्रस्तुत किए।

सात<sup>53</sup> पंचायती राज संस्थाओं ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि लेखे तैयार करने में समय लगने के कारण प्रस्तुतीकरण में देरी हुई, जबकि तीन पंचायती राज संस्थाओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

प्रकरण सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था लेकिन बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर 2021) के बावजूद भी उनका उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

### (iii) कार्यों का निरीक्षण

ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुच्छेद 16.2 एवं 16.3 में प्रावधान है कि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों<sup>54</sup> द्वारा प्रत्येक स्तर पर निर्माण का समय-समय

53 दो जिला परिषद (उदयपुर एवं सीकर) एवं पांच पंचायत समिति (गोगुन्दा, खैरवाड़ा, लूनी, शेरगढ़ एवं टोंक)

54 पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं सहायक अभियंता तथा जिला परिषद के सहायक परियोजना अधिकारी, सहायक अभियंता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, अधिशासी अभियंता एवं प्रशासनिक अधिकारी।

पर निरीक्षण करने चाहिए। आगे, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों की निरीक्षण पंजिका, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर के प्राधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों के निरीक्षण का विवरण शामिल हो, का संधारण निर्धारित प्रारूप में किया जाना चाहिए। निरीक्षण के मानदंड नीचे तालिका 2.16 में दिए गए हैं।

तालिका 2.16

(आंकड़े प्रतिशत में)

क्र.सं.	कार्य की कुल लागत	पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक	जिला परिषद के सहायक परियोजना अधिकारी, सहायक अभियंता, वतस एवं पंचायत समिति के सहायक अभियंता	जिला परिषद के अधिशासी अभियंता	खंड विकास अधिकारी	जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
1	₹ 2 लाख तक	100	25	0	25*	5*
2	₹ 2 लाख से 10 लाख	100	100	25		
3	₹ 10 लाख एवं अधिक	100	100	100		

\* कुल कार्यों में से यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्र में चल रही प्रत्येक योजना के कार्य को आवर्त किया जा सकता है।

चयनित पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि कार्यों की निरीक्षण पंजिकाएँ किसी भी स्तर पर संधारित नहीं की गई थीं।

संबंधित पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (सितम्बर-दिसम्बर 2020) कि समय-समय पर निरीक्षण किए गए थे लेकिन निरीक्षणों का विवरण संधारित नहीं किया गया। उन्होंने आगे बताया कि निरीक्षण पंजिका का संधारण अब कर लिया जाएगा।

निरीक्षण पंजिका के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि समय-समय पर निरीक्षण जैसा कि निर्धारित किया गया है किए गए थे या कोई सुधारात्मक उपाय किया गया था।

तथापि, सीसी सड़कों के निर्माण के दौरान मानकों में विचलन, जैसा कि अनुच्छेद संख्या 2.3.4.1(i) में चर्चा की गई है, इन कार्यों के निष्पादन के दौरान प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण/पर्यवेक्षण की कमी के कारण हो सकता है।

प्रकरण सरकार को अग्रेषित (मार्च 2021) किया गया था लेकिन बार-बार स्मरण कराए जाने (जून, अगस्त, सितंबर एवं दिसंबर 2021) के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित (दिसंबर 2021) था।

#### (iv) तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

पांचवें राज्य वित्त आयोग के अंतिम सिफारिश प्रतिवेदन के पैरा 10.39 (XV) के अनुसार, पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का तृतीय पक्ष निरीक्षण और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराया जाना था।

तथापि, राज्य में पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का निर्धारित तृतीय पक्ष निरीक्षण तथा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं कराया गया था। पंचायतीराज विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2020)।

(v) परिसंपत्तियों की पंजिका एवं कार्यों की पंजिका संधारित नहीं करना

(अ) जिला परिषद एवं पंचायत समिति में परिसंपत्ति पंजिका संधारित नहीं किया जाना

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुच्छेद 24.3 में प्रावधित है कि पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों अर्थात् जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के स्तर पर निर्मित परिसंपत्तियों की एक पंजिका (विकास पंजिका) संधारित की जाएगी।

नमूना जांच की गयी सभी ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों की पंजिका का संधारण किया गया था। तथापि, जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के स्तर पर परिसंपत्ति पंजिकाओं का संधारण नहीं किया गया था। संबंधित जिला परिषद एवं पंचायत समिति ने तथ्य को स्वीकार किया (सितंबर-दिसंबर 2020)।

(ब) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 180 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था प्रत्येक कार्य के लिए प्रपत्र XXV में कार्यों की एक पंजिका रखेगी।

तथापि, नमूना जांच की गई 59 पंचायती राज संस्थाओं में से किसी ने भी निर्धारित प्रपत्र में कार्यों की पंजिका का संधारण नहीं किया था। पंचायत समिति खैरवाड़ा के अलावा, सभी पंचायती राज संस्थाओं ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (सितंबर-दिसंबर 2020) कि कार्यों की पंजिका अब निर्धारित प्रारूप में संधारित की जावेगी।

पंचायत समिति खैरवाड़ा ने बताया (दिसंबर 2020) कि कार्यों की पंजिका का संधारण किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई पंजिका की प्रति निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं पायी गई।

### 2.3.5 निष्कर्ष

पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य एवं पंचायतों के मध्य राजस्व प्राप्त के वितरण के लिए सिद्धांतों की अनुशंसा करने और राज्य की समेकित निधि से ऐसे आगमों एवं सहायता अनुदानों को उनके संबंधित अंशों को सभी स्तरों पर पंचायतों के मध्य आवंटन के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों की राशि का 11.94 प्रतिशत जारी नहीं किया था। पंचायती राज विभाग ने 2015-16 एवं 2019-20 के दौरान ₹ 193.30 करोड़ का प्रोत्साहन अनुदान भी जारी नहीं किया। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वीकृति एवं व्यय का विवरण घटक वार संधारित नहीं किया गया था। पंचम राज्य वित्त आयोग अनुदानों से सृजित परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन में प्रकट हुआ कि सीसी सड़कों का निर्माण नालियों के बिना किया गया था, अनुमान तैयार किए बिना ही कार्यों का निष्पादन किया गया था और निष्पादित कार्य निम्नतर मानकों के थे। पंचायती राज संस्थाओं में कार्यों एवं

निर्मित परिसम्पत्तियों की पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। तृतीय पक्ष निरीक्षण और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी नहीं कराया गया था।

### 2.3.6 अनुशंसाएं

1. राज्य सरकार को पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान की संपूर्ण राशि जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए।
2. पंचायती राज विभाग को स्वीकृतियां घटक-वार जारी करनी चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं को व्यय का विवरण घटक-वार संधारित करना चाहिए।
3. पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों के विस्तृत अनुमान तैयार करने चाहिए एवं तदनुसार कार्य निष्पादित करने चाहिए।
4. पंचायती राज विभाग को पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का तृतीय पक्ष निरीक्षण और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराना चाहिए।

### 2.4 नियम संगत आय से वंचित होना

दो पंचायत समितियों की संपत्तियों को पट्टे पर देते समय राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 की गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹ 3.30 करोड़ की नियम संगत आय से वंचित होना।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 164 निर्धारित करता है कि दुकानें एवं अन्य व्यावसायिक स्थान एक समिति के द्वारा खुली नीलामी के माध्यम से तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पट्टे पर दिए जा सकते हैं। इस तरह के परिसरों को पट्टे पर देने के अनुबंधों में किराये की राशि में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की शर्त सम्मिलित रहेगी। पंचायत अथवा पंचायत समिति तीन वर्ष की अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहमति से मोलभाव (निगोशिएट) कर सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में किराये की राशि में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी 20 प्रतिशत रहेगी। यदि परिसरों को तीन वर्षों की समय सीमा के पश्चात खाली नहीं किया जाता है अथवा उसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे दिया जाता है अथवा किराया नियमित रूप से जमा नहीं कराया जाता है तो पंचायत अथवा पंचायत समिति के अनुरोध किए जाने पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुकाअ) द्वारा परिसरों को खाली करवाने के लिए कारण बताओ नोटिस दिये जाने के उपरांत परिसरों को खाली करवाया जाएगा।

दो पंचायती राज संस्थानों (पंचायत समिति तलवाड़ा एवं पंचायत समिति डग) के अभिलेखों की जांच (जनवरी व फरवरी 2019) एवं उसके बाद एकत्रित (अगस्त 2021) सूचनाओं में प्रकट हुआ कि :



पंचायत समिति तलवाड़ा में जून 2007 माह से नीलामी (फरवरी-मार्च 2007) के माध्यम से 12 नवनिर्मित दुकानों को ₹ 1,250 से लेकर ₹ 2,175 प्रतिमाह के किराए पर नियम एवं शर्तों के साथ पट्टे पर दिया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 8 दुकानें, उन किरायेदारों को पट्टे पर दी गई थी जिन्होंने किराए में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की शर्त को स्वीकार नहीं किया, जो कि उक्त नियम का उल्लंघन था। पंचायत समिति द्वारा 3 वर्षों के पश्चात न तो दुकानों को स्वामी कराकर नए सिरे से पुनः आवंटित करने हेतु कार्यवाही आरंभ की गई और न ही नियमों के अनुसार मौजूदा किरायेदारों के किराये में 20 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि की गई।

इसके अतिरिक्त, 20 पुरानी दुकानों को फरवरी 2008 में नीलामी के माध्यम से पट्टे पर देने के बजाय, उनके पट्टों को ₹ 700 प्रतिमाह (2002 से ₹ 500 प्रतिमाह) के निश्चित किराए पर जारी रखा गया जबकि बाजार की प्रचलित दर ₹ 1,250 से लेकर ₹ 2,175 प्रतिमाह थी। यदि 2002 से किराया नियमानुसार 10/20 प्रतिशत बढ़ाया गया होता तो फरवरी 2008 में किराया ₹ 1,045 प्रतिमाह अर्थात् पंचायत समिति द्वारा निर्धारित ₹ 700 प्रतिमाह के किराए से अधिक होता। इसके परिणामस्वरूप पंचायत समिति को जुलाई 2021 तक ₹ 2.32 करोड़ की नियम संगत आय से वंचित होना पड़ा।

पंचायत समिति तलवाड़ा द्वारा, अपने गठन के छः वर्ष पश्चात् भी किराये में संशोधन नहीं किया गया एवं न ही बकाया किराये की वसूली के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और न ही दुकानों को स्वामी करवाया गया।

इसी प्रकार, पंचायत समिति डग के प्रकरण में, 16 दुकानें जिन्हें अप्रैल 2006 से जून 2007 के मध्य पट्टे पर दिया गया था, का तीन वर्ष पश्चात् किराया मई 2006 से जुलाई 2021 के दौरान, 20 प्रतिशत के प्रावधान के विरुद्ध मात्र 10 प्रतिशत वार्षिक ही बढ़ाया था, जिसके परिणामस्वरूप भी ₹ 0.98 करोड़ की नियम संगत आय से वंचित होना पड़ा। पंचायत समिति डग ने, तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जनवरी 2019) कि किराये की वसूली प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान सरकार ने बताया (फरवरी 2022) कि पंचायत समिति 2014-15 में नवगठित की गई थी एवं इससे पूर्व, उक्त दुकानें पंचायत समिति बाँसवाड़ा के क्षेत्राधिकार में थी। यह भी बताया कि किरायेदारों ने व्यवसाय से उनकी कम आय के मद्देनजर किराये में न्यूनतम वृद्धि करने का अनुरोध किया था और इसलिए, पंचायत समिति की स्थाई समिति (नवम्बर 2019) एवं सामान्य सभा (दिसंबर 2019) की बैठकों में किराये में वृद्धि की वसूली को माफ़ करने का निर्णय किया गया।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि पंचायत समिति की किराये में वृद्धि को माफ़ करने की कार्यवाही राजस्थान पंचायती राज नियमों के नियम 164 के विपरीत थी। राजस्थान सरकार ने पंचायत समिति डग के सन्दर्भ में बकाया किराये की वसूली न करने के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया।

इसके अलावा, दोनों पंचायत समिति में किरायेदारों द्वारा किराये के नियमित भुगतान में चूक की गई। पंचायत समिति द्वारा बकाया किराये की वसूली के लिए अथवा दुकानें स्वामी करवाने के

लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार, किराये पर परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने के सम्बन्ध में प्रावधानों के गैर-अनुपालन के कारण एवं दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ न करने के कारण, पंचायत समिति को 19 वर्ष की अवधि में ₹ 3.30 करोड़ की नियम संगत आय से वंचित होना पड़ा (परिशिष्ट-XX)।

पंचायती राज संस्थानों की परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने में ऐसी ही अनियमितताएं, वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 के लिए स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेद क्रमशः 2.6 एवं 2.3 के रूप में प्रस्तुत हुई थी। तथापि, इस प्रकार की अनियमितताओं का पुनः पाया जाना यह इंगित करता है कि पंचायती राज विभाग एवं पंचायती राज संस्थानों द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है।

## 2.5 राजस्थान लोक-उपापन में पारदर्शिता नियमों का उल्लंघन कर व्यय

पंचायत समितियों द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹ 3.11 करोड़ का अनाधिकृत व्यय हुआ।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक-उपापन में पारदर्शिता नियम (आरटीपीपी), 2013 को पारदर्शिता, बोलीदाताओं के साथ निष्पक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने, प्रतियोगिता को बढ़ावा देने, दक्षता एवं मितव्ययता को बढ़ाने तथा उपापन प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा का रक्षण करने के उद्देश्य के साथ लोक-उपापन को विनियमित करने के लिए प्रस्थापित किया गया था।

आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 73 के अनुसार अतिरिक्त मदों एवं अतिरिक्त मात्राओं के लिए पुनरादेश, मूल अनुबंध की वस्तुओं अथवा सेवाओं के मूल्य की 50 प्रतिशत सीमा तक, यदि बोली दस्तावेजों में ऐसा प्रावधान हो तो, दिए जा सकते हैं। आगे, उक्त नियमों के नियम 29 (2) के प्रावधानानुसार दर संविदा की कालावधि सामान्यतया एक वर्ष निर्धारित है, जिसको अपरिहार्य स्थितियों में, समान मूल्य, नियम एवं शर्तों पर 3 माह से अनाधिक की कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्यमान दर संविदाओं की समाप्ति के ठीक पश्चात नई दर संविदाएं बिना किसी अंतराल के प्रभावी हो जाएं।

वर्ष 2017-18 के लिए निविदा प्रक्रिया को मार्च 2017 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने, इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि अधिकांश जिलों में 2017-18 हेतु निविदाओं का मार्च 2017 तक अन्तिमीकरण नहीं होगा, विद्यमान अनुबंधों में, इस शर्त पर कि अतिरिक्त मात्राओं का उपापन वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल अनुबंध के मूल्य के 50 प्रतिशत तक सीमित होगा, तीन माह विस्तार की अनुमति दे दी (अप्रैल 2017)। सरकार ने यह भी निर्देशित किया (अप्रैल 2017) कि उपापन में 2017-18 की निविदाओं के अन्तिमीकरण के उपरांत की दरों को सुनिश्चित किया जाना था। विद्यमान संविदाओं को अन्ततः सितम्बर 2017 तक बढ़ा दिया गया था (जून 2017)।

पंचायत समिति टोडारायसिंह (जिला टोंक) एवं पंचायत समिति बसेडी (जिला धौलपुर) ने इन पंचायत समितियों में 2016-17 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित होने वाले

निर्माण कार्यों के लिए सामग्री के उपापन हेतु निविदाएं आमंत्रित की (अप्रैल-मई 2016) एवं प्रत्येक पंचायत समिति ने ₹ 50 लाख मूल्य तक की सामग्री आपूर्ति हेतु निम्नतम बोलीदाताओं की दरों (बीएसआर के सममूल्य पर) को अनुमोदित कर दिया (जून 2016)।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (नवम्बर 2018 एवं फरवरी-मार्च 2019) में प्रकट हुआ कि पंचायत समिति टोडारायसिंह द्वारा आपूर्तिकर्ता के साथ औपचारिक दर संविदा नहीं की गई। पंचायत समिति ने 2016-17 के दौरान 56 आपूर्ति आदेश जारी किए एवं ₹ 1.57 करोड़ मूल्य की निर्माण सामग्री का उपापन किया। तथापि, पंचायत समिति ने दर संविदा के लिए नवीन निविदाएं आमंत्रित किए बिना अगले एक और वर्ष के लिए भी उपापन जारी रखा एवं ₹ 1.04 करोड़ मूल्य के 37 आपूर्ति आदेश उसी आपूर्तिकर्ता को जारी कर दिए, जो कि आरटीपीपी नियमों में निहित प्रावधानों के विरुद्ध था।

इसी प्रकार, पंचायत समिति बसेड़ी में वार्षिक दर संविदा<sup>55</sup> (अनुमानित मूल्य ₹ 50 लाख) के विरुद्ध 2016-17 के दौरान ₹ 1.03 करोड़ मूल्य की निर्माण सामग्री के उपापन के लिए 25 आपूर्ति आदेश जारी किए गए। पंचायत समिति ने, नवीन दर संविदा के लिए निविदाएं आमंत्रित किए बिना, विद्यमान दर संविदा को अगले एक वर्ष के लिए जारी रखा एवं ₹ 0.95 करोड़ मूल्य के 28 आपूर्ति आदेश उसी आपूर्तिकर्ता को जारी किए, जो कि आरटीपीपी नियमों में निहित प्रावधानों के विरुद्ध था। यहाँ तक कि, इस आपूर्तिकर्ता की पिछली दर संविदा (वर्ष 2015-16 के लिए) को भी जून 2016 तक बढ़ाया गया था।

पंचायत समिति टोडारायसिंह एवं बसेड़ी द्वारा अतिरिक्त मात्राओं के उपापन का विवरण नीचे तालिका 2.17 में दिया गया है:

तालिका 2.17

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पंचायत समिति	मूल अनुबंध राशि	अतिरिक्त मात्राओं सहित उपापन की कुल अनुमत्य सीमा	वास्तविक उपापन मूल्य	अतिरिक्त उपापन का मूल्य (मूल अनुबंध राशि का प्रतिशत)	अनाधिकृत उपापन का मूल्य (मूल अनुबंध राशि का प्रतिशत)
	(1)	(2)	(3)=मूल अनुबंध मूल्य एवं मूल अनुबंध मूल्य का 50 प्रतिशत का योग	(4)	(5)=(4)-(2)	(6)=(4)-(3)
1	टोडारायसिंह	0.50	0.75	2.62	2.12 (424)	1.87 (374)
2	बसेड़ी	0.50	0.75	1.99	1.49 (298)	1.24 (248)
	<b>योग</b>	<b>1.00</b>	<b>1.50</b>	<b>4.61</b>	<b>3.61 (361)</b>	<b>3.11 (311)</b>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत समितियों द्वारा किए गए उपापन मूल अनुबंधों के मूल्यों से क्रमशः 424 एवं 298 प्रतिशत अधिक थे जबकि अनुमत्य सीमा केवल 50 प्रतिशत थी। इस प्रकार, पंचायत समितियों ने आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 73 के प्रावधानों एवं

<sup>55</sup> पंचायत समिति, बसेड़ी द्वारा आपूर्तिकर्ता के साथ औपचारिक रूप से निष्पादित की गयी दर संविदा की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

राजस्थान सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुये क्रमशः ₹ 1.87 करोड़<sup>56</sup> एवं ₹ 1.24 करोड़<sup>57</sup> मूल्य की अतिरिक्त/अधिक सामग्री का अनियमित रूप से उपापन किया।

ध्यान में लाये जाने पर, पंचायत समिति टोडारायसिंह ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2018) एवं पंचायत समिति बसेड़ी ने बताया (दिसम्बर 2019) कि राजस्थान सरकार ने विद्यमान सभी अनुबन्धों की समयावधि 30.09.2017 तक बढ़ा दी (जून 2017) थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी दर अनुबन्धों का विस्तार केवल 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त मात्रा की खरीद के अधीन दिया गया था। इसके अतिरिक्त, 30.09.2017 के बाद, 2017-18 के लिये अंतिम रूप दी गई निविदाओं के अनुसार उपापन किया जाना था लेकिन इन पंचायत समितियों ने आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 29(2) के प्रावधानानुसार 2017-18 के लिये निविदायें आरम्भ नहीं की।

इस प्रकार, आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधानों के गैर अनुपालन ने इन नियमों को लागू करने के प्रमुख उद्देश्य, लोक-उपापन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने, को ही विफल कर दिया एवं परिणामस्वरूप ₹ 3.11 करोड़ का अनाधिकृत व्यय हुआ।

प्रकरण राजस्थान सरकार को टिप्पणी के लिये प्रेषित किया गया था (जून 2019, जुलाई 2019 एवं अगस्त 2020); बार-बार (फरवरी, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसम्बर 2021) स्मरण कराए जाने के बावजूद भी उनका जवाब प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

## 2.6 रॉयल्टी अंश को अनियमित रूप से रोके रखना

पात्र ग्राम पंचायतों को उनका रॉयल्टी अंश हस्तांतरित करने में जिला परिषदों का दुलमुल रवैया एवं राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों एवं राजस्थान सरकार के निर्देशों का उल्लंघन।

ग्रामीण क्षेत्रों में खनिजों का उत्खनन ग्रामीण आबादी के लिए समस्याएँ पैदा करता है तथा परिणामस्वरूप ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदान की जाने वाली नागरिक सेवाओं पर दबाव पड़ता है। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान के द्वितीय राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) (अवार्ड अवधि 2000-05) ने संबंधित जिलों की ग्राम पंचायतों और यदि संभव हो तो जिले के भीतर उस क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को जहां खनन किया गया हो, को खनिजों (वृहद् एवं लघु दोनों) पर रॉयल्टी की निवल प्राप्तियों एक प्रतिशत के हस्तांतरण की सिफारिश की। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग (अवार्ड अवधि 2010-15) ने भी उक्त सिफारिश को दोहराया।

56 (₹ 2.62 करोड़ के कुल उपापन) में से (अनुबंध की राशि ₹ 0.50 करोड़ एवं अतिरिक्त मात्रा हेतु निर्धारित 50 प्रतिशत सीमा ₹ 0.25 करोड़) को घटाकर।

57 (₹ 1.99 करोड़ के कुल उपापन) में से (अनुबंध की राशि ₹ 0.50 करोड़ एवं अतिरिक्त मात्रा हेतु निर्धारित 50 प्रतिशत सीमा ₹ 0.25 करोड़) को घटाकर।

द्वितीय एसएफसी में की गई अनुशंसा की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया (दिसम्बर 2007) कि वर्ष 2000-01 से एकत्रित की गयी रॉयल्टी की एक प्रतिशत राशि को जिला परिषदों के मध्य, जिला परिषदों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी के अनुपात में वितरित किया जायेगा। इसमें यह भी निर्देशित किया कि जिला परिषद द्वारा प्राप्त अंश को संबंधित जिला परिषद की साधारण सभा में निर्धारित किसी उपयुक्त फार्मूले के अनुसार उन ग्राम पंचायतों के बीच जहां स्वनन होता है, वितरित किया जाएगा।

जिला परिषद, अजमेर के अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 2019) में प्रकट हुआ कि जिला परिषद को 2006-07 से 2012-13 के दौरान रॉयल्टी अंश के रूप में ₹ 2.43 करोड़ की राशि प्राप्त हुई लेकिन ग्राम पंचायतों के बीच मात्र ₹ 0.63 करोड़ का वितरण किया गया। आगे, वार्षिक लेखों के अनुसार 2013-20 के दौरान जिला परिषद, अजमेर को न तो रॉयल्टी की कोई राशि प्राप्त हुई थी और न ही उसके द्वारा वितरित की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 1.80 करोड़ की राशि जो कि पात्र ग्राम पंचायतों के बीच वितरित की जानी थी, मार्च 2013 से जिला परिषद, अजमेर के पास अप्रयुक्त थी।

इसी प्रकार, जिला परिषद, कोटा ने 2006-07 से 2014-15 के दौरान रॉयल्टी अंश के रूप में ₹ 4.30 करोड़ की राशि प्राप्त की लेकिन पंचायत समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बीच केवल ₹ 2.48 करोड़ का वितरण किया और ₹ 1.82 करोड़<sup>58</sup> का शेष जिला परिषदों के पास मार्च 2015 से अवितरित था। इसके अलावा, 2015-20 के दौरान जिला परिषद, कोटा द्वारा रॉयल्टी की कोई राशि प्राप्त/वितरित नहीं की गई थी।

जिला परिषद, अजमेर के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने बताया कि सम्बंधित ग्राम पंचायतों को ₹ 1.80 करोड़ की राशि अन्तरित की जा चुकी है। जिला परिषद, कोटा के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने बताया कि (फरवरी 2022) कि ₹ 1.14 करोड़ की राशि को अन्तरित करने के लिए स्वनन विभाग से ग्राम-पंचायतवार विवरण प्राप्त हो गया है लेकिन पंचायत चुनावों की आचार-संहिता लागू हो जाने के कारण यह ग्राम पंचायतों को अन्तरित नहीं की जा सकी। स्वनन विभाग से ₹ 0.51 करोड़ की शेष राशि का विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है एवं प्राप्त होते ही यह राशि अन्तरित कर दी जाएगी।

जिला परिषद, अजमेर के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिला परिषद ने यद्यपि राशि अन्तरित की किन्तु उसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला परिषद, कोटा के सम्बन्ध में लम्बित राशि 2006-15 की अवधि से संबंधित थी और इसी अवधि में जिला परिषद ने ग्राम पंचायतों को पंचायत समितियों के माध्यम से ₹ 2.48 करोड़ की राशि पहले ही वितरित कर चुकी थी। इस प्रकार स्वनन विभाग से निर्देश/विवरण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी।

58 यद्यपि जिला परिषद, कोटा के वार्षिक लेखों में वितरण हेतु लम्बित रॉयल्टी की राशि ₹ 1.65 करोड़ ही दर्शायी गयी है।

जिला परिषद, कोटा एवं अजमेर ने राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा तथा राजस्थान सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायतों को उनके वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए छः से आठ वर्षों तक ₹ 3.62 करोड़ की राशि हस्तांतरित नहीं की। इस प्रकार, उन ग्राम पंचायतों को जो खनन गतिविधियों से प्रभावित हैं, उनकी रॉयल्टी में उनकी वांछित हिस्सेदारी से वंचित कर दिया गया।

## 2.7 निधियों को अनियमित रूप से रोके रखना।

पंचायत समितियों ने अव्ययित निधियों के हस्तांतरण के संबंध में निर्देशों की अवहेलना की और ₹ 2.92 करोड़ की राशि को अनियमित रूप से अपने पास रोके रखा, जिससे लाभार्थियों को मिडे-डे मील योजना के तहत निर्दिष्ट लाभों से वंचित होना पड़ा।

मिडे-डे मील (एमडीएम) योजना, बच्चों के नामांकन, ठहराव और उपस्थिति को बढ़ाने और साथ ही उनके पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए, एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है। राजस्थान में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रारंभ में पंचायती राज विभाग (पंरावि) को प्रशासनिक विभाग के रूप में नामांकित किया गया था (मई 2009)। बाद में, राजस्थान सरकार ने पंरावि के स्थान पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग को प्रशासनिक विभाग के रूप में नामांकित (जनवरी 2016) किया। तदनुसार, आयुक्त, एमडीएम ने जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीइओ) को एमडीएम योजना के समस्त अभिलेखों और शेष राशि का हस्तांतरण 15 दिनों के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया (19 मई 2016)।

बारह पंचायती राज संस्थानों के अभिलेखों और वार्षिक-लेखों की नमूना-जांच (दिसम्बर 2018 से फरवरी 2021) और तदन्तर, इन पंचायती राज संस्थानों से एकत्रित (सितंबर 2021) सूचनाओं से, प्रकट हुआ कि इन पंचायती राज संस्थानों के पास सितम्बर 2021 को ₹ 2.92 करोड़<sup>59</sup> की राशि प्रारंभिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरण हेतु लंबित पड़ी थी। इस प्रकार, आयुक्त, एमडीएम द्वारा निर्देश जारी होने के चार वर्ष बाद भी ₹ 2.92 करोड़ की राशि प्रारंभिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई थी।

ध्यान में लाये जाने पर, तीन पंचायती राज संस्थानों (पंचायत समिति: बालेसर, सांगानेर एवं बामनवास) ने बताया (मार्च 2019 एवं सितम्बर 2021) कि एमडीएम योजना की अव्ययित निधि स्पष्ट निर्देशों के अभाव में हस्तान्तरित नहीं की जा सकी। पंचायत समिति देसूरी एवं सांचौर ने

59 पंचायत समिति, बालेसर: ₹ 80 लाख, पंचायत समिति, देसूरी : ₹ 20 लाख, पंचायत समिति, बामनवास : ₹ 6.64 लाख, पंचायत समिति, उनियारा: ₹ 0.18 लाख, पंचायत समिति, सांगानेर : ₹ 1.96 लाख, पंचायत समिति, बस्सी : ₹ 112.82 लाख, पंचायत समिति, सागवाडा : ₹ 6.62 लाख, पंचायत समिति, नागौर: ₹ 3.19 लाख, पंचायत समिति, डीडवाना: ₹ 20.97 लाख, पंचायत समिति, सांचौर : ₹ 14.77 लाख, पंचायत समिति, मण्डोर : ₹ 14.07 लाख एवं जिला परिषद (आर डी सी) भरतपुर : ₹ 10.40 लाख।

बताया (फरवरी एवं मार्च 2019) कि एमडीएम योजना की अव्ययित निधि अन्य योजना से समायोजन उपरांत हस्तान्तरित कर दी जायेगी। दो पंचायती राज संस्थानों (पंचायत समिति: नागौर एवं उनियारा) ने बताया (क्रमशः मार्च 2021 एवं सितम्बर 2021) कि एमडीएम योजना की अव्ययित निधियों को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। चार पंचायती राज संस्थानों (पंचायत समिति बस्सी, सागवाडा, डीडवाना एवं मण्डोर) ने, कोई जवाब नहीं दिया। जिला परिषद (आरडीसी), भरतपुर ने लेखापरीक्षा द्वारा अवगत कराए पर देय राशि प्रारंभिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दी थी (नवम्बर 2021)।

उत्तरों को इस तथ्य के प्रकाश में देखे जाने की आवश्यकता है कि एमडीएम योजना के बचे हुए शेष को आयुक्त, एमडीएम द्वारा निर्देश जारी होने (19 मई 2016) के 15 दिनों के भीतर हस्तांतरित किया जाना था। तथापि, उक्त 11 पंचायती राज संस्थान चार वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शेष राशि को हस्तांतरित करने में विफल रहे। साथ ही, पंचायत समिति, देसूरी और सांचौर द्वारा एमडीएम योजना के शेषों का अन्य योजनाओं के शेष के विरुद्ध समायोजित करने सम्बन्धी बताया उपाय भी एक योजना से दूसरी योजना में निधियों के विपथन के समान है।

राजस्थान सरकार ने बताया (फरवरी 2022) कि पंचायत समिति देसूरी एवं पंचायत समिति बालेसर ने क्रमशः ₹ 0.20 करोड़ एवं ₹ 0.24 करोड़ प्राथमिक शिक्षा विभाग को अन्तरित किए (नवम्बर एवं अगस्त 2021)। पंचायत समिति बालेसर के सम्बन्ध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पंचायत समिति ने एमडीएम के अंतर्गत ₹ 0.80 करोड़ की शेष राशि के विरुद्ध मात्र ₹ 0.24 करोड़ ही अन्तरित किए। राजस्थान सरकार ने अन्य नौ पंचायती राज संस्थानों के सम्बन्ध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

इस प्रकार, चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी, 11 पंचायती राज संस्थानों ने सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। निधियों के अनियमित अवधारण का एमडीएम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संसाधनों की उपलब्धता पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और धोखाधड़ी/गबन की संभावना की स्थिति भी निर्मित होती है।

## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

### 2.8 संवेदकों को कपटपूर्ण भुगतान

**उच्च प्राधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन कर सामग्री की खरीद के लिए ₹ 1.06 का कपटपूर्ण भुगतान।**

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (विभाग), राजस्थान ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत लाईन विभागों/ग्राम पंचायतों के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे (फरवरी 2014)। तदनुसार, लाईन विभागों/ग्राम पंचायतों के माध्यम से निष्पादित कराए जाने वाले कार्यों के मामलों में, सामग्री हेतु अग्रिम राशि प्रदान करने की विद्यमान प्रथा को समाप्त कर

दिया गया एवं इसके बजाय लाईन विभागों/ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री के सत्यापित बिलों को भुगतान के लिए पंचायत समिति को प्रस्तुत किया जाना था। पंचायत समिति को, जांच के पश्चात, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (एनई-एफएमएस) के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं के खातों में सीधे ही भुगतान करना था। इन बिलों का भुगतान करने से पूर्व, संबंधित कार्यों की माप-पुस्तिका (एमबी) की प्रति एवं मनरेगा की स्थाई समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना भी आवश्यक था।

एनई-एफएमएस प्लेटफॉर्म पर भुगतान करने के लिए, पंचायत समिति स्तर पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा आवश्यक सत्यापन के उपरान्त, ई-भुगतान आदेश (एफटीओ) तैयार किया जाता है। नरेगासॉफ्ट में, तैयार कर्ता (मेकर) एवं जांचकर्ता (चेकर) की संकल्पना अन्तर्निहित है, जहाँ प्रथम हस्ताक्षरकर्ता एफटीओ तैयार करने के लिए तथा द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता उसकी जांच करके उसे ई-भुगतान आदेश के रूप में नरेगासॉफ्ट सर्वर को प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके आलावा, विभाग ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिये (मई 2014) कि सामग्री के भुगतान में किसी भी अनियमितता अथवा फर्जी आपूर्तिकर्ता को हस्तान्तरण के लिए पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) एवं अधिकृत लेखा कार्मिक (जिसके डिजिटल हस्ताक्षर को अधिकृत किया गया है) सीधे एवं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

लाईन विभागों के माध्यम से मनरेगा के अन्तर्गत निष्पादित कराए गए कार्यों के संबंध में पंचायत समिति हिण्डोली के ई-भुगतान आदेशों (एफटीओ) की नमूना-जांच (फरवरी-मार्च 2018) में प्रकट हुआ कि पंचायत समिति हिण्डोली ने 2015-18 के दौरान, 23 कार्यों के संबंध जो कि दो विभागों (वन/जल संसाधन) एवं ग्राम पंचायत, मेण्डी द्वारा निष्पादित किए गए सामग्री के प्रमाणित बिल, एमबी की प्रति तथा कार्यकारी संस्थाओं से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही, पांच आपूर्तिकर्ताओं को सामग्रियों की आपूर्ति हेतु ₹ 1.06 करोड़ के भुगतान के एफटीओ जारी (प्रोसेस) कर दिए। लाईन विभागों से प्राप्त संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे प्रकट हुआ कि जिन आपूर्तिकर्ताओं को एफटीओ जारी हुये थे, उन्होंने उपर्युक्त कार्यों के लिए सामग्रियों की आपूर्ति ही नहीं की थी। इस तथ्य की दोनों लाईन विभागों एवं ग्राम पंचायत मेण्डी द्वारा भी पुष्टि की गई। इस प्रकार, संबंधित एमबी के सन्दर्भ में विधिवत सत्यापित बिलों/मनरेगा की स्थाई समिति के अनुमोदन की उपलब्धता के बिना ही पांच फर्मों को ₹ 1.06 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान कर दिया। इस प्रकार का भुगतान केवल तभी संभव है जब अधिकृत डिजिटल हस्ताक्षरकर्ता (एफटीओ के तैयारकर्ता एवं जांचकर्ता) अपने डिजिटल हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति, जिसकी ऐसी फर्मों के साथ मिलीभगत हों, के साथ साझा करते हों। ऐसी स्थिति में अधिकृत डिजिटल हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा धोखा-धड़ी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

यह भी देखा गया कि उक्त एफटीओ ऐसे कार्यों के लिए जारी कर दिए गए थे जो पहले ही पूर्ण हो चुके थे तथा वास्तविक आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री का भुगतान भी किया जा चुका था। यह घटना, एनई-एफएमएस प्लेटफॉर्म की नियन्त्रण प्रणाली की विफलता को भी उजागर करती है क्योंकि यह पूर्व में ही पूर्ण हो चुके कार्यों के विरुद्ध भी एफटीओ निष्पादित करने के लिए अवसर अनुमत्य करती है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है।



विभाग ने बताया (अक्टूबर 2020) कि घटना के लिए जिम्मेदार एक लेखा सहायक (संविदा सेवा पर) को सेवामुक्त (फरवरी 2018) कर दिया गया है एवं दोषकर्ताओं के विरुद्ध शेष राशि की वसूली के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रकरण में शामिल अधिकारियों (बीडीओ: 7 एवं सहायक लेखा अधिकारी: 1) को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी प्रगतिरत बतायी गयी थी।

उत्तर से पता चलता है कि बीडीओ तथा एएओ द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षरों हेतु संविदा पर नियुक्त किए गए एक व्यक्ति को प्राधिकार प्रदान किया गया था, जो कि तंत्र की एक गंभीर विफलता है। विभाग को भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए अपनी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। एनई-एफएमएस प्रणाली में उन विद्यमान कमियों को, जो ऐसे कपटपूर्ण भुगतानों को संभव बनाती है, पहचानने के लिए भी उक्त मामले की जांच की जानी चाहिए।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मार्च 2021) कि संबंधित फर्मों से ₹ 72.57 लाख की राशि वसूल कर ली गई है तथा ₹ 33.71 लाख की शेष राशि शीघ्र ही वसूल कर ली जाएगी। यह भी बताया गया कि सभी जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे दिए गए थे (जनवरी 2021) कि भुगतान के लिए उत्तरदायी सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी संविदारत व्यक्ति के साथ डिजिटल हस्ताक्षर साझा नहीं किए जाए तथा किसी भी स्थिति में एक संविदारत व्यक्ति को भुगतान के लिए अधिकृत नहीं किया जाए। एनई-एफएमएस प्रणाली में इस प्रकार के कपटपूर्ण भुगतानों को रोकने के लिए आवश्यक उचित उपाय करने के लिए, प्रकरण भारत सरकार के साथ उठाये जाने हेतु प्रक्रियाधीन था।

## 2.9 निधियों का अवरुद्ध रहना

**कार्यकारी आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त शेषों/ विकास की गतिविधियों हेतु अनुदानों को अनियमित रूप से रोक कर रखने से ₹ 6.99 करोड़ की निधियों का अवरोधन।**

विकास की गतिविधियों और योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज्य विभाग के वित्तीय संसाधनों में राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) द्वारा जारी अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) के अंतर्गत अनुदान, राज्य सरकार के अनुदान और केंद्र सरकार के अनुदान शामिल हैं। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित धनराशि बैंकों में रखी जाती है। पंचायती राज संस्थानों द्वारा जहाँ केंद्र और राज्य द्वारा जारी अनुदानों का उपयोग भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार केंद्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के निष्पादन के लिए किया जाता है, वहीं स्वयं की प्राप्तियों का उपयोग स्वयं पंचायती राज संस्थानों द्वारा तैयार की गई योजनाओं और कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है।

समय व्यतीत होने के साथ, कई विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन बंद हो जाता है अथवा ये अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ विलय/सम्मिलित कर दिए जाते हैं। तथापि, अप्रयुक्त

निधियां संबंधित बैंकों अथवा दिशा-निर्देश के अनुसार खोले गए पीडी खातों में जमा रह जाती है। ऐसे अव्ययित शेष के संबंध में, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य विभाग ने सभी पंचायती राज संस्थानों को अनुदान के अव्ययित शेष को राज्य की समेकित निधि में संबंधित प्राप्ति शीर्षों के अंतर्गत वापस जमा कराने के निर्देश जारी किए (दिसंबर 2012)। तीन योजनाओं<sup>60</sup> के संबंध में विभाग ने अनुदान के केंद्र और राज्य के अंशों के अप्रयुक्त शेष को क्रमशः ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से) और राज्य की समेकित निधि, को यथा निर्धारित अभ्यर्पित करने का पंचायती राज संस्थानों को निर्देश दिया (दिसंबर 2013)।

इसी प्रकार, छः रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों<sup>61</sup> का समय-समय पर अन्य समान योजनाओं में विलय कर दिया गया और अंततः नरेगा/मनरेगा में विलय/सम्मिलित कर दिया गया। नरेगा दिशा-निर्देशों (2005) के अनुसार मौजूदा सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना (एसजीआरवाई) की शेष राशि तुरंत नरेगा खाते में अंतरित की जानी थी। आगे, विभाग ने भी सभी अप्रयुक्त शेषों को मनरेगा खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश पंचायती राज संस्थानों को दिया (अगस्त 2015)

(i) पांच पंचायती राज संस्थानों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (जुलाई 2018 से अप्रैल 2019) कि चार पंचायती राज संस्थानों में चार बंद योजनाओं/कार्यक्रमों<sup>62</sup> से संबंधित ₹ 1.64 करोड़ और दो पंचायती राज संस्थानों में छः रोजगार सृजन योजनाओं<sup>63</sup> से संबंधित ₹ 1.37 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि क्रमशः राजकीय कोष और मनरेगा को मार्च 2018 तक हस्तांतरित नहीं की गयी थी।

इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं/कार्यक्रमों<sup>64</sup> के तहत चार पंचायती राज संस्थानों द्वारा परियोजनाओं/कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न एजेंसियों को अग्रिम के रूप में दी गई

60 योजनाएँ : मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)।

61 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईपी) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) को 1989 में जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) में मिला दिया गया था, जिसे 1999 में पुनर्गठित एवं इसका नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) कर दिया गया था। रोजगार आशवासन योजना (ईएएस) तथा जेजीएसवाई को 2001 में सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना (एसजीआरवाई) में मिला दिया गया था, जिसे अंततः 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) में समाहित कर दिया गया था।

62 **जिला परिषद चुरू:** ₹ 60.69 लाख (डीडीपी: ₹ 24.82 लाख, सीडीपी: ₹ 18.05 लाख, एनडब्ल्यूडीपीआरए: ₹ 17.82 लाख); **जिला परिषद नागौर:** ₹ 30.47 लाख (डीडीपी: ₹ 5.50 लाख, हरियाली: ₹ 24.97 लाख); **जिला परिषद पाली:** (एनडब्ल्यूडीपीआरए: ₹ 32.21 लाख) तथा **पंचायत समिति लूणकरणसर:** (डीडीपी: ₹ 40.93 लाख)।

63 **जिला परिषद जोधपुर:** ₹ 70.94 लाख (ईएएस: ₹ 19.68 लाख, जेआरवाई: ₹ 45.82 लाख, एनआरईपी: ₹ 4.84 लाख, आरएलईजीपी: ₹ 0.60 लाख); तथा **पंचायत समिति लूणकरणसर:** ₹ 65.90 लाख (जेआरवाई: ₹ 63.25 लाख, एसजीआरवाई: ₹ 2.65 लाख)।

64 **जिला परिषद चुरू:** ₹ 10.81 करोड़ (डीडीपी: ₹ 2.97 करोड़, सीडीपी: ₹ 6.55 करोड़, एनडब्ल्यूडीपीआरए: ₹ 1.29 करोड़); **जिला परिषद हनुमानगढ़ :** ₹ 2.06 करोड़ (डीडीपी: ₹ 0.34 करोड़, एनडब्ल्यूडीपी: ₹ 0.07 करोड़, हरियाली: ₹ 1.65 करोड़); **जिला परिषद जोधपुर:** ₹ 53.24 करोड़ (ईएएस: ₹ (-)0.06 करोड़, जेआरवाई: ₹ 48.78 करोड़, एनआरईपी: ₹ 2.99 करोड़, आरएलईजीपी: ₹ 0.61 करोड़, एसजीआरवाई: ₹ 0.92 करोड़) तथा **जिला परिषद नागौर:** ₹ 12.37 करोड़ (डीडीपी: ₹ 1.14 करोड़, हरियाली : ₹ 8.48 करोड़, डीडीपी (कोम्बेटिंग): ₹ 2.25 करोड़, डीडीपी (स्पेशल प्रोजेक्ट, हरियाली): ₹ 0.50 करोड़।

₹ 78.48 करोड़ की राशि, उपयोगिता प्रमाण-कराए जाने के अभाव में मार्च 2018 तक कार्यकारी एजेंसियों के पास अप्रयुक्त/असमायोजित पड़ी थी, जिसे समायोजित/वसूल करने की आवश्यकता है।

(ii) आगे, नौ पंचायती राज संस्थानों<sup>65</sup> में सीएफसी<sup>66</sup> और एसएफसी<sup>67</sup> की अवार्ड अवधि की समाप्ति के बाद भी ₹ 11.45 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदान (सीएफसी के अन्तर्गत ₹ 4.69 करोड़ और एसएफसी के अंतर्गत ₹ 6.76 करोड़) विभाग के निर्देशानुसार (दिसंबर 2012) मार्च 2018 तक राजकीय कोष को अभ्यर्पित नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, उक्त पंचायती राज संस्थानों ने विभाग द्वारा बारम्बार जारी निर्देशों का पालन नहीं किया और योजनाओं/कार्यक्रमों के समापन/विलय/सम्मिलन अथवा सीएफसी/एसएफसी की अवार्ड अवधि की समाप्ति के पश्चात् से दो से 29 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी ₹ 14.46 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि को अनियमित रूप से रोक कर रखा। निधियों के प्रतिधारण की यह प्रथा धन के संभावित गबन या अनियमित विचलन को बढ़ावा दे सकती है।

राजस्थान सरकार ने बताया (फरवरी 2021) कि बंद योजनाओं के संबंध में ₹ 65.04 लाख की राशि तीन पंचायती राज संस्थानों यथा जिला परिषद चुरू: ₹ 2.20 लाख (डीडीपी: ₹ 1.69 लाख एवं सीडीपी: ₹ 0.51 लाख), जिला परिषद पाली: (एनडब्ल्यूडीपीआरए ₹ 32.21 लाख) तथा जिला परिषद जोधपुर: ₹ 30.63 लाख (ईएएस: ₹ 17.28 लाख, जेआरवार्ड: ₹ 7.91 लाख, एनआरईपी: ₹ 4.84 लाख एवं आरएलईजीपी: ₹ 0.60 लाख) द्वारा भारत सरकार/राजस्थान सरकार<sup>68</sup> को जमा करा दी गयी थी, जबकि अन्य पंचायती राज संस्थानों में अप्रयुक्त शेष के अभ्यर्पण की प्रक्रिया प्रगतिरत थी। जिला परिषद हनुमानगढ़ में, क्रियान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध बकाया अग्रिमों का समायोजन प्रक्रियाधीन बताया गया था।

राजस्थान सरकार ने आगे बताया (फरवरी 2022) कि दो पंचायती राज संस्थानों यथा जिला परिषद (पंचायती राज प्रकोष्ठ), राजसमन्द (सीएफसी: ₹ 52.23 लाख तथा एसएफसी: ₹ 171.85 लाख) एवं पंचायत समिति, गोगुन्दा (एसएफसी: ₹ 14.00 लाख) द्वारा

65 जिला परिषद राजसमन्द : ₹ 3.45 करोड़ (सी एफ सी : ₹ 0.85 करोड़ एवं एस एफ सी : ₹ 2.59 करोड़),  
पंचायत समिति माण्डल : ₹ 0.40 करोड़ (सी एफ सी : ₹ 0.39 करोड़ एवं एस एफ सी : ₹ 0.01 करोड़),  
पंचायत समिति गोगुन्दा : ₹ 0.26 करोड़ (सी एफ सी : ₹ 0.09 करोड़ एवं एस एफ सी : ₹ 0.17 करोड़),  
पंचायत समिति अराई : ₹ 0.31 करोड़ (सी एफ सी : ₹ 0.12 करोड़ एवं एस एफ सी : ₹ 0.19 करोड़),  
पंचायत समिति डग : ₹ 0.83 करोड़ (सी एफ सी : ₹ 0.26 करोड़ एवं एस एफ सी : ₹ 0.57 करोड़),  
पंचायत समिति मंडोर : ₹ 0.98 करोड़ (सी एफ सी : ₹ 0.55 करोड़ एवं एस एफ सी : ₹ 0.43 करोड़),  
पंचायत समिति सिणधरी : ₹ 3.34 करोड़ (सी एफ सी : ₹ 1.17 करोड़ एवं एस एफ सी : ₹ 2.17 करोड़),  
पंचायत समिति सांचोर : ₹ 1.74 करोड़ (सी एफ सी : ₹ 1.12 करोड़ एवं एस एफ सी : ₹ 0.62 करोड़),  
पंचायत समिति पीपलखूंट : ₹ 0.14 करोड़ (सी एफ सी )

66 दसवें, ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें राज्य वित्त आयोगों की अवार्ड अवधि क्रमशः 2000, 2005, 2010 और 2015 में समाप्त हो गई थी।

67 दूसरे, तीसरे और चौथे राज्य वित्त आयोगों की अवार्ड अवधि क्रमशः 2005, 2010 और 2015 में समाप्त हो गई थी।

68 भारत सरकार : ₹ 30.64 करोड़ और राजस्थान सरकार : ₹ 34.40 करोड़।

₹ 2.38 करोड़ की राशि समायोजित/प्रयुक्त कर ली गयी है तथा 4 पंचायती राज संस्थानों यथा पंचायत समिति, गोगुन्दा (सीएफसी तथा एसएफसी: ₹12.44 लाख), पंचायत समिति, डग (सीएफसी: ₹25.84 लाख तथा एसएफसी: ₹ 56.87 लाख), पंचायत समिति, सिणधरी (सीएफसी: ₹117.49 लाख तथा एसएफसी: ₹ 216.87 लाख) एवं पंचायत समिति, पीपलखूंट (सीएफसी: ₹14.08 लाख) द्वारा ₹ 4.44 करोड़ की राशि अभ्यर्पित कर दी गई है। तथापि, फरवरी 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर में वर्णित उपयोग/समायोजन/अभ्यर्पण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

तथ्य यह रहता है कि 14 पंचायती राज संस्थानों ने विद्यमान निर्देशों की अवहेलना करते हुए बंद/विलयित/सम्मिलित योजनाओं की शेष राशि को समय पर अभ्यर्पित नहीं किया एवं ₹ 6.99 करोड़ की राशि अभी भी 11 पंचायती राज संस्थानों के पास शेष है। तीन पंचायती राज संस्थानों (पंचायत समिति माण्डल, अराई एवं सांचोर) द्वारा अव्ययित शेषों का अभ्यर्पण न करने एवं चार पंचायती राज संस्थानों में कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा अग्रिमों के गैर-निस्तारण के सम्बन्ध में उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

**भाग-ख**  
**शहरी स्थानीय निकाय**

## अध्याय-III

शहरी स्थानीय निकायों की  
कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और  
वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का  
विहंगावलोकन

## अध्याय-III

### शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन

#### 3.1 परिचय

1992 में 74वें संशोधन के अनुसरण में भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेडजी जोड़े गए, जिसके अंतर्गत राज्य विधायिका नगरपालिकाओं को निश्चित शक्तियां एवं कर्तव्य प्रदान कर सकती थी, जिससे वे स्वायत्तशासी संस्थाओं की तरह कार्य करने के योग्य बन सके और संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध जिम्मेदारियों सहित उनको प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। शहरी स्थानीय निकायों को सरकार के तृतीय स्तर के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने हेतु सभी प्रचलित नगरपालिका कानूनों एवं अधिनियमों को निरस्त करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया गया था।

सितम्बर 2020 तक कुल 196 शहरी स्थानीय निकाय थे, जिसमें 10 नगर निगम<sup>1</sup> (ननि), 34 नगर परिषद<sup>2</sup> (नप) और 152 नगर पालिका मंडल<sup>3</sup> (नपामं) थे। 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान राज्य के आंकड़े तालिका 3.1 में दिए गए हैं।

**तालिका 3.1 : राजस्थान राज्य के आंकड़े**

क्र.सं.	सूचक	इकाई	राज्य स्तर
1	जनसंख्या	करोड़	6.85
2	जनसंख्या (शहरी)	करोड़	1.70
3	जनसंख्या घनत्व	व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर	200
4	दशकीय वृद्धि दर	प्रतिशत	21.30
5	लिंग अनुपात	1000 पुरुषों पर महिलाएं	914
6	कुल साक्षरता दर (शहरी)	प्रतिशत	कुल 69.23 पुरुष 76.14 महिला 61.68
7	शहरी प्रति व्यक्ति आय	रूपये प्रति वर्ष	65,974
<b>30 सितम्बर 2020 को शहरी स्थानीय निकाय की स्थिति</b>			
8	नगर निगम	संख्या	10

- 1 नगर निगम : अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, और उदयपुर।
- 2 नगर परिषद : अलवर, बालोतरा, बांसवाडा, बांरा, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाडा, भिवाड़ी, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डुंगरपुर, गंगापुरसिटी, हनुमानगढ़, हिंडोनसिटी, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुंझुनू, करौली, किशनगढ़, मकराना, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरौही, श्रीगंगानगर, सुजानगढ़ और टोंक।
- 3 नगर पालिका मंडल: वर्ग-II (50,000-99,999 जनसँख्या के साथ): 13, वर्ग-III (25,000-49,999 जनसँख्या के साथ): 58 और वर्ग-IV (25,000 से कम जनसँख्या के साथ): 81

क्र.सं.	सूचक	इकाई	राज्य स्तर
9	नगर परिषद	संख्या	34
10	नगरपालिका मंडल	(वर्ग II)	13
11		(वर्ग III)	58
12		(वर्ग IV)	81


स्रोत: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

### 3.2 संगठनात्मक ढांचा

स्वायत्त शासन विभाग शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों को देखने वाला प्रशासनिक विभाग है। शहरी स्थानीय निकायों के साथ राज्य सरकार की प्रशासनिक मशीनरी को संयोजित करने वाला एक संगठनात्मक ढांचा रेखाचित्र 1 में दिखाया गया है


रेखाचित्र 1

#### निर्वाचित सदस्यों का स्तर





## कार्यकारी स्तर



### 3.3 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 45 से 47 में कुछ मुख्य कार्यों<sup>4</sup> का उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार<sup>5</sup> के पास पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और संस्कृति, लोक कल्याण, सामुदायिक सम्बंधों आदि जैसे अन्य कार्यों को निर्धारित करने की शक्ति है।

आरएमए 2009 की धारा 101 से 103 में, नगरपालिकाओं के आंतरिक राजस्व, अनिवार्य करों और अन्य करों के प्रावधान है, जो नगरपालिकाओं द्वारा लगाए जा सकते हैं।

#### 3.3.1 शहरी स्थानीय निकायों को निधियों, कार्यों और कार्यप्रणाली का हस्तांतरण

चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन द्वारा अन्तर्निर्दिष्ट धारा 243 डब्ल्यू में संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों के संबंध में नगरपालिकाओं को शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण परिकल्पित किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 16 विषयों से संबंधित कार्य पहले से ही किए जा रहे थे। दो कार्यों यथा कच्ची बस्ती सुधार एवं उन्नयन तथा शहरी गरीबी उपशमन आरएमए 2009 में शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं किए गए थे। तथापि, इन दोनों कार्यों को एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के तहत शहरी स्थानीय निकायों

4 सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी और सीवरेज, सार्वजनिक सड़कों, स्थानों, सीवरों और सभी स्थानों की सफाई, जो निजी सम्पत्ति नहीं है। सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और भवनों में रोशनी की व्यवस्था करना, आग बुझाने और आग लगने पर जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, परिवर्तन एवं संधारण, योजनाबद्ध विकास की व्यवस्था, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण आदि।

5 राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, नगरपालिका से ऐसे अन्य नगरपालिका कार्यों को करने की अपेक्षा कर सकती है, जो राज्य सरकार नगरपालिका की आवश्यकता और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, नगरपालिका द्वारा किए जाने के लिए उपयुक्त समझे।

द्वारा किया गया था। दो कार्यो यथा शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं का संवर्धन तथा समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा को मुख्य कार्यो के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था। हालांकि, आरएमए 2009 में प्रावधान था कि इन कार्यो को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उनकी प्रबंधकीय, तकनीकी और वित्तीय क्षमता के अधीन निष्पादित किया जा सकता है।

### 3.4 विभिन्न समितियों का गठन

#### 3.4.1 जिला आयोजना समिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ज़ेडडी और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 158 के अनुसरण में, राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में जिला आयोजना समिति का गठन करती है। जिला कलेक्टर, जिला आयोजना समिति के सदस्य है और वह या उनके द्वारा नामित अधिकारी जिला आयोजना समिति की बैठक में उपस्थित होते हैं। जिला आयोजना समिति की बैठक के लिये आवश्यक कोरम ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों का 33 प्रतिशत है।

जिला आयोजना समिति का मुख्य उद्देश्य जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच सामान्य हित के मामलों के संबंध में विकास योजना, स्थानिक योजना; पानी का बंटवारा और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधन; बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण और वित्तीय/अन्य उपलब्ध संसाधनों की सीमा सहित मसौदा तैयार करना है। जिला आयोजना समिति को राज्य सरकार के आगे प्रस्तुत करने के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करना चाहिए। समिति आवंटित कार्यो की समीक्षा के लिए तिमाही में एक बार बैठक करेगी और इस प्रकार वर्ष में कम से कम चार बैठकें करेगी।

‘74वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता’ (वर्ष 2021 की रिपोर्ट संख्या 5, राजस्थान सरकार) पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्थान के सभी जिलों में जिला आयोजना समिति का गठन किया गया था, लेकिन इन समितियों की नियमित रूप से बैठक नहीं हुई थी। आगे जिला आयोजना समिति ने बैठकों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच सामान्य हितों के मामलों को नहीं उठाया और कोडल प्रावधानों के अनुसार विकास योजनाओं का मसौदा भी तैयार नहीं किया गया था।

#### 3.4.2 स्थायी समितियां

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अनुसार, प्रत्येक नगरपालिका एक कार्यकारी समिति का गठन करेगी। कार्यकारी समिति के अतिरिक्त, प्रत्येक नगरपालिका निम्नलिखित समितियों का भी गठन करेगी, जिसमें 10 से अधिक सदस्य नहीं होंगे (i) वित्त समिति, (ii) स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, (iii) भवनों की अनुमति और निर्माण समिति (iv) कच्ची बस्ती सुधार समिति (v) नियम और उपनियम समिति (vi) समझौता और अपराधों का

शमन समिति एवं (vii) नगरपालिका के कार्यकलापों की देखरेख के लिए समिति। यह ऐसी अन्य समितियों का भी गठन कर सकते हैं जो नगर निगमों के मामले में आठ से अनाधिक, नगर परिषद के मामले में छः से अनाधिक और नगरपालिका मंडलों के मामले में चार से अनाधिक नहीं हो और ये आवश्यक<sup>6</sup> समझी जाये।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अन्तर्गत गठित स्थायी समितियों की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में सूचना निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी (जनवरी 2021)।

### 3.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

#### 3.5.1 प्राथमिक लेखा परीक्षक

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (डीएलएफएडी) राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम (आरएलएफएए), 1954 की धारा 4 और राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियमावली, 1955 के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए प्राथमिक/सांविधिक लेखापरीक्षक है। राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1954 की धारा 18 के अनुसार, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग वार्षिक समेकित प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं और सरकार इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाती है।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान का वर्ष 2018-19 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के पटल पर 26 फरवरी 2020 को रखा गया। वर्ष 2019-20 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा था (अगस्त 2020)।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवधि 2019-20 में 196 में से सिर्फ 57 शहरी स्थानीय निकायों को ही सम्मिलित किया गया था (नगर निगम: एक, नगर परिषद: छः और नगर परिषद मंडल: 50)। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2020) कि लेखापरीक्षा में कमी, खाली पदों और मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के काम में कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण थी।

#### 3.5.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत की संचित निधि या किसी राज्य निधि से अनुदान या ऋण द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित निकायों की लेखापरीक्षा सम्पादित करते हैं। इसके

6 राज्य सरकार, नगरपालिका के कार्यों को देखते हुए, इस धारा में निर्दिष्ट समितियों की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकती है।

अलावा, 2011 में यथा संशोधित<sup>7</sup>, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 99-क में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नगरपालिकाओं के लेखों की लेखापरीक्षा का प्रावधान है।

स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच और चर्चा करने के लिए स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति 1 अप्रैल 2013 से राजस्थान विधानसभा में गठित है। समिति द्वारा वर्ष 2012-13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की जा चुकी है तथा प्रतिवेदनों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये महालेखाकार पर छोड़ा गया है।

समिति ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित अनुच्छेदों पर विभागीय उत्तरों के आधार पर अपना प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (स्थानीय निकायों) समिति में चर्चा के लिए लंबित है।

### 3.5.3 तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन/पर्यवेक्षण का कार्यान्वयन

तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार, वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन/पर्यवेक्षण के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी स्तरों की लेखापरीक्षा के हेतु 13 मापदंडों को अपनाने के लिए अधिसूचना जारी की (2 फरवरी 2011)।

वर्ष 2017-20 की अवधि में, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित 157 तथ्यात्मक विवरणों और 141 प्रारूप अनुच्छेदों तथा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के 8 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन/पर्यवेक्षण के अन्तर्गत प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान द्वारा की गई टिप्पणियों/सुझावों से निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को अवगत कराया गया था।

## 3.6 लेखापरीक्षा आक्षेपों का प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा आक्षेपों के शीघ्र निपटान के लिए, लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाए जाने एवं/अथवा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बताए जाने पर कमियों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता होती है।

**3.6.1** वर्ष 2015-16 से 2019-20 अवधि के लिए, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)<sup>8</sup>, राजस्थान के कार्यालय द्वारा जारी शहरी स्थानीय निकायों जारी 328 निरीक्षण प्रतिवेदनों के ₹ 23,830.20 करोड़ की मौद्रिक राशि के 3,769 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे (जनवरी 2021)। इनमें से 49 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 651 अनुच्छेदों

7 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानानुसार नगरपालिकाओं के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

8 18 मई 2020 से इसे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), राजस्थान के रूप में जाना जाता है।

का प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन भी तालिका 3.2 में दिए गए विवरणानुसार प्रेषित नहीं किया गया था।

**तालिका 3.2: निरीक्षण प्रतिवेदनो की वर्षवार स्थिति**

क्र.सं.	वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.)	अनुच्छेद	मौद्रिक राशि (₹ करोड़ में)	प्रथम अनुपालना प्रस्तुत न करना	
					नि.प्र.	अनुच्छेद
1	2015-16	98	909	2,016.32	6	62
2	2016-17	70	785	3,409.05	3	38
3	2017-18	57	648	4,070.51	5	64
4	2018-19	42	556	8,056.96	9	137
5	2019-20	61	871	6,277.36	26	350
<b>योग</b>		<b>328</b>	<b>3,769</b>	<b>23,830.20</b>	<b>49</b>	<b>651</b>

**3.6.2** 31.03.2020 तक निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी 5,866 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 66,717 अनुच्छेद निपटान हेतु लंबित थे और 5 निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना अभी भी लंबित थी। तालिका 3.3 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के ₹ 142.82 लाख मौद्रिक राशि के 42 गबन प्रकरण के अंकेक्षण आक्षेप निपटान हेतु लंबित थे।

**तालिका 3.3: निपटान हेतु लंबित गबन के प्रकरण**

क्र.सं.	वर्ष	बकाया गबन के प्रकरण	
		संख्या	मौद्रिक राशि (₹ लाखों में)
1	2015-16	7	73.47
2	2016-17	11	14.81
3	2017-18	11	47.47
4	2018-19	6	4.35
5	2019-20	7	2.72
<b>योग</b>		<b>42</b>	<b>142.82</b>

स्रोत: स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार

यह नगरपालिका/विभागीय प्राधिकारियों के त्वरित प्रत्युत्तर देने के अभाव को इंगित करता है।

**3.6.3** विभाग द्वारा वर्ष 2017-20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की दो बैठके आयोजित की गई थी, जबकि लेखापरीक्षा समिति की बैठके हर तिमाही में आयोजित की जानी थी।

### **3.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के प्रत्युत्तर**

स्थानीय शहरी निकायों पर पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2016-17 तक) में शामिल सभी अनुच्छेदों के प्रत्युत्तर प्राप्त हो गए थे।

### **3.6.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव**

वर्ष 2017-20 के दौरान, लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर 53 प्रकरणों में ₹ 1.62 करोड़ की वसूली की गई।

**अनुशंसा: 1**

लंबित अनुच्छेदों के निपटान के लिए नियमित रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के संचालन के लिए निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अनियमितताओं को ठीक करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को भी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

**जवाबदेही तंत्र और वित्तीय लेखन मुद्दे**

**जवाबदेही तंत्र**

**3.7 सम्पत्ति कर बोर्ड**

तेरहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर का स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया से आंकलन करने में सहायता के लिए एक राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की (फरवरी 2011)। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि बोर्ड को राज्य में, शहरी स्थानीय निकायों की समस्त सम्पत्तियों की गणना करने या गणना करवाने तथा सम्पत्ति कर तंत्र की समीक्षा करने एवं सम्पत्तियों के उचित मूल्यांकन एवं निर्धारण के लिए उपयुक्त सुझाव देने चाहिए। चौदहवें वित्त आयोग ने भी शहरी स्थानीय निकायों की आय को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में संपत्ति कर पर जोर दिया था।

राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय संपत्ति कर बोर्ड का गठन (फरवरी 2011) किया था और निदेशक, स्थानीय निकाय को बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया था। तथापि, 28 अप्रैल 2011 को हुई पहली बैठक के बाद बोर्ड कार्यशील नहीं था और उसके बाद अप्रैल 2017 में इसका कार्यकाल पूरा होने तक कोई बैठक नहीं हुई। उसके बाद, राज्य सरकार ने बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया। इस प्रकार, अप्रैल 2017 तक अपने कार्यकाल के दौरान बोर्ड के कार्यशील नहीं रहने और उसके बाद नए बोर्ड का गठन न करने के कारण, शहरी स्थानीय निकाय, विशेष रूप से छोटे शहरी स्थानीय निकाय, संपत्ति कर (यूडी टैक्स) के निर्धारण और संशोधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन से वंचित थे। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति कर के निर्धारण के लिए स्वतंत्र, पारदर्शी और मजबूत प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य अधूरा रह गया था।

**3.8 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण**

दिसम्बर 2020 तक, वित्त विभाग द्वारा क्रमशः पांचवे राज्य वित्त आयोग (एसएफसी-V) और चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) के अंतर्गत ₹ 3696.53 करोड़ और ₹ 3987.81 करोड़ के अनुदान शहरी स्थानीय निकायों को जारी किए गए थे।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए अनुदान के उपयोग और बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण तालिका 3.4 में दिखाया गया है:

तालिका 3.4: उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को जमा कराने में बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	वित्त विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को जारी वास्तविक अनुदान	शहरी स्थानीय निकाय से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	एसएफसी अनुदान-V	3696.53	2822.04	76.34	874.49	23.66
2	एफएफसी अनुदान	3987.81	2673.83	67.05	1313.98	32.95

स्रोत: डी एल बी से प्राप्त सूचना के आधार पर

एसएफसी-V और एफएफसी के अंतर्गत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभाव में निधियों के उचित उपयोग का पता नहीं लगाया जा सका।

### 3.9 शहरी स्थानीय निकायों का आंतरिक अंकेक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली


राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 99 के अनुसार, राज्य सरकार या नगरपालिका, नगरपालिका के दैनिक लेखों की विहित रीति से आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान करेगी।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि विभागीय स्तर पर आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु कोई तंत्र नहीं था।

### 3.10 वित्तीय लेखन मुद्दे

#### 3.10.1 निधियों का स्रोत

शहरी स्थानीय निकायों के संसाधन आधार में निजी राजस्व, अभ्यर्पित राजस्व, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों एवं ऋणों को निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया है:



**प्राप्तियां**

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्तियों की स्थिति तालिका 3.5 में दी गई है।

**तालिका 3.5 : विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्तियों की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियों के स्रोत	2015-16*	2016-17**	2017-18#	2018-19#	2019-20#
<b>(अ) निजी राजस्व</b>					
<b>(क) कर राजस्व</b>					
(i) गृहकर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) शहरी विकास कर <sup>9</sup> / सम्पत्ति कर	73.73	59.08	135.53	106.29	35.08
(iii) वाहनों पर कर	शून्य	शून्य	5.88	4.75	0.26
(iv) यात्री कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v) सीमा कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi) अन्य कर <sup>10</sup>	234.17	74.80	201.87	111.94	56.60
(vii) आउटसोर्सिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
<b>कर राजस्व का योग (क)</b>	<b>307.90</b>	<b>133.88</b>	<b>343.28</b>	<b>222.98</b>	<b>91.94</b>
<b>(कुल राजस्व का प्रतिशत)</b>	<b>(8.70)</b>	<b>(4.06)</b>	<b>(6.52)</b>	<b>(3.80)</b>	<b>(2.92)</b>
<b>(ख) गैर-कर राजस्व</b>					
(i) उपनियमों से राजस्व <sup>11</sup>	222.98	152.62	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) सम्पत्तियों से राजस्व	33.51	21.78	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) शुल्क/उपयोगकर्ता शुल्क	शून्य	शून्य	410.48	339.47	232.57
(iv) अन्य आय	शून्य	शून्य	452.93	598.88	337.78
(v) बिक्री और किराया	शून्य	शून्य	186.85	185.31	147.02
(vi) निवेश पर ब्याज	52.94	46.15	शून्य	शून्य	शून्य
(vii) विविध गैर-कर राजस्व <sup>12</sup>	372.04	269.01	शून्य	शून्य	शून्य
(viii) भूमि का विक्रय <sup>13</sup>	99.33	60.77	शून्य	शून्य	शून्य
(ix) ब्याज प्राप्तियां	शून्य	शून्य	76.22	86.54	55.49
(x) किराये से आय	शून्य	शून्य	44.41	52.05	48.37

9 24 फरवरी 2007 से गृहकर की समाप्ति के बाद 29 अगस्त 2007 से शहरी विकास कर लागू किया गया।

10 भूमि राजस्व से आय, विज्ञापन पर कर, तीर्थ कर, अन्य आय इत्यादि।

11 जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र से आय, संकेत विज्ञापन पटल शुल्क, निविदा फार्म शुल्क, विवाह पंजीकरण शुल्क, भवन अनुज्ञा शुल्क, होटल उपविधियों की लाइसेंस शुल्क इत्यादि।

12 सीवरेज कर से आय, मेला शुल्क, आवेदन शुल्क, बकरा मण्डी के अनुबन्ध से आय, मवेशी घर से आय, पट्टे से आय इत्यादि।

13 नागरिक, सरकार और अन्य वाणिज्यिक संगठनों को भूमि विक्रय से प्राप्ति।



प्राप्तियों के स्रोत	2015-16*	2016-17**	2017-18#	2018-19#	2019-20#
गैर-कर राजस्व का योग (स्व)	780.80 (22.05)	550.33 (16.69)	1170.89 (22.24)	1262.25 (21.53)	821.23 (26.06)
निजी राजस्व का योग (अ)	1,088.70 (30.75)	684.21 (20.75)	1514.17 (28.76)	1485.23 (25.34)	913.17 (28.98)
(ब) अभ्यर्पित राजस्व/मनोरंजन कर	5.82 (0.16)	0.04 (0.00)	शून्य	शून्य	शून्य
<b>(स) अनुदान एवं ऋण</b>					
(i) सामान्य एवम विशेष अनुदान	1471.73	1785.17	2197.67	2743.07	1354.72
(ii) चुंगी की एवज में अनुदान	974.30	828.41	1553.46	1633.63	883.42
(iii) विशेष सहायता एवं ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुदान व ऋण का योग (स)	2,446.03 (69.09)	2613.58 (79.25)	3751.13 (71.24)	4376.70 (74.66)	2238.14 (71.02)
(द) विविध अनावर्ती आय <sup>14</sup>	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
<b>महायोग (अ से द)</b>	<b>3,540.55</b>	<b>3297.83</b>	<b>5265.30</b>	<b>5861.93</b>	<b>3151.31</b>
<p>नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें कुल प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाते हैं।</p> <p>* वर्ष 2015-16 के उपरोक्त आंकड़ें केवल 166 शहरी स्थानीय निकायों के हैं, शेष शहरी स्थानीय निकायों की सूचना निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।</p> <p>** वर्ष 2016-17 के उपरोक्त आंकड़ें केवल 120 शहरी स्थानीय निकायों के हैं, शेष शहरी स्थानीय निकायों की सूचना निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।</p> <p># शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके आंकड़े वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 से सम्बंधित हैं, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।</p>					

स्रोत: निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- कर राजस्व वर्ष 2019-20 के दौरान कुल राजस्व का केवल 2.92 प्रतिशत था, जबकि 2015-16 में यह 8.70 प्रतिशत था।
- गैर-कर राजस्व में 2015-16 में 22.05 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 के दौरान कुल राजस्व का 26.06 प्रतिशत शामिल था।
- वर्ष 2019-20 के दौरान, स्वयं के राजस्व (कर और गैर-कर) में कुल प्राप्तियों का 28.98 प्रतिशत शामिल था। 2018-19 में इसमें कुल प्राप्तियों का 25.34 प्रतिशत शामिल था। यह अनुदानों और ऋण पर शहरी स्थानीय निकायों की निर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

14 इसमें जमाओं एवं ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं।

वर्ष 2019-20 में अनुदान और ऋण कुल राजस्व का 71.02 प्रतिशत था।

**व्यय**

2015-16 से 2019-20 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों में व्यय की स्थिति नीचे तालिका 3.6 में दी गई है:

**तालिका 3.6: शहरी स्थानीय निकायों में व्यय की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

व्यय के मद	2015-16*	2016-17**	2017-18#	2018-19#	2019-20
<b>(अ) आवर्ती व्यय</b>					
(i) सामान्य प्रशासन	1,020.77 (33.21)	848.73 (33.71)	1597.36 (32.33)	2052.40 (31.16)	1112.76 (32.26)
(ii) जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	103.79 (3.38)	99.91 (3.97)	361.21 (7.31)	456.74 (6.93)	197.88 (5.74)
(iii) नागरिक सुविधाओं का संधारण	485.27 (15.79)	261.54 (10.39)	427.82 (8.66)	497.91 (7.56)	179.87 (5.21)
<b>आवर्ती व्यय का योग (अ)</b>	<b>1,609.83</b> <b>(52.38)</b>	<b>1,210.18</b> <b>(48.07)</b>	<b>2386.39</b> <b>(48.29)</b>	<b>3007.05</b> <b>(45.65)</b>	<b>1490.51</b> <b>(43.21)</b>
<b>(ब) अनावर्ती व्यय</b>					
(i) विकास कार्यों पर व्यय	1,280.47 (41.66)	1,303.83 (51.79)	2224.53 (45.02)	3217.04 (48.84)	1733.04 (50.24)
(ii) नवीन संपत्ति का क्रय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) ऋणों का पुर्नभुगतान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) विविध अनावर्ती व्यय <sup>15</sup>	183.29 (5.96)	3.71 (0.15)	330.38 (6.69)	363.39 (5.52)	225.69 (6.54)
<b>अनावर्ती व्यय का योग (ब)</b>	<b>1,463.76</b> <b>(47.62)</b>	<b>1,307.54</b> <b>(51.93)</b>	<b>2554.91</b> <b>(51.71)</b>	<b>3580.43</b> <b>(54.35)</b>	<b>1958.73</b> <b>(56.79)</b>
<b>महायोग (अ+ब)</b>	<b>3,073.59</b>	<b>2,517.72</b>	<b>4941.30</b>	<b>6587.48</b>	<b>3449.24</b>
<p>नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें कुल व्यय से प्रतिशतता दर्शाते हैं।</p> <p>* वर्ष 2015-16 के आंकड़ें केवल 166 शहरी स्थानीय निकायों के हैं। शेष शहरी स्थानीय निकायों की सूचना निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।</p> <p>** वर्ष 2016-17 के आंकड़े केवल 120 शहरी स्थानीय निकायों के हैं। शेष शहरी स्थानीय निकायों की सूचना निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।</p> <p># शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके आंकड़े वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 से सम्बंधित हैं, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।</p>					

स्रोत: निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- वर्ष 2019-20 में कुल व्यय में आवर्ती व्यय का प्रतिशत 2015-16 की तुलना में काफी कम हो गया, जिसका मुख्य कारण विभाग द्वारा 'नागरिक सुविधाओं का रखरखाव' शीर्षक के अंतर्गत कम व्यय था।

15 इसमें धन वापसी या जमा, किया गया निवेश और ऋण तथा अग्रिम का संवितरण शामिल है।

- अनावर्ती व्यय का प्रतिशत 2019-20 में पिछले वर्ष की तुलना में 2.44 बढ़ा था।

शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय का श्रेणी-वार विभाजन तालिका 3.7 में दिया गया है:

तालिका 3.7: प्राप्तियों एवं व्यय का श्रेणी-वार विभाजन

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी	2018-19		वृद्धि (+)/ कमी (-)	2019-20		वृद्धि (+)/ कमी (-)
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
<b>(अ) नगर निगम</b>						
(i) जयपुर	855.16	1020.81	-165.65	*	*	*
(ii) अजमेर	204.88	197.10	7.78	179.71	177.45	2.26
(iii) जोधपुर	263.02	275.05	-12.03	*	*	*
(iv) बीकानेर	182.77	183.55	-0.78	154.35	195.18	-40.83
(v) कोटा	307.98	239.00	68.98	*	*	*
(vi) उदयपुर	233.18	254.57	-21.39	*	*	*
(vii) भरतपुर	*	*	*	*	*	*
<b>योग (अ)</b>	<b>2046.99</b>	<b>2170.08</b>	<b>-123.1</b>	<b>334.07</b>	<b>372.64</b>	<b>-38.57</b>
<b>(ब) नगर परिषद</b>	<b>1663.26</b>	<b>1860.51</b>	<b>-197.25</b>	<b>1382.77</b>	<b>1535.34</b>	<b>-152.57</b>
<b>(स) नगर पालिका</b>	<b>2151.69</b>	<b>2556.88</b>	<b>-405.19</b>	<b>1434.48</b>	<b>1541.27</b>	<b>-106.79</b>
<b>महायोग (अ+ब+स)</b>			<b>-725.54</b>			<b>-297.93</b>

\* सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

स्रोत: निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर

### अनुशंसा: 2

शहरी स्थानीय निकायों को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए स्वयं के कर और गैर कर राजस्व के संग्रह पर ध्यान केंद्रित करके अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

### 3.10.2 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें

11 अप्रैल 2011 को गठित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और 29 मई 2015 को गठित पंचम राज्य वित्त आयोग क्रमशः तेरहवें वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग के साथ समवर्ती है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को शुद्ध राज्य स्व-कर राजस्व का पांच प्रतिशत हस्तांतरण की सिफारिश की जबकि पंचम राज्य वित्त आयोग ने शुद्ध राज्य स्व-कर राजस्व का 7.182 प्रतिशत स्थानीय निकायों को क्रमशः 75.10: 24.90 के अनुपात में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की। यह अनुपात 2011 की जनगणना के ग्रामीण और शहरी जनसंख्या अनुपात के आधार पर अपनाया गया था।

राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त निगमों के अंतर्गत जारी अनुदानों की स्थिति और उनका उपयोग नीचे तालिका 3.8 में दिया गया है:

तालिका 3.8 : राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त निगमों के अंतर्गत जारी अनुदानों की स्थिति  
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदान		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र			लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		वर्ष के दौरान	संचित	वर्ष के लिये	संचित	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले अनुदान की स्थिति								
1	2010-11	45.00	45.00	41.26	41.26	91.69	3.74	8.31
2	2011-12	237.82	282.82	207.31	248.57	87.89	34.25	12.11
3	2012-13	321.66	604.48	247.87	496.44	82.13	108.04	17.87
4	2013-14	323.84	928.32	203.51	699.95	75.40	228.37	24.60
5	2014-15	692.23	1620.55	374.86	1074.81	66.32	545.74	33.68
6	2015-16	शून्य	1620.55	248.02	1322.83	81.62	297.72	18.38
7	2016-17	शून्य	1620.55	28.24	1351.07	83.37	269.48	16.63
8	2017-18	शून्य	1620.55	8.76	1359.83	83.91	260.72	16.09
राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले अनुदान की स्थिति								
1	2015-16	773.95	773.95	364.83	364.83	47.14	409.12	52.86
2	2016-17	895.32	1669.27	586.15	950.98	56.97	718.29	43.03
3	2017-18	812.03	2481.30	691.24	1642.22	66.18	839.08	33.82
4	2018-19	784.53	3265.83	827.38	2469.60	75.62	796.23	24.38
5	2019-20	430.70	3696.53	352.44	2822.04	76.34	874.49	23.66
स्रोत : निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार।								

यह देखा जा सकता है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जारी अनुदानों के विरुद्ध क्रमशः 16.09 एवं 23.66 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे, जबकि ये बंद हो चुके थे।

यह कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अनुदानों का अनुचित उपयोग व निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अप्रभावी निगरानी को दर्शाता है।

### 3.10.3 केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशें

तेरहवें वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को और राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों की स्थिति और उनका उपयोग नीचे तालिका 3.9 में दिया गया है:

तालिका 3.9: राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदानों की स्थिति और उनका उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदान		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र			लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		वर्ष के दौरान	संचित	वर्ष के लिये	संचित	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
राज्य सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी किए गए अनुदानों की स्थिति								
1	2010-11	111.36	111.36	55.03	55.03	49.42	56.33	50.58
2	2011-12	209.48	320.84	101.84	156.87	48.89	163.97	51.11
3	2012-13	252.06	572.90	172.97	329.84	57.57	243.06	42.43
4	2013-14	361.81	934.71	243.04	572.88	61.29	361.83	38.71
5	2014-15	200.26	1134.97	236.77	809.65	71.34	325.32	28.66
6	2015-16	132.89	1267.86	180.87	990.52	78.12	277.34	21.88
7	2016-17	शून्य	1267.86	88.51	1079.03	85.10	188.83	14.90
8	2017-18	शून्य	1267.86	56.75	1135.78	89.58	132.08	10.42
राज्य सरकार द्वारा चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी किए गए अनुदानों की स्थिति								
1	2015-16	433.12	433.12	264.90	264.90	61.16	168.22	38.84
2	2016-17	776.73	1209.85	443.20	708.10	58.53	501.75	41.47
3	2017-18	692.93	1902.78	576.44	1284.54	67.51	618.24	32.49
4	2018-19	801.60	2704.38	802.22	2086.76	77.16	617.62	22.84
5	2019-20	1283.43	3987.81	587.09	2673.83	67.05	1313.98	32.95

स्रोत: निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध (दिसम्बर 2020) करवाए गए आंकड़ों के अनुसार।

यह देखा जा सकता है कि तेरहवें वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत जारी अनुदान के प्रति क्रमशः 10.42 प्रतिशत और 32.95 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे। यह शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निधियों के उपयोग की धीमी गति और निदेशालय स्तर पर निगरानी की कमी को दर्शाता है।

### 3.10.4 वार्षिक वित्तीय विवरण

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 92 (1) के अनुसार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर, एक वित्तीय विवरण तैयार करवायेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए नगरपालिका के लेखाओं के संबंध में आय और व्यय तथा प्राप्तियों व व्ययों तथा संपत्ति और देनदारियों का एक तुलन-पत्र होगा।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया गया था जो परिचायक हो कि कितने स्थानीय निकायों ने अपने वार्षिक लेखे निर्धारित समय में तैयार किए (दिसम्बर 2020)।

### 3.10.5 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा खातों का संधारण

राजस्थान स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियम 1955 के नियम 25(xi) के अनुसार निदेशकों के प्रतिवेदन में वार्षिक खातों की शुद्धता का प्रमाण पत्र शामिल किया जाएगा। इस प्रकार, सभी 196 शहरी स्थानीय निकायों के खातों को प्रमाणित करना आवश्यक था। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2021) कि वर्ष 2019-20 के दौरान शहरी

स्थानीय निकायों के केवल 159 (81 प्रतिशत) स्वातों को प्रमाणित किया गया था। लेखाओं के प्रमाणीकरण के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा 37 शहरी स्थानीय निकायों (19 प्रतिशत) के लेखाओं की सत्यता सत्यापित नहीं की जा सकी।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित, भारत में शहरी स्थानीय निकायों के लिए राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (एनएमएएम) फरवरी 2005 में आई थी। एनएमएएम की तर्ज पर राजस्थान नगर लेखा नियमावली तैयार की गई। नियमावली का अनुगमन करते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को 1 अप्रैल 2010 से उपचय आधारित (दोहरा लेखा) लेखाप्रणाली पर स्वातों को बनाने का निर्देश दिया था (दिसंबर 2009)।

निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2021) कि केवल 62 शहरी स्थानीय निकाय उपरोक्त प्रणाली पर स्वातों का रखरखाव कर रहे थे। इस प्रकार, 134 शहरी स्थानीय निकायों को अभी भी उपचय (दोहरा लेखा पद्धति) आधारित लेखाप्रणाली को अपनाना था।

### 3.10.6 शहरी स्थानीय निकायों के वित्त पर डाटाबेस और प्रारूपों का रखरखाव

जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाए जाने वाले सात डाटाबेस प्रारूप जारी किए (अप्रैल 2010)। निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2020) कि सभी शहरी स्थानीय निकाय निर्धारित डाटाबेस प्रारूपों में सूचना तैयार कर रहे थे।

#### अनुशंसा: 3

शहरी स्थानीय निकायों को निर्धारित लेखा प्रणाली का पालन करना चाहिए और स्वातों को समय पर अंतिम रूप देने/प्रमाणन करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों को भी अनुदानों का प्रभावी और समय पर उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

### 3.11 निष्कर्ष

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सृजित स्वयं के संसाधन उनके व्यय की देखभाल के लिए पर्याप्त नहीं थे और वे मुख्य रूप से केंद्र/राज्य सरकार के अनुदानों और ऋणों पर निर्भर थे। पिछले पांच वर्षों के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

निर्धारित प्रारूपों में लेखों को समय पर अंतिम रूप देने और उनके प्रमाणीकरण के अभाव में हितधारक समय पर और सही लेखांकन जानकारी से वंचित रहे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर ध्यान देने और उनके निपटान में भी भारी विलम्ब हुआ था। लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समय पर उत्तर देने में विफलता, अनियमितताओं/कमियों के जारी रहने के जोखिम से भरी हुई है।

## अध्याय-IV

शहरी स्थानीय निकायों पर  
लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## अध्याय-IV

### शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस अध्याय में 'नगर निगम, उदयपुर की कार्यप्रणाली की अनुपालना लेखापरीक्षा' और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित चार अनुच्छेद शामिल हैं।

#### अनुपालना लेखापरीक्षा

#### स्वायत्त शासन विभाग

#### 4.1 नगर निगम उदयपुर की कार्यप्रणाली

##### 4.1.1 परिचय

उदयपुर नगर परिषद को अप्रैल 2013 में नगर निगम में परिवर्तित किया गया था। उदयपुर नगर निगम में 70 नगरपालिका वार्ड हैं। उदयपुर 64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है व जनसंख्या 4.51 लाख है (2011 की जनगणना के अनुसार)।

राज्य स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान (एलएसजीडी) प्रशासनिक विभाग है, शहरी स्थानीय निकायों के मामलों में स्थानीय निकाय निदेशालय जो कि नोडल ऑफिस है, के साथ कार्य करता है। स्थानीय निकाय सभी शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों की निगरानी व उनमें समन्वय रखता है। मेयर निर्वाचित प्रमुख है और आयुक्त निदेशालय नगर निगम उदयपुर का कार्यपालक अधिकारी है।

उदयपुर नगर निगम के कार्यों की अवधि 2013-14 से 2017-18 तक की नमूना जाँच अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2018 तक की गई व इसे 2018-20 अवधि तक के लिए 21 दिसम्बर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक अद्यतन किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान प्रयोजना, सेवाओं का वितरण, अनुबंध प्रबंधन, संसाधनों को जुटाना, वित्तीय प्रबंधन व आंतरिक नियंत्रण सम्बंधी क्षेत्र शामिल किए गए। 2013-20 की अवधि में कुल प्राप्त राशि ₹ 1112.52 करोड़ के विरुद्ध नगर निगम द्वारा राशि ₹ 1146.91 करोड़ व्यय की गई।

#### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

##### 4.1.2 आयोजना

##### 4.1.2.1 उदयपुर शहर का विकास

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 159 प्रावधान करती है कि नगर पालिका, शहर के नियोजित और एकीकृत विकास और भूमि के संतुलित उपयोग को सुरक्षित करने की दृष्टि से, शहर का एक विस्तृत सर्वेक्षण करेगी। यह 20 वर्ष की मुख्य विकास योजना



(एमडीपी) और अन्य वैधानिक योजनायें जैसे कि पांच वर्षीय क्रियान्वयन योजना व एक वर्ष की अवधि की वार्षिक नगरपालिका कार्ययोजना तैयार करेगा। इस सम्बंध में यह पाया गया कि:

(i) उदयपुर शहर की 20 वर्ष की मुख्य विकास योजना 2011 से 2031 तक की अवधि के लिए तैयार की गई व अधिसूचित की गई (सितम्बर 2013)। एमडीपी के अनुसार, नगर निगम, उदयपुर को एमडीपी के व्यवस्थित कार्यान्वयन के लिये नियमित अंतराल पर, मौजूदा मलिन बस्ती क्षेत्रों और क्षेत्र योजनाओं के पुनर्विकास के लिये एक प्रकोष्ठ<sup>1</sup> स्थापित करना था। तथापि शहरी सुधार न्यास उदयपुर में आंचलिक व क्षेत्रीय योजनायें अभी भी प्रक्रियाधीन थी और नगर निगम द्वारा झील के आसपास और विरासत महत्व के क्षेत्रों के संरक्षण व अवैध कब्जों को रोकने व हटाने के लिए सिर्फ एक ही विरासत प्रकोष्ठ स्थापित किया था (17 दिसम्बर 2020)।

(ii) नगर निगम द्वारा वर्ष 2013-20 की अवधि में पांच वर्षीय क्रियान्वयन योजना व एक वर्ष की वार्षिक नगरपालिका कार्ययोजना नहीं बनायी गई। इन योजनाओं के अभाव में शहर के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। कार्यों को मौजूदा समितियों, वार्ड पार्षदों और नगर निगम अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर निष्पादित किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (फरवरी 2019) कि राजस्थान में सभी नगर पालिकाओं के एमडीपी नगर नियोजन विभाग द्वारा बनाये गए थे। उदयपुर के लिए नगर नियोजन विभाग द्वारा बनाये गए एमडीपी को नगर निगम उदयपुर द्वारा अंगीकृत किया गया और उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ना तो अब तक शहरी सुधार न्यास उदयपुर द्वारा क्षेत्रीय योजना बनायी गई और न ही नगर निगम उदयपुर द्वारा पांच वर्षीय व वार्षिक कार्य योजना बनायी गई (जनवरी 2021)।

#### **4.1.2.2 कार्यों का निष्पादन**

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, की धारा 45 के अनुसार, यह सभी नगर पालिकाओं का कर्तव्य है कि वह जन स्वास्थ्य, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.अ.प्र.), जल निकास, सीवरेज, सड़क प्रकाश, अग्निशमन आदि कार्यों के लिए उचित प्रावधान व व्यवस्था करे तथा नगरपालिका क्षेत्र में भवनों के निर्माण को विनियमित करे।

#### **4.1.2.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन**

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (प्रबंधन व रस्व-रखाव) नियम, 2000 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 सभी नगरपालिका प्राधिकारियों को शहरी क्षेत्रों के ठोस अपशिष्ट के संग्रह, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। इस क्रम में लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

---

1 (i) झील के आसपास के क्षेत्रों में अवैध कब्जों को रोकने व हटाने के लिए एवं, (ii) विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए एक योजना तैयार करना।

(i) **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का अभाव:** स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के दिशानिर्देश 2014 के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डीपीआर जल्द से जल्द तैयार की जानी चाहिये थी। नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिसंबर 2020 तक कोई डीपीआर नहीं बनायीं गई थी। यह दर्शाता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य को बिना उचित मूल्यांकन व योजना के अंजाम दिया जा रहा था।

राज्य सरकार ने बताया कि (फरवरी 2019) नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक सलाहकार द्वारा तैयार किया गया अंतराल मूल्यांकन प्रतिवेदन और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पीएचडी विद्वान द्वारा की गई थीसिस प्राप्त की गई थी, जो कि काफी उपयोगी थी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी इस उद्देश्य के लिए बनाई गई डीपीआर का विकल्प नहीं हो सकता है। पीएचडी विद्वान की थीसिस लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई, लेकिन यह केवल कार्ययोजना/डीपीआर के लिये एक प्रारंभिक स्रोत हो सकती है। इसके अलावा, अंतराल मूल्यांकन प्रतिवेदन (2018) सिर्फ उन गतिविधियों के बीच अंतराल को बताता है, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में निर्धारित है व नगर निगम द्वारा मशीनरी, श्रमशक्ति, व ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिये भविष्य के आंकलन के बिना संचालित की जा रही है।

(ii) **नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का आंकलन:** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2000, के अनुच्छेद 3.3.1 के अनुसार, ठोस अपशिष्ट की रचना, विशेषताएं और मात्रा का विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे योजना, डिजाइन व अपशिष्ट प्रबंधन की परिचालन गतिविधियों के लिए आधारभूत आंकड़े प्राप्त होते हैं।

नगर निगम उदयपुर में वर्ष 2013-20 के दौरान नगरपालिका क्षेत्र में उत्पन्न सार्वजनिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होने के शुद्ध आंकड़े नहीं थे। नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा को बताया गया कि 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान 5400 मीट्रिक टन प्रति माह ठोस अपशिष्ट था, किन्तु स्थानीय निकाय निदेशालय को प्रस्तुत सेवा स्तर बेंचमार्क विवरणी में यह वर्ष 2017-18 में 6687.7 मीट्रिक टन व वर्ष 2019-20 में 6006 मीट्रिक टन प्रति माह बताया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि कचरे की संरचना की पहचान करने के लिए सार्वजनिक ठोस अपशिष्ट का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नगर निगम के स्वयं के आंकड़ों के बीच विसंगतियां थी, इस प्रकार, यथार्थवादी आंकड़ों के अभाव में, सार्वजनिक ठोस अपशिष्ट के लिए योजना, डिजाइन और संचालन गतिविधियों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(iii) **सार्वजनिक ठोस अपशिष्ट का संग्रह, पृथक्करण और परिवहन:** सार्वजनिक ठोस अपशिष्ट नियम 2000 के अनुसार नगर पालिका अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का संग्रह (घर घर से), पृथक्करण, परिवहन (ढके हुए वाहनों में) स्वच्छ तरीके से हो।

नगर निगम द्वारा बताया गया कि सभी 70 वार्डों में ठोस अपशिष्ट का संग्रह हर घर से किया जा रहा है और सूखे व गीले कचरे का पृथक्करण स्रोत पर ही अलग-अलग कंटेनरों में किया जा रहा है।

तथापि, तितरडी व बलिचा में संयुक्त निरीक्षण (6 जनवरी 2021) के दौरान प्रकट हुआ कि तितरडी में 20 टन प्रति दिन कचरा प्रसंस्करण किया जा रहा था व शेष 160 टन प्रति दिन कचरे का संग्रहण व ढेर बिना पृथक्करण के डंपिंग साईट बलिचा में किया जा रहा था।

(iv) **कचरे का प्रसंस्करण और निपटान:** सार्वजनिक ठोस अपशिष्ट नियम 2000 के अनुसार नगरपालिका प्राधिकारियों को कचरे का उपयोग करने हेतु ऐसी उपयुक्त तकनीक अपनानी चाहिये जिससे कि भूमि भराव स्थल पर बोझ कम हो। भूमि भराव स्थल सिर्फ गैर जैव निम्नीकरण निष्क्रिय अपशिष्ट तक सीमित होनी चाहिये। नगर निगम ने तितरडी व बलिचा में भूमि भराव स्थल के विकास के लिए एक भूमि का चयन किया था। संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जनवरी 2021) में पाया गया कि भूमि भराव स्थल तितरडी में ही विकसित किया गया था और गीले और सूखे कचरे के लिए 60 टीपीडी संयंत्र कार्य कर रहा था। तथापि, केवल 20 टीपीडी ही संसाधित किया जा रहा था। बलिचा में 20 टीपीडी का स्वाद्य अपशिष्ट प्रक्रिया संयंत्र (बायो मीथेन प्लांट), 100 टीपीडी का सूखा और अपशिष्ट संयंत्र निर्माणाधीन था। इस प्रकार, उदयपुर शहर में उत्पन्न 180 टीपीडी में से केवल 20 टीपीडी कचरे को संसाधित किया जा रहा था और शेष 160 टीपीडी कचरे को बलिचा में खुली भूमि पर फेंका जा रहा था। अपशिष्ट जलाया जा रहा था और आवारा पशु कचरे को खा रहे थे। संग्रह केंद्र में कचरों का पृथक्करण किया जा रहा था व साथ ही भूमि के भराव स्थलों पर सार्वजनिक अपशिष्ट पदार्थों को साथ में फेंका जा रहा था। अग्रेतर, नगर निगम द्वारा इन स्थलों पर कचरे के फेंकने और निपटान के संबंध में कोई अभिलेख नहीं रखा गया था।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह बताया गया (फरवरी 2019) कि बलिचा में एक भूमि भराव स्थल विकसित करने के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं व कार्य पर्यावरण मंजूरी के बाद शुरू होगा।

#### 4.1.2.4 सीवर प्रणाली

सेवा स्तर बेंचमार्क 2020 की सूचना के अनुसार, उदयपुर शहर के 70 वार्डों में 1.05 लाख परिवार रहते थे। नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की समीक्षा में पाया गया कि सीवर सुविधा सिर्फ 33 वार्डों में ही उपलब्ध थी और 44,200 परिवारों (42.09 प्रतिशत) को ही प्राप्त थी व 8 वार्डों में सीवर लाइन डालने का कार्य प्रगति पर था जो कि 12,903 परिवारों (12.29 प्रतिशत) को सम्मिलित करेगा। नगर निगम के पास शेष 29 वार्डों के 47,897 परिवारों (45.62 प्रतिशत) को सीवर लाइन उपलब्ध करने की कोई योजना नहीं थी।

अग्रेतर, अमृत योजना की डीपीआर के अनुसार, 41 वार्डों में प्रतिदिन उत्पन्न 56.60 मिलियन लीटर सीवेज में से सिर्फ, 30.98 मिलियन लीटर (54.73 प्रतिशत) सीवेज का ही उपचार सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के द्वारा किया जा रहा था। नगर निगम के पास शेष 29

वार्डों में प्रतिदिन उत्पन्न 25.62 मिलियन लीटर के उपचार के लिए कोई योजना नहीं थी। अनुपचारित सीवेज या तो मिट्टी के गड्ढों में या जलाशयों में डाला जा रहा था।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) द्वारा 2013-18 की अवधि के लिए पिछोला झील में पानी की गुणवत्ता पर किए गए परीक्षणों<sup>2</sup> से पता चला है कि पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया<sup>3</sup> की उपस्थिति 4 से 21 एमपीएन<sup>4</sup>/100 एमएल (2013-18) से 11 से 93 एमपीएन/100 एमएल (2019-20) तक थी और इस बैक्टीरिया का स्रोत मानव मल था। नगर स्वच्छता योजना (2013) में भी इसका संकेत दिया गया था। इस प्रकार, सीवर सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण, अनुपचारित सीवेज उदयपुर शहर में जल प्रदूषण का कारण बना हुआ है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2019) कि तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन थे और इन एसटीपी के पूरा होने के बाद कुल उपचार क्षमता 60 एमएलडी हो जाएगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि शेष 29 वार्डों में सीवर लाइन उपलब्ध कराने की योजना पर उत्तर मौन था। इस प्रकार, उदयपुर शहर की 45.62 प्रतिशत आबादी अभी भी सीवरेज सुविधाओं की पहुंच से बाहर थी।

#### 4.1.2.5 जल निकासी व्यवस्था

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 200 के अनुसार, नगरपालिकायें ढके हुए सीवर व नाली, उचित जाली या अन्य कवर के साथ उपलब्ध कराएंगी। नगर स्वच्छता योजना के अनुसार 2013 (सीएसपी) में कुल नालियों की लम्बाई 1,031 किमी थी। नगर स्वच्छता योजना के अनुसार, 31 किमी मुख्य नाले मुख्यतः अनियमित व अरेखित थी व नालियाँ स्वरपतवार, वनस्पति कचरा, गाद और कूड़े से पूरी भरी हुई थी। सीएसपी ने यह भी संकेत दिया कि नालियां विकट परिस्थितियों के दौरान पानी को ले जाने के लिए अपर्याप्त थीं, जिससे आस-पास की सड़कों और कॉलोनियों में बाढ़ आ गई।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि कुल 1031 किमी जल निकासी में से केवल 860 किमी जल निकासी नगर निगम के अधीन है और शेष 171 किमी जल निकासी शहर के बाहरी इलाके में है और नगर विकास न्यास के पास है। इसके अलावा, नगर निगम ने स्वीकार किया (जनवरी 2021) कि 173.575 किलोमीटर नाले अभी भी खुले थे जो ऊपर वर्णित मुद्दों के बारे में लेखापरीक्षा तर्क को मजबूत करते हैं।

#### 4.1.2.6 सार्वजनिक मूत्रालयों की सफाई

नगर निगम, उदयपुर ने दिसंबर 2015 से अप्रैल 2018 की अवधि के दौरान उदयपुर में 184 सार्वजनिक शौचालयों की सफाई का कार्य दो ठेकेदारों को दिया था और उसके बाद यह

2 आरएसपीसीबी पिछोला झील के जल का मासिक परीक्षण करता है।

3 ई-कोलाई बैक्टीरिया की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है जो निमोनिया, मूत्रपथ के संक्रमण और दस्त सहित विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकता है।

4 सबसे संभावित संस्था।

विभागीय कर्मचारियों द्वारा अपने स्तर पर किया जा रहा है। कार्य को इस शर्त के साथ ठेकेदारों को दिया गया था कि यदि शौचालयों की सफाई नहीं की जाती है, तो ₹ 200 प्रति शौचालय प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।

स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, उदयपुर ने सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों/प्रभारी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई का नियमित निरीक्षण करने और निरीक्षण रिपोर्ट बनाने के निर्देश (दिसंबर 2015 और जनवरी 2016) दिए थे, ताकि भुगतान सफाई के अनुसार किया जा सके। तथापि, भुगतान निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न किए बिना किए गए थे और कुछ शौचालयों के लिए दिसंबर 2015 से अप्रैल 2018 की अवधि के लिए मात्र ₹ 200 का मामूली जुर्माना लगाया गया था। इस संबंध में नगर निगम उदयपुर के महापौर (अक्टूबर 2016) और आयुक्त (सितंबर 2017) ने असंतोषजनक साफ-सफाई का मामला भी उठाया और नगर निगम उदयपुर ने 2018 से शौचालयों की सफाई का काम स्वयं किया। उसके बाद भी नियमित निरीक्षण के अभाव में सार्वजनिक शौचालयों की ठीक से सफाई नहीं की गई। इसके अलावा, 65 शौचालयों (जुलाई 2018 और जनवरी 2021) के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से पता चला कि सभी शौचालय अत्यधिक गंदे और अनुपयोगी थे। इस प्रकार, शौचालय उपयोग के योग्य नहीं थे, चाहे उनका रखरखाव ठेकेदार द्वारा या नगर निगम उदयपुर द्वारा किया गया हो।



#### 4.1.2.7 फोगिंग गतिविधि

बैक्टीरिया जनित बीमारियों को रोकने के लिए नगर निगम उदयपुर द्वारा फोगिंग गतिविधियां की जानी थी। फोगिंग मिश्रण में, पायरेथ्रिन रसायन व डीजल को 1:19 के निर्धारित अनुपात में मिलाया जाना था।

नगर निगम उदयपुर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के तकनीकी निर्देशन के अनुसार वर्ष में दो बार (प्रत्येक वर्ष मई और दिसंबर) उदयपुर शहर में फोगिंग कार्य किया गया था। अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 2013-20 की अवधि में फोगिंग मिश्रण में, पायरेथ्रिन रसायन व डीजल को 1:24 से 1:68 तक के अनुपात में मिलाया गया था (वर्ष 2016 के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे), यह दर्शाता है कि पायरेथ्रिन का पतला घोल प्रयोग किया गया था अतः यह अप्रभावी रहा। इस कारण मलेरिया व

डेंगू से संक्रमित हुए व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2013-14 से 2017-2018 में क्रमशः 1642 से 1989 व 276 से 453 हो गई।

राजस्थान सरकार द्वारा यह बताया गया कि (फरवरी 2019) पायरेथ्रिन रसायन व डीजल का मिश्रण वातावरण व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के विशेषज्ञों के निर्देशानुसार था। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर ने बताया था (जनवरी 2021) कि पायरेथ्रिन रसायन व डीजल का मिश्रण हर बार 1:19 के निर्धारित अनुपात में ही मिलाया जाना चाहिये।

#### 4.1.2.8 अग्नि की रोकथाम और अग्नि से सुरक्षा

(i) **अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी न करना:** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 255 के अनुसार किसी भी नगरपालिका क्षेत्र के मालिक या कब्जेधारी को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो कि अग्नि रोधक और अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक हो और उस मालिक या कब्जेधारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना चाहिये। अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरपालिका क्षेत्र में स्थित 15 मीटर और उससे ऊँची आवासीय व सभी व्यवसायिक भवनों के लिए आवश्यक है। अनंतिम/अंतिम अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन प्राप्त होने के 35 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए और हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि नगर निगम ने न तो आग के स्तरे से संबंधित इमारतों की वास्तविक संख्या की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण किया और न ही इमारतों का कोई डेटाबेस तैयार किया जिसके लिए अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र के नवीकरण की आवश्यकता थी। नगर निगम ने राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार, आग से बचाव के लिए उचित व्यवस्था करने की शर्त का उल्लेख करते हुए भवन अनुमति प्रमाण पत्र जारी किए थे। वर्ष 2013-20 के दौरान इसने ऐसा कोई भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया, जिसके लिए अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी, यह इंगित करता है कि नगर निगम ने यह सुनिश्चित नहीं किया था कि इन भवन परिसरों में अग्निशमन की व्यवस्था उपलब्ध थी या नहीं।

अग्रेतर, वर्ष 2013-20 के दौरान अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल 370 प्रकरणों में जारी किए गए थे एवं नौ मामलों को दिसंबर 2020 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। 35 दिनों की निर्धारित अवधि के विरुद्ध, 370 में से 12 मामलों में अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र 2 से 65 माह के विलंब से जारी किए गए थे। छः आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक भवनों में अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रभारों<sup>5</sup> का नवीकरण न होने के कारण ₹ 38.40 लाख की राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट XXI)।

5 आवासीय और औद्योगिक भवनों के लिए: कुल निर्मित क्षेत्र पर पहली बार ₹ 1 और ₹ 2 प्रति वर्ग फीट और नवीकरण पर 50 प्रतिशत राशि प्रति वर्ष; व्यावसायिक भवनों के लिए: ₹ 1.50 प्रति वर्ग फीट 15 मीटर तक की ऊँचाई के लिए और उसके बाद पहली बार ₹ 2.00 प्रति वर्ग फीट और प्रति वर्ष नवीकरण पर 50 प्रतिशत राशि।

(ii) **समय पर स्नोर्कल सीढ़ी की खरीद में निष्क्रियता:** निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा ₹ 5 करोड़ की अनुमानित लागत से उदयपुर शहर के लिए एक स्नोर्कल सीढ़ी वाहन खरीदने के लिए मंजूरी दी थी (नवंबर 2011)। सीढ़ी की लागत का 70 प्रतिशत नगर सुधार न्यास, उदयपुर और 30 प्रतिशत नगर निगम, उदयपुर द्वारा वहन किया जाना था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सीढ़ी को प्रशासनिक कारणों और उचित योजना के अभाव के कारण नहीं खरीदा जा सका। आग लगने की स्थिति में नगर निगम के पास आग बुझाने के लिए अपेक्षित सीढ़ी नहीं थी।

राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया (फ़रवरी 2019) कि स्नोर्कल सीढ़ी वाहन की खरीद के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाएगी और आगे की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर की जाएगी। अभी तक (जनवरी 2021) स्नोर्कल सीढ़ी की खरीद नहीं की गई थी।

#### **4.1.2.9 सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत निर्माण/अतिक्रमण**

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार, नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र में आने वाली भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित/दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा, नगर पालिका के एक कर्मचारी को सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत निर्माण/अतिक्रमण के मामलों की तुरंत सूचना देने और अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बनाया जाना था।

यह देखा गया कि नगर निगम द्वारा नामित अधिकारियों<sup>6</sup> द्वारा अतिक्रमण के संबंध में 2013-20 के दौरान प्राप्त 3,928 शिकायतों के बावजूद उदयपुर शहर में अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण के मामलों का पता लगाने के लिए नियमित निरीक्षण/सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

वर्ष 2013-20 के दौरान, 3,928 शिकायतों में से 384 शिकायतों की नमूना जाँच में पाया गया कि 317 मामलों में नगर निगम ने अतिक्रमण के मामलों को सुलझाने के लिए कार्यवाही की थी, जबकि 67 मामलों में अपराधियों को नोटिस जारी करने के बाद कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी। नगर निगम ने वर्ष 2018-20 के दौरान केवल 65 मामलों की फाईलें उपलब्ध करवाई थी। नगर निगम ने उत्तर में बताया (जनवरी 2021) कि कर्मचारियों की कमी के कारण इस संबंध में उचित कार्यवाही नहीं की जा सकी और अधिकांश मामलों में नामित अधिकारी स्थानीय स्तर पर शिकायतों का समाधान कर रहे थे। तथापि, हल की गई शिकायतों के लिए कोई दस्तावेज नहीं रखे गए थे। इस प्रकार, अनाधिकृत निर्माणों और सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण की पहचान के लिए कोई उचित प्रणाली मौजूद नहीं थी।

#### **4.1.2.10 राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम का कार्यान्वयन**

राजस्थान सरकार ने जिम्मेदार, जवाबदेह, पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्यों के साथ राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 प्रस्थापित किया

6 कनिष्ठ अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक और सहायक राजस्व निरीक्षक।

(नवंबर 2011)। राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के तहत राजस्थान लोक सेवा गारंटी नियम 2011 बनाये जिसके अंतर्गत 11 सेवाएँ<sup>7</sup> नगर निगम उदयपुर द्वारा प्रदान की जानी थी। इस संबंध में यह पाया गया कि:

**(i) राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना का अभाव**

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि आवेदन की पावती आवेदक को जारी की जाएगी। यह देखा गया कि आवेदनों को प्राप्त करने के लिए कोई उचित प्रणाली मौजूद नहीं थी और आवेदक को वांछित सेवाओं के लिए संबंधित अनुभाग से संपर्क करना पड़ता था। इसके अलावा, आवेदकों को पावती भी जारी नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया (दिसंबर 2021)।

**(ii) सेवाएँ प्रदान करने में विलंब**

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार नामित कार्यालय सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को निर्धारित समय के भीतर सेवाएँ प्रदान करेंगे। यदि किसी सेवा में देरी या इनकार किया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी अपील का फैसला करते समय नामित अधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है।

नगर निगम द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की कोई केंद्रीकृत अभिलेखबद्ध प्रणाली नहीं थी। नगर निगम द्वारा सिर्फ 1358 प्रकरण पत्रावलियों (2013-18 की 983 पत्रावली सात सेवाओं के लिए (+) 2018-20 की 375 पत्रावली 5 सेवाओं के लिए) एवं 1,14,660 जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाये गए थे। 2013-18 के लिए शेष तीन<sup>8</sup> महत्वपूर्ण सेवाओं व 2018-20 के लिए छः सेवाओं<sup>9</sup> की कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई। इन पत्रावलियों/प्रमाणपत्रों की जांच से पता चला कि 333 (24.52 प्रतिशत) मामलों में सेवायें और 6,591 (6,284+307) जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र विलंब के साथ प्रदान किए गए, जिनका विस्तृत विवरण नीचे तालिका 4.1 में है।

- 
- 7 (i) भवन के लेआउट प्लान की स्वीकृति, (ii) विवाह प्रमाण-पत्र जारी करना, (iii) नाम हस्तांतरण प्रमाण-पत्र जारी करना, (iv) सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बंधित कार्य, (v) सामुदायिक केंद्र की बुकिंग, (vi) सुरक्षा जमा राशि की वापसी, अग्निशमन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र, (vii) जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र, (viii) स्वाद्य अनुज्ञापत्र के अलावा अन्य अनुज्ञापत्र जारी करना, (ix) दस्तावेजों/भवन मानचित्रों की प्रति प्राप्त करना, और (x) पट्टा छूट प्रमाण-पत्र जारी करना।
- 8 दस्तावेजों/भवन मानचित्रों की प्रतिलिपि प्राप्त करना और पट्टे पर छूट प्रमाण पत्र जारी करना, स्वाद्य अनुज्ञापत्र के अलावा अन्य अनुज्ञापत्र जारी करना।
- 9 स्वाद्य अनुज्ञापत्र के अलावा अनुज्ञापत्र जारी करना, भवन/दस्तावेजों के मानचित्रों की प्रति प्राप्त करना, लीज में छूट प्रमाण-पत्र जारी करना, नाम हस्तांतरण प्रमाण-पत्र जारी करना, जन स्वास्थ्य सम्बंधित कार्य, सुरक्षित जमा राशि की वापसी।



तालिका 4.1: सेवाएँ प्रदान करने में विलंब

क्र.सं.	सेवा का नाम	निर्धारित दिवस	समीक्षा किए गए मामलों की संख्या	विलंब के मामले (प्रतिशत)	विलंब की सीमा (दिनों में)	टिप्पणियाँ
1	भवन का लेआउट प्लान	60	268	77 (28.73)	8 से 600	वर्ष 2019-20 के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।
2	विवाह प्रमाण पत्र जारी करना	7	486	50 (10.28)	4 से 155	दो मामलों में जारी नहीं किए गए।
3	नाम हस्तांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	15	97	95 (97.94)	17 से 1984	वर्ष 2018-20 के लिए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।
4	सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्य	7	38	36 (94.74)	11 से 166	वर्ष 2018-20 के लिए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।
5	सामुदायिक केंद्र की बुकिंग	7	328	52 (15.85)	2 से 213	-
6	सुरक्षा जमा राशि की वापसी	90	71	04 (5.63)	5 से 51	वर्ष 2018-20 के लिए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।
7	अग्निशमन और अन्य का अनापत्ति प्रमाण पत्र	35	70	19 (27.14)	2 से 1,690	-
8	जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र	30	1,14,660	6,591(5.75)	30 से 1,825	सभी प्रमाण पत्र नगर निगम में अवितरित पड़े थे।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि सेवाएँ प्रदान करने में दो से 1984 दिनों का महत्वपूर्ण विलंब हुआ था। इसलिये, सार्वजनिक सेवाओं को समय पर प्रदान करने के लिए नगर निगम में कोई उचित प्रणाली मौजूद नहीं थी।

राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया (फ़रवरी 2019) कि समय पर सम्बन्धित समितियों की बैठकें न बुलाने के कारण विलंब हुआ। इसके अलावा आवेदकों द्वारा उचित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा नहीं कराए गए थे। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी विशेष सेवा के लिए आवेदन प्राप्त करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं और शुल्क जमा करा दिया गया है।

#### 4.1.2.11 अनुबंध प्रबंधन

अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नगर निगम उदयपुर विभिन्न प्रकार के कार्य अनुबंध के माध्यम से पूर्ण करवाता है। वर्ष 2013-18 के दौरान किए गए 1,820 कार्यों में से 105<sup>10</sup> कार्यों की नमूना लेखापरीक्षा में संविदा प्रबंधन की प्रभावशीलता और दक्षता की जाँच की गई थी। 105 कार्यों की लेखापरीक्षा के संबंध में यह देखा गया कि:

##### (i) अनुबंधों की सामान्य शर्तों की अनुपालना का अभाव

105 कार्यों की नमूना लेखापरीक्षा में से, अनुबंध की सामान्य शर्तों का पालन न करने के मामलों का विवरण निम्न तालिका 4.2 में दिया गया है:

10 88 में से 18 कार्य राशि ₹ 50 लाख या उससे अधिक, 961 में से 48 कार्य राशि ₹ 10 लाख से ₹ 50 लाख और 771 में से 39 कार्य राशि ₹ 10 लाख से कम के चयनित किए गए।

तालिका 4.2: सामान्य शर्तों की अनुपालना न करना

क्र.सं.	टिप्पणी	शासकीय नियम	कार्यों की संख्या	प्रभाव
1	विस्तृत अनुमानों, ड्राइंग और डिजाइनों को तैयार नहीं करना	लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखांकन नियम के नियम 289 के अनुसार विस्तृत अनुमान, सर्वेक्षण, चित्र और डिजाइन के साथ तकनीकी मंजूरी के लिये तैयार करना आवश्यक है।	103	72 कार्यों के निष्पादन में 7.16 प्रतिशत से 230.10 प्रतिशत भिन्नता (68.71 प्रतिशत)।
2	सफल बोलीकर्ताओं को स्वीकृति पत्र जारी न करना	आरटीपीपी नियम 40 के अनुसार, ठेकेदार को बोली के अनुमोदन के बाद स्वीकृति पत्र अधिकतम 3 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिये।	41	अनुबंध/समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा तय नहीं की जा सकी।
3	बैंक गारंटी का नवीनीकरण नहीं करना तथा कम बैंक गारंटी का प्रस्तुतिकरण	लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखांकन नियम परिशिष्ट XI के अनुसार - बैंक गारंटी दोष दायित्व अवधि तक वैध/पुनर्वैध होनी चाहिए।	3	ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया।
4	अंतर राशि की अतिरिक्त बैंक गारंटी की जमा का आभाव	लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी पीडब्ल्यूडी के परिपत्रों के अनुसार- अंतर राशि की अतिरिक्त बैंक गारंटी ठेकेदार से प्राप्त की जानी है, यदि ठेकेदार जी-अनुसूची के 10 प्रतिशत से कम कीमत की पेशकश करता है।	12 प्रकरण	ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया।
5	दोष दायित्व अवधि के पूरा होने से पहले सुरक्षा जमा की वापसी	लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखांकन नियम परिशिष्ट XI के अनुसार सुरक्षा जमा, ठेकेदारों को कार्य की दोष दायित्व अवधि की समाप्ति के बाद ही वापस की जाएगी।	1	ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया।
6	निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद कार्य आदेश जारी करना	आरटीपीपी नियमों के नियम 48 के अनुसार - किसी भी निविदा की वैधता अवधि सामान्य रूप से निविदा खोलने की तिथि से 90 दिन होगी।	5 (9 से 275 दिनों का विलंब)	आरटीपीपी नियमों का उल्लंघन

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि नगर निगम ने अनुबंध प्रबंधन की मार्गदर्शक विशेषताओं का पालन नहीं किया।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए क्रम संख्या 1 से 3 व 5 के संबंध में बताया गया (फरवरी 2019) कि नगर निगम भविष्य के अनुबंधों में प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखेगा। क्रम संख्या 6 के संबंध में यह कहा गया है कि दरें निम्न तरफ थीं और अगर हम पुनः निविदा करते तो उच्च दर आने की संभावनाएं रहती अतः नगर निगम के हित में कार्यादेश जारी किए गए व इससे नगर निगम को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और साथ ही नगर निगम बिना किसी योजना के समयबद्ध तरीके से कामों को क्रियान्वित नहीं कर रहा है। बिंदु संख्या 4 के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

(ii) **अतिरिक्त भुगतान/गैर वसूली ₹ 13.45 लाख**

(अ) आयड़ नदी पर पुल निर्माण कार्य के अंतर्गत जी अनुसूची की दो मदों (अ) सीमेंट कंक्रीट उपलब्ध करवाने और बिछाने का कार्य (पी एंड एल ऑफ सीसी) एवं (ब) प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के निर्दिष्ट ग्रेड उपलब्ध करवाने और बिछाने (पी एंड एल ऑफ आरसीसी) के कार्य का भुगतान बिना कोई कारण निर्धारित किए जी अनुसूची में निर्धारित दर से उच्च दर पर किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण तालिका 4.3 में वर्णित है:

**तालिका 4.3: जी-अनुसूची में निर्धारित दर से अधिक दर पर भुगतान**

क्र.सं.	मद	जी अनुसूची अनुसार			वास्तविक भुगतान			आधिक्य भुगतान		
		मात्रा (क्यूबिक मीटर)	दर (प्रति क्यूबिक मीटर)	राशि (₹)	मात्रा (क्यूबिक मीटर)	दर	राशि (₹)	मात्रा (क्यूबिक मीटर)	दर	राशि (₹)
1	पीएंडएल इन सीसी	27	2,596	70,092	221	3,621	8,00,241	221	1,025	2,26,525
2	पीएंडएल इन आरसीसी	178	4,429	7,88,362	920	5,334	49,07,280	742	905	6,71,510
<b>योग</b>										<b>8,98,035</b>

(ब) 'सिटी डिवीजन 2 में विभिन्न स्थानों पर पैच रिपेयर कार्य' के अंतर्गत मद पीएंडएल स्टोन एग्रीगेट का भुगतान बिना कोई कारण निर्धारित किए जी अनुसूची में निर्धारित दर से अधिक दर पर किया गया, विस्तृत विवरण नीचे तालिका 4.4 में दिया गया है:

**तालिका 4.4: जी-अनुसूची में निर्धारित दर से अधिक दर पर भुगतान**

मद	जी अनुसूची अनुसार			वास्तविक भुगतान			आधिक्य भुगतान		
	मात्रा (क्यूबिक मीटर)	दर (प्रति क्यूबिक मीटर)	राशि (₹)	मात्रा (क्यूबिक मीटर)	दर	राशि (₹)	मात्रा (क्यूबिक मीटर)	दर	राशि (₹)
पीएंडएल स्टोन एग्रीगेट	1,137	546	6,20,802	882.57	941	8,30,498	882.57	395	3,48,615

(iii) **निर्धारित अवधि के भीतर काम पूरा न होना:** अनुबंध और लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखांकन नियम के अनुसार, बाधा उत्पन्न होने के 30 दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता को लिखित में समय विस्तार के लिए आवेदन दिया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी को काम पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समय विस्तार की स्वीकृति देनी थी। इसके अलावा, अनुबंध की धारा 2 के अनुसार, यदि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने में विफल रहता है, तो शेष कार्य के 10 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 105 जाँच किए गए कार्यों में से 59 कार्य बिना किसी देरी के पूर्ण हुये थे और 13 कार्य प्रगति पर थे। शेष 33 कार्य अक्टूबर 2018 तक 13 दिनों से 12 माह के विलंब से पूरे हुए। नगर निगम ने बाद में 4 कार्यों में जुर्माना लगाया और 29 कार्यों में बिना जुर्माना लगाए कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि तक टिप्पणी पत्र पर समय विस्तार दिया था।

29 मामलों में से, 16 मामलों में, नगर निगम ने ठेकेदार द्वारा दिये गए कारणों को स्वीकार करते हुए कोई जुर्माना नहीं लगाया। तथापि, नगर निगम द्वारा 13 दिन से 215 दिन तक के विलंब के 13 मामले बिना कारणों का पता लगाये तथा बिना जुर्माने के निपटारे गए थे। अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि इन 13 मामलों में ₹ 8.15 लाख की शास्ति वसूल की जानी थी। इसके अलावा, बाधा से संबंधित कोई अभिलेख नगर निगम द्वारा संधारण नहीं किए गए थे।

राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2019) कि स्थल की स्थिति के अनुसार कनिष्ठ अभियंता ने पाया कि बाधाएँ सार्वजनिक या अन्य परिस्थितियों के कारण थीं। अतः नगर निगम द्वारा समय विस्तार जुमाने के साथ या बिना किसी जुमाने के दिया जाना निश्चित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि बाधा और इनके कारणों का विवरण तैयार किए बिना 13 मामलों में समय विस्तार दिया गया था।

(vi) अनुबंध/कार्यों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष

(अ) अनियमित समय विस्तार: आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 73 के अनुसार, अतिरिक्त वस्तुओं या अतिरिक्त मात्रा को दोहराने के आदेश मूल खरीद की कुल लागत या ठेकेदार से अनुबंध की आनुपातिक अवधि के 50 प्रतिशत तक जारी किए जा सकते हैं, यदि खरीद विभाग की निविदा दस्तावेज में इस तरह का प्रावधान हो। अग्रेतर, नियम 73 में प्रावधान है कि वितरण या पूर्णता अवधि को भी आनुपातिक रूप से बढ़ाया जा सकता है।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगर निगम उदयपुर ने तीन मामलों में पुनः आदेश जारी किए, जिनका विवरण तालिका 4.5 में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.5: अनियमित समय विस्तार

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत समय	बढ़ाया जा सकता है (50%) तक	वास्तव में विस्तार किया गया	विस्तार का समय (माह में)
	1	2	3	4	5=(4-3)
1	एकीकृत कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन	01.03.2005 से 31.10.2011	31.3.2014	30.09.2018	54
2	वर्ष 2014-15 के लिए सफाई अनुबंध	30.05.2014 से 31.03.2015	31.8.2015	30.09.2016	13
3	नगर निगम क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थापना	04.02.2015 से 26.05.2015	21.7.2015	06.06.2018	35

उक्त तालिका से देखा जा सकता है कि कार्यों के समय को आरटीपीपी नियमों का उल्लंघन कर बढ़ाया गया था, क्योंकि इन कार्यों के समय को अनुबंधों में अनुमत मूल समय के निर्धारित 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2019)।

(ब) पेडस्टल पर अलाभकारी व्यय: नगर निगम उदयपुर ने विभूति पार्क में नौ मूर्तियों के लिए ₹ 37.85 लाख की लागत पर पेडस्टल के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को प्रदान किया (दिसंबर 2015), तथापि जून 2016 में इन 9 पेडस्टल्स का निर्माण ₹ 29.76 लाख लागत पर पूर्ण किया गया था, लेकिन मूर्तियां अक्टूबर 2018 तक स्थापित नहीं की जा सकीं क्योंकि जल संसाधन विभाग और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर नियुक्त (14 सितंबर 2016) विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि फतेहसागर झील पर पेडस्टल्स की स्थापना सुरक्षित नहीं थी।

इसके अलावा, नगर निगम द्वारा गठित एक अन्य समिति ने भी सुझाव<sup>11</sup> दिए (मई 2017) और नगर निगम ने समिति द्वारा व्यक्त चिंताओं पर ईपीटीआईएसए<sup>12</sup> से आगे सलाह मांगी (अगस्त 2017), किन्तु 40 माह की अवधि के बाद भी ईपीटीआईएसए से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार, काम के तकनीकी पहलुओं को सुनिश्चित किए बिना, नगर निगम ने ₹ 29.76 लाख व्यय किए, जो कि अब तक निष्फल साबित हुये। अग्रेतर, राजनीतिक/प्रशासनिक प्रतिनिधियों/कर्मचारियों के संयुक्त दौरे में लिये गए निर्णय के अनुसरण में नगर निगम उदयपुर ने ₹ 16.71 लाख की लागत के साथ चार अतिरिक्त पेडस्टल्स का निर्माण किया था (2019)। तथापि, बाद में अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित समिति के निर्देशानुसार इन्हे ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकार पेडस्टल के निर्माण पर ₹ 46.47 लाख का व्यय निष्फल रहा।

**(स) क्षतिपूर्ति राशि ₹ 8.33 लाख की वसूली का अभाव**

(i) निदेशालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण, भारत सरकार ने राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत ₹ 1.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पिछोला झील में आठ ऑजोनाइज़र सह तैरते हुए फव्वारे की स्थापना का कार्य स्वीकृत किया (फरवरी 2009)। नगर निगम ने एक ठेकेदार को 28 सितंबर 2017 तक कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि के साथ कार्य आदेश जारी किया (दिसंबर 2016) जिसे आगे बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दिया गया। दिसंबर 2020 तक ठेकेदार ने ₹ 47.28 लाख की लागत पर केवल तीन फव्वारों को ही स्थापित किया था। निर्धारित समय के भीतर कार्यों को पूरा नहीं करने पर संबंधित ठेकेदार से ₹ 14.41 लाख<sup>13</sup> की क्षतिपूर्ति वसूली जानी थी।

अनुबंध की धारा 2 और 3 के अंतर्गत ठेकेदार को एक नोटिस जारी किया गया था (जनवरी 2019) और ठेकेदार को काली सूची में डालने व शेष कार्य के लिए पुनः टेंडर करने के लिए आयुक्त द्वारा भी निर्देश दिये थे (दिसंबर 2019), लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। ₹ 14.41 लाख की क्षतिपूर्ति राशि के विरुद्ध ₹ 10.88 लाख की राशि वसूल की गई और ₹ 3.53 लाख की क्षतिपूर्ति की राशि अभी भी बकाया है।

(ii) नगर निगम उदयपुर ने “उदयपुर शहर की पुरानी सीवरेज लाइन के रस्वरस्वाव” हेतु संचालन और रस्वरस्वाव (ओएंडएम) के लिये एक ठेकेदार को तीन साल के लिए कार्य आदेश जारी किया (दिसंबर 2015)। जनवरी 2016 से मरम्मत कार्यों के लिये एक वर्ष की अवधि सहित ₹ 1.43 करोड़ (कार्य निष्पादन कार्य के लिए 89 लाख और ओएंडएम के लिए 54 लाख सहित) का एक कार्य आदेश ठेकेदार को जारी किया गया और ओएंडएम अवधि तीन साल थी। ठेकेदार ने ₹ 1.32 करोड़ के मरम्मत कार्यों को पूर्ण किया और चार माह के बाद (अर्थात् मई 2016) ओएंडएम का काम छोड़ दिया। इसके बाद से नगर निगम की विधुत

11 रिटैनिंग दीवार को मजबूत करने की आवश्यकता थी; (ii) सीपेज निकासी प्रणाली और वी निशान की मरम्मत; (iii) पत्थर लगाने के कार्य का निष्पादन; (iv) डब्ल्यूआरडी के साथ परामर्श के बाद पीजो मीटर को चालू करना और (v) सतह के उपचार के लिए कार्यवाही, आदि।

12 यह स्पेन की एक फर्म है जो स्मार्ट राज प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी है।

13 ₹ 1.44 करोड़ के शेष कार्य का 10 प्रतिशत।

शाखा द्वारा ओएंडएम कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार, ठेकेदार से ₹ 4.80 लाख<sup>14</sup> (₹ 48 लाख का 10 प्रतिशत) की क्षतिपूर्ति वसूल की जानी थी, क्योंकि ओएंडएम के कार्य को संतोषजनक ढंग से निष्पादित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2019)।

#### 4.1.3 राजस्व का मूल्यांकन, मांग और संग्रह

##### 4.1.3.1 शहरी विकास कर से कर राजस्व

(i) **शहरी विकास कर की वसूली का अभाव:** राजस्थान नगर पालिका (शहरी विकास कर) नियम 2007 के नियम 4 (1) के अनुसार, शहरी विकास (यूडी) कर की एक वार्ड/वृत्त/क्षेत्रवार मूल्यांकन सूची तैयार की जानी चाहिए और एक सार्वजनिक नोटिस नगर निगम द्वारा जारी किया जाना चाहिये। इसके अलावा, निर्धारिती द्वारा यूडी कर की स्व-मूल्यांकित विवरणी प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

2007 के सर्वेक्षण के आधार पर यूडी कर का आंकलन करके मालिक से मांग की जानी चाहिए। मार्च 2008 तक ₹ 5.61 करोड़ का बकाया यूडी कर मार्च 2020 के अंत में बढ़कर ₹ 50.58 करोड़ (902 प्रतिशत) हो गया था।

₹ 50.58 करोड़ के विरुद्ध, ₹ 10.83 करोड़ (21.41 प्रतिशत) यूडी कर केवल 10 बड़े निर्धारितियों<sup>15</sup> से बकाया थे। अग्रेतर, नगर निगम उदयपुर ने 2013 में नगर निगम के गठन के बाद भी यूडी कर के अदाता की पहचान के लिए संपत्ति का 2007 के बाद से कोई सर्वेक्षण नहीं किया था।

(ii) **शहरी विकास कर का कम मूल्यांकन:** लेखापरीक्षा ने यूडी कर के 150 मामलों की जांच की और छः मामलों में निम्न अनियमितताएं पाई गईं:

**विवाह स्थलों के क्षेत्र की गलत गणना:** स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अध्यादेश (अगस्त 2016) के अनुसार, भूमि मालिक को कर का स्व-मूल्यांकन करना था और राशि जमा करानी थी और संबंधित अभिलेख स्थानीय निकाय में जमा कराना था और यदि स्व-मूल्यांकित कर कम पाया जाता है, तो संपूर्ण कर दंड सहित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत वसूलनीय था।

14 'ओएंडएम कार्य के लिये ठेकेदार को ₹ 6 लाख का भुगतान किया गया'।

15 द ग्रैंड लक्ष्मी विलास पैलेस: ₹ 279.86 लाख, कृष्ण चंद पांडे: ₹ 139.26 लाख, अधीक्षक केंद्रीय काराग्रह ₹ 42.65 लाख, जगदीश नागदा: ₹ 42.16 लाख, ओम बंसल: ₹ 42.02 लाख, दिनेश कोठारी: ₹ 39.58 लाख, संत पॉल स्कूल: ₹ 33.70 लाख, शांति देवी: ₹ 29.27 लाख, नव निर्माण संघ कार्यालय: ₹ 32.93 लाख, महंत मुरली मनोहर शास्त्री: ₹ 27.45 लाख।

छ: मामलों में नगर निगम ने संबंधित विवाह स्थलों के पंजीकरण के समय प्रस्तुत स्थल मानचित्र में उल्लेखित क्षेत्र की तुलना में विवाह स्थलों के कम क्षेत्र पर यूडी कर लगाया। इससे ₹ 38.50 लाख के राजस्व की हानि हुई।

#### 4.1.3.2 गैर-कर राजस्व

(i) **बकाया पट्टा राशि:** राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि निपटान) नियम 1974 के नियम 7 (1) के अनुसार, शहरी मूल्यांकन (पट्टा राशि) आवासीय भूखंड के लिए आरक्षित मूल्य का 2.50 प्रतिशत और वाणिज्यिक और अन्य उद्देश्यों के लिए पांच प्रतिशत निर्धारित करना था।

यह देखा गया कि 2006-19 की अवधि के लिए, बकाया पट्टा राशि ₹ 3.74 करोड़ थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ₹ 3.74 करोड़ में से, ₹ 1.14 करोड़, ₹ 0.68 करोड़ और ₹ 1.92 करोड़ क्रमशः 2006-10, 2010-15 और 2015-19 से बकाया थे। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि वसूली के प्रयासों में कमी के कारण बकाया पट्टा राशि ₹ 0.46 करोड़ (2006-07) से ₹ 3.74 करोड़ (2018-19) (713.04 प्रतिशत वृद्धि) तक बढ़ गई। इसके अलावा वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए नगर निगम के पास वसूल किए गए और बकाया पट्टा राशि के विवरण/आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2019) कि लम्बित पट्टा राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

(ii) **भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए पट्टा राशि की वसूली का अभाव:** शहरी विकास और आवास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र (जून 2015) के अनुसार, प्रत्येक आवेदक मांग पत्र प्राप्त करने के बाद, भूमि उपयोग रूपांतरण शुल्क के संबंध में सभी बकाया राशि जमा करेगा और आवेदक आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग नियमितीकरण/रूपांतरण के मामलों में भूमि उपयोग के रूपांतरण की तिथि से 5 प्रतिशत की दर से नियमितीकरण/रूपांतरण राशि जमा करेगा।

यह देखा गया कि नगर निगम उदयपुर ने 2012-15 के दौरान 11 मामलों में आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग को परिवर्तित किया था। तथापि, आवेदकों को कोई संशोधित पट्टा विलेख जारी नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ के राजस्व की हानि हुई (*परिशिष्ट-XXII*)। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2019) कि पट्टा राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। तथापि, आज तक (जनवरी 2021) कोई भी वसूली नहीं की गई थी।

(iii) **पीएचईडी से सीवरेज शुल्क की वसूली का अभाव:** जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) द्वारा नगरपालिका के लिये जल बिल के माध्यम से सीवरेज शुल्क वसूला जा रहा था। पीएचईडी उदयपुर ने 2007-20 के दौरान उदयपुर शहर में ₹ 1.66 करोड़ के सीवरेज शुल्क एकत्र किए। इनमें से, पीएचईडी ने नगर निगम (मार्च 2008) को केवल ₹ 0.19 करोड़ हस्तांतरित किए। इसके बाद न तो पीएचईडी ने इस तरह की निधि हस्तांतरित

की और न ही नगर निगम द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गई अतः पीएचईडी के पास ₹ 1.47 करोड़ सीवरेज शुल्क के रखे हुये है ।

राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2019) कि पीएचईडी द्वारा एकत्रित सीवरेज शुल्क को हस्तांतरित करने के लिए नगर निगम उनसे निरंतर पत्र व्यवहार कर रहा है । अधिशासी अभियंता पीएचईडी शहर संभाग उदयपुर ने कहा (जनवरी 2021) कि राशि राज्य सरकार के स्तर पर हस्तांतरित की जानी है ।

(iv) **मोबाइल टावरों के पंजीकरण और अनुमति शुल्क की वसूली का अभाव:** मोबाइल टॉवर उपनियम 2012 के अनुसार, ₹ 30,000 एकमुश्त पंजीकरण शुल्क व ₹ 10,000 वार्षिक अनुमति शुल्क निर्धारित किया गया था । इसके अलावा, शहरी विकास और आवासन विभाग, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया (फरवरी 2017) कि मोबाइल टॉवर जिनका 6 फरवरी 2017 से पहले नियमन नहीं किया गया था, उन्हें मोबाइल टॉवर उपनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जायेगा ।

यह देखा गया कि दूरसंचार कंपनियों के 151 मोबाइल टावर उदयपुर शहर में स्थापित किए गए थे (फरवरी 2012) लेकिन नगर निगम ने अवधि 2011-12 से 2019-20 में न तो इन मोबाइल टॉवरों को नियमित किया और न ही ₹ 30,000 प्रति मोबाइल टावर की दर से ₹ 0.45 करोड़ के पंजीकरण शुल्क और ₹ 10,000 प्रति वर्ष/प्रति मोबाइल टॉवर की दर से ₹ 1.81 करोड़ के वार्षिक अनुमति शुल्क वसूल किए ।

इसके अलावा, यह देखा गया कि नगर निगम ने दूरसंचार निगम प्रा लिमिटेड, बीएसएनएल, वोडाफोन, डिजिलिंक लिमिटेड और टाटा टेली सर्विस लिमिटेड को अपने मोबाइल टावरों के पंजीकरण के लिए नोटिस जारी किए (अगस्त 2018, दिसंबर 2018 और अप्रैल 2019) । तथापि उन्होंने अपने टावरों का पंजीकरण नहीं कराया । पंजीकरण के लिए इन कंपनियों के टावरों की संख्या का पता लगाने के लिए नगर निगम ने भी कोई सर्वेक्षण नहीं किया ।

नगर निगम को मोबाइल टावरों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण न करवाने के कारण ₹ 1.81 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2019) कि राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्देश दिया (दिसंबर 2010) कि मौजूदा टावरों को वर्तमान स्थानों पर जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन किसी भी नए टावरों के निर्माण के लिए उन शर्तों का पालन करना होगा, जो उपनियमों द्वारा अधिरोपित हैं । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फरवरी 2017 में शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इन 151 मोबाइल टॉवरों को मोबाइल टॉवर उपनियम 2012 द्वारा विनियमित किया जाना था, क्योंकि ये टॉवर 2012 से पहले स्थापित किए गए थे ।

(v) **होटल, बेकरी, मिठाई की दुकानों आदि से अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली का अभाव:** नगर निगम उदयपुर (होटल, रेस्तरां, बेकरी, मिठाई की बिक्री के लिए दुकान आदि का नियंत्रण और विनियमन) उपनियम 2015 (जिसे जुलाई 2015 में अपनाया गया), के अनुसार



नगर निगम से वार्षिक अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना कोई भी होटल, रेस्तरां, बेकरी आदि नहीं चला सकता है। उपनियम के अनुसार निर्धारित अनुज्ञापत्र शुल्क जमा करने पर वार्षिक अनुज्ञापत्र प्राप्त करना था और इसे हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त, चार/पांच सितारा होटलों के मामले में उच्च अनुज्ञापत्र शुल्क प्रभावी था।

यह देखा गया कि उदयपुर शहर में 51 होटल (41 पाँच सितारे और 10 चार सितारा श्रेणी के होटल) चल रहे थे। 51 होटलों में से, नगर निगम, उदयपुर में पाँच/चार सितारा श्रेणी के 12 होटलों के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण सामान्य श्रेणी में हुआ, जिससे ₹ 61.86 लाख के राजस्व की हानि हुई और शेष 39 होटल बिना अनुज्ञापत्र के चल रहे थे। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015 से 2020 के लिए ₹ 2.22 करोड़<sup>16</sup> अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली नहीं हुई, जिससे कुल राजस्व ₹ 2.84 करोड़ का नुकसान हुआ (*परिशिष्ट-XXIII*)।

नगर निगम ने उदयपुर शहर में चलने वाले होटलों की संख्या की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया, जिसके कारण लेखापरीक्षा अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूल राशि की वास्तविक गणना नहीं कर सकी। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2019) कि एक सर्वेक्षण किया जाना प्रस्तावित है जिसमें ऐसे होटलों की पहचान की जाएगी जिन्होंने अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन नहीं किया है और सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी।

अग्रेतर, नगर निगम ने अन्य होटलों, रेस्तरां, बेकरी, मिठाई की दुकानों आदि के संबंध में कोई आंकड़े प्रदान नहीं किए। तथापि, नगर निगम ने होटल/रेस्तरां को जारी अनुज्ञापत्र की 30 फाइलें लेखापरीक्षा को प्रदान की। इन मामलों के अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र जारी करने के बाद नवीनीकृत नहीं किए गए थे, जिसके कारण नगर निगम ₹ 13.77 लाख के राजस्व से वंचित रहा।

(vi) **बस आश्रयों और यातायात बूथ (कियोस्क) की स्थापना नहीं होने के कारण राजस्व का नुकसान:** नगर निगम ने “बस आश्रय के निर्माण हेतु” 31 स्थानों पर “फर्म अ” को “निर्माण, संचालन और स्थानांतरण” के आधार पर ₹ 12.50 लाख प्रति वर्ष की दर से स्वीकृति प्रदान की थी (मई 2011)। दर को प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाना था। नगर निगम ने ठेकेदार को केवल आठ स्थल उपलब्ध करवाये थे और बस आश्रय स्थापित करने के लिए बार-बार अनुरोध के बाद भी शेष स्थलों को ठेकेदार को प्रदान नहीं किया गया। अग्रेतर, 33 “यातायात बूथ” के निर्माण और विज्ञापन प्रदर्शन कार्य के लिए फर्म ‘बी’ को ₹ 10.22 लाख प्रति वर्ष की दर से मंजूरी दी गई थी (मई 2011), जिसे 10 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि ठेकेदारों को न तो बस-आश्रय स्थल (आठ को छोड़कर) और न ही यातायात बूथ स्थल उपलब्ध कराए गए थे और इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.38 करोड़ के राजस्व की हानि हुई (*परिशिष्ट XXIV*)।

16 31 पाँच सितारा होटल x ₹ 1,00,000 प्रतिवर्ष x 6 वर्ष = ₹ 1,86,00,000 व 8 चार सितारा होटल x ₹ 75,000 प्रतिवर्ष x 6 वर्ष = ₹ 36,00,000; योग = ₹ 2,22,00,000

राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2019) कि निविदा की मुख्य शर्त थी कि “बोली लगाने वाले को स्थल का पूरा ज्ञान माना जाएगा, चाहे वह इसका निरीक्षण करे या नहीं” । इसलिए यह यातायात बूथ और बस आश्रय स्थापित करना फर्मों की जिम्मेदारी थी । यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के अनुसार, भूमि के अधिकार, व्यावहारिक उपयोगिता और आपत्तियाँ, यदि कोई थी की पुष्टि करने के बाद अंतिम स्थान बिंदु प्रदान करना, नगर निगम उदयपुर की जिम्मेदारी थी । यह इंगित करता है कि नगर निगम ने ठेकेदार के बार-बार अनुरोध के बावजूद स्पष्ट स्थान नहीं दिया, परिणामस्वरूप यातायात बूथ और बस आश्रय स्थापित नहीं किए जा सके ।

(vii) **सड़क फर्नीचर विज्ञापन अनुज्ञापत्र शुल्कों से राजस्व हानि:** नगर निगम, उदयपुर ने (जनवरी 2008 में) 15 वर्षों के लिए बीओटी आधार पर एक फर्म को सड़क फर्नीचर स्थापना, रखरखाव और विज्ञापन का कार्य प्रदान किया । फर्म को कार्य के आवंटन की तारीख से छह माह (अर्थात जुलाई 2008) की अवधि के भीतर सड़क फर्नीचर स्थापित करना था । निविदा दस्तावेजों के अनुसार 14 गैट्रीज, 11 साइनेज, 05 बेकेलाइट टॉवर, 3 सार्वजनिक उपयोगिता, एक उच्च मास्ट और एक यातायात बूथ स्थापित किया जाना था ।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि स्पष्ट स्थलों की अनुपलब्धता के कारण इन सड़क फर्नीचरों की स्थापना में लगभग पाँच साल का विलंब हुआ था (मार्च 2013 तक स्थापित) । इसके अलावा दो बेकेलाइट टॉवर स्थापित नहीं किए गए थे । नगर निगम को 2007-20 की अवधि के लिए प्राप्त होने वाले कुल राजस्व ₹ 4.66 करोड़ के विरुद्ध ₹ 3.64 करोड़ प्राप्त हुए। इस प्रकार, ठेकेदार को स्थल उपलब्ध नहीं कराने के कारण ₹ 1.02 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2019) ।

(viii) **बेहतरी शुल्क की कम वसूली:** नगर निगम उदयपुर भवन विनियम 2013 के अनुसार, 1000 वर्ग मीटर और 5000 वर्ग मीटर के बीच के क्षेत्रों में फ्लैट निर्माण के लिए, मानक तल क्षेत्र अनुपात 1.20 था और ₹ 100 प्रति वर्ग फीट या आवासीय कीमत के 25 प्रतिशत के समतुल्य मानक तल क्षेत्र अनुपात से अधिक पर, जो भी अधिक हो बेहतरी शुल्क के भुगतान के बाद अधिकतम अनुमेय मानक तल क्षेत्र अनुपात 2.00 था । इसके अलावा, 2.25 तक मानक तल क्षेत्र अनुपात की दर ₹ 300 प्रति वर्ग फीट या आवासीय मूल्य के 25 प्रतिशत जो भी उच्चतर हो के भुगतान पर दी जा सकती है । वाणिज्यिक भवन के मामले में दर व्यावसायिक आरक्षित मूल्य का 30 प्रतिशत थी या क्रमशः 30 मीटर के लिए और 30 मीटर से अधिक के लिए ₹ 200 और ₹ 300 प्रति वर्ग फीट, जो भी अधिक हो, थी ।

यह देखा गया कि पांच आवासीय भवनों और तीन वाणिज्यिक भवनों का निर्माण मानक तल क्षेत्र अनुपात क्रमशः 1.20 और 1.33 से अधिक किया गया था । क्षेत्र या दर की गलत गणना के कारण नगर निगम ने ₹ 3.38 करोड़ का कम बेहतरी शुल्क वसूल किया था (परिशिष्ट XXV) ।

राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2019) कि (i) क्रम संख्या 1 के संबंध में आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन आवेदक ने वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया और इस संबंध में एक याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, (ii) क्रम संख्या 2 के संबंध में आवेदक को अदालत से स्टे मिला था और अदालत के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, (iii) क्रमांक 3 से 8 के संबंध में, शहरी विकास और आवासन विभाग ने मॉडल राजस्थान भवन उपनियम, 2013 (जुलाई 2013) में मानक तल क्षेत्र अनुपात 1.20 के स्थान पर संशोधित कर 1.33 और 2 के स्थान पर अधिकतम अनुमत मानक तल क्षेत्र अनुपात 2.25 किया था, इसलिए कोई राशि वसूली योग्य नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्रम संख्या 1 और 2 के संबंध में नगर निगम को भवन निर्माण के समय ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिए थी। तथापि नगर निगम ने केवल संशोधित स्थल योजना के लिए ही नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई और क्रम संख्या 3 से 8 के संबंध में, नगर निगम उदयपुर ने 15 जून 2015 को राजस्थान भवन उपनियम 2013 को अपनाया था, जिसमें मानक तल क्षेत्र अनुपात 1.20 निर्धारित है और अधिकतम स्वीकार्य 2 है।

(ix) **भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क की वसूली का अभाव:** शहरी विकास और आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र (जून 2015) के अनुसार, आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग के रूपांतरण के लिए, आवासीय आरक्षित मूल्य के 40 प्रतिशत की दर से रूपांतरण शुल्क वसूला जाना चाहिए। यह देखा गया कि एक मामले में भवन निर्माता<sup>17</sup> ने जनवरी 2014 में भूमि रूपांतरण के लिए आवेदन किया था और उसके बाद भवन निर्माता ने 6,088.50 वर्ग फुट क्षेत्र पर जी+4 वाणिज्यिक परिसर का निर्माण बिना राशि ₹ 19 लाख<sup>18</sup> रूपांतरण शुल्क के भुगतान के किया। इस प्रकार, नगर निगम दिसंबर 2020 तक भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क वसूलने में विफल रही।

(x) **दुकानों और कियोस्क से किराए की वसूली का अभाव:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013-20 के दौरान नगर निगम के कब्जे में 72 दुकानें और 99 कियोस्क थे और मार्च 2020 तक ₹ 5.81 लाख (₹ 3.65 लाख 6 दुकानों से और 8 कियोस्क से ₹ 2.16 लाख) का किराया 9 से 205 माह तक बकाया था।

#### 4.1.4 अन्य अनियमितताएँ

##### 4.1.4.1 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय लक्ष्य की प्राप्ति का अभाव

राज्य सरकार ने अप्रैल 2018 में नगर निगम, उदयपुर को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया, लेकिन, वहाँ 393 घरों में शौचालय नहीं हैं। इसके लिए तकनीकी स्वीकृति ₹ 60.00 लाख की जारी की गई थी (अप्रैल 2018) और निविदायें मई 2018, सितंबर 2018 और दिसंबर 2018 में जारी की गईं और कार्यादेश फरवरी 2019 में ₹ 71.96 लाख के लिए जारी किया

17 कमल कॉम्प्लेक्स

18 क्षेत्रफल 6,088.50 वर्ग फुट x ₹ 780 x 40/100 = ₹ 18,99,612

गया। लेकिन दिसंबर 2020 तक ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादित नहीं किया गया था, इसलिए 393 घर अभी भी शौचालय रहित हैं।

राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2019) कि स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है, उनके 500 मीटर के दायरे में सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए। इन 393 घरों में शौचालय बनाने के लिए उनके प्लॉट में कोई जगह नहीं थी और नगर निगम ने उन घरों के लिए 56 सामुदायिक शौचालयों/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया, जिनके घर में जगह नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि मई 2019 में नगर निगम उदयपुर के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि 393 घरों के लिए शौचालय के निर्माण के लिए नगर निगम ने निविदा और कार्य आदेश फरवरी 2019 में जारी किए थे। इसके अलावा, नगर निगम ने स्वीकार किया (जनवरी 2021) कि छः वार्डों (वार्ड नंबर 5, 12, 31 से 33 और 47) में कोई भी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नहीं थे, जहां 50 घरों की पहचान बिना व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के की गई थी। यह इंगित करता है कि इन 393 शौचालय की आवश्यकता थी और उदयपुर शहर को सभी घरों में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था।

#### **4.1.4.2 सामुदायिक जैव-पाचक टैंक के निर्माण की दोषपूर्ण योजना**

स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि सीवरेज प्रणाली किसी भी घरेलू शौचालय/सामुदायिक शौचालय से 30 मीटर के भीतर उपलब्ध नहीं है, तो शौचालय अधिरचना के निर्माण के अलावा, सीवेज के संग्रहण और निपटान के लिए, उसके उत्पन्न होने के स्थान या पास में ही उपचार प्रणाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि नगर निगम, उदयपुर ने 6 अप्रैल 2017 को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के साथ ₹ 1.18 करोड़ की लागत से 13 सामुदायिक जैव-पाचक टैंक शौचालयों के निर्माण के लिए एक ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किया (मार्च 2016)। ठेकेदार ने केवल 2 टैंक का निर्माण किया और अन्य 11 स्थानों का लेआउट प्रदान करने का अनुरोध किया। जानकारी मांगने पर नगर निगम ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि आवश्यकता के अनुसार केवल 2 जैव-पाचक टैंक का निर्माण किया गया था और शेष की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेखापरीक्षा की दृष्टि में यह नगर निगम में नियोजन विफलता इंगित करता है क्योंकि शुरू में नगर निगम ने 13 सामुदायिक जैव-पाचकों की आवश्यकता का विश्लेषण किया था और तदनुसार कार्य आदेश जारी किया गया था। तथापि, कार्यादेश जारी होने के बाद बायो-पाचकों की आवश्यकता न होने पर 11 कार्यों को रद्द कर दिया गया था और निरस्तीकरण तक नगर निगम ने कार्य पर ₹ 13.84 लाख का व्यय किया। इसलिये सीवेज को अब मिट्टी के गड्ढों में निपटाया जा रहा है।

#### 4.1.5 वित्तीय प्रबंधन

नगर निगम, उदयपुर के वित्तीय संसाधनों में मुख्य रूप से केंद्रीय वित्त आयोग /राज्य वित्त आयोग और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान और कर और गैर-कर राजस्व से संग्रहण शामिल हैं ।

##### 4.1.5.1 बजट तैयार करना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय के आधार पर एक बजट अनुमान तैयार करेगा । इसे प्रत्येक वर्ष के 28 फरवरी तक निदेशक स्थानीय निकाय राज्य सरकार को अग्रेषित करने के लिए 15 फरवरी से पहले नगरपालिका द्वारा पारित किया जाएगा। यह पाया गया कि:

(i) वर्ष 2013-14, 2015-16 से 2019-20 के बजट अनुमानों को 4 से 87 दिनों के विलंब के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित करने के लिए निदेशक स्थानीय निकाय को प्रस्तुत किया गया था ।

2013-20 के दौरान नगर निगम के बजट अनुमान के विरुद्ध स्वयं के राजस्व की प्राप्ति की स्थिति तालिका 4.6 में दी गई है ।

तालिका 4.6: बजट अनुमान के विरुद्ध स्वयं के राजस्व की प्राप्ति की स्थिति

(₹ करोड में)

क्र.सं.	वर्ष	स्वयं के राजस्व				पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व के प्रतिशत में बढ़त/घटत
		लक्ष्य	प्राप्ति	अतिरिक्त(+)/कमी(-)	अतिरिक्त/कमी का प्रतिशत	
1	2013-14	22.99	28.46	(+)5.47	(+)23.79	-
2	2014-15	28.42	27.33	(-)1.09	(-)3.84	(-)3.37
3	2015-16	29.81	25.39	(-)4.42	(-)14.83	(-)7.10
4	2016-17	43.32	33.85	(-)9.47	(-)21.86	(+)33.32
5	2017-18	40.77	35.02	(-)5.75	(-)14.10	(+)3.46
6	2018-19	41.83	34.41	(-)7.42	(-)17.74	(-)1.74
7	2019-20	42.82	27.50 (12/19 तक)	(-)15.32		

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि नगर निगम 2013-14 को छोड़कर सभी वर्षों में स्वयं के राजस्व का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका और 2014-19 की अवधि के दौरान स्वयं के राजस्व की प्राप्ति में 3.84 प्रतिशत से 21.86 प्रतिशत तक की कमी थी । इसके अलावा, स्वयं के राजस्व की प्राप्ति के लक्ष्य, प्रत्येक राजस्व मदों के उचित मूल्यांकन के बाद वास्तविक रूप से निर्धारित नहीं किए गए थे, क्योंकि भवन अनुमति, सड़क कटाव, मोबाइल टॉवर के लिए अनुज्ञापत्र, विवाह स्थल अनुज्ञापत्र शुल्क, पट्टा शीर्ष आदि के लक्ष्यों की तुलना में राजस्व की वसूली दो से 20 गुना अधिक थी और भूमि के नियमितीकरण, विज्ञापन शुल्क, भवन अनुज्ञा,

संपत्ति/भूमि की बिक्री, सीवरेज कर, पार्किंग शुल्क से आय, नाव, नगर नियोजन विभाग/आवासन बोर्ड आदि से राजस्व वसूली नहीं/कम हुई थी।

इसके अलावा, 13वें/14वें केंद्रीय वित्त आयोग और 4वें/5वें राज्य वित्त आयोग ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्व को प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की। तथापि, नगर निगम ने 2016-17 को छोड़कर अन्य वर्षों में अपने स्वयं के राजस्व में 10 प्रतिशत वृद्धि हासिल नहीं की थी।

(ii) 2013-20 के दौरान व्यय के लिए नगर निगम के बजट अनुमानों की स्थिति नीचे तालिका 4.7 में दी गई है:

**तालिका 4.7: 2013-20 की अवधि में नगर निगम का व्यय**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	कुल व्यय				पूँजीगत व्यय			
		लक्ष्य व्यय	वास्तविक व्यय	अधिक/कमी	कमी का प्रतिशत	लक्ष्य व्यय	वास्तविक व्यय	अधिक/कमी	कमी का प्रतिशत
1	2013-14	170.69	116.94	53.75	31.48	87.42	53.39	34.03	38.93
2	2014-15	197.05	149.01	48.04	24.38	102.96	70.55	32.41	31.48
3	2015-16	222.61	117.68	104.93	47.14	126.03	42.16	83.87	66.55
4	2016-17	297.16	155.41	141.75	47.70	181.60	73.74	107.86	59.39
5	2017-18	282.73	135.29	147.44	52.15	152.65	44.51	108.14	70.84
6	2018-19	291.05	249.10	41.95	14.41	155.55	120.58	34.97	22.48
7	2019-20	308.11	166.79*			165.73	74.71*		

\*(दिसंबर 2019 तक)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2013-19 की अवधि के दौरान, नगर निगम व्यय के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि व्यय में कमी 14.41 प्रतिशत से 52.15 प्रतिशत के बीच थी। नगर निगम ने पिछले वर्ष में किए गए व्यय का एक निश्चित प्रतिशत बढ़ाकर किसी विशेष वर्ष के व्यय के लक्ष्य निर्धारित किए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2013-19 के दौरान व्ययों में कमी का मुख्य कारण व्ययों का अधिक अनुमान था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2019) कि नगर निगम की बोर्ड बैठक विलंब से हुई थी जिसके कारण बजट अनुमान निदेशक स्थानीय निकाय को विलंब के साथ भेजे गए। भविष्य में बजट समय पर भेजा जाएगा।

#### 4.1.5.2 उपार्जित आधार पर वार्षिक लेखे तैयार न करना

राजस्थान नगरपालिका लेखे नियमावली, 2010 और 13वें/14वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, नगरपालिकाओं को उपार्जित आधार पर लेखे तैयार करने थे। सचिव, स्थानीय शासन विभाग ने यह भी निर्देश दिया कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक अप्रैल

2010 से उपार्जित आधार और दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर स्वातों को बनाना है (दिसंबर 2009)।

तथापि, यह देखा गया कि नगर निगम उदयपुर ने वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के लिए अपने वार्षिक लेखों को उपार्जित आधार पर नहीं बनाया। जनवरी 2021 में वर्ष 2018-20 के लिए वार्षिक लेख तैयार हो रहे थे।

#### **4.1.5.3 वार्षिक लेखे निर्धारित समय के भीतर तैयार नहीं किए गए**

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 92 (1), 93 और 94 में यह प्रावधान है कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए एक आय और व्यय खाता, प्राप्तियां और भुगतान खाता एवं तुलन पत्र युक्त वित्तीय विवरण चालू वर्ष के 30 जून तक तैयार हो जाने चाहिए। वित्तीय विवरणों को जांच के लिए वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा और स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखापरीक्षकों द्वारा (लेखों के प्रमाणीकरण सहित) जांच और लेखापरीक्षा की जायेगी। यह देखा गया कि नगर निगम उदयपुर के वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के वार्षिक वित्तीय विवरण 3 माह से 27 माह के विलंब के साथ तैयार किए गए थे और वर्ष 2018-20 के वार्षिक लेखों को दिसंबर 2020 तक तैयार नहीं किया गया था।

अग्रेतर, वित्तीय विवरणों को वित्त समिति के समक्ष नहीं रखा गया और जैसा कि आवश्यक था, ये राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा लेखा परीक्षित और प्रमाणित नहीं किए गए (प्राप्ति और भुगतान खाते को छोड़कर 2018-19)। वित्तीय विवरण का प्रमाणीकरण न होने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वित्तीय विवरण नगर निगम के मामलों की सही और निष्पक्ष स्थिति को दर्शाते हैं या नहीं।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2019)

#### **4.1.5.4 अधिक उपयोगिता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना**

नगर निगम, उदयपुर को जिला परिषद उदयपुर से अवधि 2007-15 के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए ₹ 23.61 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, नगर निगम ने जिला परिषद को ₹ 24.76 करोड़ के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजे, लेकिन अभिलेखों के अनुसार नगर निगम ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पर केवल ₹ 17.54 करोड़ का वास्तविक व्यय किया था। इस प्रकार, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में ₹ 7.22 करोड़ के व्यय को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और अनुदान प्राप्तियों से ₹ 1.15 करोड़ अधिक के उपयोगिता प्रमाण-पत्र गलत तरीके से जारी किए गए थे।

### **4.1.6 आंतरिक नियंत्रण और निगरानी**

#### **4.1.6.1 अभिलेखों का संधारण न होना**

संपादित गतिविधियों के प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के लिए, नगर निगम को कुछ रजिस्ट्रों को संधारण करने और इन्हें उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। यह देखा

गया कि निम्नलिखित रजिस्ट्रों का या तो संधारण नहीं किया जा रहा था या अपूर्ण रूप से उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किए बिना संधारण किया गया था।

(i) **संपत्ति रजिस्टर:** राजस्थान नगर पालिका लेखा नियम 1963 के नियम 46 (ख) के अनुसार, अचल संपत्ति रजिस्टर में सभी निर्मित संपत्तियों को दर्ज करने की आवश्यकता थी, मार्च 2020 तक बनाई गई सभी संपत्तियों को स्थायी संपत्ति पंजिका में दर्ज नहीं किया गया था, केवल ₹ 235.22 करोड़ की कुल अचल संपत्ति को रजिस्टर में दर्ज किया गया था, जबकि 2017-18 के वार्षिक लेखों के अनुसार कुल अचल संपत्ति का मूल्य ₹ 627.43 करोड़ था। संपत्तियों का भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं किया गया था।

(ii) **अचल संपत्ति की सूची:** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 (1) में प्रावधान होने के बावजूद, नगर निगम ने अचल संपत्तियों की न तो कोई सूची बनाई और न ही अचल संपत्तियों का नक्शा तैयार किया था।

(iii) **जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र जारी करने के रजिस्टर** में जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे थे, जबकि यह राजस्थान के जन्म और मृत्यु नियम 2000 के नियम 12 और राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2009 की धारा 13 के अनुसार आवश्यक था।

(iv) राजस्थान नगरपालिका लेखा नियम 1963 के नियम 84 में प्रावधान होने के बावजूद भी योजना या अनुदान का बैंक खाता एवं लेजर के अलावा कोई अलग रजिस्टर नहीं बनाया गया।

(v) **बजट नियंत्रण रजिस्ट्रों** का रखरखाव नहीं किया जा रहा था, जबकि राजस्थान नगरपालिका (बजट) नियम 1966 के अनुबंध के नियम 19(19) के अनुसार इसका संधारण करना आवश्यक था।

(vi) **भंडार रजिस्टर** को राजस्थान नगर लेखा नियम 1963 के नियम 46 (ख) के अनुसार संधारण किया जाना था। यह उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था और भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

(vii) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की प्रगति का आंकलन और समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2019) कि आगामी वर्षों में संपत्ति रजिस्टर नियमित रूप से संधारित किए जायेंगे। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि 15 जनवरी 2021 तक संपत्ति रजिस्टर, नियमों के अनुसार संधारण नहीं किया जा रहा था और सभी संपत्तियां रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी। अग्रेतर, अचल संपत्ति की सूची, जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र रजिस्टर, बजट नियंत्रण रजिस्टर, भंडार रजिस्टर या तो संधारण नहीं किए गए थे या सही तरीके से संधारण नहीं किए जा रहे थे, जैसा कि पैरा में वर्णित है।



#### 4.1.6.2 बकाया अस्थायी अग्रिमों की वसूली का अभाव

अगस्त 2019 तक, 1 से 13 साल तक की अवधि के, अस्थायी अग्रिम ₹ 14.68 करोड़ (कर्मचारियों के विरुद्ध: ₹ 0.60 लाख और अन्य विभाग/फर्मों के लिए: ₹ 14.67 करोड़) वसूली/समायोजन के लिए लंबित थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2019) कि विकास कार्यों के लिए विभिन्न विभागों/फर्मों को राशि दी गई थी और उन्हें राशि का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके बाद राशि का समायोजन किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि अग्रिम समायोजित करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है। लेखापरीक्षा ने देखा कि अस्थायी अग्रिमों को विभिन्न विभागों/फर्मों से समायोजित नहीं किया गया था और अगस्त 2019 तक राशि बढ़कर ₹ 14.68 करोड़ हो गई थी।

#### 4.1.6.3 शिकायतों के निपटान का अभाव

राजस्थान सरकार ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल बनाया। इस पोर्टल के अलावा, नगर निगम उदयपुर ने भी शिकायतों के निवारण के लिए अपना स्वयं का पोर्टल बनाया था।

जनवरी 2014 से 8 जनवरी 2021 तक संपर्क पोर्टल और जनवरी 2014 से 31 मार्च 2020 तक हेल्प लाइन से प्राप्त शिकायतों का विवरण नीचे तालिका 4.8 में दिया गया है।

तालिका 4.8: संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का विवरण

वर्ष	संपर्क पोर्टल	लंबित			वर्ष	स्वयं का पोर्टल/हेल्पलाइन	लंबित
जनवरी 2014 से 8 जनवरी 2021 तक	7,362	287			2018 तक	11,330	4,037
		0-30 दिन	1-6 माह	6 माह-1 वर्ष	18-19	3,110	1,333
		204	79	4	19-20	1,999	1,033
<b>योग</b>		<b>287</b>				<b>16,439</b>	<b>6,403</b>

यह पाया गया कि जनवरी 2021 तक, जनवरी 2014 से 8 जनवरी 2021 के दौरान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त 7,362 शिकायतों में से 287 शिकायतें एक माह से एक वर्ष तक की अवधि से निपटान के लिए लंबित थीं। इसी प्रकार, नगर निगम पोर्टल/हेल्प लाइन पर 31 मार्च 2020 तक प्राप्त 16,439 शिकायतों में से 6,403 शिकायतें दिसंबर 2020 तक लंबित थीं। यह इंगित करता है कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटारा नहीं किया गया था।

#### 4.1.6.4 समितियों द्वारा बैठक आयोजित करने में कमी

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार, नगरपालिका में गठित विभिन्न समितियों की सामान्य बैठकें हर दो माह के अंतराल पर आयोजित की जानी चाहिये थीं।

यह देखा गया कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगर निगम उदयपुर में 21 समितियां गठित की गई थी (अप्रैल और अगस्त 2015)। 14 समितियों द्वारा होने वाली निर्धारित 18 बैठकों के विरुद्ध 3 से 18 बैठकें कम आयोजित की गई थी। इसी तरह शेष 7 समिति के संबंध में, 2018 तक होने वाली निर्धारित 16 बैठकों के विरुद्ध चार से 11 बैठकें कम आयोजित की गई थी। 2018-20 के दौरान 21 समितियों द्वारा आयोजित की जाने वाली निर्धारित 12 बैठकों के विरुद्ध 7 बैठकें कम आयोजित की गई थी और सिर्फ सांस्कृतिक और खेल समिति ने अपनी सभी निर्धारित बैठकें की।

#### 4.1.6.5 नई पेंशन योजना में अनियमितता

राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की (जनवरी 2004)। अग्रतर, पेंशन फंड के लिए पेंशन अंशदान ब्याज सहित व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते में जमा किया जाना चाहिये था। एनपीएस के लिए अंशदानदाता के संचयी क्रेडिट पर अप्रैल 2004 से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रभावी होगा और जब तक यह ब्याज वाले (पीडी) खाते में रहता है।

यह देखा गया कि नगर निगम उदयपुर में एनपीएस के अंतर्गत 2005-06 से 2019-20 की अवधि के लिए 786 कर्मचारियों के योगदान को पीडी खाते के बजाय एक राष्ट्रीयकृत बैंक के चालू खाते में रखा गया था। जिसके कारण, लाभार्थियों को ₹ 1.05 करोड़ ब्याज का नुकसान हुआ। यह भी देखा गया कि एनएसडीएल के पास ₹ 10.18 करोड़ रुपये जमा नहीं किए गए जिसके कारण लाभार्थियों को मार्च 2020 तक अपने संबंधित एनपीएस खाते में वर्ष 2005-20 के बीच में योगदान जमा नहीं करने के कारण 0.38 करोड़<sup>19</sup> यूनिट जिनकी कीमत ₹ 11.22 करोड़ रुपये थी, की हानि हुई।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2019) कि एनएसडीएल में स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के आवंटन नहीं होने के कारण लाभार्थियों के खातों में एनपीएस योगदान को क्रेडिट नहीं किया जा सका। इसके अलावा, बैंक खाते में रसीदें हुई एनपीएस राशि को ब्याज सहित खाते में स्थानांतरित किया जायेगा, जिसके लिए बैंक खाता खोला गया है।

#### 4.1.6.6 प्रशासनिक रिपोर्ट

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार मुख्य नगर निगम अधिकारी 30 जून तक पिछले वर्ष के लिए प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा।

यह देखा गया कि नगर निगम उदयपुर ने 2013-14 से 2019-20 की अवधि के दौरान कोई प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार नहीं की। यह इंगित करता है कि नगर निगम हितधारकों को अपनी प्रशासनिक जानकारी देने में विफल रहा।

19 37,70,232 इकाई = ₹ 11,22,22,451/29.7654 (मार्च 2020 में एसबीआई योजना की एनएवी)

#### 4.1.6.7 श्रमशक्ति

यह देखा गया कि 2013-20 की अवधि के दौरान कर्मचारियों की भारी कमी थी जो कि 26.04 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की सीमा के मध्य थी, जिसमें राजस्व/लेखा/अभियांत्रिकी अनुभागों के प्रमुख पद शामिल थे, जिससे नगर निगम के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

#### 4.1.7 निष्कर्ष

नगर निगम उदयपुर का नियोजन तंत्र कमजोर था क्योंकि न तो विस्तृत सर्वेक्षण किया गया और न ही उदयपुर शहर के व्यवस्थित विकास के लिए वैधानिक योजना बनाई गई थी।

नगर निगम उदयपुर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में अपर्याप्तता थी क्योंकि ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण और निपटान का प्रबंध उचित और प्रभावी तरीके से नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, 45.27 प्रतिशत सीवेज का निपटान अनुपचारित किया गया। नगर निगम के पास इमारतों का कोई डेटाबेस नहीं था, जिनके लिए अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी और अग्नि की रोकथाम, अग्नि सुरक्षा और अग्नि के स्वतरे की जांच के लिए कमजोर प्रणाली थी।

नगर निगम उदयपुर ने आरजीडीपीएस अधिनियम के तहत गारंटी वाली सेवाएं नागरिकों को समय पर प्रदान नहीं की। शिकायतों का निपटारा भी अत्यधिक विलंब से था।

संविदा प्रबंधन उपयुक्त नहीं था, क्योंकि संविदा की सामान्य शर्तों का पालन न करना, अधिक भुगतान, अनियमित समयवृद्धि, कार्य पूर्ण होने में विलंब, क्षतिपूर्ति की अवसूली इत्यादि देखे गए थे।

नगर निगम का स्वयं का राजस्व कम था और इसमें 13वें व 14वें केंद्रीय वित्त आयोग व चौथे और पांचवे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार हर साल 10 प्रतिशत तक वृद्धि नहीं हुई थी। यूडी कर और पट्टा राशि के बकाया का संचयन, भूमि उपयोग बदलने के लिए पट्टा राशि की अवसूली, सीवेज शुल्क, मोबाइल टावरों से पंजीकरण और अनुमति शुल्क, होटल, बेकरी, मिठाई की दुकानों से अनुज्ञापत्र शुल्क आदि की जमा में कमी और बेहतरी शुल्क की कम वसूली के दृष्टांत देखे गए। इसके अलावा, वित्तीय प्रबंधन अकुशल था क्योंकि नगर निगम ने अपने वार्षिक खातों को समयबद्ध तरीके से और उपाजित आधार पर तैयार नहीं किया था।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ नहीं थी, क्योंकि अभिलेखों का अनुरक्षण न करने, शिकायतों के निस्तारण में कमी, नई पेंशन योजना में अनियमिततायें, जनशक्ति की कमी आदि मामले देखे गए थे।

नगर निगम उदयपुर ने अपने मूल कार्यों यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन, राजस्व संग्रहण आदि को तर्कसंगत और उचित तरीके से निष्पादित नहीं किया था।

#### 4.1.8 अनुशंसाएँ

1. नगर निगम, उदयपुर को नियमित आधार पर पंचवर्षीय निष्पादन योजनाएँ एवं वार्षिक नगरपालिका योजनाएँ तैयार करनी चाहिए। नगर निगम को ठोस अपशिष्ट, जल निकासी, अग्नि सुरक्षा प्रणालियों के प्रबंधन और अतिक्रमणों को हटाने के लिए बेहतर प्रयास करना चाहिए ताकि शहर में जीवन यापन की स्थिति में सुधार हो सके।
2. नगर निगम, उदयपुर को समयबद्ध तरीके से सेवाओं के वितरण को प्राप्त करने, स्वीकार करने और निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली तैयार करनी चाहिए, जैसा कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 में दिया गया है। ऑनलाइन/इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्थापित करने की व्यवहार्यता का भी पता लगाया जा सकता है।
3. नगर निगम, उदयपुर को ठेकों का समय पर निष्पादन करने, यथार्थवादी विस्तृत अनुमान तैयार करने और सभी कार्यों के लिए बाधा रजिस्टर के रस्वरस्वाव द्वारा बेहतर अनुबंध प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।
4. नगर निगम को कर और गैर-कर राजस्व का आकलन, मांग और संग्रह करने के लिए एक प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि वे भविष्य में सरकारी अनुदान पर कम निर्भर हो सकें।
5. नगर निगम अभिलेखों के रस्वरस्वाव में सुधार करे, जनता की शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करे और विभिन्न समितियों की बैठक समय पर सुनिश्चित करे।

#### 4.2 आवासीय इकाइयों के निर्माण पर निष्फल व्यय

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के उप-मिशन के अंतर्गत संजय नगर भट्टा बस्ती के पुनर्वास के लिए राजीव आवास योजना में आवासीय इकाइयों के निर्माण पर ₹ 37.01 करोड़ का निष्फल व्यय।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने 2005-06 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत एक उप मिशन के रूप में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं की शुरुआत की। मिशन का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं का एकीकृत विकास करना है, जिसमें मिशन के अंतर्गत आने वाले शहरों में किफायती कीमतों पर बेहतर आवास शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाना था और शेष राजस्थान सरकार, नगर निगम एवं लाभार्थी द्वारा लागत का क्रमशः 30, 10 एवं 10 प्रतिशत प्रदान किया जाना था।

शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना के अंतर्गत संजय नगर भट्टा बस्ती (फेज-1), जयपुर हेतु ₹ 96.61 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की गई (जनवरी 2013)।

तदनुसार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने 2,332 आवासीय इकाइयों (2,212 डुप्लेक्स और 120 किराए की इकाइयों) के निर्माण हेतु ₹ 96.61 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की (मार्च 2013)।

- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, ने तीन पैकेजों में 2,332 आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु ₹ 58.92 करोड़<sup>20</sup> की तकनीकी स्वीकृति जारी की (अप्रैल 2013)।
- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, ने संशोधित<sup>21</sup> प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 67.99 करोड़ की जारी की।
- आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए तीन पैकेज में एक ही फर्म को कार्य आदेश<sup>22</sup> जारी किए गए थे (पैकेज-I: जून 2013 और पैकेज-II और III: अक्टूबर 2013) जिसके कार्य के प्रारंभ और पूर्ण की निर्धारित तिथि क्रमशः 25 जून 2013 और 17 अप्रैल 2015 थी।

नगर निगम, जयपुर से एकत्रित अभिलेखों एवं सूचनाओं की नमूना जांच (सितम्बर 2020) में पाया गया कि ठेकेदार को 2,332 आवासीय इकाइयों में से मात्र 1,380 आवासीय इकाइयों का ले-आउट प्लान रेत के टीलों व भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण दिया गया था (1,260 डुप्लेक्स और 120 किराए की इकाइयों) जिनका निर्माण किया जाना था। ठेकेदार ने सितम्बर 2015 तक ₹ 37.01 करोड़<sup>23</sup> की राशि का कार्य तीन पैकेजों के अन्तर्गत निष्पादित किया तथा ₹ 9.44 करोड़<sup>24</sup> (सितम्बर 2015) के चालू बिलों का भुगतान न करने के कारण कार्य को रोक दिया (नवम्बर 2015), जिसका भुगतान मार्च, 2020 से अगस्त, 2020 के दौरान किया गया था। तथापि, अभी तक कार्य फिर से शुरू नहीं किया गया है (दिसंबर 2021)। इस अवधि के दौरान, नगर निगम इस कार्य को जारी रखने का निर्णय लेने में विफल रहा और ठेकेदार को बिलों के भुगतान में देरी की, क्योंकि 2015 में बीयूएसपी योजना बंद कर दी गई थी। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा परियोजना को अपने स्वयं के संसाधनों से वित्त पोषित किया जाना था। विभाग न तो पूर्व के ठेकेदार से कार्य पुनः प्रारंभ करवाने का और न ही नवंबर 2015 से नई निविदा आमंत्रित करने का निर्णय ले सका।

20 पैकेज -I (684 डुप्लेक्स और 120 किराए की इकाइयों): ₹ 19.88 करोड़, पैकेज -II (792 डुप्लेक्स इकाइयों): ₹ 19.70 करोड़ और पैकेज -III (736 डुप्लेक्स इकाइयों): ₹ 19.34 करोड़

21 पैकेज -I (मई 2013): ₹ 22.94 करोड़, पैकेज -II (अक्टूबर 2013): ₹ 22.74 करोड़ और पैकेज -III (अक्टूबर 2013): ₹ 22.31 करोड़

22 पैकेज -I (प्रारंभ 25.06.2013 और समापन 24.12.2014): ₹ 22.94 करोड़,  
पैकेज -II (प्रारंभ 18.10.2013 और समापन 17.04.2015): ₹ 22.74 करोड़,  
पैकेज -III (प्रारंभ 18.10.2013 और समापन 17.04.2015): ₹ 22.31 करोड़.  
(योग ₹ 67.99 करोड़)

23 पैकेज-I (12वें रनिंग बिल तक—7 मार्च 2020): ₹ 19.41 करोड़, पैकेज-II (7 वें रनिंग बिल तक—18 अगस्त 2020): ₹ 8.59 करोड़ और पैकेज-III (9 वें रनिंग बिल तक—7 अगस्त 2020): ₹ 9.01 करोड़

24 पैकेज-I: ₹ 1.76 करोड़, पैकेज-II: ₹ 3.80 करोड़ और पैकेज-III: ₹ 3.88 करोड़ (योग ₹ 9.44 करोड़)

1,380 आवासीय इकाइयों के निर्माण पर ₹ 37.01 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जो कि सड़क, सीवरेज, बिजली-पीने की पानी की लाइनों आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण 2015 से अप्रयुक्त पड़ी थी, जिसे नीचे दी गई छवियों में दर्शाया गया है:-



इस प्रकार योजनान्तर्गत किया गया ₹ 37.01 करोड़ का व्यय निष्फल रहा तथा उनकी क्षति की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही बीएसयूपी योजना के अंतर्गत शहरी गरीब नागरिकों को आवास एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी विफल हो गया।

प्रकरण मई 2021 में राज्य सरकार को भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2021)।

### 4.3 बेहतरी लेवी की कम वसूली

भवनों के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के सम्बंध में आवेदकों से ₹ 7.46 करोड़ की बेहतरी लेवी की कम वसूली।

राजस्थान भवन उपनियम, 2013 में निर्धारित किया गया है, कि आवासीय भवनों के निर्माण के लिए मानक तल क्षेत्र अनुपात<sup>25</sup> 1.33 होना चाहिए। यदि मानक तल क्षेत्र अनुपात 1.33 से अधिक है, तो अतिरिक्त मानक तल क्षेत्र अनुपात के लिए अनुमति देने से पहले एक बेहतरी लेवी लगायी जानी थी। राजस्थान सरकार ने बेहतरी लेवी की दरों में संशोधन (सितंबर

25 मानक तल क्षेत्र अनुपात एक इमारत के कुल तल क्षेत्र का उस जमीन के आकार का अनुपात है, जिस पर इसे बनाया गया है।

2013) किया था। राजस्थान सरकार के आदेश (फरवरी 2018) के अनुसार, आवेदक उत्तर दिनांकित चैकों के माध्यम से चार समान किशतों में भी बेहतरी लेवी जमा कर सकता है।

(i) नगर निगम, कोटा के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर-नवंबर 2019) में पाया गया कि तीन मामलों में आवेदकों ने आवासीय प्रयोजनों के लिए भवन निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन किया था। नगर निगम ने बेहतरी लेवी की राशि की गणना करते समय संशोधित प्रावधानों का पालन नहीं किया (सितम्बर 2013) तथा ₹ 7.91 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.19 करोड़ की वसूली की जिससे ₹ 5.72 करोड़ की कम वसूली हुई।

इसके अलावा, इनमें से एक आवेदक<sup>26</sup> ने पहली किशत के रूप में ₹ 0.75 करोड़ (नवंबर 2018) जमा किए और बेहतरी लेवी की बकाया राशि का किशतों में भुगतान के लिए आवेदन किया और इसे तीन अग्रिम चैकों के माध्यम से स्वीकार किया गया। ये चैक अनादरित हो गए। आवेदक ने नए चैक प्रस्तुत किए जो भी अनादरित हो गए, लेकिन नगर निगम ने परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की।

प्रकरण राज्य सरकार को भेजा गया (दिसंबर 2020) लेकिन उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

(ii) इसी प्रकार नगर निगम, जोधपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि चार आवेदकों ने आवासीय एवं व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भवन निर्माण की अनुमति हेतु आवेदन किया था, जिनका मानक तल क्षेत्र अनुपात मानक दर से अधिक था। नगर निगम, जोधपुर ने संशोधित उपनियमों में यथा निर्धारित बेहतरी लेवी की वसूली नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ की राशि की बेहतरी लेवी की कम वसूली हुई।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2021) और बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई ₹ 0.16 करोड़ की कम वसूली मार्च 2021 में एक मामले में वसूल कर ली गई थी और शेष तीन प्रकरणों में शेष राशि की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। तथ्य यह है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमजोरी के कारण, बेहतरी लेवी लगाने के संबंध में नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी। सितम्बर 2020 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद भी तीन प्रकरणों में ₹ 1.74 करोड़ की राशि की वसूली अभी बाकी है।

इस प्रकार, छः मामलों में ₹ 7.46 करोड़ की बेहतरी लेवी की कम वसूली की गई।

#### 4.4 श्रम उपकर की अवसूली/कम वसूली

नगर निगम, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा ₹ 1.31 करोड़ की राशि के श्रम उपकर की वसूली करने में विफल रहे।

भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपाय प्रदान करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

26 मुकेश हीरानंदानी (नियो ड्रीम होमज प्राइवेट लिमिटेड), सिविल लाईस, स्टेशन रोड, कोटा।

(अधिनियम) अधिनियमित किया। अधिनियम की धारा 3 से 5 (i) उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए (ii) विवरणी प्रस्तुत करने और (iii) उपकर के निर्धारण से सम्बंधित है। उपकर की दर एक नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत के एक प्रतिशत से कम व दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक नियोक्ता को उपकर की एक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है और अधिकारी या प्राधिकारी, आदेश द्वारा, विवरणी प्रस्तुत न करने की स्थिति में भी नियोक्ता द्वारा देय उपकर का निर्धारण करेगा। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम 1998 का नियम 4 उपकर के संग्रहण का समय एवं तरीका निर्धारित करता है। नियम 4(4) में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में जहां किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य की मंजूरी की आवश्यकता होती है, ऐसे अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ देय उपकर की राशि के लिये भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पक्ष में एक रेखांकित मांग ड्राफ्ट होना चाहिए। तथापि, यदि परियोजना की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की संभावना हो तो देय उपकर की राशि के लिये मांग ड्राफ्ट कार्य शुरू करने की अवधि से एक वर्ष तक की अनुमानित निर्माण लागत के लिये हो सकता है और आगे के उपकर का भुगतान संबंधित अवधि के दौरान किए जाने वाले निर्माण की लागत पर 30 दिनों के भीतर देय होगा।

श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर के संग्रहण के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था (जून 2010)। बाद में इस विभाग द्वारा उपरोक्त नियमों के अनुसार उपकर के संग्रहण के लिए भी एक परिपत्र जारी किया गया था (जुलाई 2010)। इस संबंध में नगरीय विकास, आवास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने भी निर्देश जारी किए थे (सितम्बर 2013 एवं जुलाई 2017)।

नगर निगम, अजमेर, बीकानेर और कोटा के अभिलेखों की जांच (नवंबर 2019 और अक्टूबर 2020) से ज्ञात हुआ कि मई 2015 से जून 2018 के मध्य ₹ 171.25 करोड़ की लागत से आठ भवन निर्माताओं को निर्माण परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन उपकर की वसूली नहीं की गई थी अथवा कम वसूल की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ के उपकर की वसूली नहीं हुई।

राज्य सरकार ने नगर निगम, बीकानेर के मामले में बताया (मार्च 2021) कि उपकर की राशि जमा करने के लिए भवन निर्माता को अंतिम सूचना जारी कर दी गई थी। अजमेर और कोटा के मामलों में राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षारत है।

इस प्रकार, नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने और मजदूरों के हितों की रक्षा करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ के श्रम उपकर की गैर/कम वसूली हुई।



#### 4.5 राजस्व की हानि

निविदा प्रक्रिया में विलम्ब तथा विभाग के कम संग्रहण के परिणामस्वरूप विलम्ब अवधि के दौरान ₹ 41.04 लाख के राजस्व की हानि ।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम (अधिनियम), 2009 की धारा 104 नगरपालिका को विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न अवधियों के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 105 (सी) (VI) नगरपालिका को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी गतिविधियों के अनुज्ञापत्रों को जारी करने और अनुज्ञापत्र या अनुमति जारी करने के लिए शुल्क लगाने का अधिकार देती है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का नियम 40 एकल प्रकम बोली की उपापन प्रक्रिया के लिए 84 दिनों की बाह्य समय सीमा निर्धारित करता है।

नगर निगम, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2018) से ज्ञात हुआ कि नगर निगम ने एक ठेकेदार को ₹ 66 लाख की राशि पर 16 मई 2015 से 15 मई 2016 तक एक वर्ष के लिए 'प्रदत्त पार्किंग' ठेका दिया और अनुबंध के संचालन के लिए लाइसेंस जारी किया (मई 2015)। चूंकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एकल प्रकम की बोली प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए 84 दिनों की अवधि प्रदान करता है, अतः 2016-17 के लिए बोली प्रक्रिया फरवरी 2016 के महीने में शुरू की जानी चाहिए थी क्योंकि संशोधित अनुबंध 16 मई 2016 से प्रभावी होना था। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि पुनः नीलामी की प्रक्रिया अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी। इसके परिणामस्वरूप पूरी प्रक्रिया में देरी हो रही थी और 16 मई 2016 की अवधि के लिए अनुबंध को अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा था (मार्च 2017)।

इस दौरान, पूर्व ठेकेदार को 10 प्रतिशत बढ़ी हुई दरों पर दो माह (15 जुलाई 2016 तक) का विस्तार प्रदान किया गया। तत्पश्चात, नगर निगम को 16 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017 तक पार्किंग स्थल को विभागीय रूप से चलाना पड़ा था। साढ़े आठ माह की इस अवधि में नगर निगम को मात्र ₹ 7.13 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। जबकि नगर निगम पूर्व ठेकेदार के साथ अनुबंध बढ़ाकर ₹ 51.43 लाख<sup>27</sup> की राशि एकत्र कर सकता था। नगर निगम द्वारा जब पार्किंग स्थल विभागीय रूप से चलाया गया था, उस अवधि के दौरान कम राजस्व संग्रह के कारणों की भी जांच नहीं की गई। अंततः नगर निगम ने वर्ष 2017-18 के लिए निविदा को

27 एक महीने के लिये अपेक्षित राजस्व = ₹ 72,60,000 (पिछले वर्ष की दर से 10 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात् ₹ 66,00,000)/12 = ₹ 6,05,000  
16/07/2016 से 31/03/2017 (8.5 महीने) तक अपेक्षित राजस्व = ₹ 6,05,000 x 8.5 = ₹ 51,42,500 (अर्थात् ₹ 51.43 लाख)

अंतिम रूप दिया और पार्किंग ठेकेदार को ₹ 68.01 लाख की राशि का कार्य आदेश जारी किया (18 अप्रैल 2017)।

इस प्रकार, नगर निगम द्वारा समय पर निविदा प्रक्रिया को पूरा करने में विफलता और पार्किंग स्थल को विभागीय रूप से चलाने की अवधि के दौरान बहुत कम संग्रह के परिणामस्वरूप ₹ 41.04 लाख (₹ 48.17 लाख<sup>28</sup> - ₹ 7.13 लाख) के राजस्व की हानि हुई।


प्रकरण जनवरी 2021 में राज्य सरकार को भेजा गया था; उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (अगस्त 2021)।

जयपुर,  
04 अप्रैल, 2022

**अनादि मिश्र**  
(अनादि मिश्र)  
महालेखाकार  
(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,  
05 अप्रैल, 2022

  
(गिरीश चंद्र मुर्मू)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

28 ₹ 68.01 लाख/12 x 8.5 महीने।

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.3.1)

पंचायती राज संस्थाओं के संविधान में सूचीबद्ध 29 विषयों के हस्तांतरण का विवरण

क्र.सं.	विषय	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण की स्थिति		
		निधियां	कार्य	कार्मिक
1	कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
2	भूमि सुधार, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबन्दी और मृदा संरक्षण	हाँ	हाँ	हाँ
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण का विकास	हाँ	हाँ	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन	नहीं	नहीं	नहीं
5	मत्स्य पालन	हाँ	हाँ	हाँ
6	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	हाँ	हाँ	हाँ
7	लघु वन उपज	हाँ	हाँ	हाँ
8	लघु उद्योग, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित है	नहीं	हाँ	नहीं
9	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
10	ग्रामीण आवासन	हाँ	हाँ	हाँ
11	पेयजल	हाँ *	हाँ *	हाँ *
12	ईंधन और चारा	हाँ *	हाँ *	हाँ *
13	सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	हाँ *	हाँ *	हाँ *
14	ग्रामीण विद्युतिकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी सम्मिलित है	नहीं	हाँ	नहीं
15	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	नहीं	हाँ	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	हाँ
17	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
19	प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
20	पुस्तकालय	नहीं	हाँ	नहीं
21	सांस्कृतिक कार्यकलाप	नहीं	हाँ	नहीं
22	बाजार और मेले	हाँ	हाँ	हाँ
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
25	महिला एवं बाल विकास	हाँ	हाँ	हाँ
26	समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है	हाँ	हाँ	हाँ
27	दुर्बल वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	हाँ *	हाँ *	हाँ *
29	सामुदायिक सम्पत्तियों का अनुरक्षण	हाँ *	हाँ *	हाँ *

स्रोत: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं (दिसम्बर 2020 को स्थिति)।

\* हस्तांतरित लेकिन अस्थाई रूप से वापस लिए गए।

## परिशिष्ट II

### (सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5.2.1)

#### महालेखाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए 13 मापदंडों को दर्शाने वाला विवरण

- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित पहले से मौजूद प्रारूपों के संबंध में निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन के प्रारूप और सामग्री सहित अंकेक्षण की प्रकृति, सीमा और कार्यक्षेत्र महालेखाकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करना जारी रखेंगे और राज्य सरकार उनके वेतन का भुगतान करेगी।
- महालेखाकार लेखों को तैयार करने और उनकी लेखापरीक्षा में समयबद्धता और गुणवत्ता की निगरानी करेंगे।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, महालेखाकार को सूचित करते हुए लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा जिसमें उन पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के विवरण का उल्लेख होगा जिनकी वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की जाएगी। महालेखाकार द्वारा नमूना जाँच की जाने वाली इकाइयों का चयन महालेखाकार द्वारा किया जाएगा।
- महालेखाकार द्वारा की गई नमूना जाँच का प्रतिवेदन संबंधित स्थानीय निकाय के प्रमुख एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को, स्थानीय निकाय द्वारा की गई कार्रवाई पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, महालेखाकार द्वारा इंगित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर निस्तारण/की गई कार्रवाई का उसी तरह से अनुसरण करेगा जैसे वह अपने प्रतिवेदनों का करता है।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखापरीक्षा दलों की संरचना महालेखाकार एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
- महालेखाकार के अधिकारीगण, महालेखाकार के निर्णयानुसार, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के संचालन में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग विवरणियां/प्रतिवेदनों को ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा जिस पर महालेखाकार एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की परस्पर सहमति हो ताकि लेखापरीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सके।
- धन मूल्य या किसी अन्य मानदंड के अलावा, लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताएं, विशेष रूप से सिस्टम दोष, नियमों का गंभीर उल्लंघन/विचलन, गबन, धोखाधड़ी आदि की सूचना जब भी वे ध्यान में आये निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा महालेखाकार को आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित अर्ध-शासकीय रूप से दी जाएगी।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों/मानकों के अनुसार होगी।
- पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों और स्थानीय निकायों तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के कर्मचारियों के लिए सभी स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित संस्था द्वारा प्रदान किया जाएगा। पाठ्यक्रम सामग्री अर्थात् लेखापरीक्षा प्रक्रिया, लेखों का प्रमाणीकरण, लेखापरीक्षा मानक आदि निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के परामर्श से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, महालेखाकार के परामर्श से स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग में आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली विकसित करेगा।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करने, उनकी संवीक्षा करने और जारी करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में महालेखाकार दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

## परिशिष्ट III

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.1)

## नमूना जांच के लिए इकाइयों के चयन को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	वर्ष	जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
1	2015-18	अलवर	रामगढ़	चौमा, हाजीपुर, केसरोली, लालवंडी, मुबारिकपुर, मिलकपुर, निकच, पिपरोली, पाटा और टीकरी ।
			लक्ष्मणगढ़	बेरला, भैसडावत, चिदवई, चिमरावली, दीनार, मालपुर, मौजपुर, नसवारी, सैदामपुर और सौराई ।
			किशनगढ़बास	बघोरा, ब्रिसांगपुर, धौंगरा, कोलगांव, लंगडवास, माछा, मोठुका, रायबका, सिरमोली और तरवाला ।
			तिजारा	हमीरका, जोजाका, कमालपुर, खलीलपुर, मलियारजट्ट, मसीत, मिठियावास, मुंडाना, फुलावस और सरहेटा ।
		भरतपुर	कामाँ	बिलौंड, जुरहारा, लेवड़ा, लुहेसर, नौगावां, नंदेरा, पाई, सतवास, सोनोस्वर और उन्चेड़ा ।
			नगर	भूतपुरा, डाबक, जलालपुरा, झंझार, खेस्ती, मुंडिया, पालका, सीकरी, सिंहावली और टेस्की ।
2	2018-20	अलवर	किशनगढ़बास	ब्रिसांगपुर, लंगडवास, माछा, मोठुका और रायबका ।
			रामगढ़	हाजीपुर, मिलकपुर, निकच, पिपरोली और पाटा ।
		भरतपुर	कामाँ	बिलौंड, लेवदा, लुहेसर, सतवास और सोनोस्वर ।
			नगर	डाबक, झंझार, सीकरी, सिंहावली और टेस्की ।

नोट: पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ की पांच चयनित ग्राम पंचायतें (भैसडावत चिदवई, मालपुर, नसवारी और सैदामपुर) और पंचायत समिति किशनगढ़बास (जिला परिषद अलवर) की एक चयनित ग्राम पंचायत (रायबका) को नवंबर 2019 से प्रभावी नई पंचायत समिति गोविंदगढ़ और उमरैण (जिला परिषद अलवर) में शामिल किया गया है ।

परिशिष्ट IV

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.4(i))

कार्यों का ब्यौरा जहाँ किया गया व्यय निष्फल रहा

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
<b>अलवर</b>				
<b>पंचायत समिति-किशनगढ़बास</b>				
1	हैंडपंप निर्माण कार्य मुहर स्नान के मकान के पास न्याना ग्राम पंचायत दौंगडा	19.03.17/ 0.60	15.05.17/ 0.58	हैंडसेट साइट पर नहीं मिला। बोर पैक किया गया था और इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अतः किया गया व्यय निष्फल रहा।
2	हैंडपंप निर्माण कार्य हसीना के मकान के पास मैदावाश ग्राम पंचायत ब्रिसांगपुर	17.07.18/ 0.70	31.07.18/ 0.68	हसीना के घर की परिधि में हैंडपंप लगा दिया गया है, उससे जानवर बंधे थे और वह काम नहीं कर रहा था।
<b>पंचायत समिति-लक्ष्मणढ़</b>				
3	सिंगल फेज बोरिंग मय टंकी निर्माण कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में ग्राम पंचायत मौजपुर	27.05.17/ 2.90	15.01.18/ 1.15	बोर सूखा था और व्यय निष्फल रहा।
<b>पंचायत समिति-रामगढ़</b>				
4	नाला निर्माण राजपूत शिव मंदिर से भाग चंद की जोहड़ी की ओर ग्राम पंचायत चौमा	21.3.16/ 5.00	30.06.16/ 4.43	नाले के आरंभिक बिंदु पर गंदे पानी/मिट्टी का एक तालाब था। नाला अवरुद्ध और बिना फेरो कवर था। अतः किया गया व्यय निष्फल रहा।
5	हैंडपंप निर्माण मंदिर के पास, सैयद कॉलोनी ग्राम पंचायत केसरोली	21.04.16/ 0.97	10.06.16/ 0.95	हैंडपंप स्थापित था लेकिन पानी नहीं आ रहा था।
6	नाला निर्माण कार्य वाल में ग्राम कोटकला ग्राम पंचायत निकच	24.8.18/ 5.00	30.11.18/ 5.00	नाले का तलघर और बगल की दीवार को तोड़ दिया गया था जिसे बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाया गया था और नाले को बीच में और आखिरी बिंदु पर पत्थर और रेत से अवरुद्ध कर दिया गया था।
7	नाला निर्माण कार्य असरु से जोहड़ की ओर ग्राम पंचायत पिपरोली	01.08.18/ 5.00	15.6.19/ 5.00	नाला पत्थर, रेत और कीचड़ से अवरुद्ध था और एक स्थान पर अतिक्रमण कर लिया गया। नाले का निर्माण निष्फल रहा क्योंकि यह तालाब से जुड़ा नहीं था।
8	चारदीवारी एवं गेट निर्माण कार्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोहड़ का बास ग्राम पंचायत पिपरोली	01.08.18/ 5.00	27.3.19/ 5.00	चारदीवारी का निर्माण और गेट की स्थापना का कार्य किया गया लेकिन गेट के अंदर और पास के क्षेत्र में झाड़ियों के अधिक बढ़ने के कारण गेट का उपयोग नहीं किया जा रहा था। प्रवेश के लिए एक छोटा सा पुराना गेट इस्तेमाल किया जा रहा था।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/ स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
9	राजकीय विद्यालय में कमरा निर्माण कार्य नंगलीवाल ग्राम पंचायत हाजीपुर	01.08.18/ 5.00	15.1.19/ 4.91	कमरे का निर्माण हुआ था लेकिन अब तक उसका उपयोग नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें ताला लगा हुआ था और बरामदा गंदगी से भरा हुआ था। किया गया व्यय निष्फल रहा।
<b>भरतपुर</b>				
<b>पंचायत समिति-कामाँ</b>				
10	कब्रिस्तान की चारदीवारी लालपुर ग्राम पंचायत लुहेसर	20.9.18/ 5.00	09.01.19/ 5.00	कब्रिस्तान के दोनों ओर प्रवेश द्वार पर बिना किसी अन्य दीवार/गेट के एक छोटी और पुरानी चारदीवारी निर्मित देखी गई थी तथा रास्ते में कटी हुई फसलों के ढेर के कारण यह उपयोग के लिए असुविधाजनक थी।
<b>पंचायत समिति-नगर</b>				
11	डीप बोर निर्माण गुरुद्वारा के पास गढ़तेस्की, ग्राम पंचायत टेस्की	21.12.18/ 3.00	15.12.19/ 3.00	डीप बोर का कार्य विद्युत मोटर एवं विद्युत कनेक्शन के बिना किया गया था तथा वह उपयोग में नहीं था।
12	पोस्वर खुदाई कार्य, बुडली, ग्राम पंचायत झंझार	23.03.17/ 4.49	10.03.17/ 4.41	आवक पानी के लिए कोई जलग्रहण क्षेत्र नहीं था और पोस्वर सूखा था।
13	पोस्वर खुदाई कार्य, झंझार ग्राम पंचायत झंझार	23.03.17/ 3.00	28.06.17/ 2.94	आवक पानी के लिए कोई जलग्रहण क्षेत्र नहीं था और पोस्वर सूखा था।
<b>कुल योग</b>		<b>45.66</b>	<b>43.05</b>	



परिशिष्ट V

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.3.4(ii) (क))

कार्यों का ब्यौरा जहाँ नालियों के निर्माण के प्रावधान थे लेकिन नाली निर्मित नहीं की थी दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/ स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
<b>अलवर</b>				
<b>पंचायत समिति- किशनगढ़ बास</b>				
1	सीसी सड़क मय नाली निर्माण बिशन सिंह के मकान से दर्शन सिंह के मकान की ओर ग्राम पंचायत-कोलगांव	21.03.16/ 12.00	11.08.16/ 11.49	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली का निर्माण नहीं किया गया था।
2	इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण कार्य मुंशी गुर्जर के घर से स्कूल की ओर ग्राम चंदूकी, ग्राम पंचायत-रायबका	21.03.16/ 4.00	14.02.16/ 3.96	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
3	सी.सी.सड़क मय नाली निर्माण उमरदीन के घर से रति राम के ओर, ग्राम पंचायत-तरवाला	21.03.16/ 12.00	15.04.16/ 11.65	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
4	सी.सी.सड़क मय नाली निर्माण उच्च प्राथमिक विद्यालय से बनवारी की ढाणी. ग्राम पंचायत-तरवाला	21.03.16/ 10.00	13.4.16/ 9.04	नाली नहीं बनी थी, सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी।
5	सी.सी.सड़क मय नाली कृष्णा के घर से रतन के घर होते हुए विधालय तक कंकड़ा की ढाणी, ग्राम पंचायत-तरवाला	21.03.16/ 12.00	13.04.16/ 11.65	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
6	सी.सी.सड़क मय नाली उमरदीन की दुकान से मिश्रा की ढाणी, ग्राम पंचायत- दौंगडा	21.03.16/ 3.00	30.06.16/ 2.90	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
7	सी.सी.सड़क मय नाली निर्माण आसू खां के घर से शेर खान वाले कुए की ओर, ग्राम पंचायत-माचा	21.03.16/ 3.49	30.04.16/ 3.21	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
8	सीसी सड़क मय नाली निर्माण हनीफ के घर से इंदु के बंगले तक, ग्राम पंचायत-माचा	19.03.17/ 3.00	15.6.17/ 2.87	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
9	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कालू खां के माकन से मस्जिद की ओर तितरका, ग्राम पंचायत-लंगड़बास	19.07.18/ 5.00	15.08.18/ 4.83	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। सड़क क्षतिग्रस्त थी तथा वह यातायात प्रवाह के लिए असुविधाजनक थी।
10	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य कब्रिस्तान से पुल्लू के मकान की ओर, ग्राम पंचायत-माचा	17.07.18/ 5.00	30.08.18/ 4.84	सड़क कीचड़ और पानी भर जाने से क्षतिग्रस्त थी क्योंकि इसके साथ नाली का निर्माण नहीं किया था यह यातायात के प्रवाह के लिए असुविधाजनक थी।
11	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य रज्जाक की टंकी से मामचंद की ओर पडासला, ग्राम पंचायत-ब्रिसांगपुर	17.07.18/ 10.00	10.09.18/ 9.87	सड़क कीचड़ और पानी भर जाने से क्षतिग्रस्त थी क्योंकि इसके साथ नाली एवं फुटपाथ का निर्माण नहीं किया था यह यातायात के प्रवाह के लिए असुविधाजनक थी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/ स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
<b>पंचायत समिति- लक्ष्मणगढ़</b>				
12	इंटरलॉकिंग सीमेंट ईन्ट स्वरंजा मय नाली निर्माण मुख्य सड़क से स्कूल की ओर, ग्राम पंचायत-भैसडावत	19.03.17/ 8.00	15.05.17/ 7.97	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
13	सीमेंट ईन्ट स्वरंजा मय नाली निर्माण ढोली कोठी में गोली के मकान से मस्जिद की ओर ग्राम मौजपुर, ग्राम पंचायत-मौजपुर	27.03.17/ 8.00	30.04.17/ 8.00	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
14	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण समसु के घर से छोटे खां के नोहरे तक ग्राम पंचायत-दिनार	29.03.16/ 5.00	30.09.16/ 4.84	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
15	इंटरलॉकिंग सीमेंट ईन्ट स्वरंजा मय नाली निर्माण छुटन सैनी के घर से भुरजी सैनी के घर तक, ग्राम पंचायत-भैसडावत	19.03.17/ 5.00	15.05.17/ 4.99	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
<b>पंचायत समिति- रामगढ़</b>				
16	सीसी सड़क मय नाली किशोर के घर से सम्मी खां के घर, ग्राम पंचायत-चौमा	21.03.16/ 5.00	31.05.16/ 4.51	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
17	इंटरलॉकिंग सीमेंट ईट स्वरंजा मय नाली, नगला चिरावाड़ा की ओर ग्यारसी का घर, ग्राम पंचायत-पाटा	21.03.16/ 4.00	15.09.16/ 3.43	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण नहीं किया गया।
18	सीमेंट इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण अमर सिंह के घर से बुधराम के घर तक, ग्राम पंचायत-मुबारिकपुर	28.03.16/ 1.92	30.04.16/ 1.56	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
19	सीमेंट इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण मुख्य सड़क से प्रीतम के घर तक, ग्राम पंचायत-मुबारिकपुर	28.03.16/ 1.58	15.05.16/ 1.58	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
20	सीमेंट इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण पाटा सड़क से हरनेक सिंह के घर तक, ग्राम पंचायत-मुबारिकपुर	28.03.16/ 3.00	15.5.16/ 2.96	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
21	सीमेंट इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण कददार बास से श्मशान घाट तक ग्राम पंचायत-हाजीपुर	21.03.16/ 10.00	30.04.16/ 10.00	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण नहीं किया गया।
22	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य राम चंद्र राजपूत से अंधु के बास की ओर ग्राम पंचायत-हाजीपुर	21.03.16/ 10.00	30.04.16/ 9.96	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण नहीं किया गया।
23	सीसी सीमेंट टाइल्स इंटरलॉकिंग मय नाली निर्माण विश्राम के घर से रत्तीराम के घर तक, ग्राम पंचायत-टिकरी	21.03.16/ 3.00	30.04.16/ 2.76	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/ स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
24	सीमेंट इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण मुख्य सड़क से गुलशन के घर तक मय अमर के घर तक, ग्राम पंचायत-मिलकपुर	31.03.16/ 2.40	20.07.16/ 2.40	नाली का निर्माण केवल एक तरफ किया गया था जो गंदे पानी से अवरुद्ध था और सड़क क्षतिग्रस्त थी।
25	सीसी सड़क मय नाली निर्माण मुख्य सड़क से धर्मी के घर तक जलाबस, ग्राम पंचायत-नीकच	21.03.16/ 5.00	30.04.16/ 5.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
26	सीसी सड़क मय नाली निर्माण झरिया का बास, ग्राम निकच, ग्राम पंचायत-निकच	21.03.16/ 5.00	30.04.16/ 5.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
27	सीसी सड़क मय नाली निर्माण मुख्य सड़क से इस्लाम के घर मकोटा कलां, ग्राम पंचायत-नीकच	21.03.16/ 4.00	30.04.16/ 3.79	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
28	सीसी इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण मुख्य सड़क से रुद्वार के घर तक, ग्राम पंचायत-टीकरी	21.03.16/ 2.00	13.06.16/ 2.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
29	सीसी इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण सोहन के कमरे से जोहड़ तक, ग्राम पंचायत-टीकरी	21.03.16/ 3.00	30.05.16/ 2.79	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
30	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य मिंदर के घर से रामू के घर तक, ग्राम पंचायत-हाजीपुर	21.03.16/ 5.00	31.08.16/ 4.97	कार्य मय नाली स्वीकृत हुआ था लेकिन नाली निर्माण नहीं किया हुआ था तथा सड़क पर ढाई फुट गहरा गड्ढा था। अतः परिवहन संभव नहीं था।
<b>पंचायत समिति- तिजारा</b>				
31	इंटरलॉकिंग टाइल्स स्वरंजा मय नाली निर्माण महेंद्र के घर से बलबाडी होते हुए अमर सिंह के घर की ओर, ग्राम पंचायत-मिठियावास	21.03.16/ 5.00	15.04.16/ 4.86	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
32	इंटरलॉकिंग टाइल्स स्वरंजा मय नाली निर्माण केहर सिंह के घर से सुरजीतो के घर की ओर, ग्राम पंचायत-मिठियावास	21.03.16/ 5.00	15.04.16/ 4.94	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
33	इंटरलॉकिंग टाइल्स स्वरंजा मय नाली निर्माण गुरुदयाल के मकान से स्कूल की ओर, ग्राम पंचायत-मिठियावास	21.03.16/ 4.98	15.04.16/ 4.82	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
34	इंटरलॉकिंग टाइल्स स्वरंजा मय नाली निर्माण लक्ष्मण सिंह के घर से चुन्नी के प्लॉट की ओर, ग्राम पंचायत-मिठियावास	21.03.16/ 5.00	15.04.16/ 4.56	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
35	इंटरलॉकिंग टाइल्स स्वरंजा मय नाली निर्माण पंच सरदार बंता सिंह के घर से चोपड़ की ओर, ग्राम पंचायत-मसीत	21.03.16/ 3.60	30.04.16/ 3.51	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/ स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
36	इंटरलॉकिंग टाइल्स स्वरंजा मय नाली निर्माण शीला के घर से रतन महाशय के घर की ओर जलालपुर, ग्राम पंचायत-मुंडाना	02.02.18/ 5.00	उपलब्ध नहीं/ 4.90	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
<b>भरतपुर</b>				
<b>पंचायत समिति-कामां</b>				
37	सी.सी. रोड मय नाली निर्माण ताहिर के कमरे से नसरु के बंगले की ओर, पालड़ीग्राम पंचायत-सतवास	02.12.16/ 4.08	29.03.17/ 4.08	सड़क के साथ नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क क्षतिग्रस्त थी।
38	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण ममरेज के घर से साबू के घर के ओर ग्राम पंचायत-सतवास	24.09.15/ 4.70	31.01.16/ 4.70	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/कीचड़ जमा थी एवं इंटरलॉकिंग स्वरंजा क्षतिग्रस्त था।
39	सीसी रोड निर्माण श्मशान भूमि से निजामुद्दीन की ओर ग्राम पंचायत-पाई	23.11.16/ 7.70	22.02.17/ 7.70	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सड़क क्षतिग्रस्त थी।
40	सीसी रोड नई मस्जिद से हनीफ के घर, ग्राम पंचायत-बिलौंद	24.09.15/ 2.83	26.01.16/ 2.83	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सड़क क्षतिग्रस्त थी।
41	सीसी रोड भागमल के घर से रामलाल की ओर, ग्राम पंचायत-ऊचेड़ा	29.09.15/ 1.65	19.02.16/ 1.65	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सड़क क्षतिग्रस्त थी।
42	इंटरलॉकिंग नसरु के कमरे से बरौली की ओर ग्राम पंचायत-बिलौंद	24.09.15/ 4.82	27.01.16/ 4.82	नाली का निर्माण नहीं होने से इंटरलॉकिंग सड़क क्षतिग्रस्त थी।
43	सी.सी.रोड समसू के घर से रुजदार के घर की ओर ग्राम पंचायत-सोनोस्वर	29.09.15/ 1.65	30.01.16/ 1.65	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सड़क क्षतिग्रस्त थी।
44	सीसी रोड परसादी गुजर के घर से लच्छी गुजर की ओर।ग्राम पंचायत-पाई	29.09.15/ 4.12	24.11.15/ 4.12	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सड़क क्षतिग्रस्त थी।
45	इंटरलॉकिंग टाइल्स इलियास के घर से इस्लाम के घर की ओर ग्राम पंचायत-लेवडा	24.09.15/ 1.93	30.12.15/ 1.92	नाली का निर्माण नहीं होने से इंटरलॉकिंग टाइल्स पर गंदा पानी/कीचड़ पड़ी हुई थी, अतः टाइल्स कई जगहों पर हटी हुई एवं टूटी हुई थीं।
46	सी.सी.रोड छिरमौली के घर से हरजान के घर की ओर ग्राम पंचायत-सोनोस्वर	29.09.15/ 1.65	11.06.16/ 1.21	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सड़क क्षतिग्रस्त थी।
47	सीसी रोड निर्माण इसहाक के घर से स्कूल तक ग्राम पंचायत-बिलौंद	27.11.19/ 6.00	13.12.19/ 5.99	सड़क के साथ नाली का निर्माण नहीं किये जाने, घरों से गंदा पानी बहने और सफाई के अभाव में सड़क के कुछ स्थानों पर कीचड़ और गड़ढे थे।
<b>पंचायत समिति-नगर</b>				
48	सी.सी.रोड निर्माण मय नाली जाटव मोहल्ला भुल्लस बोर की ओर जीपी-भट्टपुरा की ओर ग्राम पंचायत-भट्टपुरा	25.10.16/ 4.33	17.02.17/ 4.33	स्वीकृति अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली का निर्माण नहीं किया गया।
49	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण, स्कूल से रहमत की मस्जिद की ओर ग्राम पंचायत-डाबक	24.09.15/ 3.00	16.12.15/ 2.92	स्वीकृति अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली का निर्माण नहीं किया गया।
50	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण, हबीब हाउस से पोस्वर की ओर ग्राम पंचायत-सिंघावली	24.09.15/ 7.50	12.12.15/ 7.50	स्वीकृति अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली का निर्माण नहीं किया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/ स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
51	सी.सी.रोड निर्माण मय नाली नूरुस चक्की से अधूरे इंटरलॉकिंग रोड छज्जू स्पेदल की ओर ग्राम पंचायत-सिंघावली	25.10.16/ 5.58	05.03.17/ 5.58	स्वीकृति अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली का निर्माण नहीं किया गया।
52	इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड मय नाली निर्माण निचली मस्जिद से समसू खान के घर की ओर ग्राम पंचायत-पालका	07.12.15/ 5.00	29.02.16/ 5.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
53	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण सगरु के घर से इसरा की दुकान के ओर डोमारकी, ग्राम पंचायत-स्पेस्ती	07.12.15/ 5.00	11.02.16/ 5.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी। यह पार करना संभव नहीं थी।
54	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण हुसैन के घर से स्कूल की ओर, डोमारकी, ग्राम पंचायत-स्पेस्ती	04.01.16/ 7.00	31.03.16/ 7.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी। चलना आसान नहीं था।
55	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण रमेश की दुकान से अकबर के घर की तरफ, रायपुर सुकेती ग्राम पंचायत-पालका	24.09.15/ 3.00	25.03.16/ 3.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
56	सीसी रोड निर्माण मय नाली कैथवाड़ा रोड से सम्मी गुर्जर के घर तक डाबक ग्राम पंचायत-डाबक	11.09.18/ 2.29	14.03.19/ 2.29	सीसी रोड का निर्माण बिना नाली के किया गया तथा यह कुछ स्थानों पर टूट गया।
57	सीसी रोड/स्वरंजा निर्माण जमशेद के घर से असगर की ओर ग्राम पंचायत- जलालपुर	07.12.15/ 8.00	30.01.16/ 8.00	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सीसी रोड/स्वरंजा क्षतिग्रस्त था।
58	इंटरलॉकिंग ईट स्वरंजा निर्माण राशिद के घर से आसु के घर तक इसंका बास ग्राम पंचायत-मुंडिया	07.12.15/ 5.00	15.02.16/ 5.00	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं ईट स्वरंजा क्षतिग्रस्त था।
59	इंटरलॉकिंग ईट स्वरंजा निर्माण जक्कर के घर से झुहरु के घर तक इसानका बास ग्राम पंचायत-मुंडिया	07.12.15/ 5.00	15.02.16/ 5.00	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं ईट स्वरंजा क्षतिग्रस्त था।
60	सी.सी.रोड निर्माण इस्लाम के घर से कमालदीन के घर की ओर भुवापुरगढ़ी ग्राम पंचायत-डाबक	30.12.16/ 4.00	16.02.17/ 4.00	नाली का निर्माण नहीं किये जाने से सड़क क्षतिग्रस्त थी।
61	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण नूरी के घर से सुखी के घर की तरफ, बास सावत ग्राम पंचायत-पालका	04.11.15/ 2.88	30.03.16/ 2.88	इंटरलॉकिंग टाइल्स कई जगहों पर उखड़ी एवं टूटी हुई थी।
62	मिट्टी भरत व सी.सी.स्वरंजा निर्माण, महजत से शिया मोहल्ला की तरफ ग्राम पंचायत-जलालपुर	07.12.15/ 10.00	30.06.16/ 10.00	सड़क 80 फीट लंबाई में क्षतिग्रस्त पाई गई और सड़क पर पानी जमा पाया गया।
63	इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण चौपाल से संतोष के घर की तरफ किशनपुरा झंझार ग्राम पंचायत-झंझार	25.7.18/ 4.20	29.11.18/ 4.20	सड़क के किनारे इंटरलॉकिंग टाइल्स क्षतिग्रस्त थी एवं सड़क पर कीचड़ और पानी था। कुछ स्थानों पर सड़क पूरी तरह अवरुद्ध थी।
<b>योग</b>		<b>321.88</b>	<b>314.78</b>	

## परिशिष्ट VI

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.3.4 (ii)(ख))

कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण जिनमें नालियों के अवरुद्ध होने से सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि/स्वीकृत राशि	कार्य पूर्ण होने की तिथि/व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
<b>अलवर</b>				
<b>पंचायत समिति- लक्ष्मणगढ़</b>				
1	सी.सी.सड़क मय नाली पुलिया मैन रोड से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पंगसेडी ग्राम पंचायत-सैदमपुर	21.03.16/ 8.00	30.05.16/ 6.84	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
<b>पंचायत समिति- रामगढ़</b>				
2	नाली निर्माण मावासी के घर से सरस्वती मंदिर तक ग्राम पंचायत-टिकरी	21.03.16/ 3.00	14.08.16/ 2.98	आरम्भिक बिंदु पर नाली अवरुद्ध थी। अतः सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी।
3	सी.सी. सड़क मय नाली निर्माण कार्य मुख्य सड़क से वेद प्रकाश हाउस माई साथवाली गली ग्राम पंचायत-लालवंडी	21.03.16/ 3.00	10.06.16/ 2.35	विवाद के कारण सड़क अधूरी थी (लगभग 25 फीट सड़क) और आगे की सड़क गंदे पानी/ कीचड़ से क्षतिग्रस्त थी।
<b>भरतपुर</b>				
<b>पंचायत समिति- कामां</b>				
4	सी.सी. सड़क मय नाली निर्माण कुँजी के घर से हकीमुद्दीन के घर के ओर ग्राम पंचायत-सतवास	24.09.15/ 4.70	31.01.16/ 4.70	नाली अवरुद्ध होने के कारण, सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
5	सी.सी. सड़क मय नाली निर्माण रत्ती की दुकान से इलियास के घर ओर ग्राम पंचायत-बिलोंद	23.11.16/ 6.47	29.01.17/ 6.47	पानी/कीचड़ जमा होने से सड़क क्षतिग्रस्त थी।
<b>पंचायत समिति- नगर</b>				
6	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण उस्मान के घर से ममरू की दुकान की ओर। ग्राम पंचायत-पालका	04.01.16/ 4.00	30.03.16/ 4.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
7	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण इस्लाम के घर से कब्रिस्तान की ओर ग्राम पंचायत-डाबक	04.01.16/ 5.00	31.01.16/ 5.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
8	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण मंदिर से नदी की ओर ग्राम पंचायत-जलालपुर	24.09.15/ 3.75	15.12.15/ 3.75	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
9	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण नवल के घर से इली के घर तक ग्राम पंचायत-मुंडिया	24.09.15/ 7.50	23.01.16/ 7.50	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।

क्र. सं	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि/स्वीकृत राशि	कार्य पूर्ण होने की तिथि/व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
10	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण फिरोजा के घर से फतेह सिंह के घर तक भूतका ग्राम पंचायत-मुंडिया	24.09.15/ 7.50	14.02.17/ 7.50	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
11	सी.सी. रोड मय नाली निर्माण जोगी मोहल्ला से ईस्सर के घर की ओर ग्राम पंचायत-मुंडिया	26.10.16/ 6.85	21.04.17/ 6.85	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
12	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण दीनू नाई के घर से शाहिद के कमरे की ओर रायपुर सुकेती ग्राम पंचायत-पालका	24.09.15/ 3.00	11.11.15/ 3.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
13	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण हनीफ के घर से अयूब के घर तक डोवारकी, ग्राम पंचायत-खेस्ती	07.12.15/ 5.00	11.02.16/ 5.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
14	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण मास्टर की दुकान से लाखू के घर तक अलघानी ग्राम पंचायत-खेस्ती	07.12.15/ 5.00	11.02.16/ 5.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
15	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण नूरला के घर से भुट्टा के घर की ओर, ग्राम पंचायत-खेस्ती	07.12.15/ 5.00	11.02.16/ 5.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
16	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण गिराज गुर्जर के घर से मंदिर की ओर ग्राम पंचायत-मुंडिया	24.09.15/ 3.75	23.11.15/ 3.75	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
17	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण मंदिर से लक्ष्मण के घर से होते हुए बाईपास तक ग्राम पंचायत-मुंडिया	24.09.15/ 7.50	13.01.16/ 7.50	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
18	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण असर के घर से हमीद के घर की ओर। ग्राम पंचायत-झंझार	24.09.15/ 2.25	05.02.16/ 2.25	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
19	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण साबू के घर से पोखर की ओर बुडली ग्राम पंचायत-झंझार	25.10.16/ 5.58	26.03.17/ 5.58	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
20	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण मस्जिद से फतेहपुरिया बास ग्राम पंचायत-झंझार	04.01.16/ 3.00	15.02.16/ 3.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
21	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण महमूद के घर से चौराहे की ओर ग्राम पंचायत-जलालपुर	24.09.15/ 3.75	20.11.15/ 3.75	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
22	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण गुरुद्वारा से उच्च प्राथमिक विद्यालय निहम की ओर निहम ग्राम पंचायत-जलालपुर	25.10.16/ 4.37	10.02.17/ 4.37	सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी, गिट्टी निकल चुकी थी।
23	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण केवल कृष्ण की दुकान से नाले की ओर ग्राम पंचायत-सीकरी	04.01.16/ 6.00	31.03.16/ 6.00	टाइलें हटाई हुई थी एवं आधी सड़क क्षतिग्रस्त थी।
<b>योग</b>		<b>113.97</b>	<b>112.14</b>	

## परिशिष्ट VII

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.3.4 (iii))

## गैर-अनुमत कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत /पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	व्यय (₹ लाख में)	कार्यों की स्थिति
1	जाटव श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य ग्राम कडुकी में	कसबडेहरा/उमरैण /अलवर	4.00	प्रगतिरत
2	एस.सी.मोहल्ला में श्मशान घाट की चारदीवारी का अधूरा कार्य	पालखड़ी/उमरैण /अलवर	3.73	पूर्ण
3	जाटव श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण ग्राम भटकोल	भटकोल/उमरैण/अलवर	3.00	पूर्ण
4	कब्रिस्तान की चार चारदीवारी कार्य	रेता/कठूमर/अलवर	10.00	पूर्ण
5	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य	तहनोली/किशनगढ़बास/अलवर	3.54	पूर्ण
6	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य मानकी	चौमा/रामगढ़ /अलवर	4.80	पूर्ण
7	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य गुर्जरपुर खुर्द	चौमा/रामगढ़/अलवर	4.25	पूर्ण
8	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य ग्राम कोटा कलां	नीकच/रामगढ़/अलवर	4.00	पूर्ण
9	कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण कार्य करौली खलास	बीजवा /रामगढ़ /अलवर	6.90	प्रगतिरत
10	कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण कार्य रसगन	रसगन / रामगढ़ /अलवर	4.25	पूर्ण
11	कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण कार्य पहली चारदीवारी के पास कब्रिस्तान पर	हाजीपुर / रामगढ़ /अलवर	4.80	प्रगतिरत
12	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य	हाजीपुर / रामगढ़ /अलवर	6.72	पूर्ण
13	कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण कार्य पहली चारदीवारी के पास कब्रिस्तान की भूमि पर	हाजीपुर/रामगढ़/अलवर	3.90	पूर्ण
14	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य ग्राम तुमरेला में	बेरला/लक्ष्मणगढ़/ अलवर	4.00	पूर्ण
15	कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण कार्य ग्राम नांगली जीदा	रायबका /किशनगढ़बास/अलवर	4.99	पूर्ण
16	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य, टिनशेड निर्माण कार्य	बेलाका/ उमरैण /अलवर	3.00	पूर्ण
17	श्मशान घाट की चारदीवारी, टिनशेड निर्माण कार्य, पथरोड़ा	कैरवावाल/उमरैण /अलवर	4.50	प्रगतिरत
18	श्मशान घाट की चारदीवारी, टिनशेड निर्माण कार्य, ग्राम हरसोली	नसवारी/लक्ष्मणगढ़/अलवर	3.34	पूर्ण
19	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य, टिनशेड निर्माण कार्य	सिरमोली/किशनगढ़बास/अलवर	4.90	प्रगतिरत
20	श्मशान घाट की चारदीवारी, इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण कार्य ग्राम केमाला में	घेघोली/रामगढ़/अलवर	5.00	पूर्ण
<b>योग</b>			<b>93.62</b>	



परिशिष्ट VIII

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.3.4 (IV))

सिंगल फेज बोरिंग एवं हैण्डपम्प पर निष्फल व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि/स्वीकृत राशि	कार्य पूर्ण होने की तिथि/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
<b>अलवर</b>				
<b>पंचायत समिति- किशनगढ़ बास</b>				
1	सिंगल फेज बोरिंग मय टंकी निर्माण एस.सी. मोहल्ला ग्राम, नांगल झीड़ ग्राम पंचायत-रायबका	12.04.16/ 3.50	10.06.16/ 3.12	टंकी में पानी नहीं था क्योंकि टंकी का नल टूटा हुआ था। अतः निर्माण का यथोचित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
<b>पंचायत समिति- तिजारा</b>				
2	सिंगल फेज बोरिंग मय टंकी निर्माण आजाद मिस्री की ढाणी में। ग्राम पंचायत-कमालपुर	21.04.16/ 2.20	15.08.16/ 2.19	टंकी बोरिंग से जुड़ी हुई नहीं थी। अतः टंकी के निर्माण का यथोचित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
3	सिंगल फेज मोटर मय टंकी निर्माण कार्य राजपूतों की ढाणी में। ग्राम पंचायत-कमालपुर	09.05.17/ 2.50	09.11.17/ 2.42	
4	सिंगल फेज बोरिंग मय टंकी निर्माण कार्य दीना मुत्ता के घर के पास आसीन की ढाणी ग्राम पंचायत-कमालपुर	09.05.17/ 2.20	09.11.17/ 2.20	
5	सिंगल फेज बोरिंग मय टंकी निर्माण कार्य उदल पुत्र बासल के घर के पास ग्राम पंचायत-फुल्लावास	21.04.16/ 2.50	15.06.16/ 2.50	टंकी टूटी हुई थी एवं उपयोग योग्य नहीं थी।
6	सिंगल फेज मोटर बोरिंग मय टंकी निर्माण कार्य जगत पटेल पुत्र श्री बिरजू के घर के पास ग्राम पंचायत-फुल्लावास	09.05.17/ 2.50	10.06.17/ 2.40	टंकी टूटी हुई थी एवं बोरिंग से जुड़ी हुई नहीं थी। अतः टंकी के निर्माण का यथोचित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
7	हैंड पंप निर्माण कालू के घर के पास ग्राम पंचायत-खलीलपुर	21.04.16/ 0.50	06.07.16/ 0.50	हैंडपंप उपयोग में नहीं आ रहा था एवं प्लेटफार्म टूट हुआ था। अतः हैण्डपम्प के निर्माण का यथोचित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
<b>योग</b>		<b>15.90</b>	<b>15.33</b>	

## परिशिष्ट IX

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.3.4 (v))

गैर-अनुमत कार्य का विवरण जिन पर निधियों का उपयोग किया गया है

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि/स्वीकृत राशि	कार्य पूर्ण होने की तिथि/व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
<b>अलवर</b>				
<b>पंचायत समिति- किशनगढ़बास</b>				
1	सिंगल फेज बोरिंग एवं टंकी निर्माण नट बास ग्राम पंचायत - सिरमोली	12.04.16/ 2.48	12.11.16/ 2.43	सार्वजनिक बिजली कनेक्शन नहीं था, केवल बोर लगा हुआ था। बोर का उपयोग व्यक्तियों द्वारा अपने निजी बिजली कनेक्शन के माध्यम से किया जा रहा था, जो की अनियमित था।
2	सिंगल फेज बोरिंग एवं टंकी निर्माण नब्बा के घर के पास, बंशी का बास ग्राम पंचायत - सिरमोली	19.05.17/ 3.00	25.10.17/ 2.36	
3	सिंगल फेज बोरिंग एवं टंकी निर्माण नूर मोहम्मद उर्फ सूंटा के घर के पास, समनीर का बास ग्राम पंचायत - सिरमोली	19.05.17/ 3.00	26.10.17/ 2.40	
4	सिंगल फेज अयूब के घर के पास, गजानंद का बास, ग्राम पंचायत - सिरमोली	19.05.17/ 3.00	21.10.17/ 2.36	
5	सिंगल फेज बोरिंग बिसावाली मस्जिद के पास, पहाड़ी बास, ग्राम पंचायत - सिरमोली	19.05.17/ 3.00	22.10.17/ 2.56	
6	सिंगल फेज बोरिंग एवं टंकी निर्माण आसु खान पुत्र भूरे खान के घर के पास, ग्राम पंचायत - सिरमोली	19.05.17/ 3.00	23.10.17/ 2.36	
7	सिंगल फेज बोरिंग एवं टंकी निर्माण हमीद मियां के घर के पास, ग्राम पंचायत - माचा	19.05.17/ 3.00	14.8.17/ 3.00	
8	हैंडपंप निर्माण मंगतू गुर्जर के घर के पास, पड़ासला, ग्राम पंचायत - ब्रिसांगपुर	19.3.17/ 0.60	1.4.17/ 0.57	हैंडपंप ग्रामीण के घर में लगाया हुआ था और इसे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। अतः किया गया व्यय अनियमित था।
9	हैंडपंप निर्माण रहमान चुडावत के घर के पास, ग्राम पंचायत - बागौडा	19.3.17/ 0.60	11.5.17/ 0.58	हैंडपंप ग्रामीण के घर में लगाया हुआ था और इसे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। अतः किया गया व्यय अनियमित था।
10	हैंडपंप निर्माण कार्य इमरान खान के मकान के पास मजारिया ढाणी, ग्राम चोर बसाई ग्राम पंचायत - दौंगडा	19.03.17/ 0.60	15.05.17/ 0.58	हैंडपंप ग्रामीण के घर में लगाया हुआ था और इसे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। अतः किया गया व्यय अनियमित था।
<b>पंचायत समिति - तिजारा</b>				
11	हैंडपंप निर्माण कार्य पूरण हरिजन के घर के पास ग्राम पंचायत - हमीराका	19.03.17/ 0.50	28.06.17/ 0.50	हैंडपंप ग्रामीण के घर की चारदीवारी के अंदर लगाया गया था जो कि निजी लाभ के लिए था।
12	हैंडपंप निर्माण कार्य देशा के घर के पास। ग्राम पंचायत - हमीराका	19.03.17/ 0.50	20.06.17/ 0.50	हैंडपंप ग्रामीण के घर की चारदीवारी के अंदर लगाया गया था जो कि निजी लाभ के लिए था।
13	बोल्डर हैंडपंप निर्माण कार्य लाल भगत के घर के पास एवं बबिता बेवा के घर के पास। ग्राम पंचायत - खलीलपुर	19.03.17/ 0.90	30.05.17/ 0.90	हैंडपंप ग्रामीण के घर की चारदीवारी के अंदर लगाया गया था जो कि निजी लाभ के लिए था।
<b>योग</b>		<b>24.18</b>	<b>21.10</b>	

**परिशिष्ट X**

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2.1)

**चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की सूची दर्शाने वाला विवरण-पत्र**

क्र.सं.	जिला परिषद का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	अलवर	कठूमर	बहरामपुर, दन्तिया, दरौंदा, गारु, जहादु, खोस्वर, मथुराहेड़ा, सालवाड़ी, समौची और टिकरी
		तिजारा	मायापुर, मिल्कपुरतुर्क, मुंडाना, रूपवास और साहबाद
2	बांसवाड़ा	गढ़ी	छोटी, करनपुर, राठियापाड़ा, सागवाड़िया, सरेड़ी बड़ी, लोहाडीया, मेटवाला, सरेड़ी रोहिडा, सुंदानी और उम्बाडा
		घाटोल	बड़ी पादल, बिछवाड़ा, बोपरीखांट, चिरावलागढ़ा, छोटी पादल, दगल, कालीमगरी, कंधावा, रूप जी खेड़ा और सवानिया
3	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	अमरपुर, आंवलहेड़ा, धनेताकलां, जालमपुरा, कशमोर, नगरी, पालका, रोलाहेड़ा, सावा और सेमालिया
		निंबाहेड़ा	बडोली माधो सिंह, बडोली घाटा, फचर अहीरन, करुंडा, गडोला, केली, लासदावन, मरजीवी, रानीखेड़ा और सतखंडा
4	जयपुर	गोविंदगढ़	आष्टिकलां, डोला का बास, फतेहपुरा, हडोता, हस्तेडा, जटावली, खेजरोली, किशनपुरा, महरकलां और नांगल भेरडा
		सांभरलेक	बबेरवालों की ढाणी, बसडी खुर्द, भादवा, डूंगरीकलां, ड्योढ़ी, हरसोली, इटावा, लूनियावास, मांदाभीमसिंह और तेज्या का बास
5	झुंझुनू	झुंझुनू	आबुसर, आजारी कलां, भडूना खुर्द, भीमसर, महारादासी, चतरपुरा, चूड़ी देरवालां, कुलोदकलां, पुरोहितों की ढाणी और उदावास
		उदयपुरवाटी	बड़गांव, बाजवा, बमलास, भाटीवाड़ा, छावसरी, ढाणी भोडो की, दूदिया, नतासा, सिंथल और टीटनवाड़ा
6	उदयपुर	झाडोल	गोरां, गोरां नेताजी का बाड़ा, झाडोल, मानस, पीलक और सेलाना
		सलूम्वर	बामनिया, बरोदा, डागर, इडाना, करावली, सारडी, सेरिया, सती की चोरी, कांट और टोडा

## परिशिष्ट XI

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2.3.2)

## कार्यों के विभाजन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/ जिला परिषद का नाम	कार्य का नाम	वित्तीय स्वीकृति संख्या/दिनांक	वित्तीय स्वीकृति राशि	व्यय
1	पुलासर/सरदारशहर/चुरु	पुलासर में श्मशान घाट की उत्तर से पश्चिम तक 329 मीटर चारदीवारी का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	10.00	09.58
2	पुलासर/सरदारशहर/चुरु	पुलासर में श्मशान घाट की पूर्व से दक्षिण तक चारदीवारी का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	15.00	14.96
3	सालासर/सुजानगढ़/चुरु	सालासर में संस्कृत स्कूल से भगवानाराम ढाका के घर की ओर तक 450 वर्गमीटर (वर्गमी) में सीसी रोड का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	03.95	03.94
4	सालासर/सुजानगढ़/चुरु	सालासर में भगवानाराम ढाका के घर से हडमानाराम ढाका के घर की ओर 450वर्गमी में सीसी रोड चौक का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	03.95	03.93
5	सालासर/सुजानगढ़/चुरु	सालासर में हडमानाराम ढाका के घर से बोदूराम की दुकान की ओर 450 वर्गमी में सीसी रोड चौक का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	03.95	03.93
6	सालासर/सुजानगढ़/चुरु	सालासर में बोदूराम की दुकान से सांडशाला की ओर 450 वर्गमी में सीसी रोड का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	03.95	03.93
7	सालासर/सुजानगढ़/चुरु	सालासर में सांडशाला से बाडी चौक तक 400 वर्गमी सीसी रोड का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	03.53	03.51
8	संतरा/गिदा/बाड़मेर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, संतरा-II में बरामदे सहित तीन कक्षा कक्षों का निर्माण	1195-202/ 11-09-2017	15.00	15.00
9	संतरा/गिदा/बाड़मेर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, संतरा-I में बरामदे सहित तीन कक्षा कक्षों का निर्माण	1195-1202/ 11-09-2017	15.00	15.00
10	कल्याणपुर/कल्याणपुर/बाड़मेर	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कल्याणपुर में तीन कक्षा कक्षों का निर्माण	2058/ 12-03-2018	15.00	14.84
11	कल्याणपुर/कल्याणपुर/बाड़मेर	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कल्याणपुर में तीन कक्षा कक्षों का निर्माण	2075/ 23-03-2018	15.00	12.00
<b>योग</b>				<b>104.33</b>	<b>100.62</b>

परिशिष्ट XII

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2.3.5)

उन कार्यो जिनमें कम सार्वजनिक योगदान प्राप्त हुआ था, का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. स.	कार्य पहचान	पंचायत का नाम	पंचायत समिति एजेंसी का नाम	कार्य का नाम	गाँव की कुल जनसंख्या	अजा / अजजा की जनसंख्या	अजा / अजजा की जनसंख्या प्रतिशत में	वित्तीय स्वीकृति संख्या/ दिनांक	कुल			योग (₹ लाख में)	आदिनांक तक व्यय	योगदान जो प्राप्त किया जाना था	कम प्राप्त अंशदान	कार्य की स्थिति
									योगदान	मनरेगा	राज्य सरकार					
1	2014-15/ 18615	टोडा	सलूम्वर	विश्राम गृह का निर्माण टाड़ हरियावत नोहरा, टोडा	2,032	667	32.82	23/19-03-2015	1.00	0.00	4.00	5.00	5.00	1.50	0.50	पूर्ण
2	2015-16/ 14362	भबराना	झल्लाटा	सामुदायिक भवन का निर्माण, प्रजापत बस्ती, महादेव मंदिर के पीछे, भबराना	5,311	1688	31.78	30/1-2-2016	1.00	0.00	4.00	5.00	5.00	1.50	0.50	पूर्ण
3	2015-16/ 17219	धमानिया	लसाड़िया	मेन रोड से महुदा फला साइड तक सीसी रोड का निर्माण, घाटा, धमानिया	1,753	209	11.92	605/13.01.2016	2.00	1.64	6.36	10.0 0	6.35	3.00	1.00	पूर्ण
4	2015-16/ 17223	धावड़ी	लसाड़िया	आंगनबाड़ी से तखत सिंह के घर तक सीसी सड़क निर्माण, मोड़ जी का खेड़ा, धावड़ी	1,211	430	35.51	604/13.01.2016	1.00	1.36	2.64	5.00	3.6	1.50	0.50	प्रगतिरत
5	201516/ 17227	धावड़ी	लसाड़िया	सीसी सड़क निर्माण राजपूत बस्ती, राठौड़ों का घुड़, धावड़ी	1,211	430	35.51	604/13.01.2016	1.00	1.36	2.64	5.00	2.75	1.50	0.50	पूर्ण
6	2015-16/ 20979	धावड़ी	लसाड़िया	देवीस्थान के पास सामुदायिक भवन निर्माण, नरजी का गुड़ा, धावड़ी	1,211	430	35.51	37/08-03-2016	1.00	0	4.00	5.00	3.98	1.50	0.50	पूर्ण
7	2015-16/ 22990	डागर	सलूम्वर	गाटोद जी मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण, डागर	1,769	178	10.06	34/19.02.2016	1.00	0.00	4.00	5.00	5.00	1.50	0.50	पूर्ण
8	2015-16/ 2853	टोडा	सलूम्वर	विश्राम गृह का निर्माण साकलदेव चौराहा, टोडा	2,032	667	32.82	10/15-09-2015	1.00	0.00	4.00	5.00	5.00	1.50	0.50	पूर्ण

क्र. स.	कार्य पहचान	पंचायत का नाम	पंचायत समिति एजेंसी का नाम	कार्य का नाम	गाँव की कुल जनसंख्या	अजा / अजजा की जनसंख्या	अजा / अजजा की जनसंख्या प्रतिशत में	वित्तीय स्वीकृति संख्या/ दिनांक	कुल			योग (₹ लाख में)	आदिनांक तक व्यय	योगदान जो प्राप्त किया जाना था	कम प्राप्त अंशदान	कार्य की स्थिति
									योगदान	मनरेगा	राज्य सरकार					
9	2015-16/6684	इडाना	सलूम्वर	चारा गृह का निर्माण, गौशाला, इडाना	1,560	609	39.03	8/14-09-2015	2.00	0.00	7.99	9.99	7.34	3.00	1.00	प्रगतिरत
10	2015-16/6687	बड़ौदा	सलूम्वर	सामुदायिक भवन का निर्माण बरोला जी, बड़ौदा	1,238	314	25.36	21/14-01-2016	1.62	0.00	6.52	8.14	6.52	2.44	0.82	पूर्ण
11	2018-19/36463	बाघपुरा	झाडोल	ददमिया बाओजी के पास सामुदायिक भवन का निर्माण, बाघपुरा	2,576	979	38	68/06-03-2019	2.00	0.00	8.00	10.00	7.00	3.00	1.00	प्रगतिरत
12	2018-19/36464	ओगना	झाडोल	सामुदायिक हॉल का निर्माण कलाल वाटिका के पास, ओगना	3,012	900	29.88	65/03-03-2019	2.50	0.00	10.00	12.50	10.00	3.75	1.25	पूर्ण
13	2018-19/2169	खेराड	सलूम्वर	सेजनाथ मंदिर के पास सामुदायिक विश्राम गृह का निर्माण, खेराड	1,956	464	23.72	57/10-04-2018	2.00	0.00	7.99	9.99	8.50	3.00	1.00	पूर्ण
<b>योग</b>									<b>19.12</b>	<b>4.36</b>	<b>72.14</b>	<b>95.62</b>	<b>76.04</b>	<b>28.69</b>	<b>9.57</b>	

## परिशिष्ट XIII

## (सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2.4.1)

पंचायत समिति गढ़ी, जिला परिषद बांसवाड़ा में कम मोटाई वाली सीसी सड़कों के निर्माण कार्य को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	कार्य का नाम स्वीकृत राशि/किया गया व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	भौतिक सत्यापन में भाग लेने वाले विभागीय प्राधिकारी	(₹ लाख में) निष्पादित नहीं किए गये कार्य के लिए भुगतान की गई राशि
1	ग्राम पंचायत करनपुर में मेन रोड से गट्टू यादव के घर तक सीसी सड़क का निर्माण, ग्राम करनपुर। ₹ 15 लाख / ₹ 15 लाख	भौतिक सत्यापन के दौरान प्रथम और द्वितीय परत की मोटाई क्रमशः 11.6 सेमी और 8.3 सेमी जैसा कि माप पुस्तिका में प्रविष्ट है, के बजाय 7.5 सेमी और 5 सेमी पाई गई।	पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता और जिला परिषद के अधिशाषी अभियंता।	12.03*
2	ग्राम पंचायत मेटवाला मे चुन्नी लाल भोई के खेत से कनेला तक सीसी सड़क (लंबाई 331 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर) का निर्माण कार्य। ₹ 10 लाख/₹ 9.99 लाख	भौतिक सत्यापन के दौरान प्रथम और द्वितीय परत की मोटाई क्रमशः 15 सेमी और 10 सेमी जैसा कि माप पुस्तिका में प्रविष्ट है, के बजाय 7.5 सेमी और 5 सेमी पाई गई।	पंचायत समिति के कनिष्ठ तकनीकी सहायक/ सहायक अभियंता।	4.95
3	ग्राम पंचायत उम्बाडा के डोकीपाड़ा मे डोकीपाड़ा स्कूल से नारायण हकरू के घर तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य। ₹ 10 लाख / ₹ 9.97 लाख	भौतिक सत्यापन के दौरान प्रथम और द्वितीय परत की मोटाई क्रमशः 14 सेमी और 10 सेमी जैसा कि माप पुस्तिका में प्रविष्ट है, के बजाय 7.5 सेमी और 6.3 सेमी पाई गई।	पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता/ सहायक अभियंता।	3.74
4	ग्राम पंचायत सरेडी बड़ी मे गाजू नानू के घर से वाला लाला गौतम के घर से होते हुए केरू के घर तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य। ₹ 10 लाख/₹ 9.79 लाख	भौतिक सत्यापन के दौरान प्रथम और द्वितीय परत की मोटाई क्रमशः 11.2 सेमी और 10 सेमी जैसा कि माप पुस्तिका में प्रविष्ट है के , बजाय 7.5 सेमी पाई गई।	पंचायत समिति के सहायक अभियंता।	2.76
5	ग्राम पंचायत सुंदानी के ग्राम जन्तोड़ा में पूजा आदिवासी के घर से कल्याण सिंह के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। ₹ 10 लाख /₹ 9.92 लाख	भौतिक सत्यापन में प्रथम एवं द्वितीय परत की मोटाई माप पुस्तिका में अंकित 10 सेमी के बजाय 7.5 सेमी पायी गयी।	पंचायत समिति के सहायक अभियंता।	2.36
6	ग्राम पंचायत करनपुर के ग्राम मालपुर मे आदिवासी मोहल्ला में सीसी सड़क का निर्माण। ₹ 5 लाख/₹ 5 लाख	भौतिक सत्यापन में प्रथम एवं द्वितीय परत की मोटाई माप पुस्तिका में अंकित 13.5 सेमी एवं 10 सेमी के स्थान पर क्रमशः 7.5 सेमी एवं 5 सेमी पायी गयी।	पंचायत समिति के सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता।	2.22
7	ग्राम पंचायत उम्बाडा में आंगनबाड़ी से लक्ष्मण रेबारी के आवास तक सीसी सड़क का निर्माण। ₹ 9 लाख /₹ 9 लाख	भौतिक सत्यापन के दौरान पहली और द्वितीय परत की मोटाई क्रमशः 12.5 सेमी और 10 सेमी जैसा कि माप पुस्तिका में प्रविष्ट है, के बजाय 10 सेमी और 7.5 सेमी पाई गई।	पंचायत समिति के सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता।	1.92
8	ग्राम पंचायत सुंदानी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय से पाटीदार मोहल्ला ग्राम जंटोरा तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। ₹ 10 लाख/ ₹ 9.73 लाख	भौतिक सत्यापन के दौरान द्वितीय परत की मोटाई माप पुस्तिका में प्रविष्ट 9.5 सेमी के बजाय 7.5 सेमी पाई गई।	पंचायत समिति के सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता।	0.91
योग	₹ 78.40			30.89

\*प्रत्येक प्रकरण में अनिष्पादित कार्य के लिए किए गए भुगतान की गणना निम्नानुसार की गई है:

माप पुस्तिका के अनुसार, 495.14 घनमीटर (प्रथम परत: 288.13 घनमीटर , द्वितीय परत: 207.01 घनमीटर ) निष्पादित कार्य के लिए भुगतान किया गया था जबकि वास्तविक कार्य 79.75 घनमीटर (पहली परत: 47.85 घनमीटर, दूसरी परत: 31.90 घनमीटर) निष्पादित किया गया था।

निष्पादित न किए गए कार्य का मूल्य:

(i) प्रथम परत: (288.13 घनमीटर - 47.85 घनमीटर) = 240.28 घनमीटर x ₹ 2,417.80 प्रति घनमीटर = ₹ 5,80,949;

(ii) द्वितीय परत (207.01 घनमीटर - 31.90 घनमीटर) = 175.11 घनमीटर x ₹ 3,549.70 प्रति घनमीटर = ₹ 6,21,588;

योग = 415.39 घनमीटर

राशि = ₹ 12,02,537

## परिशिष्ट XIV

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2.4.2)

नाली और एक्सपेंशन जॉइंट का निर्माण न होने के कारण क्षतिग्रस्त सीसी सड़कों का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में )

क्र.सं.	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का नाम	व्यय
<b>(अ) सीसी सड़कें नालियों सहित स्वीकृत किन्तु नालियों का निर्माण नहीं हुआ और क्षतिग्रस्त पाई गयीं</b>			
1	ग्राम पंचायत- झाडोल, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद- उदयपुर	पद्माजी जानी के घर से शेरसिंह और स्ट्रीस के घर तक नाली सहित सीसी सड़क निर्माण	5.40
2	ग्राम पंचायत- झाडोल, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद- उदयपुर	अमृतजीपुरी के घर से भवरजी ठाकुर के घर तक नाली सहित सीसी सड़क निर्माण	7.00
3	ग्राम पंचायत- झाडोल, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद- उदयपुर	गिरदारी उस्ताद के घर से पीएचईडी कुएं की ओर नाली सहित सीसी सड़क निर्माण	9.85
4	ग्राम पंचायत- झाडोल, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद- उदयपुर	कृषि उपज मण्डी से श्मशान घाट की ओर नाली सहित सीसी सड़क निर्माण	9.49
5	ग्राम पंचायत- नेता जी का बाड़ा, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद- उदयपुर	मेन रोड से दयाला भीम के घर के पास नाली सहित सीसी रोड निर्माण	5.00
6	ग्राम पंचायत-लूनियावास, पंचायत समिति- साँभरलेक, जिला परिषद, उदयपुर	भोमिया जी मंदिर से स्वामीयों की ढाणी तक नाली सहित सीसी सड़क स्वरंजा निर्माण	10.00
<b>योग</b>			<b>46.74</b>
<b>(ब) नालों एवं एक्सपेंशन जॉइंट का निर्माण न होने के कारण क्षतिग्रस्त पाई गई सीसी सड़कें</b>			
1	ग्राम पंचायत नेता जी का-बाड़ा, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद, उदयपुर	मेन रोड से हनुमान जी, उन्दारा नेताजी का बाड़ा तक सीसी सड़क निर्माण	10.0
2	ग्राम पंचायत झाडोल-, पंचायत समिति झाडोल जिला परिषद, उदयपुर	सोहानी बाई के घर से मुख्य मार्ग तक सीसी सड़क का निर्माण, झाडोल	10.00
3	ग्राम पंचायत झाडोल-, समिति- झाडोल, जिला परिषद, उदयपुर	छगन कुम्हार के घर के पास से हीरा पटेल की गली में सीसी सड़क का निर्माण, झाडोल	9.99
4	ग्राम पंचायत पीलाक, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद, उदयपुर	मेन रोड से कालू भेरा के घर के पास तक सीसी सड़क का निर्माण, सरका खेड़ा	10.00
5	ग्राम पंचायत पीलाक, पंचायत समिति - झाडोल, जिला परिषद, उदयपुर	मेन रोड से आंगनबाडी भवन के पास तक सीसी सड़क का निर्माण, कुण्डल	10.00
6	ग्राम पंचायत- करणपुर पंचायत समिति गढ़ी, जिला परिषद बांसवाड़ा	मेन रोड से लालसिंह बंजारा हाउस वाया हुकुमचंद हाउस तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य	14.75
7	ग्राम पंचायत- सीथल पंचायत समिति- उदयपुरवाटी, जिला परिषद, झुंझुनू	माम राज के घर से समदार तक सीसी सड़क का निर्माण, सीथल	2.43
8	ग्राम पंचायत- सीथल पंचायत समिति- उदयपुरवाटी, जिला परिषद, झुंझुनू	दाताराम के घर से अमी लाल तक सीसी सड़क का निर्माण, सीथल	3.70
9	ग्राम पंचायत- सीथल पंचायत समिति - उदयपुरवाटी, जिला परिषद, झुंझुनू	बोडाला वेल से मीना मोहल्ला तक सीसी सड़क का निर्माण, सीथल	2.96
10	ग्राम पंचायत- सीथल पंचायत समिति- उदयपुरवाटी, जिला परिषद, झुंझुनू	शीश राम गोरा के घर से श्मशान रोड तक सीसी सड़क का निर्माण, सीथल	4.40
<b>योग</b>			<b>78.23</b>
<b>महायोग (अ+ब)</b>			<b>124.97</b>



परिशिष्ट XV

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2.4.4)

कार्यों के अनुचित निष्पादन का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र (कम लंबाई में निष्पादित अथवा नहीं किए गए कार्य)

क्र.सं.	कार्य का नाम (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत)	व्यय (₹ लाख में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	कार्य के निष्पादन के बिना किया गया भुगतान (₹ लाख में)
1	आंगनबाड़ी से मैदा पाड़ा तक सीसी सड़क (चिरावला गढ़ा/घाटोल/बांसवाड़ा)	9.94	सीसी सड़क का निर्माण 500 मीटर लंबाई में किया गया था, तथापि यह एमबी में 542 मीटर प्रविष्ट किया गया और तदनुसार भुगतान किया गया।	0.77
2	ग्राम इटावा में श्मशान घाट की अपूर्ण चारदीवारी का निर्माण। (तेज्या का बास/ सांभरलेक/ जयपुर)	4.59	श्मशान घाट की केवल 416 फुट की चारदीवारी का निर्माण किया गया था, तथापि, इसे एमबी में 576 फुट प्रविष्ट किया गया था और तदनुसार भुगतान किया गया।	1.27
3	बीरवाली कब्रिस्तान में चारदीवारी, संभों पर छत का निर्माण (मांडा भीम सिंह/सांभरलेक/ जयपुर)	9.54	छत व चबूतरों का प्लास्टर नहीं किया परन्तु इस मद का भुगतान कर दिया गया।	0.16
4	चारदीवारी और कब्रिस्तान के टिन शेड का निर्माण कार्य (कुहाडु/ झुंझुनु/ झुंझुनु)	10.28	प्राक्कलन के अनुसार 252 मीटर के बजाय कब्रिस्तान के सामने 24.38 मीटर लंबाई में चारदीवारी का निर्माण किया गया था। तथापि 227.62 मीटर की पहले से निर्मित पुरानी चारदीवारी को शामिल कर पूर्ण कार्य का भुगतान किया गया।	8.70
5	कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण कार्य। (डूंगरी कलां/ सांभरलेक/ जयपुर)	4.21	कब्रिस्तान की चारदीवारी की सफेदी नहीं कराई गई किन्तु इस मद का भुगतान किया गया।	0.09
6	अहादो की पडर में चारदीवारी सहित श्मशान का निर्माण कार्य एवं सीसी कार्य। (रठिया पाड़ा/ गढ़ी/ बांसवाड़ा)	11.94	श्मशान घाट पर मुख्य गेट स्थापित नहीं किया गया लेकिन इस मद के लिए भुगतान किया गया था।	0.30
7	चारदीवारी का निर्माण कार्य एवं खेल मैदान को समतल करना। (सरेदी बड़ी/घड़ी/बांसवाड़ा)	14.96	खेल मैदान की चारदीवारी पर मुख्य गेट स्थापित नहीं किया गया लेकिन इस मद के लिए भुगतान किया गया।	0.24
8	जैन-गुर्जर सामुदायिक श्मशान भूमि की चारदीवारी का निर्माण कार्य। (लूनियावास/ सांभर लेक/ जयपुर)	05.90	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.37
9	सार्वजनिक श्मशान भूमि की चारदीवारी का निर्माण, गदरी (लूनियावास/ सांभर लेक/जयपुर)	4.32	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। तथापि, इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.26
			(ii) 12 मिमी ग्रेट के साथ 1:2:4 सीसी के अनुपात में चारदीवारी की कोपिंग निष्पादित नहीं की गयी थी।	0.13

क्र.सं.	कार्य का नाम (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत)	व्यय (₹ लाख में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	कार्य के निष्पादन के बिना किया गया भुगतान (₹ लाख में)
			(iii) नींव की चिनाई का कार्य एमबी में (2x2) और (1.5x1) प्रविष्ट किया गया था, जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान यह 1x1 फुट पाया गया था। इस प्रकार, 2x2 का माप अधिक दिखाया गया।	1.21
10	राजपूत श्मशान भूमि की चारदीवारी का निर्माण, गदरी। लूनियावास/सांभर लेक/जयपुर)	04.38	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। तथापि, इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.23
11	भोमिया जी मंदिर से स्वामीयों की ढाणी तक नाली सहित सीसी स्वरंजा का निर्माण, गदरी। (लूनियावास/सांभर लेक/जयपुर)	10.00	मैकेनिकल कंक्रीट कटर का उपयोग करके कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट लम्बवत ज्वाइंट 4 से 6 मिमी चौड़ी कटाई का कार्य, जिसमें डायमंड कटिंग व्हील की लागत और स्वांचे में बिटुमेन सीलिंग कंपाउंड को भरने की लागत शामिल है, जिसमें एमबी में निष्पादित सीलिंग कंपाउंड वॉश की लागत शामिल है। तथापि, यह देखा गया कि सीसी सड़क पर कटिंग कार्य निष्पादित नहीं किया गया था और सड़क पर दरारें थी।	0.05
12	जोशी श्मशान की चारदीवारी का निर्माण, टिन शेड, कुर्सी, भूतलीय टैंक और समतलीकरण। (इटावा/सांभर लेक/जयपुर)	14.98	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। तथापि, इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.64
13	राजपूत श्मशान घाट की चारदीवारी का निर्माण। (ड्योडी/सांभर लेक/ जयपुर)	4.89	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। तथापि, इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.27
14	कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण। (ड्योडी/सांभर लेक/जयपुर)	5.00	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। तथापि, इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.45
15	सार्वजनिक श्मशान भूमि की चारदीवारी का निर्माण, कोठी (कोठी)। (ड्योडी/सांभर लेक/ जयपुर)	11.85	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। तथापि, एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.60
16	श्मशान घाट की चारदीवारी का निर्माण, बावरियो की ढाणी। (मांडा भीम सिंह/सांभर लेक/जयपुर)	10.00	554.5 फीट की चारदीवारी के लिए नींव की चिनाई का काम (105.91 घमी) निष्पादित किया गया था जबकि एमबी में 147.22 घमी को निष्पादित के रूप में मापा गया था। इसलिए एमबी में 41.31 घमी अधिक मापा गया।	1.10

क्र.सं.	कार्य का नाम (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत)	व्यय (₹ लाख में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	कार्य के निष्पादन के बिना किया गया भुगतान (₹ लाख में)
17	श्मशान घाट की चारदीवारी का निर्माण, गोरिया टिब्बा नाथी का बास । (बसडी खुर्द/सांभर लेक/जयपुर)	8.52	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.34
18	कब्रिस्तान के गेट के साथ चारदीवारी का निर्माण, ग्राम गोदारा का बास । (धानियां भौदकी/ उदयपुरवाटी /झुंझुनू)	05.00	(i) नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था। (ii) नींव की चिनाई का काम 2.00 x 1.00 फीट के स्थान पर 1.5 फीट (चौड़ाई) x 2.00 फीट (ऊंचाई) पहली परत में और दूसरी परत में 1.50 फीट (चौड़ाई) x 1.00 फीट (ऊंचाई) 537 फीट चारदीवारी में पाया गया, इसलिए, एमबी में आधिक्य में मापा गया।	0.47 0.18
19	शेड और पानी सहित श्मशान घाट की चारदीवारी का निर्माण, ग्राम धोलामगरा (कांट/सलुम्बर/उदयपुर)	7.59	(i) चारदीवारी का निर्माण चट्टानी स्थल पर किया गया था और नींव का निर्माण नहीं किया गया था। तथापि, नींव की खुदाई (2.00 फीट (चौड़ाई) x 2.00 फीट (ऊंचाई) x 397.5 (लंबाई)=कुल 45.10 घमी) को एमबी में मापा गया। (ii) नींव का निर्माण नहीं पाया गया, जबकि नींव में चिनाई का काम (2.00 फीट (चौड़ाई) x 2.00 फीट (ऊंचाई) x 425 (लंबाई) = कुल 43.92 घमी) एमबी में मापा गया था। (iii) श्मशान घाट में समतलीकरण का कार्य नहीं पाया गया, जबकि एमबी में 262 घमी कार्य में मापा गया।	0.05 0.88 0.36
20	शेड एवं पानी सहित श्मशान घाट की चारदीवारी का निर्माण, ग्राम कटिया । (कांट/सलुम्बर/उदयपुर)	7.29	(i) चारदीवारी का निर्माण चट्टानी स्थल पर किया गया था और नींव का निर्माण नहीं किया गया। तथापि, नींव की खुदाई (2.00 फीट (चौड़ाई) x 2.00 फीट (ऊंचाई) x 425 फीट (लंबाई) = कुल 43.92 घमी) एमबी में मापा गया था। (ii) नींव का निर्माण नहीं पाया गया, जबकि नींव में चिनाई का काम (2.00 फीट (चौड़ाई) x 2.00 फीट (ऊंचाई) x 425 (लंबाई) = कुल 43.92 घमी) एमबी में मापा गया था।	0.05 0.86
21	पावटिया में श्मशान का निर्माण	9.46	बरामदे में 76x11.75x2.5 घन फीट चिनाई का काम 76x11.75x2 घन फीट पाया गया।	0.12
22	आदर्श माध्यमिक विद्यालय रोलाहेड़ा की चारदीवारी का निर्माण (रोलाहेड़ा/चित्तौड़गढ़ /चित्तौड़गढ़)	4.83	(i) 12 मिमी ग्रेट के साथ 1:2:4 सीसी के अनुपात में चारदीवारी की कोपिंग का कार्य एमबी में निष्पादित के रूप में दर्ज किया गया था। तथापि, चारदीवारी की कोपिंग निष्पादित नहीं पायी गयी। (ii) यह देखा गया कि विद्यालय की पहले से निर्मित चारदीवारी पर चारदीवारी का निर्माण किया गया था, जबकि नींव में मिट्टी का काम, पीसीसी और चिनाई का काम एमबी में मापा गया था।	0.13 01.07

क्र.सं.	कार्य का नाम (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत)	व्यय (₹ लाख में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	कार्य के निष्पादन के बिना किया गया भुगतान (₹ लाख में)
23	सुला बरामदा और चारदीवारी, रावत का तालाब (अमरपुरा/चित्तौड़गढ़/ चित्तौड़गढ़)	11.57	(i) 12 मिमी ग्रेट के साथ 1:2:4 सीसी के अनुपात में चारदीवारी की कोपिंग का कार्य एमबी में निष्पादित के रूप में दर्ज किया गया था। तथापि, चारदीवारी की कोपिंग निष्पादित नहीं पायी गयी।	0.20
			(ii) नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.40
24	केवल राम जी के घर के पास खुले बरामदे का निर्माण, ग्राम-रामपुरिया। (नगरी/चित्तौड़गढ़/चित्तौड़गढ़)	6.84	यह देखा गया कि बरामदे की पिछली और दोनों ओर की दीवारों के लिए खुदाई, पीसीसी और नींव में चिनाई के काम को एमबी में निष्पादित के रूप में मापा गया था। तथापि इन दीवारों का निर्माण ग्रामीणों द्वारा पहले ही कर लिया था। इसलिए नींव में खुदाई, पीसीसी और चिनाई के काम के लिए एमबी में निष्पादित के रूप में कार्य, 10.53 घमी, 2.04 घमी और 25.13 घमी अधिक दर्शाया गया था।	0.66
25	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रार्थना क्षेत्र में इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण। (केली/निंबाहेड़ा/चित्तौड़गढ़)	3.00	इंटरलॉकिंग टाइलों में पीसीसी कार्य 70x60 फीट क्षेत्र में 4.5 इंच मापा गया था जैसा कि एमबी में निष्पादित माना गया था। तथापि, इंटरलॉकिंग टाइल्स में पीसीसी का काम 2 इंच का पाया गया।	0.57
26	सामुदायिक हाल का निर्माण, पयारी। (करुंडा/निंबाहेड़ा/चित्तौड़गढ़)	15.00	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.26
27	श्मशान शेड, काष्ठगृह, सामुदायिक शेड और चारदीवारी का निर्माण, फचर। (अहिरन/निंबाहेड़ा/ चित्तौड़गढ़)	9.92	(i) चारदीवारी का निर्माण चट्टानी भूमि पर जमीनी स्तर से किया गया था, और नींव में चिनाई का काम नहीं मिला था। जबकि 571x2x2 फीट = 2284 घनफीट (64.64 घन मीटर) चिनाई के काम का मूल्यांकन एमबी में किया गया था।	1.37
			(ii) काष्ठगृह में पत्थर का लिंटेल् (दासा) नहीं मिला।	0.16
28	बोरा खेड़ी में श्मशान घाट की चारदीवारी, टिन शेड एवं पानी की सुविधा, काष्ठगृह का निर्माण, (बडोली माधो सिंह/निंबाहेड़ा/ चित्तौड़गढ़)	9.47	(i) चारदीवारी पर कोपिंग नहीं मिली (50 मिमी)।	0.32
			(ii) दीवार की नींव 1.25 फीट थी। तदनुसार क्षेत्रफल की गणना 59.93 घमी (847x2x1.25 फीट = 2117.5 घनफीट) थी, हालांकि, नींव की चिनाई का भुगतान एमबी में 114.52 घन मीटर के रूप में निष्पादित मापा गया था।	1.36
29	पाइप पुलिया सहित श्मशान घाट का निर्माण, करनपुर। (करनपुर/ गढ़ी/ बांसवाड़ा)	9.82	श्मशान घाट का लोहे का गेट लगा नहीं मिला।	0.20
<b>योग</b>		<b>245.09</b>		<b>26.85</b>

## परिशिष्ट-XVI

### (सन्दर्भ अनुच्छेद सं.2.3.1)

#### पंचम राज्य वित्त आयोग की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण (अंतरिम और अंतिम प्रतिवेदन में दी गई अनुशंसाएं)

#### 1 वर्ष 2015-16 के लिए अपने अंतरिम प्रतिवेदन में आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाएं

- राज्य की शुद्ध निजी कर प्राप्तियों का 7.182 प्रतिशत जो कि ₹ 3,271.81 करोड़ बनता है, 2015-16 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना था (75.1:24.9 के अनुपात में विभाजित अर्थात् क्रमशः ₹ 2,457.13 करोड़ और ₹ 814.68 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को)।
- निधियों के हस्तान्तरण को आगे तीन घटकों में वर्गीकृत किया गया था : मूलभूत और विकास कार्यों के लिए अनुशंसित राशि का 85 प्रतिशत, प्रशासन के मानकों में सुधार, डेटाबेस का रखरखाव, राष्ट्रीय प्राथमिकता योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत स्वातंत्र्य, अभिलेखों, परिसंपत्ति रजिस्टर के रख रखाव अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रयासों और भामाशाह कार्ड के नामांकन और वितरण को पूरा करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सिफारिश की गई थी।
- आयोग ने जिला परिषदों के लिए 5 प्रतिशत निधियां, पंचायत समितियों के लिए 15 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों के लिए शेष 80 प्रतिशत निधियां जारी करने की भी सिफारिश की।
- अनुदानों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश पंचायत राज विभाग द्वारा दिसंबर 2015 में जारी किए गए थे।

#### 2 आयोग द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए अपने अंतरिम प्रतिवेदन में दी गई अनुशंसाएं

- आयोग ने राज्य की शुद्ध निजी कर प्राप्तियों के 7.182 प्रतिशत के हस्तान्तरण के अनुपात को राशि ₹ 3,689.66 करोड़ को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना (75.1: 24.9 के अनुपात में विभाजित अर्थात् क्रमशः ₹ 2,770.93 करोड़ एवं ₹ 918.73 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को) यथावत रखा जैसा कि इसकी पूर्व के प्रतिवेदन में अनुशंसा की गई थी।
- आयोग ने निर्धारित निधियों के उद्देश्य-वार वितरण के सूत्र को संशोधित किया और ग्रामीण पानी की टंकियों के रखरखाव सहित मूलभूत और विकास कार्यों के लिए अनुशंसित राशि का 55 प्रतिशत, राष्ट्रीय/राज्य की प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए 40 प्रतिशत और निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए प्रोत्साहन के रूप में 5 प्रतिशत अनुदान की सिफारिश की।
- पंचायती राज संस्थाओं में निधियों के स्तर-वार आवंटन के सूत्र को जिला परिषदों के लिए 5 प्रतिशत निधियां, पंचायत समितियों के लिए 20 प्रतिशत और ग्राम पंचायतों के लिए 75 प्रतिशत संशोधित किया गया।
- पंचायती राज विभाग द्वारा अनुदानों के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। राजस्थान सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार (सितंबर 2015 और सितंबर 2016) किया गया था। यह भी प्रावधान किया गया था कि आयोग की अंतिम प्रतिवेदन के लागू होने तक, वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिम प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को निधियों हस्तांतरित किया जाना जारी रहेगा।

#### 3 आयोग द्वारा अपने अंतिम प्रतिवेदन में दी गई अनुशंसाएं

- अंतिम प्रतिवेदन में, आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को राज्य की शुद्ध निजी कर प्राप्तियों के 8.5 प्रतिशत के हस्तान्तरण की अनुशंसा की, तथापि, राज्य ने हस्तान्तरण को 7.182 प्रतिशत (पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः 75.1:24.9 के अनुपात में विभाजित) के रूप में स्वीकार (जुलाई 2019) किया। आयोग ने अपने पूर्व प्रतिवेदन (2016-17) में की गयी अनुशंसा के अनुसार निर्धारित निधियों के उद्देश्य-वार वितरण और पंचायती राज संस्थाओं के मध्य निधियों के स्तर-वार आवंटन के सूत्र को यथावत रखा। पंचायती राज विभाग द्वारा अनुदानों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी (सितंबर 2019) किए गए थे।

## परिशिष्ट XVII

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.3.1)

पंचम राज्य वित्त आयोग पर विषयगत लेखापरीक्षा के लिए चयनित संभाग, जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत का नाम दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	संभाग	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
1	अजमेर	टोंक	टोंक	कुरेड़ा, अरनियाकेदार, पीपलू, घास, अरनियामाल, काशीपुरा, सांखना, सोरन, लोहारवाडा एवं हथौना
2	जयपुर	सीकर	धोद	बाडलवास, बढाडर, नागवा, सेवद बड़ी, पूरनपुरा, धोद, अनौसू, स्वास्वोली एवं मुंडवाडा
3	जोधपुर	जोधपुर	लूनी	खुडाला, पलासनी, सतलाना, दर्ईपाडा खिचियान, लूनावास खारा, डोली, मोगरा कलां, फिटकासनी एवं बडला नगर
			शेरगढ़	गजेसिंह नगर, सुवालिया, देवीगढ़, भांडू जाती, खिरजा तिबना, हिम्मतपुरा एवं बापू नगर
4	उदयपुर	उदयपुर	गोगुन्दा	मादड़ा, ओबरा कलां, रावलिया कलां, गोगुन्दा एवं रावलिया खुर्द
			खैरवाड़ा	पाटिया, लराठी, कातरवास कलां, जायरा, डबायचा, करावाडा, बावलवाडा, कनबई एवं कानपुर
<b>कुल</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>49</b>

परिशिष्ट XVIII

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.3.3.3)

चयनित इकाइयों में निधियों के निर्धारित प्रतिशत की सीमा से अधिक स्वीकृत सड़कों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

जिला परिषद पंचायत/ समिति का नाम	हस्तांतरित/ आवंटित राशि	मूलभूत एवं विकास कार्यो के लिए निर्धारित निधियां	सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण हेतु निर्धारित निधियां (कॉलम-3 का 60 प्रतिशत)	स्वीकृत सड़क कार्यों की लागत (आधारभूत एवं विकास कार्यो हेतु निर्धारित निधियों का प्रतिशत)	अधिक स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
जिला परिषद उदयपुर	2,775.79	1,690.29	1,014.18	1,349.16 (79.82)	334.98
जिला परिषद टोंक	1,348.15	820.94	492.56	846.57 (103.12)	354.01
जिला परिषद सीकर	1,830.35	1,109.27	665.56	1,013.77 (91.39)	348.21
<b>कुल योग (जिला परिषद)</b>	<b>5,954.29</b>	<b>3,620.50</b>	<b>2,172.3</b>	<b>3,209.5</b>	<b>1,037.2</b>
पंचायत समिति लूनी	1,290.69	764.10	458.46	717.25 (93.87)	258.79
पंचायत समिति धोद	750.24	447.24	268.34	598.54 (133.83)	330.20
पंचायत समिति टोंक	1,087.67	648.83	389.3	873.5 (134.63)	484.2
पंचायत समिति खैरवाड़ा	847.09	505.24	303.14	428.14 (84.74)	125
<b>कुल योग (पंचायत समिति)</b>	<b>3,975.69</b>	<b>2,365.41</b>	<b>1,419.24</b>	<b>2,617.43</b>	<b>1,198.19</b>
पंचायत समिति टोंक की ग्राम पंचायत (10)	687.9	424.31	254.58	718.86 (105.65 से 250.47)	464.28
पंचायत समिति खैरवाड़ा की ग्राम पंचायत (8)	523.79	322.61	193.57	367.44 (66.88 से 167.87)	173.87
पंचायत समिति गोगुन्दा की ग्राम पंचायत (2)	170.7	105.12	63.07	117.37 (101.55 से 115.81)	54.3
पंचायत समिति लूनी की ग्राम पंचायत (8)	596.51	368.51	221.09	477.78 (71.34 से 177.70)	256.69
पंचायत समिति धोद की ग्राम पंचायत (9)	584.74	344.85	206.9	480.05 (66.97 से 231.81)	273.15
पंचायत समिति शेरगढ़ की ग्राम पंचायत (1)	74.91	46.57	27.94	40.20 (86.32)	12.26
<b>कुल योग (ग्राम पंचायत)</b>	<b>2,638.55</b>	<b>1,611.97</b>	<b>967.15</b>	<b>2,201.70</b>	<b>1,234.55</b>
<b>महा योग</b>	<b>12,568.53</b>	<b>7,597.88</b>	<b>4,558.69</b>	<b>8,028.63</b>	<b>3,469.94</b>

## परिशिष्ट XIX

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.3.3.4)

2015-16 से 2019-20 के दौरान अभिसरण द्वारा उपयोग में ली गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. स.	जिला	पंचायत समित	ग्राम पंचायत	आवंटन	अभिसरण द्वारा स्वीकृति योग्य निधियां	अभिसरण द्वारा वास्तविक स्वीकृत निधियां	अभिसरण द्वारा कम स्वीकृत निधियां
<b>जिला परिषद</b>							
1	जोधपुर			2,522.29	504.46	0.00	504.46
2	सीकर			1,830.35	366.07	<b>66.46</b>	299.61
3	टोंक			1,348.15	269.63	<b>226.12</b>	43.51
4	उदयपुर			2,775.79	555.16	0.00	555.16
<b>कुल योग</b>				<b>8,476.58</b>	<b>1,695.32</b>	<b>292.58</b>	<b>1,402.74</b>
<b>पंचायत समिति</b>							
1	जोधपुर	लूनी		1,290.69	258.14	0.00	258.14
2	जोधपुर	शेरगढ़		558.59	112.80	0.00	112.80
3	सीकर	धोद		750.24	150.05	0.00	150.05
4	टोंक	टोंक		1,087.67	217.53	<b>25.50</b>	192.03
5	उदयपुर	गोगुन्दा		448.26	89.65	<b>11.88</b>	77.77
6	उदयपुर	सैरवाड़ा		847.09	169.42	0.00	169.42
<b>कुल योग</b>				<b>4,982.54</b>	<b>997.59</b>	<b>37.38</b>	<b>960.21</b>
<b>ग्राम पंचायत</b>							
1	जोधपुर	लूनी	खुडाला	64.69	12.94	0.00	12.94
2	जोधपुर	लूनी	पलासनी	88.95	17.79	0.00	17.79
3	जोधपुर	लूनी	सतलाना	96.01	19.20	0.00	19.20
4	जोधपुर	लूनी	दईपाड़ा खिचियाँन	40.57	8.11	0.00	8.11
5	जोधपुर	लूनी	लूनावास खारा	78.54	15.71	0.00	15.71
6	जोधपुर	लूनी	डोली	88.34	17.67	0.00	17.67
7	जोधपुर	लूनी	मोगरा कलां	63.39	12.68	0.00	12.68
8	जोधपुर	लूनी	फिटकासनी	64.95	12.99	0.00	12.99
9	जोधपुर	लूनी	बडला नगर	51.67	10.33	0.00	10.33
10	जोधपुर	शेरगढ़	गजेसिंह नगर	45.60	9.12	0.00	9.12
11	जोधपुर	शेरगढ़	सुवालिया	74.91	14.98	0.00	14.98
12	जोधपुर	शेरगढ़	देवीगढ़	51.13	10.23	0.00	10.23
13	जोधपुर	शेरगढ़	भांडू जांटी	67.73	13.55	0.00	13.55
14	जोधपुर	शेरगढ़	खिरजा तिबना	72.79	14.56	0.00	14.56
15	जोधपुर	शेरगढ़	हिम्मतपुरा	65.54	13.11	0.00	13.11



क्र. स.	जिला	पंचायत समित	ग्राम पंचायत	आवंटन	अभिसरण द्वारा स्वीकृति योग्य निधियां	अभिसरण द्वारा वास्तविक स्वीकृत निधियां	अभिसरण द्वारा कम स्वीकृत निधियां
16	जोधपुर	शेरगढ़	बापू नगर	41.99	8.40	0.00	8.40
17	सीकर	धोद	बाडलवास	85.10	17.02	0.00	17.02
18	सीकर	धोद	बढाडर	45.86	9.17	0.00	9.17
19	सीकर	धोद	नागवा	76.16	15.23	0.00	15.23
20	सीकर	धोद	सेवद बड़ी	74.73	14.95	0.00	14.95
21	सीकर	धोद	पूरनपुरा	52.90	10.58	0.00	10.58
22	सीकर	धोद	धोद	85.56	17.11	<b>1.78</b>	15.33
23	सीकर	धोद	अनोंस्वू	44.69	8.94	0.00	8.94
24	सीकर	धोद	स्वास्वोली	51.95	10.39	0.00	10.39
25	सीकर	धोद	मुंडवाडा	67.79	13.56	0.00	13.56
26	उदयपुर	खैरवाड़ा	पाटिया	71.14	14.22	0.00	14.22
27	उदयपुर	खैरवाड़ा	लराठी	60.46	12.09	0.00	12.09
28	उदयपुर	खैरवाड़ा	कातरवास कलां	56.26	11.25	0.00	11.25
29	उदयपुर	खैरवाड़ा	जायरा	61.92	12.38	0.00	12.38
30	उदयपुर	खैरवाड़ा	डबायचा	59.53	11.90	0.00	11.90
31	उदयपुर	खैरवाड़ा	करावाडा	71.76	14.35	0.00	14.35
32	उदयपुर	खैरवाड़ा	बावलवाडा	52.35	10.47	0.00	10.47
33	उदयपुर	खैरवाड़ा	कनबई	77.57	15.51	0.00	15.51
34	उदयपुर	खैरवाड़ा	कानपुर	65.15	13.03	0.00	13.03
35	उदयपुर	गोगुन्दा	मादडा	50.15	10.03	<b>6.96</b>	3.07
36	उदयपुर	गोगुन्दा	रावलिया कलां	35.54	7.11	0.00	7.11
37	उदयपुर	गोगुन्दा	रावलिया खुर्द	62.35	12.47	0.00	12.47
38	उदयपुर	गोगुन्दा	ओबरा कलां	49.73	9.95	<b>5.22</b>	4.73
39	उदयपुर	गोगुन्दा	गोगुन्दा	120.97	24.19	0.00	24.19
40	टोंक	टोंक	अरनियामाल	60.70	12.14	<b>6.25</b>	5.89
41	टोंक	टोंक	अरनियाकेदार	55.99	11.20	<b>12.00</b>	-0.80
42	टोंक	टोंक	घास	90.08	18.02	<b>21.70</b>	-3.68
43	टोंक	टोंक	हथौना	59.84	11.97	0.00	11.97
44	टोंक	टोंक	काशीपुरा	57.49	11.49	<b>6.20</b>	5.29
45	टोंक	टोंक	कुरेड़ा	58.71	11.74	0.00	11.74
46	टोंक	टोंक	लोहारवाडा	69.05	13.81	0.00	13.81
47	टोंक	टोंक	पीपलू	114.98	23.00	0.00	23.00
48	टोंक	टोंक	सोरन	61.39	12.18	<b>5.00</b>	7.18
49	टोंक	टोंक	सांखना	59.67	11.93	0	11.93
<b>योग</b>				<b>3,224.32</b>	<b>644.75</b>	<b>65.11</b>	<b>579.64</b>
<b>महायोग</b>				<b>16,683.44</b>	<b>3,337.66</b>	<b>395.07</b>	<b>2,942.59</b>

## परिशिष्ट XX

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.4)

पट्टे पर दी गई दुकानों के सन्दर्भ में बकाया किराया राशि का विवरण

(₹ लाख में)

(अ) पंचायत समिति तलवाडा के सन्दर्भ में कम वसूली/गैर वसूली का विवरण				
दुकान क्रमांक	किराये की अवधि	कुल उपार्जित किराया	भुगतान किया हुआ किराया	बकाया किराया
1	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,66,900	6,68,072
2	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,66,900	6,68,072
3	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,34,400	7,00,572
4	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,61,900	6,73,072
5	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,74,400	6,60,572
6	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,59,400	6,75,572
7	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,85,400	6,49,572
8	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,82,400	6,52,572
9	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,66,900	6,68,072
10	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,66,900	6,68,072
11	01.11.2004 से 31.07.2021	5,12,061	1,18,900	3,93,161
12	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,66,900	6,68,072
13	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,83,400	6,51,572
14	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,49,000	6,85,972
15	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,49,400	6,85,572
16	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,49,400	6,85,572
17	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,49,400	6,85,572
18	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,49,400	6,85,572
19	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,61,900	6,73,072
20	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,34,400	7,00,572
21	01.06.2007 से 31.07.2021	9,94,401	2,76,000	7,18,401
22	01.06.2007 से 31.07.2021	9,78,816	2,75,250	7,03,566
23	01.06.2007 से 31.07.2021	10,72,479	2,97,750	7,74,729
24	01.06.2007 से 31.07.2021	10,87,826	2,86,500	8,01,326
25	01.06.2007 से 31.07.2021	12,42,936	2,82,000	9,60,936
26	01.06.2007 से 31.07.2021	9,94,401	2,58,000	7,36,401
27	01.06.2007 से 31.07.2021	12,42,936	3,12,000	9,30,936
28	01.06.2007 से 31.07.2021	12,42,936	2,72,000	9,70,936
29	01.06.2007 से 31.07.2021	13,05,203	3,33,000	9,72,203
30	01.06.2007 से 31.07.2021	7,77,250	2,26,500	5,50,750
31	01.06.2007 से 31.07.2021	12,12,348	3,31,500	8,80,848
32	01.06.2007 से 31.07.2021	13,51,957	3,65,850	9,86,107
<b>योग</b>		<b>2,98,80,018</b>	<b>66,93,950</b>	<b>2,31,86,068</b>

(ब) पंचायत समिति डग के सन्दर्भ में कम वसूली/गैर वसूली का विवरण				
दुकान क्रमांक	किराये की अवधि	कुल उपार्जित किराया	भुगतान किया हुआ किराया	बकाया किराया
1	01.05.2006 से 31.12.2018	4,86,353	1,96,270	2,90,083
2	01.05.2006 से 31.03.2018	3,38,287	2,24,623	1,13,664
3	01.05.2006 से 31.07.2021	8,09,822	2,17,842	5,91,980
4	01.05.2006 से 31.07.2021	6,40,501	1,76,527	4,63,974
5	01.05.2006 से 31.01.2020	8,12,724	79,838	7,32,886
6	01.05.2006 से 31.10.2016	2,40,451	4,800	2,35,651
7	01.05.2006 से 31.07.2021	7,96,503	1,23,500	6,73,003
8	01.05.2006 से 31.07.2021	8,09,822	2,45,180	5,64,642
9 एवं 10	01.12.2006 से 31.07.2021	13,33,723	4,39,236	8,94,487
11	01.05.2006 से 31.07.2021	11,34,266	5,30,670	6,03,596
12	01.06.2007 से 31.07.2021	13,24,525	3,75,000	9,49,525
13	01.05.2007 से 31.07.2021	10,40,799	2,28,000	8,12,799
14	01.04.2007 से 31.07.2021	9,78,029	1,42,050	8,35,979
15	01.05.2006 से 31.07.2021	15,45,902	4,58,212	10,87,690
16	01.05.2006 से 31.07.2021	14,17,791	4,68,000	9,49,791
<b>योग</b>		<b>1,37,09,498</b>	<b>39,09,748</b>	<b>97,99,750</b>
<b>महा योग (अ)+(ब)</b>		<b>4,35,89,516</b>	<b>1,06,03,698</b>	<b>3,29,85,818</b>

## परिशिष्ट XXI

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.1.2.8 (i))

उन मामलों के नाम जो फायर एनओसी जारी किए बिना बंद हो गए तथा फायर एनओसी के जारी नहीं/देरी से जारी करने के मामले

क्र.सं.	(i) उन मामलों के विवरण जो फायर एनओसी जारी किए बिना बंद हो गए		(ii) उन मामलों के विवरण जिसमें फायर एनओसी का नवीनीकरण देरी से हुआ		(iii) उन मामलों के विवरण जिसमें फायर एनओसी का नवीनीकरण जारी नहीं किया				
	फर्म का नाम	फायर एनओसी के लिए आवेदन की दिनांक	फर्म का नाम	देरी की अवधि (माह में)	आवेदनकर्ता का नाम	क्षेत्र (वर्ग फीट में)	फायर एनओसी जारी करने की दिनांक	वर्ष जिनमें फायर एनओसी का नवीनीकरण लंबित है	वसूली योग्य राशि
1	कॉम्बे स्पा एंड रिसोर्ट	09.09.2014	पिछोला लेक होटल	7	धर्मेन्द्र डेवेलपर्स	57,600	9.12.15	2017-20	1,15,200
2	शौर्यगढ़ रिसोर्ट एंड स्पा कलड़वास	01.01.2015	पीवीआर सिनेमा	35	हितवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी	90,166	22.1.16	2016-20	1,80,332
3	सरस्वती अस्पताल	27.03.2017	आईनॉक्स सिनेमा लेक सिटी मॉल उदयपुर	7	आशियाना बिल्ड प्रोप.	91,516	30.8.16	2017-20	1,37,274
4	एस.एस. होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	16.10.2017	रेडिशन होटल लेक सिटी मॉल	8	वल्लभ बिल्डमेट	1,14,368	10.12.15	2019-20	1,06,290
5	आरोग्य अस्पताल	23.09.2017	शिव निवास पैलेस	4	तिरुपति बालाजी एजुकेशन ट्रस्ट	11,10,089	18.02.17	2017-20	25,82,238
6	उदय सागर हॉस्पिटैलिटी रिजॉर्ट प्रा. लिमिटेड	09.09.2014	होटल महेंद्र हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड	2	अरवाना कॉम्प्लेक्स	59,849	-	2016-20	3,59,094
7	एस.एस. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एस.एस. हिल्स, झामरकोटड़ा रोड उमरडा, उदयपुर	16.10.2017	अमेरिकन हॉस्पिटल	35	योग				34,80,428
8	हिल गार्डन रिट्रीट	07.10.2014	प्लस मेडिकेयर हॉस्पिटल	4					
9	सुरभि सिनेमा हॉल	19.06.2015	मेवाड़ हॉस्पिटल प्रा. लिमिटेड	65					
10			सनराइज हॉस्पिटल शांति नगर हिरणमगरी सेक्टर	34					
11			प्रभु श्री अपार्टमेंट	11					
12			अनिल क्लिनिक मधुवन उदयपुर	6					

\* शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले से ही निर्मित था तथा 2016-18 की अवधि के लिए फायर एनओसी प्राप्त किए बिना चल रहा था

परिशिष्ट XXII

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.1.3.2 (ii))

आवासीय से व्यावसायिक भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए लीज राशि की वसूली नहीं करना

क्र.सं.	आवेदक का नाम	क्षेत्र (वर्ग गज में)	क्षेत्र का आवासीय आरक्षित मूल्य (आरआरपी) (₹ में)	आरआरपी का पांच प्रतिशत (₹ में)	परिवर्तन आदेश की तारीख	अवधि वर्ष में	लीज की देय राशि (₹ में)
1	आशापुरा रियल एस्टेट	4,500	390	19.50	11.10.2013	7	6,14,250
2	चंदर कुमार मोरदिया	7,700	390	19.50	30.08.2013	7	10,51,050
3	हितवाला कन्स. कम्पनी, एमबी कॉलेज	5,600	295	14.75	25.11.2014	6	4,95,600
4	मनोज श्रीमाली	3,407	235	11.75	20.01.2014	6	2,40,194
5	नफ़ीसा बाई	3,200	390	19.50	07.01.2015	5	3,12,000
6	नन्द लाल व्यास	23,004	390	19.50	22.01.2013	7	31,40,046
7	ओम प्रकाश सोलंकी	4,410	390	19.50	16.04.2013	7	6,01,965
8	पुनीत मेहता	17,431	390	19.50	18.10.2012	8	27,19,236
9	ऋषि गुप्ता एवं अन्य	12,582.70	919.20	45.96	25.03.2013	7	40,48,106
10	संजय सिंघल	7,890.40	295	14.75	29.08.2013	7	8,14,684
11	संसेश्वर डवलपर्स	7,350	295	14.75	14.11.2014	6	6,50,475
<b>योग</b>							<b>1,46,87,606</b>

## परिशिष्ट XXIII

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.1.3.2 (v))

## अ. पाँच सितारा और चार सितारा होटलों की सूची जो पंजीकृत नहीं हैं

क्र.सं.	होटल का नाम	श्रेणी	2019-20 तक वसूली योग्य पंजीकरण शुल्क	शुल्क की कम वसूली
1	आमन्त्रा होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
2	भैरवगढ़ पैलेस	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
3	क्लब महिंद्रा	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
4	फतेहगढ़	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
5	हेरिटेज रिसोर्ट	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
6	हिल लेक होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
7	होटल एम्पायर पैलेस	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
8	होटल ड्रीम पैलेस	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
9	होटल रेडिसन उदयपुर	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
10	होटल श्री नारायण	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
11	इंद्र प्रकाश होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
12	ताज लेक पैलेस	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
13	रॉयल रिट्रीट	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
14	पिछोला लेक होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
15	विष्णुप्रिया होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
16	राज दर्शन	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
17	क्यू होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
18	रॉयल पाम होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
19	जस्ट राजपुताना	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
20	वी रिसॉर्ट्स लेविट्रा	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
21	चुण्डा पैलेस होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
22	हिलटॉप होटल पैलेस	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
23	होटल रासलीला	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
24	रेडिसन ब्लू उदयपुर पैलेस रिजॉर्ट एंड स्पा	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
25	अम्बावगढ़ रिट्रीट	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
26	रूपी होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
27	होटल फ्लोरा	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
28	अरलियास रिसॉर्ट्स	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
29	लोटस लेक ब्यू रिजॉर्ट	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
30	रामाडा उदयपुर रिजॉर्ट	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
31	होटल लाकन्ड	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
32	स्वरूप विलाज	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
33	रघु महल होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
34	श्री विलास आर्किड	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
35	होटल जय सिंहगढ़	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
36	अमरकोठी होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
37	जोस्टल उदयपुर	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
38	होटल अतुल्य निवास	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
39	लीला	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
योग			2,22,00,000	2,22,00,000

**ब. पाँच सितारा और चार सितारा होटलों की सूची जो निम्न श्रेणी में नवीनीकृत हुए**

क्र.सं.	होटल का नाम	श्रेणी	नवीनीकृत 2018-19 में	नवीनीकृत 2019-20 में	वसूली योग्य पंजीकरण शुल्क 2019-20 तक	शुल्क की कम वसूली
1	गोल्डन टुलिप	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	23,100	6,00,000	5,76,900
2	होटल मोतीमहल	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	9,940	6,00,000	5,90,060
3	जगमंदिर आइलैंड पैलेस	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	21,100	6,00,000	5,78,900
4	पारस महल	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	23,320	6,00,000	5,76,680
5	शालीमार पैलेस	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	9,600	6,00,000	5,90,400
6	होटल नारायण लीला इन	4 सितारा	उपलब्ध नहीं	18,100	4,50,000	4,31,900
7	होटल अक्षय निवास	4 सितारा	उपलब्ध नहीं	1,110	4,50,000	4,48,890
8	ललित लक्ष्मी विलास पैलेस	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	23,100	6,00,000	5,76,900
9	टाइगर	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	18,100	6,00,000	5,81,900
10	फतेह प्रकाश पैलेस	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	23,100	6,00,000	5,76,900
11	शिव निवास पैलेस	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	23,100	6,00,000	5,76,900
12	ट्रिडेंट होटल	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	1,20,000	2,00,000	80,000
<b>योग</b>				<b>3,13,670</b>	<b>65,00,000</b>	<b>61,86,330</b>

## परिशिष्ट XXIV

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.1.3.2 (vi))

## बस शेल्टर और ट्रैफिक बूथ की कुल भुगतान और देय राशि का विवरण

क्र.सं.	विवरण	फर्म का नाम	अवधि	निगम उदयपुर को प्राप्त होने योग्य राशि	प्राप्त राशि	अंतर राशि
1	33 बस शेल्टर की स्थापना	एनएस पब्लिसिटी	01.12.2011 से	10,41,667	41,02,315	1,12,34,212
			31.03.2012 (दस माह)			
			2012-13	12,50,000		
			2013-14	13,75,000		
			2014-15	15,12,500		
			2015-16	16,63,750		
			2016-17	18,30,125		
			2017-18	20,13,138		
			2018-19	22,14,451		
			2019-20	24,35,896		
			<b>योग</b>	<b>1,42,94,860</b>		
<b>बस शेल्टर का महा योग</b>				<b>1,53,36,527</b>	<b>41,02,315</b>	<b>1,12,34,212</b>
2	31 ट्रैफिक बूथ की स्थापना	मैसर्स बिट्स	01.12.2011 से	8,51,667	शून्य	1,25,39,143
			31.03.2012 (दस माह)			
			2012-13	10,22,000		
			2013-14	11,24,200		
			2014-15	12,36,620		
			2015-16	13,60,282		
			2016-17	14,96,310		
			2017-18	16,45,941		
			2018-19	18,10,535		
			2019-20	19,91,588		
<b>योग</b>	<b>1,16,87,476</b>					
<b>ट्रैफिक बूथ का महा योग</b>				<b>1,25,39,143</b>	<b>शून्य</b>	<b>1,25,39,143</b>
<b>बस शेल्टर और ट्रैफिक बूथ का महा योग</b>				<b>2,78,75,670</b>	<b>41,02,315</b>	<b>2,37,73,355</b>



परिशिष्ट XXV

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.1.3.2 (viii))

बेटरमेंट लेवी की कम/गैर वसूली

बिल्डर का नाम	भूखंड का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	अनुमत्य एफएआर (1.33/1.20)	वास्तव में इस्तेमाल की गयी एफएआर (वर्ग फीट)	अतिरिक्त एफएआर (वर्ग फीट)	बेटरमेंट लेवी की दर (₹ प्रति वर्ग फीट)	वसूल की गयी वास्तविक राशि (₹ में)	वसूली योग्य राशि (₹ में)	बेटरमेंट लेवी की कम/गैर वसूली (₹ में)
<b>वाणिज्यिक भवन के लिए (अनुमत्य एफएआर 1.33)</b>								
कमल काम्प्लेक्स	6,088.50	8,097.70	20,193	12,095.30	390	-	47,17,167	47,17,167
शब्बीर हुसैन	23,580	31,361.40	56,482	25,120.60	243.75	19,07,247	61,23,146	42,15,899
विनय बाफना, एवं अन्य (30 मीटर से अधिक ऊँची)	14,652.75	19,488.16	51,099	31,521	300	81,06,936	94,56,300	13,49,364
<b>आवासीय भवन के लिए (अनुमत्य एफएआर 1.20)</b>								
उदय सागर हॉस्पिटैलिटी	18,300	21,960	38,832.60	16,872.60	160	23,19,040	26,99,616	3,80,576
उदय सिटी डवलपर्स	19,875	23,850	44,558	20,708	122.50	22,20,220	25,36,730	3,16,510
विनायक बिल्ड टेक (अनुमत्य एफएआर 1.80)	32,403.58	58,326.44	20,2191.85	1,43,865.41	210	1,11,88,097	3,02,11,736.10	1,90,23,639.10
चंद्र प्रभा मरडिया	22,443.74	269,32.49	82,430.10	55,497.61	160, 192, 224**	67,82,257	1,00,40,433.13	3258176
दिलीप अमीन और अन्य	24,710	29,652	55,253	25,601	160	35,82,034	40,96,160	5,14,126
<b>योग</b>								<b>3,37,75,457</b>
<p>* आवासीय फ्लैट्स के मामलों में आवासीय मूल्य के 25 प्रतिशत की दर से या ₹ 100 प्रति वर्ग फीट 30 मीटर ऊँचे फ्लैटों के लिए तथा 30 वर्ग मीटर से अधिक के लिए ₹ 300 प्रति वर्ग फीट, जो भी अधिक हो बेटरमेंट लेवी वसूल किया जाना था। वाणिज्यिक भवन के लिए, वाणिज्यिक आरक्षित मूल्य के 30 प्रतिशत की दर या 30 मीटर ऊँची इमारत के लिए ₹ 200 प्रति वर्ग फीट और 30 मीटर से अधिक ऊँचाई के लिए ₹ 300 प्रति वर्ग फीट, जो भी अधिक हो।</p> <p>** एफएआर 1.20-2.25 के लिए = 25% का ₹ 640 (आरक्षित मूल्य)= ₹ 160  एफएआर 2.25-3.25 के लिए = 30% का ₹ 640 (आरक्षित मूल्य)= ₹ 192  एफएआर 3.25-3.64 के लिए = 35% का ₹ 640 (आरक्षित मूल्य)= ₹ 224</p>								

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi>